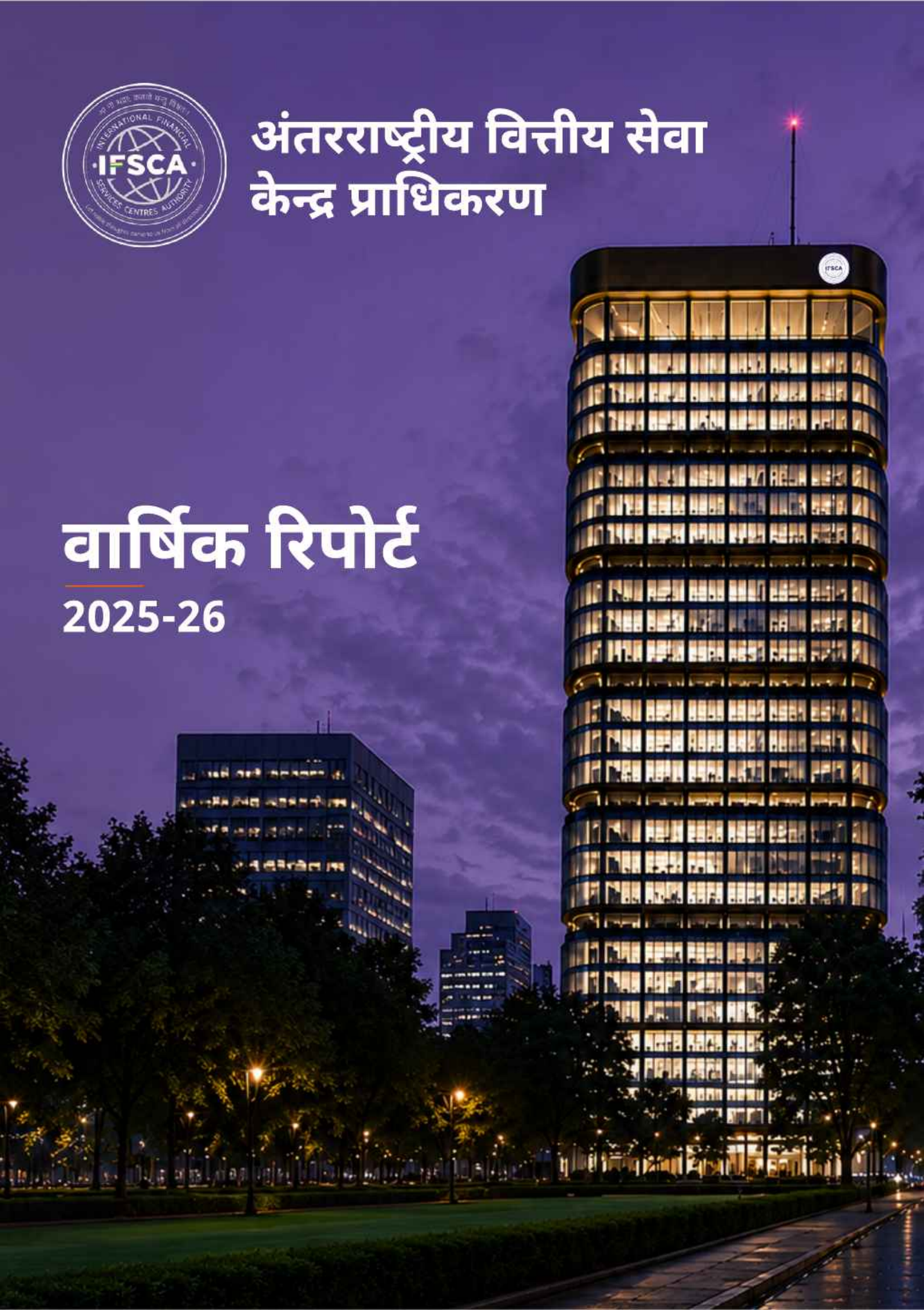
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट

2025-26





वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

यह रिपोर्ट भारत के राजपत्र में 28 फरवरी 2022 को अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां और विवरण और अन्य विशिष्टियां) नियम, 2022 में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप है |

के.राजारामन

अध्यक्ष
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण
गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात

सत्यमेव जयते

सचिव भारत,
भारत सरकार,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय, कर्तव्य भवन – 1
नई दिल्ली - 110 001

आईएफएससीए-ईसीपीए/13/2026-आर्थिक नीति और विश्लेषण
29 जून, 2026

महोदया,

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 19(2) के प्रावधानों के अनुसार, मैं 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि अग्रेषित कर रहा हूं, जो 28 फरवरी 2022 को भारत के गजट असाधारण, भाग II – खंड 3 – उपखंड (i) में अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां और विवरण और अन्य विशिष्टियां) नियमावली 2022 में दिए गए फार्मेट में है |

भवदीय,

(के.राजारामन)

संलग्न: यथोक्त

खंड – क

प्राधिकरण के बारे में

लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2020 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन एकीकृत वित्तीय नियामक के रूप में की गई। इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में गुजरात इन्टरनेशनल फाइनान्स टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) में स्थित है। आईएफएससीए (इसके पश्चात 'प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) का मुख्य प्रयोजन व्यवसाय प्रक्रिया को सहज बनाने पर आधारित विश्व स्तरीय परितंत्र (इकोसिस्टम) सृजित करने के अधिदेश के साथ भारत में स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (आईएफएससीज) में वित्तीय सेवाओं को विकसित और विनियमित करना और भारत में आईएफएससीज को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए पंसदीदा वैश्विक गंतव्य स्थल बनाने के लिए अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम नियामक तंत्र प्रदान करना है। आईएफएससीए एक एकीकृत वित्तीय विनियामक है, जिसके पास आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं, और वित्तीय संस्थानों को विनियमित करने की शक्ति है। आईएफएससी का विनियमन करने के लिए आईएफएससीए को रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए की शक्तियां दी गई हैं। गिफ्ट आईएफएससी भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र है।

विजन

गिफ्ट आइएफएससी को सुस्थायी, दक्ष और संधारणीय बाजारों और प्रौद्योगिकी परितंत्र सहित अग्रणी, सुनियंत्रित वैश्विक वित्तीय केन्द्र (जीएफसी) के रूप में स्थापित करना।

मिशन

निम्नलिखित का अनुपालन करते हुए विश्व का अग्रणी जीएफसी बनने के लिए प्रयत्नशील रहना :

- वैश्विक रूप से संयोजित नीतियों और प्रतिस्पर्धी कर-व्यवस्था को सक्रिय करना;
- विनियमन और अभिशासन में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाना;
- सुस्थायी, पारदर्शी और निवेशक-हितैषी बाजारों सुनिश्चित करना;
- वित्तीय उत्पादों और प्रौद्योगिकी में नवोन्मेषों को बढ़ावा देना;
- व्यवसाय में वैश्विक मानकों के अनुरूप सहजता को बढ़ाना; और
- विकसित भारत @2047 के लिए पूंजी और वित्तीय सेवाओं की आवश्यकताओं के लिए सुविधा देना।

हमारे प्रतिमान

- **सत्यनिष्ठा** : हम विश्वसनीय, निष्पक्ष और प्रोफेशनल हैं।
- **वचनबद्धता** : हम भारत, निवेशकों, व्यवसायों और धरती माता के लिए अपना सर्वोत्तम करते हैं।
- **उत्कृष्टता** : हम उच्च मानकों और नवोन्मेष का सतत निर्धारण करते हैं।
- **टीमवर्क** : हम इस विजन को साझा करते हैं और इसे पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं।
- **सहयोग** : सर्वज्ञात निर्णय करने के लिए हम सक्रिय रूप से विभिन्न विचारों को आमंत्रित करते हैं।
- **उत्तरदायित्व** : हम अपनी संवीक्षा के लिए तत्पर हैं और अपने कार्यकलापों के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं।
- **आदर** : हम दूसरों का, उनके अभिमतों का और गोपनीयता का सदा आदर करते हैं।

हमारा आदर्श वाक्य

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः।
सदविचारों को सभी दिशाओं से आने दो

ऋग्वेद से ली गई यह उक्ति इस तथ्य का द्योतक है कि सदियों से भारतीय संस्कृति किस प्रकार से विचारों और चिन्तन के प्रति उदार रही है।

यह आदर्श वाक्य दुनिया भर से नए विचारों, नवोन्मेषों और सर्वोत्तम परिपाटियों के लिए आईएफएससीए की उदारता का प्रतीक है।

अध्यक्ष का संदेश

वित्तीय वर्ष 2025-26 भारत सरकार, गिफ्ट आईएफएससी, और आईएफएससीए के लिए प्रमुख मील का पत्थर है। अक्तूबर 2020 में परिचालन आरंभ करने के बाद से आईएफएससीए ने पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं, और इस काल में यह नए वैश्विक वित्तीय अधिकार क्षेत्र के एक विशिष्ट नियामक के रूप में रहा है। हमने यह सिद्ध किया है कि विश्वस्तरीय वैश्विक वित्तीय केन्द्र को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के साथ-साथ अन्य प्रमुख मंत्रालयों के अपरिमित नीतिगत समर्थन से भारत की धरती पर ही सफलतापूर्वक निर्मित किया जा सकता है। जैसे-जैसे हम आगामी पथ पर अपनी छवि को दर्शाते हैं तो आईएफएससी के वित्तीय परितंत्र के प्रत्येक खंड में सर्वत्र ही रूपांतरण को देख अपिरिमित विश्वास हमारे भीतर पैदा हो जाता है।

गिफ्ट आईएफएससी के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता अडिग बनी हुई है। माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा फरवरी 2026 में घोषित यूनियन बजट 2026-27 ने टैक्स हॉलिडे लगातार 10 (15 में से) से 20 (25 में से) वर्ष करके दीर्घकालिक टैक्स निश्चितता प्रदान करके वैश्विक निवेशक समुदाय के लिए बहुत बड़ा संकेत दे दिया है, जिसमें गैर-हॉलिडे अवधि में रियायती दर 15 प्रतिशत रखी गई है। वायुयान लीजिंग, अवसंरचना वित्तपोषण, और बड़े पैमाने पर होने वाले फन्ड परिचालनों में वित्तीय संस्थानों और निवेशकों के लिए कई दशकों हेतु दी गई वचनबद्धता वैश्विक वित्तीय गंतव्य के रूप में भारत की गंभीरता निश्चितता की स्वीकृति है। वित्त अधिनियम 2025 और सिंगल विन्डो आइटी प्रणाली, के माध्यम से समाविष्ट प्रगामी सुधारों के साथ मिलकर गिफ्ट आईएफएससी में नियामक और नीतिगत परिवेश के सतत विस्तार कारोबार करने में सहजता के लिए निरंतर ही अत्यधिक उपयोगी बने हुए हैं।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विकसित भारत @2047 के लिए आईएफएससीए का लक्ष्य वैश्विक प्लेटफॉर्म बनने का है। इस विजन को हासिल करने की दिशा में केन्द्र सरकार, सरकारी एजेन्सियों और राज्य सरकारों में विभिन्न आयामों पर सतत प्रयास किए जा रहे हैं। हमें पांच प्रमुख स्तम्भों में क्रियाकलाप दिखाई देते हैं – (क) विधिक, नियामक और पद्धतिगत सुधार; (ख) विनिर्माण, सेवाओं और अवसंरचना में निवेश सुधार; (ग) प्रतिभा, आर एन्ड डी और विश्व के लिए डिजाइन करते हुए प्रौद्योगिकी पर फोकस; (घ) समावेशन 2.0 – वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक समावेश; और (ङ) शिक्षण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और परिवेश पर केन्द्रित सु-अवस्था और सहज जीवनयापन।

वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों के साथ समरूपित नियामक व्यवस्था; प्रवेश से लेकर निकास तक उद्योग के समस्त जीवनचक्र के दौरान कारोबार करने में सहजता को बढ़ाना, निवेश में सहजता बढ़ाना; और भारत में कारोबार के लिए पूंजी और वित्तीय सेवाओं की लागत को कम करके इन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए आईएफएससीए प्रतिबद्ध है। यह प्राधिकरण एसएमई समर्थन देने वाले प्लेटफार्म, भारतीय स्टार्टअप के लिए वेन्चर और प्रभावी पूंजी, एनआरआई और पीआइओ के लिए रिटेल निवेश उत्पादों, और अन्य के साथ-साथ संधारणीय और जलवायु वित्तपोषण के माध्यम से वैश्विक अभिमुखीकरण के साथ प्रौद्योगिकी-चालित वित्तीय सेवाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान देता है। इन प्रयोजनों को समर्थन देने के लिए आईएफएससीए का अभिप्राय है इन सभी ट्रैकों पर विकसित भारत @2047 आरंभ किया जाए।

बैंकिंग क्षेत्र ने महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन पार किया जब आईएफएससी बैंकिंग यूनिट की आस्तियां मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार 111 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गई। इस समय सैंतीस बैंकों को लाइसेन्स दे दिया गया है और उनके बढ़ते हुए आईएफएससी बैंकिंग यूनिट क्रियाकलाप उत्तरोत्तर यह प्रकट कर रहे हैं कि सीमा-पार से एनआरआई जमाराशियों और ट्रेजरी परिचालनों के लिए कार्पोरेट उधारियों और व्यापार वित्त से वैश्विक संस्थागत विश्वास बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों के माध्यम से किया गया व्यापार वित्तपोषण 50.67 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जिसमें मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार 13.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की रकम अदत्त हैं, जो सन 2030 तक 2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के कारोबारी लक्ष्य और भारत की निर्यात आकांक्षा को समर्थन देने में गिफ्ट आईएफएससी की बढ़ती हुई भूमिका को रेखांकित करता है। इसी की अनुपूर्ति करते हुए, मार्च 2026 कि स्थिति के अनुसार नौ वैश्विक और क्षेत्रीय कार्पोरेट ट्रेजरी केन्द्रों को प्राधिकृत किया जा रहा है, जिसमें 5.61 बिलियन अमरीकी डॉलर अदत्त क्रेडिट के रूप में हैं जो इस बात का एक पूर्व संकेत है कि बहुराष्ट्रीय ट्रेजरी समेकन के लिए भारतीय और विदेशी कार्पोरेट घरानों के लिए गिफ्ट आईएफएससी तेजी से बढ़ रहे वरीय गंतव्य के रूप में है। विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत हो गई है, जिसने जटिल ट्रेजरी परिचालनों के लिए अपेक्षित वित्तीय अवसंरचना को और भी सुदृढ़ किया है, जो छह सेकेन्ड से भी कम समय में अंतर बैंक निपटान को यथार्थ-समय में पूरा करती है। चार भुगतान प्रणाली प्रदाताओं ने आईएफएससी में पहली बार 20,000 से अधिक संव्यवहारों को सक्रिय किया, जिसने कम लागत पर रिटेल और एसएमई से संबंधित सीमा-पारीय धन अंतरणों सहज बनाया। हमे आशा है कि आईएफएससी में रिटेल बाजार का विकास होने के साथ ही यह काफी आगे बढ़ेगा।

पूंजी बाजार अपने ऊर्ध्वगामी पथ पर बने रहे। आईएफएससी एक्सचेन्जों पर औसत मासिक टर्नओवर वित्तीय वर्ष में तकरीबन 100 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया, जो गहन होती जा रही चलनिधि और सहभागिता में विविधता को प्रकट करता है। आईएफएससी एक्सचेन्जों पर सूचीबद्ध समेकित ऋण 70 बिलियन अमरीकी डॉलर को पार कर गए, और फन्ड प्रबन्धन परितंत्र में 217 फन्ड प्रबन्धन प्रतिष्ठान हो गए जो 360 पंजीकृत स्कीमों का प्रबन्धन कर रहे हैं, जिनसे संचयी वचनबद्धताओं ने 39 बिलियन अमरीकी डॉलर से भी अधिक की रकम जुटाई। इन स्कीमों में से 10 तो रिटेल फन्ड हैं जिनका परिचालन वित्तीय वर्ष 2025-26 में आरंभ हुआ है जो एनआरआइ और पीआइओ निवेशों के लिए महत्त्वपूर्ण संभावना की पुष्टि करता है। आईएफएससी एक्सचेन्जों में 69,000 से भी अधिक रिटेल डीमैट खातों के साथ अब गिफ्ट आईएफएससी एक संस्थागत प्लेटफार्म से आगे बढ़कर निवेशकों के लिए एक व्यापक द्युतिमाला के रूप में कार्य कर रहा है। संधारणीय वित्तीय अग्रभाग के रूप में आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों ने वर्ष के दौरान हरित और संधारणीय क्रेडिट में 6.25 बिलियन अमरीकी डॉलर की रकम प्रदान की और केवल ति4 में ही आईएफएससी एक्सचेन्जों पर ईएसजी-लेबल ऋण लिस्टिंग 616 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई, जो सन 2070 तक भारत के निवल शून्य की आकांक्षा के लिए गिफ्ट आईएफएससी को विशिष्ट स्थिति स्थापित कर देती है।

लीजिंग सेक्टर भी तेजी से परिपक्व हुआ, जिसमें मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से या इसमें 373 विमानन आस्तियां और 35 वायुयान पट्टे पर दिए गए, जिसके लिए 35 वायुयान पट्टादाता और 36 जलपोत पट्टादाता यहां समर्थन दे रहे हैं।

केप टाउन कन्वेन्शन को कार्यरूप देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के साथ मिलकर वायुयान पदार्थों में हित संरक्षण अधिनियम, 2025 के अधिनियमन ने अतिप्राचीन अवसंरचनागत बाधाओं को हटा दिया है और इस क्षेत्र की संवृद्धि संभावनाओं को परिमुक्त कर दिया है। बीमा क्षेत्र में सार्थक विस्तार हुआ, इस समय 36 बीमा कार्यालय और 34 मध्यस्थ परिचालन कर रहे हैं। टेकफिन और सहायक सेवाएं (टीएएस) व्यवस्था की अधिसूचना के साथ ही फिनटेक और नवोन्मेष के क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। तीन विदेशी विश्वविद्यालयों – आस्ट्रेलिया से दो और यूनाइटेड किंग्डम से एक – ने अपने अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर (आइबीसी) स्थापित किए – इससे वित्त और प्रौद्योगिकी में भारत को प्रीमियर अंतरराष्ट्रीय केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए गिफ्ट आईएफएससी की परिकल्पना को एक आधारशिला मिली है।

आईएफएससीए द्वारा जारी किए गए कुल अंतिम पंजीकरण और प्राधिकृतिकरण मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार 1,147 पर आ गए, जो 36 कारोबारी खंडों के लिए दिए गए। इस संवृद्धि के अनुरूप ही पर्यवेक्षण को भी सुदृढ़ किया गया, इसके लिए समर्पित प्रत्यावर्तन प्रभाग, और विस्तारित ऑफसाइट और ऑनसाइट निरीक्षण व्यवस्था तैयार की गई। आईएफएससीए ने निवेशकों के लिए सम्पूर्ण डिजिटल केवाइसी समर्थकारी व्यवस्था के लिए गहन कार्य आरंभ किए। आईएफएससीए ने आधार आधारित सहायकृत वीडियो ग्राहक अभिनिर्धारण प्रोटोकॉल सन 2025-26 में एनआरआइ के लिए अधिसूचित किया है। आधार आधारित सहायरहित मुखाकृति सत्यापन के लिए पायलट तैयार किया जा रहा है। हमारा यही प्रयोजन है कि पेमेन्ट गेटवे और अन्य सुविधाओं को समर्थकारी बनाया जाए ताकि आगामी वर्ष में एनआरआइ, पीआइओ और विदेशी निवेशकों के लिए निवेश करने में निर्बाध सहजता दी जा सके।

इन्टरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्यूरिटीज कमीशन्स (आइओएससीओ), दि इन्टरनेशलन एसोसिएशन ऑफ इन्श्योरेन्स सुपरवाइजर्स (आइएआइएस), दि इन्टरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेन्शन सुपरवाइजर्स (आइओपीएस), और ग्लोबल फिनान्शियल नेटवर्क में आईएफएससीए की सक्रिय सहभागिता बनी रही, इससे वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों में हम अपनी विनियामक व्यवस्था को भी स्थापित कर सके। वर्ष के दौरान आईएफएससीए ने फिनान्शियल कन्डक्ट अथॉरिटी ऑफ दि यूनाइटेड किंग्डम, दि फिनान्शियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी ऑफ नार्वे, और माल्टा फिनान्शियल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ द्विपक्षीय सहायोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो अधिकारक्षेत्रों के नेटवर्क की गहनता को बढ़ाता है जिनके साथ आईएफएससीए अपने नियामक न्यास और आसूचना को साझा करता है। नियम-निरूपण के लिए परामर्श-चालित हमारा दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि उद्योग और बाजार की आवाज को कदम-कदम पर सुना जाता है।

पांच वर्ष हो गए, गिफ्ट आईएफएससी ने यह दिखा दिया है कि साथ मिलकर सिद्धांतबद्ध और वैश्विक रूप से समरूपित विनियमों, प्रगतिशील नीतियों, प्रबल पर्यवेक्षण प्रणाली और प्रयोजनयुक्त विकास कैसे होता है। आगामी आकांक्षा के लिए सुदृढ आधार बन चुका है – अर्थात अपतट को भी तटवर्ती करना, वैश्विक मानकों के समतुल्य प्रतिभा परितंत्र का निर्माण, और भारत के विकास हेतु पूंजी को प्रणालीबद्ध करना। इन सभी प्रयासों के मूल में यही है कि विकसित भारत @2047 के व्यापक राष्ट्रीय विजन में योगदान किया जाए। इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक वित्तीय केन्द्र के रूप में गिफ्ट आईएफएससी की भूमिका हमारे सभी प्रयासों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत को आधार प्रदान करती है।

हम भारत सरकार और अपने सभी स्टेकधारकों – विनियमित प्रतिष्ठानों, बाजार के सहभागियों, और अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों – के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हैं, जिनके भरोसे और सहयोग ने इस यात्रा को संभव बनाया है।

इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते रहें, सदा अपने नीतिवाक्य से मार्गदर्शन लेते रहें – आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः – अर्थात सदविचारों को सभी दिशाओं से आने दीजिए।

के. राजारामन

अध्यक्ष, आईएफएससीए

जून 2026

प्राधिकरण के सदस्य

(मार्च 31, 2026 की यथास्थिति अनुसार)



श्री के. राजारामन

अध्यक्ष

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए)



श्री आर. लक्ष्मी कांत राव

सदस्य
कार्यपालक निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक



श्री मनोज कुमार

सदस्य
कार्यपालक निदेशक,
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड



सुश्री ममता रोहित

सदस्य
कार्यपालक निदेशक,
पेन्शन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण



डॉ. अभिजित फुकन

सदस्य
आर्थिक सलाहकार,
वित्तीय सेवाएं विभाग,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार



सुश्री जे. मीना कुमारी

सदस्य
कार्यपालक निदेशक
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण



सुश्री अपर्णा सिन्हा

सदस्य
आर्थिक सलाहकार,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार

प्राधिकरण का वरिष्ठ प्रबंधन

(मार्च 31, 2026 की यथास्थिति अनुसार)

नाम	पदनाम
डॉ. प्रवीण त्रिवेदी	कार्यपालक निदेशक
डॉ. दीपेश शाह	कार्यपालक निदेशक
श्री प्रदीप रामाकृष्णन	कार्यपालक निदेशक
श्री के. महीपाल रेड्डी	कार्यपालक निदेशक
श्री सुप्रियो भट्टाचार्जी	मुख्य महाप्रबंधक
श्री आशुतोष शर्मा	मुख्य महाप्रबंधक
श्री जोसफ जोशी सी. जे.	मुख्य महाप्रबंधक
श्री प्रदीप देव	मुख्य महाप्रबंधक
श्री ज्ञान चन्द जैन	मुख्य महाप्रबंधक

विषय सूची

खंड – क	प्राधिकरण के बारे में	vi
लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण	viii	
अध्यक्ष का संदेश	x	
प्राधिकरण के सदस्य (31 मार्च 2026 की यथास्थिति अनुसार)	xiv	
प्राधिकरण का वरिष्ठ प्रबंधन (31 मार्च 2026 की यथास्थिति अनुसार)	xv	
खंड – ख	समीक्षाधीन वर्ष – सामान्य आर्थिक परिवेश का अवलोकन	1
वैश्विक आर्थिक आकलन और परिदृश्य	2	
भारत : आर्थिक आकलन और संभावनाएं	6	
गिफ्ट आईएफएससी हेतु वार्षिक कारोबारी मुख्यांश	10	
खंड – ग	प्राधिकरण की नीतियों, कार्यक्रमों और क्रियाकलापों की समीक्षा	13
बैंकिंग	14	
भुगतान सेवाएं	24	
वित्तीय कम्पनियां	31	
पूंजी बाजार	41	
फन्ड प्रबन्धन	61	
धातुएं और पण्य	70	
गिफ्ट आइएफएससी में फिनटेक	80	
बीमा और पेन्शन	86	
संधारणीय वित्त	94	
वित्तीय समर्थन सेवाएं	98	
अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पस और अपतटीय शिक्षण केन्द्र	107	
विकास क्रियाकलाप	110	
अन्य क्षेत्र	125	

खंड – घ | प्राधिकरण के अर्ध-विधायी, निष्पादक और अर्ध-न्यायिक कार्य 141

खंड – ङ | प्राधिकरण के कार्यनिष्पादन आकलन 149

खंड – च | निधियों के स्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र 151

खंड – ज | संस्थागत विषय 153

खंड – ञ | लेखा परीक्षा समिति 165

डाटा परिशिष्ट 167

सारणियों की सूची 188

डाटा परिशिष्ट सारणियों की सूची 189

आरेखों की सूची 191

बॉक्सों की सूची 192

चित्रों की सूची 192

संक्षेपाक्षर 194

टिप्पणी – खंड छ और झ को इस रिपोर्ट में कवर नहीं किया गया है, क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान ये इस प्राधिकरण के लिए अनुमेय / संगत नहीं हैं।

इस रिपोर्ट में प्रयुक्त मानक शब्दरूप

₹: /आईएनआर : रुपये (रु.)
लाख : एक सौ हजार (100,000)
करोड़ : एक सौ लाख (10,000,000)
मिलियन (मिलि): दस लाख (1,000,000)
बिलियन (बिलि) : एक हजार मिलियन / एक सौ करोड़ (1,000,000,000)
ट्रिलियन (ट्रिलि) : एक हजार बिलियन / एक लाख करोड़ (1,000,000,000,000)

इस रिपोर्ट में प्रस्तुत विश्लेषण, सांख्यिकी, और अंतदृष्टि आवधिक नियामक फाइलिंग, विनियमित प्रतिष्ठानों (आरई) द्वारा आधिकारिक प्रस्तुतियों, और प्राधिकरण के पास उपलब्ध अन्य विश्वसनीय डाटा स्रोतों पर आधारित हैं। सारणियों, आरेखों और चार्टों में दिए गए आंकड़े पूर्णांकित किए जाते हैं और तदनुसार अलग-अलग अवयवों के योग पूर्णतया यथावत नहीं हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तथ्यों या आंकड़ों और इस प्राधिकरण के पूर्ववर्ती प्रकाशनों में प्रकाशित तथ्यों और आंकड़ों के बीच किसी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में इस रिपोर्ट में दिए गए तथ्य और आंकड़े नवीनतम संशोधित और अद्यतन माने जाएंगे।

इस रिपोर्ट को इन्टरनेट पर भी देखा जा सकता है : https://ifsca.gov.in/

खंड – ख

समीक्षाधीन वर्ष – सामान्य आर्थिक परिवेश का अवलोकन

वैश्विक आर्थिक आकलन और परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऐसी गतिविधियां हुई जिनसे वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण बदलाव आए। वर्ष के आरंभ में ही टैरिफ के उपायों की पूरी श्रृंखला के माध्यम से वैश्विक व्यापार की धारणा को बदल दिया था। यूरोप में हो रहा संघर्ष खिंचते हुए चौथे वर्ष में प्रवेश कर गया जबकि होर्मूज जलडमरूमध्य से समान्य मार्ग में अवरोध को बढ़ाने से पश्चिमी एशिया का तनाव तेजी से बढ़ता हुआ वित्तीय वर्ष के अंत तक आ गया। इसी समय कृत्रिम मेधा (एआइ) ने अप्रत्याशित पैमाने पर औद्योगिक और वित्तीय बाजारों को बदलना आरंभ कर दिया। इन अनिश्चितताओं और भू-राजनैतिक चुनौतियों के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था का विस्तार लगातार होता रहा और वित्तीय बाजारों ने उल्लेखनीय लोचशीलता का प्रदर्शन किया।

संवृद्धि, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति

फरवरी 2026 के अंतिम भाग में एक प्रबल आघात प्रकट हुआ, जब पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण होर्मूज जलडमरूमध्य का मार्ग वस्तुत: अवरुद्ध हो गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यद्यपि यह अनुमान लगाया था कि विश्व का आउटपुट सन 2025 में 3.4% बढ़ा, तथापि सन 2026 में संवृद्धि थोड़े समय के इस संघर्ष के कारण नरम होकर 3.1 प्रतिशत रहेगी। वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति सन 2025 के 4.1% से बढ़कर सन 2026 में 4.6% पर रहने का अनुमान लगाया गया। गम्भीर हालात को देखते हुए यह अनुमान है कि वैश्विक संवृद्धि घटकर 2.0% रहेगी और मुद्रास्फीति लगभग 6.0% रहेगी[1] जैसा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के जीडीपी-भारित विश्व अनिश्चितता सूचकांक में आकलन किया है द्वितीय तिमाही (जुलाई–सितम्बर 2025) के दौरान 106,862 पर रही जो वर्ष के अंत में 81,872 पर आ गई[2] । सर्वाधिक सौदाकृत करेन्सी ब्लॉकों का प्रतिनिधित्व कर रहे जी-10 के केन्द्रीय बैंकों ने कैलेन्डर वर्ष 2025 के दौरान प्रधान नीतिगत दरों को घटाया, जिसमें दरों में कुल 32 बार कटौतियों से सम्यक रूप से 850 आधार अंकों (बीपीएस) की सहूलियत मिली, जो सन 2009 के बाद से सबसे बड़ा सहूलियत चक्र है। जापान इस प्रवृत्ति से अलग रहा और उसने अपनी विद्यमान घरेलू मुद्रास्फीति के प्रतिसाद में इस कैलेन्डर वर्ष के दौरान दो बार अपनी दरों को बढ़ाया[3] । भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान संचयी रूप से रिपो दर में 100 बीपीएस की कटौती करते हुए इसे 5.25% किया[4] ।

बैंकिंग और व्यापार वित्त

बैंक फॉर इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट (बीआईएस) ने बताया है कि साल-दर-साल आधार पर सीमा-पार बैंक क्रेडिट में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो सन 2008 की प्रथम तिमाही के बाद से तीव्रतम है, जिससे बकाया का स्टॉक दिसम्बर 2025 तक 38.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया। गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों को दिए जाने वाले क्रेडिट में 14% की बढ़ोतरी हुई, जो सन 2019 के बाद से सर्वाधिक है, यह बैंक और गैर बैंक चैनलों के बीच बढ़ते हुए एकीकरण का संकेत है। उदीयमान बाजारों के उधारकर्ताओं को सीमा-पार क्रेडिट

[1] वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2026 : ग्लोबल इकोनॉमी इन दि शैडो ऑफ वार

[2] WUI Data.xlsx

[3] रियूटर्स रिपोर्ट

[4] प्रेस विज्ञप्ति – भारतीय रिज़र्व बैंक

में अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के साथ विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7% की बढ़ोतरी हुई, इन दोनों के साथ 2008 से अबतक यह सबसे मजबूत संवृद्धि है[5]। क्रेडिट विस्तार की इसी पृष्ठभूमि में वैश्विक व्यापार वित्त का अंतराल 2.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर पर बना रहा जो वैश्विक कारोबारी वाणिज्य वस्तुओं का लगभग 10% है, इसमें लघु और मध्यम उद्यमों (एमएमई) के मामले में ~41%[6] की अस्वीकृति दर भी रही। वैश्विक वाणिज्य वस्तुओं और सेवाओं के कारोबार की मात्राओं ने अपेक्षा से अधिक मजबूती दिखाते हुए सन 2025 में क्रमशः 4.6% और 5.3% की दर से बढ़ोतरी दर्शायी, जो टैरिफ में बढ़ोतरी और एआइ-सम्बद्ध मांग से पहले के आयातों को पहले से ही शामिल करने से संचालित रही। हालांकि, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का अनुमान है कि 2026 में विकास दर काफी धीमी होकर क्रमशः 1.9% और 4.8% रह जाएगी, क्योंकि आयात पर टैरिफ़ का असर सामान्य हो जाएगा। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन का यह आकलन रहा है कि पश्चिमी एशिया में संघर्ष के कारण ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए वाणिज्य वस्तुओं और सेवाओं का कारोबार क्रमश:1.4% और 4.1%[7] कम हो सकता है।

पूंजी बाजार और आस्ति प्रबंधन

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेन्जेस के अनुसार, सन 2024 के अंत तक वैश्विक इक्विटी बाजार के पूंजीकरण में 18.5% की बढ़ोतरी हुई और यह 151.94 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में पांच वर्ष का उच्च स्तर रहा। इसी बीच, वैश्विक कारोबारी मूल्य में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 36.8% बढ़ोतरी हुई, जो मुख्यतया एआइ क्षेत्र के साथ जुड़े उत्साह और समायोजनकारी मौद्रिक स्थितियों से परिचालित रहा। कैलेन्डर वर्ष 2025 के दौरान आरंभिक लोक प्रस्तावों (आइपीओ) में प्रबल गति बनाए रखी और वैश्विक स्तर पर 1,471 आइपीओ का निर्गम हुआ जो 2024 कैलेन्डर वर्ष की तुलना में 8.7% की बढ़ोतरी है, इसमें प्रत्येक निर्गम का औसत आकार 129.5 मिलियन अमरीकी डॉलर का रहा (31.2% की बढ़ोतरी)[8] । बाजार के अनुमानों से संकेत मिलता है कि प्रबंधन के अधीन आस्तियां (एयूएम) सन 2025[9] में 150 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की तरफ बढ़ चलीं, जिसमें अनुमानित मिश्रित वार्षिक संवृद्धि (सीएजीआर) 6.2% की है, जिसमें धन-सम्पत्ति, निर्धारित योगदान और बीमा निवेशकों का निवल अंतर्वाह में प्रमुख योगदान रहा[10] । उद्योग अनुसंधान से भी संकेत मिलते हैं कि वैश्विक निजी क्रेडिट एयूएम सन 2025 में 3.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से आगे निकल गए[11] ।

बीमा और पुनर्बीमा

बाजार के आकलनों से ज्ञात होता है कि सन 2025 में वैश्विक बीमा किस्तें दस वर्ष की 5.6% की सीएजीआर से 7.1% बढ़ते हुए सन 2025 में 7.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर हो गईं, यद्यपि सन 2024 में हुई 9.4% की अप्रत्याशित संवृद्धि से नरम ही रहीं। सम्पत्ति और अपघात के भागों की संवृद्धि धीमी होकर 3.8% पर आ गई क्योंकि कीमत निर्धारण चक्र परिपक्व हो गए थे, यद्यपि स्वास्थ्य खंड में 12.3% की संवृद्धि दर्ज हुई जो

[5] स्टेटिस्टिकल रिलीज : बीआइएस – इन्टरनेशनल बैंकिंग स्टेटेस्टिकस एन्ड ग्लोबल लिक्विडिटी इन्डीकेटर्स -दिसम्बर 2025 अंत

[6] डिमान्ड फॉर ट्रेड फिनान्स टू राइज एमिड सप्लाई चेन रीअलाइनमेन्ट | एशियन डेवलपमेन्ट बैंक

[7] विश्व व्यापार संगठन| 2026 समाचार – मिडिल ईस्ट कॉनफ्लिक्ट वेएज फरदर ऑन स्लोइंग ट्रेड आउटलुक

[8] न्यू डब्ल्यूएफई डाटा : भूराजनैतिक अस्थिरता के बावजूद लोक बाजारों ने बताई 2025 के लिए मजबूत बढ़ोतरी

[9] पीडब्ल्यूसी 2025 वैश्विक आस्ति और सम्पत्ति प्रबंधन रिपोर्ट

[10] आस्ति प्रबंधन 2025 : दि ग्रेड कन्वर्जेन्स – मैकिन्जी

[11] प्रेस विज्ञप्ति : मजबूत बढ़ोतरी निजी क्रेडिट बाजार पहुंचे यूएस $3.5 ट्रिलियन पर

सन 2014 से अबतक तीव्रतम गति रही। प्राकृतिक आपदाओं के लिए बीमित हानियां सन 2015 में 107 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गईं, यह लगातार छठा वर्ष रहा जब इस प्रकार की हानियां 100 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक रहीं, जिसमें केवल लॉस एन्जेलेस के जंगलों में लगी आग के कारण ही 40 बिलियन अमरीकी डॉलर की बीमित हानियां हुईं[12] । अनुमानों से प्रकट होता है कि वैश्विक आपदाओं की हानियों में से लगभग 51% का बीमा ही नहीं होता है, जिससे आपदाओं से बचाव के लिए 112 बिलियन अमरीकी डॉलर के अवसर बीमित नहीं हो पाते[13] । सन 2025 के अंत में वैश्विक पुनर्बीमा पूंजी 758 बिलियन अमरीकी डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंची, वर्ष-दर-वर्ष के अनुसार यह लगभग 10% की बढ़ोतरी रही, जो सुदृढ़ सतत अर्जनों, निवेश लाभों से संचालित रही और इसने 136 बिलियन अमरीकी डॉलर की तृतीय पक्ष पूंजी का सृजन किया[14]।

बहुमूल्य धातुएं

कैलेन्डर वर्ष 2025 में स्वर्ण ने 53 बार सर्वकालिक उच्च दरों को दर्ज किया। स्वर्ण की कुल वैश्विक मांग 5000 टन से भी अधिक के स्तर पर रिकार्ड की गई, इस प्रकार बाजार का कुल मूल्य 555 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया जो साल-दर-साल के अनुसार 45% की वृद्धि है, क्योंकि निवेशगत मांग में 84% की बढ़ोतरी हुई है[15] । चाँदी ने लगातार पांचवे साल भी भौतिक आपूर्ति में कमी दर्ज की क्योंकि एआइ अवसंरचना, ऑटोमोटिव प्रयोगों और पॉवर ग्रिड में निवेश में मांग बढ़ती रही[16] ।

क्रॉस कटिंग संरचनागत प्रतिपाद्य

आगामी चक्र में आशा है कि तीन संरचनागत शक्तियां वैश्विक वित्त को आकार प्रदान करेंगी। प्रथम तो कृत्रिम मेधा ने वैश्विक इक्विटी बाजारों को नई ऊँचाइयों पर पहुंचा दिया, आइपीओ क्रियाकलापों की बहाली हुई और एआइ-सम्बद्ध माल के व्यापार में बढ़ोतरी रही। अब यह कारोबारी प्रलेखन अनुपालन प्रक्रियाओं और अन्य सम्बद्ध सेवाओं को गति दे रहा है। दूसरे यह कि भू-राजनैतिक अस्थिरता को देखते हुए संधारणीय वित्त की गहराई बढ़ रही है। होर्मूज जलडमरूमध्य में तनातनी के कारण ऊर्जा की कीमतों पर हुए आघात के कारण नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ने के लिए एक दीर्घकालीन प्रकरण को बल दे दिया गया है। अंतत: सीमा-पार के भुगतान एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। सन 2024 में वैश्विक सीमा-पार भुगतानों का प्रवाह 194 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर पर रहा, जिसके लिए अनुमान है कि सन 2032[17] तक यह 300 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर को पार कर जाएगा, संयुक्त राष्ट्र (यूएन), ओईसीडी और जी20 वचनबद्ध हैं कि धनप्रेषण की औसत लागत को 3%[18] से कम रखा जाएगा और डिजिटल नेटिव अवसंरचना स्थायित्व के साथ सर्वाधिक दक्ष कॉरिडोरों में प्राप्य 3% से भी कम और पूर्ववर्ती 5-6% के वैश्विक औसत पर दबाव बना रही है।

[12] एलायन्ज ग्लोबल इन्श्योरेन्स रिपोर्ट 2026

[13] सिगमा – नेचुरल कैटेस्ट्रॉफी इन 2025 रिपोर्ट

[14] एओएन – रीइन्श्योरेन्स मार्केट डायनामिक्स : साइकल मैनेजमेन्ट मूव्स सेन्टर स्टेज

[15] गोल्ड डिमान्ड ट्रेन्ड : क्यू4 और पूरा वर्ष 2025 | वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिल

[16] दि सिल्वर इंस्टीट्यूट | रिकार्ड सिल्वर प्राइस इन 2025

[17] वित्तीय संस्थानों के लिए 2025 क्रॉस-बॉर्डर भुगतान रुझान | जे.पी. मॉर्गन

[18] एसडीजी इन्डीकेटर मेटाडाटा एन्ड जी20 रोडमैप फॉर एनहान्सिंग क्रॉस बार्डर पेमेन्ट्स: कन्सोलिडेटेड प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर 2025

निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2025-26 का स्पष्ट लक्षण था अस्थिरता, जिसने वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को व्यापक रूप से बदल दिया। इस बदलाव से लाभ उठाने की स्थिति में वही अर्थव्यवस्थाएं रहेंगी जो वैश्विक अस्थिरता के समक्ष अपनी स्वदेशीय संवृद्धि पर भरोसा कायम रखेंगी और जिनके पास पूंजी, व्यापार और जोखिम के अंतरराष्ट्रीय प्रवाहों को संभालने के लिए आवश्यक अवसंरचना है। इन खासियत के साथ भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रवेश किया है और इन सबको विश्व-स्तरीय वित्तीय मध्यस्थता की क्षमता में बारीकी से बदलाव करने के लिए वैश्विक बाजार को अपनी सेवाएं देने को गिफ्ट आईएफएससी की संकल्पना की गई है।

भारत : आर्थिक आकलन और संभावनाएं

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत ने सबसे तेजी से विकास कर रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की अपनी स्थिति को कायम रखा, जिसमें 7.6%[19] की वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर अनुमानित थी, इसकी तुलना में अनुमानित वैश्विक संवृद्धि दर 3.1% थी[20]। अनुकूल घरेलू समष्टि आर्थिक परिवेश, इसमें गतिमान संवृद्धि के लक्षण, लक्ष्यगत से कम मुद्रास्फीति, और मौद्रिक सहजता का सक्रिय चक्र, इसकी विशेषता थे। साथ ही साथ, बाहरी परिवेश चुनौतीपूर्ण रहा, जिसमें रुपये में वास्तविक गिरावट रही, इक्विटी में से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बाहर जा रहा था, और संयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी व्यापारिक नीति के रुख में महत्त्वपूर्ण बदलाव किए। इस वर्ष में पश्चिमी एशिया में संघर्ष के कारण वर्ष के अंतिम भाग में ऊर्जा कीमतों का आघात लगा, जिससे बाहरी अनिश्चितताएं बढ़ गईं। भारत के स्वदेशी मूलभूत सिद्धांत महत्त्वपूर्ण रूप से प्रबल सिद्ध हुए और संवृद्धि में और वित्तीय स्थिरता के संकेतक बिना किसी गिरावट के इस दबाव को सहन कर गए। इस वर्ष के दौरान भारत सरकार ने संरचनागत प्रमुख सुधारों की कार्यसूची को भी आगे बढ़ाया, जिसके कई अवयवों का सीधा प्रभाव भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था पर रहा।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने फरवरी 2026 को राष्ट्रीय लेखे के लिए श्रेढियों के नए आधार जारी किए जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 को नया आधारवर्ष बनाया गया। नई श्रेणी के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि का अनुमान 7.6% रखा गया, जिसमें ति1 में 6.7%, ति2 में 8.4% और ति3 में 7.8% की त्रैमासिक संवृद्धियां रखी गईं[21]। वर्ष 2025-26 के दि इकोनॉमिक सर्वे में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संवृद्धि का अनुमान 6.8–7.2% के दायरे में लगाया गया, जबकि अमुको ने अप्रैल 2026 के अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत के संवृद्धि अनुमानों को संशोधित करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इसे 6.5% रखा है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उच्चतम है[22]।

मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति

हेडलाइन मुद्रास्फीति विगत वर्ष के 4.6% से नरम होकर 2025-26 में 2.1% पर रही, इसका बड़ा कारण खाद्य कीमतों के दबाव में प्रशांति और अनुकूल आधार प्रभाव रहे। ईंधन में हुई मुद्रास्फीति के कारण अप्रैल 2025 और मार्च 2026 में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के प्रत्येक सिलेन्डर पर क्रमशः ₹50 और ₹60 की बढ़ोतरी रही[23]। वर्ष के दौरान उपभोक्ता कीमत सूचकांक की मुद्रास्फीति नरम रही और खाद्य कीमतों में महत्त्वपूर्ण बदलाव के कारण अक्तूबर 2025 में यह सर्वकालीन न्यूनतम स्तर पर रही[24]। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वर्ष के दौरान संचयी रूप से 100 आधार अंकों की कटौती की जिसमें अप्रैल 25 में 25 आधार अंकों[25] , जून 2025 में 50 आधार अंकों[26]

[19] पीआइबी | विकास का पुनर्निर्धारण : भारत के संशोधित जीडीपी अनुमान और नई मापन व्यवस्था

[20] अमुको | वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2026

[21] एमओएसआईपी | जीडीपी अनुमानों की नई शृंखल पर प्रेस नोट आधार वर्ष बनाया 2022-23

[22] वित्त मंत्रालय | आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और अमुको | वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2026

[23] आरबीआइ वार्षिक रिपोर्ट 25-26

[24] आरबीआइ | मौद्रिक नीति वक्तव्य , 2025-26 (दिसम्बर 05, 2025)

[25] आरबीआइ | मौद्रिक नीति वक्तव्य , 2025-26 (अप्रैल 09, 2025)

[26] आरबीआइ | मौद्रिक नीति वक्तव्य , 2025-26 (जून 06, 2025)

और दिसम्बर 2025 में 25 आधार अंकों कटौती रही जिसके कारण 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच यह दर 6.25% से 5.25% पर आ गई[27]। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) को 100 आधार अंक घटाते हुए इसे 3.0% कर दिया, ताकि प्रणालीगत चलनिधि को समर्थन मिले[28]। भारत की क्रूड बास्केट का औसत मार्च 2026 में 113 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल रहा[29]।

राजकोषीय नीति और सुधार कार्यसूची

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 4.4% पर रहा और वित्तीय वर्ष 2026-27 में यह घाटा 4.3% पर अनुमानित है[30]। यूनियन बजट 2025-26 में ₹12 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोगों की आयकर देयता को समाप्त कर दिया गया[31] , बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100%[32] कर दिया गया, और 819 धाराओं वाले आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित किया गया, नए अधिनियम में 536 धाराएं हैं और यह 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है[33]। सितम्बर 2025 से लागू जीएसटी 2.0 सुधारों ने ऑटोमोबाइल, वस्त्र, स्वास्थ्य रक्षा और दैनिक जरूरत के सामानों सहित प्रमुख क्षेत्रों की टैक्स-दरों को औचित्यपूर्ण बनाया गया[34]। इस वर्ष डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण नियमावली, 2025 को अधिसूचित किया गया, जिसने डिजिटल वैयक्तिक डाटा के दायित्वपूर्ण उपयोग के लिए भारतीय डाटा अभिशासन व्यवस्था को समाविष्ट किया[35]। इसी दौरान पूर्ववर्ती 29 कानूनों को समाहित करते हुए चार श्रमिक संहिताएं भी लागू की गईं[36]।

वित्तीय क्षेत्र

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल गैर-निष्पादक आस्तियों का अनुपात सितम्बर 2025 के अंत में घटकर 2.15% पर आ गया[37]। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बैंक क्रेडिट में 16.1% की बढ़ोतरी रही, जो जमाराशियों में 13.5% की संवृद्धि से आगे निकल गया है[38]। जीवन बीमा उद्योग की नवीन कारोबारी प्रीमियम (एनबीपी) में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 15.7% की बढ़ोतरी हुई और यह रिकार्ड ₹4.59 लाख करोड़ पर पहुंच गई[39], यद्यपि गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 9.2% बढ़कर 3.36 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई[40]।

पूंजी बाजारों में प्राथमिक और द्वितीयक बाजार की स्थितियों में विभेद के लक्षण रहे। निफ्टी 50 ने 31 मार्च 2026 को 22,331.40 पर बंद होने से पहले जनवरी 2026 को इन्ट्रा-डे 26,373.20 के उच्च स्तर को छुआ[41]। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) निवल विक्रेता बने रहे जिससे ₹1.81 लाख करोड़ की निवल इक्विटी बाहर चली गई। तथापि, ऋण के पक्ष में चयनित प्रवाह आया जिसमें सामान्य मार्ग के तहत ₹12,429 करोड़ और पूर्णतया अभिगम्य मार्ग के तहत

[27] आरबीआइ | गवर्नर का वक्तव्य (दिसम्बर 05, 2025)
[28] आरबीआइ | गवर्नर का वक्तव्य (जून 6, 2025)
[29] मासिक आर्थिक समीक्षा अप्रैल 2026.pdf
[30] प्रेस विज्ञप्ति पेज | प्रेस सूचना ब्यूरो
[31] पीआईबी | 12 लाख तक सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं
[32] पीआईबी | यूनियन बजट सारांश 2025-26
[33] आयकर विभाग | एफएक्यू
[34] वित्त मंत्रालय | आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26
[35] पीआईबी | नागरिकों के सशिक्तकरण और निजता संरक्षण के लिए सरकार ने अधिसूचित किए डीपीडीपी नियम
[36] पीआईबी | वर्ष अंत की समीक्षा 2025 – श्रम और रोजगार मंत्रालय
[37] पीआईबी | सितम्बर 2025 – स्वदेशी परिचालनों में एससीबी का सकल एनपीए पहुंचा ऐतिहासिक न्यून स्तर 2.15% पर
[38] आरबीआइ | बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी अनुपूरक (अप्रैल 17, 2026)
[39] सीएनबीसी | जीवन बीमा उद्योग का नया कारोबारी प्रीमियम वित्तीय वर्ष 26 में लगभग 16% बढ़कर ₹4.59 लाख करोड़ हुआ
[40] इरडाई | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम – गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के ताजा आंकड़े - मार्च 2026 माह तक के लिए
[41] एनएसई | हिस्टॉरिकल इन्डेक्स डाटा

₹15,449 करोड़ शामिल हैं, जिनसे बहिर्वाह आंशिक रूप से कुछ नरम हुआ। वर्ष के लिए निवल एफपीआई प्रवाह ₹1.53 लाख करोड़ के बाह्यप्रवाह के रूप में रहा[42]।

प्रणालीबद्ध निवेश योजनाओं (एसआइपी) के तहत योगदान मार्च 2026 में ₹32,087 करोड़ के रिकार्ड स्तर को पार कर गया। म्यूचुअल फन्ड उद्योग की प्रबंधन अधीन आस्तियां मार्च 2026 के अंत में ₹73.73 लाख करोड़ पर रहीं, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12% की बढ़ोतरी है, जिसमें एसआइपी आस्तियों की रकम ₹15.11 लाख करोड़ है, जो कुल एयूएम 20.5% भाग है[43]। वर्ष के दौरान 109 मेनबोर्ड आरंभिक लोक प्रस्तावों (आइपीओ) के माध्यम से ₹1.77 लाख करोड़ जुटाए गए, जबकि इक्विटी का कुल निर्गमन ₹4.51 लाख करोड़ पर रहा। भारत में 31 दिसम्बर 2025 की स्थिति के अनुसार वैकल्पिक निवेश निधियों द्वारा 6.45 लाख करोड़ भारतीय रुपये का निवल निवेश रहा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में सेबी में कुल 1849 फन्डों ने पंजीकरण कराया[44]। ऋण बाजार में हुए निर्गमन की रकम ₹9.11 लाख करोड़ पर रही, जिसमें कुल ऋण जुटाने में लगभग 99% निजी निधीयन रहा[45]।

वर्ष 2025-26 के दौरान भारत को तीन एजेन्सियों से संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुए। एस एन्ड पी ग्लोबल ने अगस्त 2025 में भारत की दीर्घावधि संप्रभु क्रेडिट रेटिंग को 'बीबीबी-' से बीबीबी' कर दिया, जो विगत 18 वर्ष में ऐसा पहला अपग्रेड है, मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस ने मई 2025 में भारत की रेटिंग को 'बीबीबी (low)' से 'बीबीबी' किया; और जापान की रेटिंग एन्ड इन्वेस्टमेन्ट इन्फॉर्मेशन, इन्क (आरएन्डआई) ने सुस्थिर आउटलुक के साथ भारत की दीर्घकालिक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करके 'बीबीबी +' कर दिया[46]। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम ट्रेडिंग सत्र में 10 वर्षीय जी-सेक अर्जन ने जुलाई 2024 के बाद पहली बार 7% के मार्क को पार किया[47]।

बाह्य क्षेत्र

संयुक्त राज्य ने 2 अप्रैल 2025 को भारतीय निर्यातों पर 26% का व्युत्क्रमी टैरिफ लगा दिया, जिससे बाजार में नकारात्मक प्रतिक्रिया आरंभ हो गई[48]। फरवरी 2026 को हुए अंतरिम व्यापार समझौते ने प्रभावी दर को घटाते हुए इसे लगभग 18% पर कर दिया, तथापि सम्पूर्ण मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता अभी चल रही है[49]। पश्चिमी एशिया का संघर्ष फरवरी 2026 में आरंभ हुआ था, जिससे होर्मूज जलडमरूमध्य का मार्ग बाधित हुआ, इससे चौथी तिमाही में बाह्य आघातों का निर्माण हो गया। भारत सरकार ने निवारक उपाय लागू किए जिनमें ईंधन की बचत करने वाली चेतावनी और गैर जरूरी आयातों में कटौतियां शामिल हैं[50]।

वाणिज्य वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 860.09 बिलियन अमरीकी डॉलर पर रहा जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 4.22% की बढ़ोतरी है। सेवाओं के निर्यात 7.94% बढ़कर अनुमानित 418.31 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गए, इस प्रकार यह वाणिज्य वस्तुओं के 441.78 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के निर्यात के लगभग समतुल्य है। सेवा व्यापार अधिशेष वित्तीय वर्ष

[42] एनएसडीएल | एफपीआई निवल निवेश विवरण (वित्तीय वर्ष)
[43] एएमएफआई | एएमएफआई मासिक नोट (मार्च, 2026)
[44] सेबी | 'ग्रीन चैनल : एसआइएफ रोलआउट – प्रलेख स्वीकार्यता पर परामर्श '
[45] सेबी | सेबी बुलेटिन - अप्रैल 2026
[46] प्रेस विज्ञप्ति पेज | प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी)
[47] आरबीआइ वार्षिक रिपोर्ट 2025-26
[48] बिजनेस स्टैन्डर्ड | ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ - $6.6 ट्रिलियन दो दिन में यूएस बाजारों से गायब
[49] दि वाइट हाउस | यूनाइटेड स्टेट्स – भारत संयुक्त वक्तव्य
[50] पीआईबी | रक्षा मंत्रालय

2024-25 के 188.84 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 213.89 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गए, जो 333.19 बिलियन अमरीकी डॉलर के वाणिज्य वस्तुओं के लिए महत्त्वपूर्ण ऑफसेट प्रदान करता है[51]।

वित्तीय वर्ष के दौरान अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट रही, 31 मार्च 2026 को यह ₹94.65 प्रति डॉलर के निचले स्तर पर आ गया[52]। विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार 709.8 बिलियन अमरीकी डॉलर पर रहे, जो ग्यारह माह से भी अधिक के लिए आयात कवर प्रदान करता है और बाह्य ऋणों के लगभग 95% को कवर करता है[53]। सितम्बर 2025 के अंत में बाह्य ऋण जीडीपी के 19.2% पर रहे[54]।

निष्कर्ष

भारत अपने वित्तीय बाजारों को गहन बनाते हुए और बाह्य दबाव को संभालने के लिए अपनी संस्थाओं की क्षमता को प्रदर्शित करते हुए अपने किसी भी तुलनीय जोड़ीदार के मुकाबले तीव्रतर विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बना रहा।

ऐसी अर्थव्यवस्था को एक ऐसा मंच चाहिए होता है जो अपने विस्तार कर रहे कार्पोरेट क्षेत्र के पूंजी प्रवाह की मध्यस्थता कर सके, बीमा और पुनर्बीमा क्षमता को अपने अनछुए रह गए बाजारों तक ले जा सके, मुद्रा और पण्य जोखिमों को संभालने के लिए बचाव उपाय प्रदान कर सके, अपने आयात और निर्यात कॉरिडोरों के धनप्रेषण और व्यापार प्रवाह को प्रोसेस कर सके, और जो वैश्विक संस्थाओं को भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय रूप से तुलनीय शर्तों पर सक्षम बना सके।

इस प्रकार की मांग को ठीक प्रकार से पूरा करने के लिए गिफ्ट आईएफएससी की स्थापना हुई। आगामी खंडों में उन समष्टि आर्थिक और वित्तीय संदर्भों का उल्लेख किया गया है, जिसके दायरे में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान गिफ्ट आईएफएससी ने अपना परिचालन किया। आगामी खंडों में गिफ्ट आईएफएससी द्वारा दिए गए परिणामों को प्रलेखित किया गया है – बैंकिंग आस्तियों में संवृद्धि, पूंजी बाजार के क्रियाकलाप, फन्ड प्रबंधक, बीमा बुलियन और फिनटेक जो वर्ष के दौरान सम्मिलित रूप से इस प्राधिकरण के परिचालन रिकार्ड को व्यक्त करते हैं, और उन नियामक और नीतिगत गतिविधियों को भी दर्शाया गया है जो आगामी वर्षों में इस वित्तीय केन्द्र के पथ को आकार प्रदान करेंगे।

[51] पीआईबी | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

[52] आरबीआइ | संदर्भ दर आर्काइव

[53] डीईए | मासिक आर्थिक समीक्षा (मार्च, 2026)

[54] डीईए | भारत के तिमाही बाह्य ऋणों की रिपोर्ट

गिफ्ट आईएफएससी हेतु वार्षिक कारोबारी मुख्यांश

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार आईएफएससीए ने 31 मार्च 2025 को किए गए 864 पंजीकरणों की तुलना में सभी क्षेत्रों में 1213* पंजीकरण/प्राधिकृतिकरण प्रदान किए – जो एक वर्ष के भीतर ही 40% से अधिक की बढ़ोतरी को प्रकट करता है। आईएफएससी में वार्षिक व्यवसाय विस्तार और संवृद्धि निम्नलिखित प्रमुख सांख्यिकी से स्पष्ट हो जाती है ।

1213*

कुल आईएफएससीए पंजीकरण

* कुल 66 सैद्धांतिक / अस्थायी अनुमोदनों सहित

बैंकिंग क्षेत्र

यूएसडी 111.00 बिलि. — 31 मार्च 2026 की यथास्थिति
आईबीयू की अदत्त बैंकिंग आस्तियां

यूएसडी 583.34 बिलि. — वित्तीय वर्ष 2025-26 में
संचयी बैंकिंग संव्यवहार

यूएसडी 371.11 बिलि. — वित्तीय वर्ष 2025-26 में
संचयी डेरिवेटिव ट्रेड (एनडीएफ सहित)

पूंजी बाजार

यूएसडी 99.86 बिलि. — वित्तीय वर्ष 2025-26 में
औसत मासिक टर्नओवर (आइएफएससी एक्सेन्ज)

यूएसडी 5.20 बिलि. — वित्तीय वर्ष 2025-26 में
आइएफएससी एक्सचेन्जों पर ऋण लिस्टिंग

69,270 — 31 मार्च 2026 की यथास्थिति
डिपॉजिटरी में सक्रिय डीमैट खाते

फन्ड प्रबन्धन

217 | 360 — 31 मार्च 2026 की यथास्थिति
एफएमई की संख्या / फन्ड/ स्कीमें

यूएसडी 39.09 बिलि. — 31 मार्च 2026 की यथास्थिति
संचयी वचनबद्धताएं (गैर-रिटेल)

यूएसडी 19.51 बिलि. — 31 मार्च 2026 की यथास्थिति
जुटाए गए संचयी फन्ड (गैर-रिटेल)

संधारणीय वित्त

यूएसडी 6.25 बिलि. — वित्तीय वर्ष 2025-26 में
बैंकों द्वारा कुल संधारणीय क्रेडिट

यूएसडी 1.38 बिलि. — वित्तीय वर्ष 2025-26 में
आइएफएससी एक्सचेन्जों पर ईएसजी-लेबलकृत ऋण लिस्टिंग

12 — वित्तीय वर्ष 2025-26 में
आइएफएससी एक्सचेन्जों पर ईएसजी-लेबलकृत ऋण लिस्टिंग की संख्या

बुलियन

45 | 214 | 337
31 मार्च 2026 की यथास्थिति
अर्हताप्राप्त आपूर्तिकर्ताओं / जौहरियों / टीआरक्यू धारकों की संख्या

हाजिर: 8.59 बिलि.
मात्रा: 102.33 टन
31 मार्च 2026 की यथास्थिति
आइआइबीएक्स पर सौदाकृत गोल्ड

हाजिर: 926.79 मिलि.
मात्रा:1147.98 टन
31 मार्च 2026 की यथास्थिति
आइआइबीएक्स पर सौदाकृत चांदी

बीमा क्षेत्र

36 | 34
31 मार्च 2026 की यथास्थिति
बीमा फर्मों / मध्यस्थों की संख्या

यूएसडी 648.68 मिलि.
वित्तीय वर्ष 2025-26 में
आइएफएससी बीमा कार्यालय (आइआइओ) द्वारा हामीकृत प्रीमियम

यूएसडी 481.37 मिलि.
वित्तीय वर्ष 2025-26 में
आइएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय (आइआइआइओ) द्वारा हामीकृत प्रीमियम

वायुयान/जलपोत लीजिंग

35 | 36
31 मार्च 2026 की यथास्थिति
पंजीकृत वायुयान पट्टादाता / जलपोत पट्टादाता

373
31 मार्च 2026 की यथास्थिति
पट्टाकृत विमानन आस्तियों की संख्या

37
31 मार्च 2026 की यथास्थिति
पट्टाकृत जलपोतों की संख्या. इन 37 जलपोतों में से 16 जलपोत विदेशी ध्वजधारक हैं।

वित्त कम्पनियां

93
31 मार्च 2026 की यथास्थिति
पंजीकृत वित्त कम्पनियों की संख्या

यूएसडी 105.75 मिलि.
31 मार्च 2026 की यथास्थिति
आइटीएफएस प्लेटफार्म पर संव्यवहार

यूएसडी 5.61
31 मार्च 2026 की यथास्थिति
बिलि.आइएफएससी में ट्रेजरी केन्द्रों द्वारा अदत्त क्रेडिट (जीआरसीटीसी)

अन्य क्षेत्र

03
विदेशी विश्वविद्यालय
31 मार्च 2026 की यथास्थिति

04 | 10
जीवैश्विक इन-हाउस केन्द्र / बीएटीएफ सेवा प्रदाता
31 मार्च 2026 की यथास्थिति

120
टेकफिन और सहायक सेवा प्रदाता
31 मार्च 2026 की यथास्थिति



भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपने समकक्षी श्री बेन्जामिन नेतेन्याहू के साथ आईएफएससीए और आइएसए के बीच इसरायल में भारत के राजदूत श्री जे. पी. सिंह और आइएसए के चेयरमैन श्री सेफ्फी जिन्गर के माध्यम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और उसके आदान-प्रदान के अवसर पर ।

खंड – ग

प्राधिकरण की नीतियों, कार्यक्रमों और क्रियाकलापों की समीक्षा

बैंकिंग

बैंकिंग क्षेत्र किसी भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र का प्रमुख स्तम्भ होता है जो न केवल प्रमुख वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, अपितु वित्तीय सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला का प्रदाता भी होता है। हाल ही के वर्षों में गिफ्ट आईएफएससी में बैंकिंग परितंत्र सुस्थिरतापूर्वक विकसित और सुदृढ़ हुआ है, जो प्रगतिशील नियामक व्यवस्था, प्रतिस्पर्धी टैक्स परिवेश और परिचालनगत सहजता द्वारा संचालित है। मार्च 2026 तक इस गतिमान परितंत्र में 20 विदेशी बैंक और 17 स्वदेशी बैंक अपनी मूल संस्थाओं की शाखाओं के रूप में कार्यरत थे, जिन्हें आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आइबीयू) के रूप में जाना जाता है, इसके अलावा दि न्यू डेवलपमेन्ट बैंक (एनडीबी) के दो वैश्विक प्रशासनिक कार्यालय और एक क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

आईएफएससी में बैंकिंग संस्थानों का नियंत्रण करने वाली नियामक संरचना को आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियमावली, 2020 (यथासंशोधित) के साथ-साथ आईएफएससीए बैंकिंग नियमपुस्तिका का सहारा दिया गया है। इस व्यवस्था की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और इसे अद्यतन किया जाता है ताकि बाजार के सहभागियों की जरूरतों को दर्शाया जाए और इसे उद्विकास कर रही वैश्विक बैंकिंग प्रवृत्तियों के साथ संयोजित किया जा सके।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों हेतु नियंत्रक निकाय की बैठक संबंधी अपेक्षाओं का संशोधन

अप्रैल 08, 2025

आईएफएससीए ने आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों की नियंत्रण अपेक्षाओं को संशोधित करते हुए एक परिपत्र जारी किया। अब प्रत्येक आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के नियंत्रक निकाय को प्रत्येक तिमाही में बैठक अवश्य करनी होगी, जिसमें आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त बैठकों के आयोजन की गुंजाइश भी रखनी होगी।

अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों में आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आइबीयू) की सहभागिता

मई 21, 2025

अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों में आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों की सहभागिता हेतु नीतियों का निर्धारण करते हुए यह परिपत्र जारी किया गया। इस परिपत्र के अनुसार आईएफएससी बैंकिंग यूनिटें प्राधिकरण से पूर्वानुमति लिए बिना ही आईएफएससी से बाहर के वित्तीय संस्थानों/बैंकों से/को भुगतान करने के लिए या भुगतान पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के सदस्य के रूप में सहभागिता कर सकती हैं। इसके अलावा जो कोई भी अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली अपने मध्य भुगतान करने या भुगतान प्राप्त करने के लिए आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों को अनुमति देती है, और इससे स्वदेशीय (अर्थात आईएफएससी) संव्यवहार प्रभावित होते हैं, तो भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 की धारा 7 की उप-धारा 1 के तहत प्राधिकरण से प्राधिकृत कराना अपेक्षित होगा।

उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत भारतीय निवासी व्यक्तियों द्वारा खोले गए विदेशी मुद्रा खातों (एफसीए) के परिचालन हेतु आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों को निदेशों में आशोधन

जून 23, 2025

भारतीय निवासी लोगों द्वारा एलआरएस के अधीन खोले गए विदेशी मुद्रा खातों के नियंत्रण हेतु आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों के लिए प्रयोज्य निदेशों को संशोधित किया गया है, ताकि एलआरएस व्यवस्था के अनुपालन

के संबंध में घोषणा करने की अपेक्षाओं में संशोधन हो सके। इन परिवर्तनों का प्रयोजन है कि एलआरएस व्यवस्था के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए अधिकाधिक स्पष्टता और परिचालनगत लोचशीलता प्रदान की जाए।

भारत में निवासी का खाता खोलने के बारे में परिपत्र

अगस्त 13, 2025

आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों को स्पष्टीकरण जारी किए गए कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2015 दिनांक 14 जनवरी 2015 (यथा संशोधित) में प्रयुक्त पदबंध "भारत से बाहर के बैंक में विदेशी मुद्रा खाता" – में किसी भी आईएफएससी बैंकिंग यूनिट में किसी भी निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में खोला गया खाता शामिल रहेगा[55]।

आईएफएससीए बैकिंग नियमपुस्तिका के मॉड्यूल संख्या 16 (क्रेडिट प्रदान करना) में संशोधन – सीओबी दिशानिदेश वी6.0

दिसम्बर 08, 2025

निदेशकों को अग्रिम देने, और क्रेडिट कम्पनियों को अपनी प्रतिभूतियाँ वापस खरीदने के लिए आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों द्वारा क्रेडिट प्रदान करने पर प्रतिबंध के संदर्भ में बैंकिंग नियमपुस्तिका में संशोधन के बारे में परिपत्र जारी किया गया।

बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

दिसम्बर 12, 2025

बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों को इस परिपत्र में निदेश दिया गया है। संशोधन अधिनियम में जमाकर्ताओं को अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुमति है कि वे अनुगामी अथवा एक-साथ चार व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं, जिन्हें एकल अथवा संयुक्त जमाकर्ताओं की मृत्यु होने की स्थिति में बैंकिंग कम्पनी द्वारा जमाराशि लौटाई जाए। यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत पूर्ववर्ती प्रावधान में परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें इस प्रयोजन के लिए केवल एक व्यक्ति का नामांकन करने की अनुमति थी।

आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों के ग्राहकों को इन्टरनेट बैंकिंग सेवाएं – समीक्षा

दिसम्बर 29, 2025

आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की इन्टरनेट बैंकिंग सेवाओं अर्थात 22 अप्रैल 2024 के पूर्ववर्ती परिपत्र में निर्धारित आसूचना सेवाओं, इन्टरएक्टिव इन्फॉर्मेशन एक्सचेन्ज सर्विस, और संव्यवहारगत सेवाओं के लिए विशिष्ट अनुपालन अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए यह परिपत्र जारी किया गया। इसके अलावा ऐसी आईएफएससी बैंकिंग यूनिट जो अपने ग्राहकों को देयता उत्पादों का प्रस्ताव नहीं करती है, उस यूनिट को इन्टरएक्टिव इन्फॉर्मेशन एक्सचेन्ज सर्विस और संव्यवहारगत सेवा के संबंध में इस परिपत्र में अनिवार्य बताई गई अपेक्षाओं को लागू करने से छूट प्राप्त है।

[55] निर्दिष्ट विदेशी मुद्राएं हैं – यूएस डॉलर(यूएसडी), यूरो(ईयूआर), जापानी येन (जेपीवाई), यूके पाउंड स्टर्लिंग(जीबीपी), कनाडियन डॉलर (सीएडी), ऑस्ट्रेलियाई डॉलर(एयूडी), स्विस फ्रैन्क(सीएचएफ), हाँगकाँग डॉलर(एचकेडी), सिंगापुर डॉलर(एसजीडी), यूएई दिरहम(एईडी), रूसी रूबल(आरयूबी), स्वीडिश क्रोने(एसईके), नार्वेजियन क्रोने (एनओके), न्यूजीलैन्ड डॉलर (एनजेडडी), डेनिश क्रोने (डीकेके).

"संधारणीय जमाराशियों और संधारणीय उधारियों और निवेशों पर दिशानिदेश व्यवस्था" के बारे में परामर्श-पत्र

जनवरी 21 – फरवरी 10, 2026

आईएफएससीए ने 26 अप्रैल 2022 को दिशानिदेश व्यवस्था जारी की थी जिसमें अल्पकालीन वित्तपोषण सहित हरित/सामाजिक/संधारणीय परियोजनाओं / प्रयोजनों के लिए इन क्षेत्रों में ऋण देने के लिए आईएफएससी में प्रतिष्ठानों (आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों और एफसी/एफयू) के लिए दिशानिदेश दिए गए। इस बारे में प्रारूप परिपत्र सहित परामर्श-पत्र जारी किया गया जिसका प्रयोजन था कि एक अलग उत्पाद का प्रस्ताव करते हुए आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों द्वारा 'संधारणीय जमाराशियों' के प्रस्ताव दिए जा सकें। इस प्रारूप परिपत्र में प्रस्ताव किया गया कि इन डिपॉजिटों के माध्यम से जुटाई गई निधियों का प्रयोग आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों द्वारा पात्र संधारणीय उत्पादों (यथा ईसीजी लेबलकृत ऋण प्रतिभूतियां, अन्य की तरह) में निवेश और इस व्यवस्था के तहत हरित या सामाजिक श्रेणी के रूप में वर्गीकृत क्रियाकलापों/ परियोजनाओं हेतु ऋण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रस्तावित परिपत्र में संधारणीय उधारी क्रियाकलापों, संधारणीय कारोबारी वित्त, और संधारणीय उत्पादों में निवेश के बारे में आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों और एफसी को दिशानिदेश दिए गए।

दूरस्थ बुकिंग व्यवस्थाओं में आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आइबीयू) की सहभागिता पर प्रारूप परिपत्र संबंधी लोक परामर्श

जनवरी 22 – फरवरी 13, 2026

इस लोक परामर्श का प्रयोजन यह था कि इस आईएफएससी बैंकिंग यूनिट की स्थापना करने हेतु इस प्राधिकरण द्वारा लाइसेन्सकृत बैंकों की 'दूरस्थ बुकिंग' व्यवस्थाओं और आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों द्वारा अपने मूल बैंक की दूरस्थ बुकिंग व्यवस्थाओं (आरबीए) में सहभागिता के बारे में इस प्राधिकरण के प्रस्तावित दिशानिदेशों पर अभिमत/ विचार/सुझाव प्राप्त किए जाएं।

प्रारूप आईएफएससीए (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म) विनियमावली, 2026 पर परामर्श-पत्र

फरवरी 24 - मार्च 18, 2026

इस लोक परामर्श का प्रयोजन यह था कि आईएफएससी में ईटीपी की स्थापना और परिचालन पर इस प्राधिकरण के प्रस्तावित विनियमों के बारे में अभिमत/ विचार/सुझाव प्राप्त किए जाएं। यद्यपि ईटीपी के रूप में प्राधिकार पाने के लिए किसी आवेदक को आईएफएससी में अपनी कम्पनी अवश्य स्थापित करनी होगी, तथापि जिन प्रतिष्ठानों के पास कतिपय अधिकारक्षेत्रों में ऐसा ही प्राधिकार पहले ही से प्राप्त है उन्हें अपनी एक शाखा आईएफएससी में स्थापित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। प्राधिकार प्रदान करने के लिए ट्रैक रिकार्ड और वित्तीय सुदृढ़ता सहित, केएमपी का संबंधित अनुभव, जोखिम प्रबंधन की गुणवत्ता, कारोबारी योजना की वैधता और निवल मालियत अपेक्षाओं को पूरा करने की क्षमता जैसे मानदंड भी प्रारूप विनियमों में निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, क्रिप्टोकरेन्सी या टोकन, जिस किसी भी नाम से कहें, ईटीपी पर सौदे के लिए पात्र नहीं होंगे।

स्विफ्ट संबंधी परिचालन अपेक्षाओं के संबंध में आइबीयू को निदेश

फरवरी 26, 2026

आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों में अपने खाते में निधियां प्राप्त करने में आईएफएससी में विनियमित गैर-बैंक

प्रतिष्ठानों द्वारा अनुभव की जारी देरी का समाधान करने के लिए यह परिपत्र जारी किया गया था। आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों में स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से सीमापरीय संव्यवहारों के समरूप अभिनिर्धारण, कुशल राउटिंग, और निर्बाध प्रोसेसिंग को सुनिश्चित करने के लिए सभी आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों को निदेश दिया गया है कि वे, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का अनुपालन करें –

- आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके स्विफ्ट बैंक आइडेन्टीफायर कोड (बीआइसी) के साथ सम्बद्ध नाम में स्पष्ट रूप सें गिफ्ट आईएफएससी में उनकी उपस्थिति को दर्शाया गया है, इसके लिए "गिफ्ट आईएफएससी बैंकिंग यूनिट" शब्दों को बीआइसी नाम (उदाहरण के लिए – XX बैंक लिमिटेड – गिफ्ट आईएफएससी बैंकिंग यूनिट) में शामिल किया जाए।
- आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों को यह निर्धारित करना होगा कि वर्तमान में बीआइसी द्वारा अपने-अपने तटवर्ती भारतीय परिचालनों के लिए वर्तमान में प्राप्त किए जा रहे संदेश उनके अपने ही बीआइसी से संबद्ध हैं और यह सुनिश्चित करें कि उनके स्विफ्ट सिस्टम को समुचित रूटिंग नियमों के साथ विन्यस्त किया गया है ताकि ऐसे संदेशों को पहचान कर प्रोसेसिंग के लिए स्वत ही सही आइबीयू बीआइसी के पास भेज दिया जाए।

संव्यवहार / प्रोसेस / परिचालन / प्रवृत्तियां

आईबीयू की संख्या में बढ़ोतरी

मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार आईएफएससी के बैंकिंग परितंत्र में 37 आईबीयू और 2 जीएओ परिचालन कर हैं जो विगत वर्ष के 29 आईएफएससी बैंकिंग यूनिट और 2 जीएओ से अधिक है। इस क्षेत्र में लगातार विस्तार हो रहा है और वर्तमान में यह 585 व्यवसायियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। आईएफएससी में कुल उत्कृष्ट बैंकिंग आस्तियां वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 25% से भी अधिक की संवृद्धि दर्ज करते हुए 111 बिलियन अमरीकी डालर से आगे निकल गई।

सारणी 1: आईएफएससी में बैंकिंग परितंत्र पर प्रमुख अपडेट

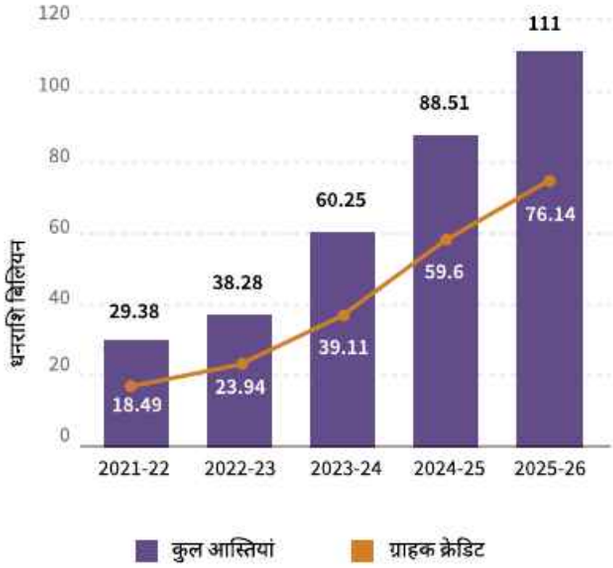
विवरण	मार्च 2025	मार्च 2026	वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि %
पंजीकृत आइबीयू की संख्या	29	37	27.59%
आईएफएससी में कुल अदत्त आस्तियां (बिलि. यूएसडी)	88.51	111.00	25.41%
सभी आइबीयू में प्रत्यक्ष कर्मचारियों की संख्या	447	585	30.87%
अदत्त ग्राहक क्रेडिट (बिलि. यूएसडी)	59.60	76.14	27.75%
वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल बकाया ईसीबी (बिलि. यूएसडी)	27.50	41.18	49.75%
वित्तीय वर्ष में आइबीयू द्वारा संवितरित व्यापार वित्त (बिलि. यूएसडी)	46.62	50.67	8.69%

निधियों के स्रोत और नियोजन

आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों ने अंतर बैंक और अंतर-शाखा उधारियों, द्विपक्षीय उधारियों, ग्राहकों से जमाराशियों, आदि के माध्यम से जुटाए हैं। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों के लिए देयता निधीयन का मुख्य स्रोत (70% से अधिक) अंतर बैंक / अंतर शाखा उधारियों से है।

आस्ति परिनियोजन के कार्य मुख्यतया व्यापार वित्त और वाणिज्यिक ऋणों पर केंद्रित हैं। ग्राहकों के पास बकाया सकल ऋण 59.60 बिलियन अमरीकी डालर (31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार) से 27.75% बढ़ कर 76.14 बिलियन अमरीकी डालर हो गए जो तुलनपत्र के सतत विस्तार को प्रकट करता है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 41.18 बिलियन अमरीकी डालर के एक्सपोजर के साथ निर्गत ईसीबी में बढ़ोतरी बनी रही। आईएफएससी हेतु ग्राहक ऋण बकाया में इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा योगदान वाणिज्यिक ऋणों में संवृद्धि का रहा, जिसमें बाह्य वाणिज्यिक उधारियां (ईसीबी) और व्यापार वित्त शामिल हैं।

आइबीयू – कुल आस्तियां और अदत्त ग्राहक क्रेडिट



आरेख 1: आइबीयू - अदत्त ग्राहक क्रेडिट सहित समयबद्ध आस्तियां

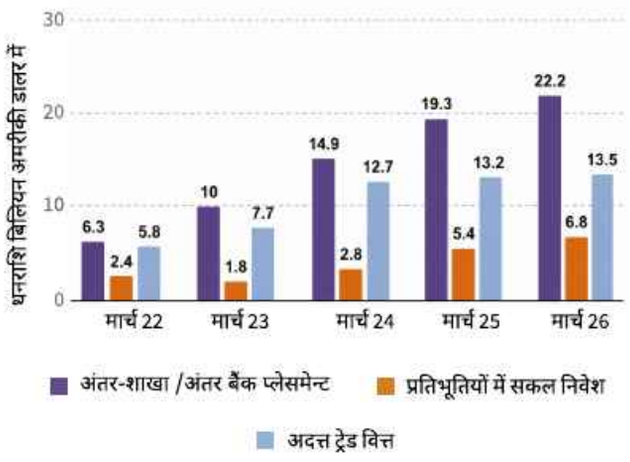
मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों द्वारा अन्तर बैंक /अंतर शाखा नियोजन मार्च 2025 के 19.29 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 22.24 बिलियन अमरीकी डालर हो गए जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 15.3% की बढ़ोतरी को प्रकट करता है। अदत्त व्यापार वित्त 13.5 बिलियन अमरीकी डालर पर रहा जो विगत वित्तीय वर्ष के अंत में

सारणी 2: गिफ्ट आईएफएससी में आइबीयू की देयताएं

आइबीयू की देयताएं (यूएसडी बिलियन में)	मार्च 2025	मार्च 2026	साल-दर-साल संवृद्धि %
ग्राहक जमाराशियां	7.31	8.99	22.98%
अंतर बैंक / अंतर शाखा उधारियां	62.87	80.47	27.99%
द्विपक्षीय उधारियां	7.89	10.44	32.32%
बहुपक्षीय उधारियां	0.50	0.75	50.00%
एमटीएन उधारियां	2.88	1.76	-38.89%
अन्य	7.07	8.59	21.50%

13.2 बिलियन अमरीकी डालर से मामूली सा अधिक है, साथ ही वर्ष के दौरान महत्त्वपूर्ण कार्य हुए। प्रतिभूतियों में सकल निवेश विगत वित्तीय वर्ष के 5.39 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 6.85 बिलियन अमरीकी डालर हो गए।

आइबीयू – अदत्त ट्रेड वित्त, प्रतिभूतियों और अंतर-बैंक / अंतर शाखा प्लेसमेन्ट में सकल निवेश

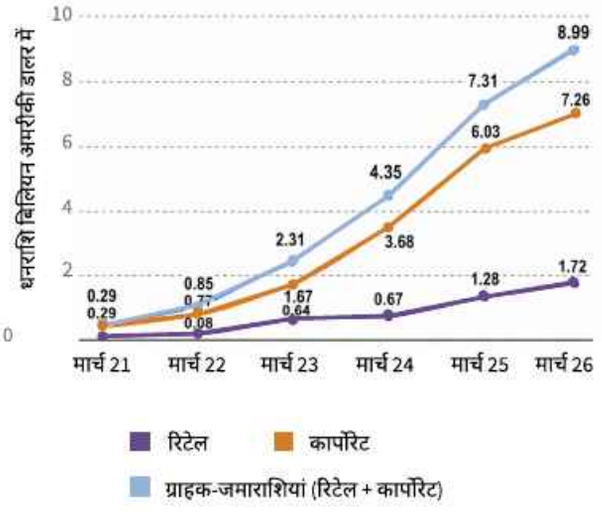


आरेख 2: आईबीयू – ट्रेड वित्त, प्रतिभूतियों में निवेश और अंतर-शाखा / अंतर बैंक प्लेसमेन्ट

एलसीआर अनुरक्षण की विवेकसम्मत अपेक्षा के अनुपालन हेतु आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों के द्वारा ट्रेजरी बिलों में निवेश किए जाते हैं। वर्ष के दौरान सरकारी बॉन्डों में निवेश काफी हद तक समान ही रहा, यद्यपि कार्पोरेट बॉन्डों/डिबेन्चरों में निवेश में 60% बढ़ोतरी होकर वित्तीय वर्ष के अन्त में 3.23 बिलियन अमरीकी डालर रहे, जो साल के दौरान निवेश प्राथमिकताओं में परिवर्तन को प्रकट करता है।

आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों द्वारा रिट्रल और कार्पेरेट ग्राहकों को बचत, चालू और सावधि जमा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। रिटेल जमाराशियों में मामूली सी बढ़ोतरी हुई जबकि कार्पोरेट जमाराशियों में मजबूत संग्रहण विगत पांच साल में दिखाई दिया।

आइबीयू में जमाराशि बढ़ोतरी (बिलि. यूएसडी में)



आरेख 3: आईबीयू में जमाराशियों की बढ़ोतरी

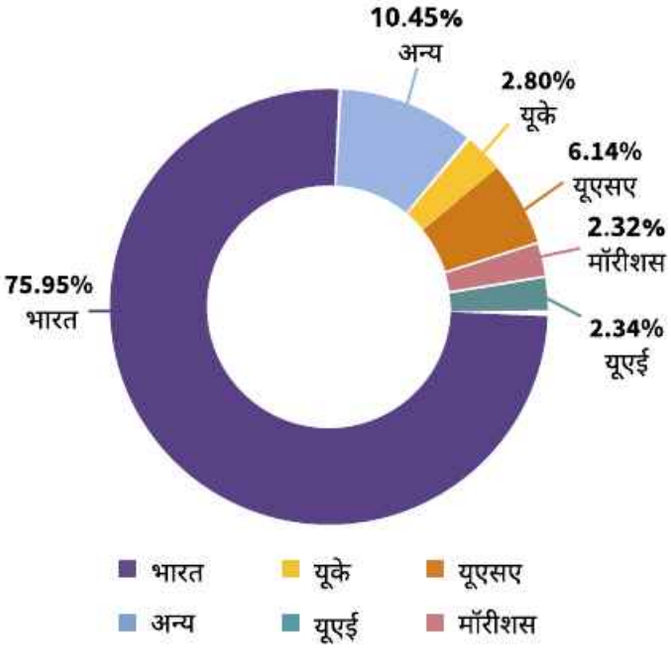
डेरिवेटिव बाजार के क्रियाकलाप

आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों के पास मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार अदत्त डेरिवेटिव का नोशनल मूल्य 193.24 बिलियन अमरीकी डालर रहा इसकी तुलना में मार्च 2025 में यह 236.26 बिलियन अमरीकी डालर था जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 18.21% की कमी प्रकट करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 दोनों ही अवधियों में अदत्त डेरिवेटिव संविदाओं में सर्वाधिक हिस्सेदारी एफसीवाइ ब्याज दर स्वैप (ओवरनाइट इन्डेक्सकृत स्वैप सहित) की बनी रही।

देशानुसार एक्सपोजर

आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों को सर्वाधिक एक्सपोजर भारत के प्रतिष्ठानों (75.95%) से है, इसके बाद यूएसए (6.14%) और यूके (2.80%) का है। दोनों ही वित्तीय वर्ष के दौरान आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों के लगभग 90% जोखिम वाले शीर्ष देश पांच हैं।

आइबीयू का देशानुसार एक्सपोजर



आरेख 4: आईबीयू का देशानुसार एक्सपोजर

आइबीयू का क्षेत्रानुसार क्रेडिट एक्सपोजर

मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार सेवा क्षेत्र का आइबीयू क्रेडिट एक्सपोजर में कुल का लगभग 53% सर्वाधिक हिस्सा बना रहा, इसके बाद विनिर्माण का 19% और अवसंरचना का 15% हिस्सा रहा, मोटे तौर पर विगत तिमाहियों का क्षेत्रकीय विभाजन बरकरार रहा।

आइबीयू का ओडीआई बकाया (नोशनल)

मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार आइबीयू की ओडीआइ बकाया 853.46 मिलियन अमरीकी डालर पर रहीं, जो विगत वर्ष में 1184.68 मिलियन अमरीकी डालर के उच्च स्तर से लगभग 28% कम रहीं।

पर्यवेक्षण

बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को अधिकार दिया गया है कि आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आइबीयू), और गिफ्ट सिटी आईएफएससी में परिचालित वित्तीय कम्पनियों के कार्यचालन का पर्यवेक्षण करे ताकि प्रयोज्य आईएफएससीए विनियमों, दिशानिदेशों, व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। आईएफएससी के बैंकिंग परिचालनों को नियंत्रित करने के लिए, इस प्राधिकरण ने आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों की स्थापना और परिचालन के लिए समय-समय पर यथासंशोधित आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियमावली 2020 जारी की है। इसके बाद विनियमन विभाग ने बैंकिंग की तीन नियमपुस्तिकाएं जारी की है –

क) सामान्य (जेन) दिशानिदेश,
ख) विवेकसम्मत (पीआरयू) दिशानिदेश, और
ग) व्यवसाय संचालन (सीओबी) दिशानिदेश।

प्रमुख पर्यवेक्षण कार्यकलाप

पर्यवेक्षण मैन्युअल में बैंकिंग पर्यवेक्षण की नियंत्रक प्रविधियों, प्रक्रियाओं, और क्रियापद्धतियों के अनुसार बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों की पर्यवेक्षी निगरानी की जाती है। इस मैनुअल में ऑफसाइट और ऑनसाइट दोनों प्रकार के पर्यवेक्षण हेतु समेकित व्यवस्था प्रदान की गई है, ताकि आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों का संरचनाबद्ध और जोखिम आधारित दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके।

ऑफसाइट निगरानी

आरई द्वारा प्रस्तुत विनियामक विवरणियों का विश्लेषण और आरई के केएमपी तथा नियंत्रण कार्यालयों के साथ नियमित परिचर्चाओं के माध्यम से बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा सतत आधार पर ऑनसाइट आकलन किया जाता है। आईएफएससी बैंकिंग यूनिट परिचालनों का जोखिम विश्लेषण (जोखिम शिनाख्त, जोखिम आकलन, जोखिम प्रब्रधन और जोखिम नियंत्रण) इन आवधिक रिपोर्टों के आधार पर निरंतर किया जाता है।

ऑनसाइट आकलन

आरई की जोखिम स्कोरिंग के आधार पर आवधिक अंतरालों पर ऑनसाइट आकलन किए जाते हैं। इस समस्त कार्यचालन का प्राथमिक प्रयोजन यह है कि आंतरिक नियंत्रण का आकलन, विनियमों के अनुपालन आरई द्वारा प्रस्तावित उत्पादों की समीक्षा, निहित प्रक्रियाओं, एएमएल पद्धतियों और आरई की जोखिम प्रोफाइल का आकलन किया जा सके।

विषयानुसार अध्ययन और लक्ष्यबद्ध आकलन

नियमित ऑनसाइट आकलनों के अलावा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा चिन्ता के विशिष्ट क्षेत्रों यथा डेरेवेटिव एक्सपोजर, परिचालन मॉड्यूल, जमाराशियों, इन्टरनेट बैंकिंग आदि का विषयगत अध्ययन किया जाता है।

अनुपालन की निगरानी

विवेकसम्मत मानदंडों, लाइसेन्स के निबंधनों और शर्तों तथा आईएफएससीए द्वारा जारी नियमपुस्तिका के सहित विनियमन दिशानिदेशों के अनुपालन की निगरानी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा की जाती है।

स्टेकधारकों के साथ परिचर्चा

जहां भी प्रयोज्य है आरई के प्रबंधक और उनके नियंत्रक कार्यालयों के साथ नियमित संपर्क रखा जाता है। इन परिचर्चाओं से पर्यवेक्षण चिन्ताओं, प्रत्याशाओं, जोखिम प्रवृत्तियों पर विचार-विमर्श और विनियामक उद्देश्यों के साथ अनुरूपण का उललेख करने में सहायता मिलती है।

क्षमता निर्माण और विनियामक गतिविधियां

यह विभाग पर्यवेक्षक अंतदृष्टि और बाजार की गतिविधियों के आधार पर विनियामक व्यवस्थाओं और दिशानिदेशों के कार्यान्वयन में योगदान देता है। यह प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से क्षमता निर्माण पर भी बल देता है।

पक्ष समर्थन और आउटरीच

आइबीयू के एश्योरेन्स प्रोफेशनल्स के लिए आईएफएससीए का वार्षिक सम्मेलन

जुलाई 02, 2025

गिफ्ट सिटी, गुजरात

आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (जोखिम, अनुपालन और ऑडिट) के एश्योरेन्स प्रोफेशनलों के लिए आईएफएससीए ने वार्षिक सम्मलेन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य अभिशासन व्यवस्थाओं से लेकर उदीयमान जोखिमों और एश्यूरेन्स की सर्वोत्तम परिपाटियों तक के अनुपालन के विभिन्न पक्षों पर विचार-विमर्श करना था। सम्मेलन में जोखिम, अनुपालन और ऑडिट के पदाधिकारियों को लाया गया ताकि ज्ञान, विश्व की सर्वोत्तम परिपाटियों को साझा किया जाए और आईएफएससी बैंकिंग परितंत्र की लोचशीलता को सुनिश्चित किया जा सके।

आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों के साथ विनियामक संवाद

जनवरी 27, 2026

गिफ्ट सिटी, गुजरात

इस कार्यक्रम के दौरान अभिशासन मानकों, जोखिम प्रबंधन, परिचालनगत और मानवशक्ति आस्तित्व, और डिजिटल इन्टरफेस की प्रत्याशाओं के साथ-साथ पर्यवेक्षण आकलनों में किए अवलोकनों के बारे में पर्यवेक्षी स्वरूपों को साझा किया गया।



चित्र 1: डॉ. दीपेश शाह, ईडी और श्री के. महीपाल रेड्डी, ईडी, साथ में हैं मुख्य महाप्रबंधक – श्री सुप्रियो भट्टाचारजी, श्री प्रदीप देव, श्री आशुतोष शर्मा और आईएफएससीए के अन्य अधिकारी – आइबीयू के साथ विनियामक संवाद के दौरान

निर्यातकों हेतु आउटरीच समारोह

फरवरी 10, 2026

तिरुप्पुर, तमिलनाडु

श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए ने इस आउटरीच समारोह में तिरुप्पुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, ग्लोमोपे, क्रेडलिकस के सहायोग से और तिरुप्पुर के अन्य आरई एमजंक्शन सर्विसेज लि. (सेल और टाटा स्टील का संयुक्त उद्यम) द्वारा आयोजित इस समारोह से गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से व्यापार वित्त अवसरों से निर्यातकों को जोड़ने के बारे में सम्बोधित किया। अपने सम्बोधन में अध्यक्ष महोदय ने यह रूपरेखा बताई कि गिफ्ट आईएफएससी किस प्रकार से प्रमुख सक्षमकर्ता की स्थिति में है जो आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों और आईएफएससी में प्रस्तावित आइटीएफएस प्लेटफॉर्मों और समर्थक कारोबारी युक्तियों, जोखिम न्यूनीकरण युक्तियों और वैश्विक रूप से एकीकृत वित्तीय सेवाओं के माध्यम से क्रेडिट तक तीव्र पहुंच प्रदान करते हुए सन 2030 तक भारत के 2 ट्रिलियन अमरीकी डालर के निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।

एमएसएमई निष्पादन (आरएएमपी) कार्यक्रम के उत्थापन और गतिवर्धन कार्यक्रम के तहत एमएसएमई हेतु समेकित जागरूकता कार्यशाला

फरवरी 20, 2026

कोच्चि, केरल

केरल सरकार के सहयोग से एमएसएमई, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित एमएसएमई जागरुकता कार्यशाला के दौरान आईएफएससीए द्वारा गिफ्ट आईएफएससी में एमएसएमई हेतु अवसरों का उल्लेख किया गया। आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने व्यापार वित्त संलेखों यथा आढ़त कारोबार, फैक्टोरिंग, और आईएफएससी बैंकिंग यूनिट तथा वित्तीय कम्पनियों द्वारा प्रदत्त आपूर्ति श्रृंखला, आईटीएफएस प्लेटफार्म की भूमिका, आईएफएससी आधारित प्रतिष्ठानों से ईसीबी लेने के लाभ और हालिया नीतिगत पहल के बारे में सत्रसंचालन किए।

एचएसबी इंडिया लोन समिट 2026

मार्च 12, 2026

मुम्बई, महाराष्ट्र

आईएफएससीए ने लोन समिट में सहभागिता की जिसमें इसके पदाधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में बैंकिंग परितंत्र के विकास पर सम्यक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में गिफ्ट आईएफएससी में विदेशी बैंकों के लिए अवसरों पर फोकस किया गया।

एफआईईओ – एडवान्स ट्रेड फाइनन्स सोल्यूशन थ्रू एक्सपोर्ट फैक्टरिंग पर आउटरीच सत्र

मार्च 17, 2026

कानपुर, उत्तर प्रदेश

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफआईईओ), एम1, एनएक्सटी, ग्लोमो एन्ड कोटक

महिन्द्रा बैंक के सहयोग से क्रेडलिक्स (एक पंजीकृत कम्पनी) द्वरा कानपुर में आयोजित समारोह में आईएफएससीए द्वारा सहभागिता की गई जिसमें गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से व्यापार वित्त अवसरों के बारे में निर्यातकों को जानकारी दी गई। आईएफएससीए ने अपने विनियमित प्रतिष्ठानों की उपलब्धियों के बारे मं बताया और उन हालिया क्षमताओं के बारे में बताया जो गिफ्ट आईएफएससी को भारतीय निर्यातकों के लिए वरीयता योग्य अधिकारक्षेत्र के रूप में रखता है, जिसके माध्यम से वे अपनी विदेशी मुद्रा बैंकिंग कर सकते हैं और भुगतान जोखिम को कम करने, नवोन्मेषी व्यापार वित्त समाधानों को प्राप्त करने और वैश्विक रूप से विस्तार करने की अपनी आकांक्षा को समर्थन देने के लिए गिफ्ट आईएफएससी वित्तीयन समाधानों का सहारा ले सकते हैं।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

आईएफएससी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों के लिए निक्षेप बीमा प्रदान करना

आईएफएससीए द्वारा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के साथ समन्वय किया जा रहा है ताकि आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों के जमाकर्ताओं हेतु निक्षेप बीमा के प्रावधान लागू किए जा सकें। ऐसा अनुमान है कि आगामी वित्तीय वर्ष में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा उपलब्ध हो जाएगा।

जमाकर्ता शिक्षण और जागरुकता फन्ड (डीईएएफ) की स्थापना

आईएफएससीए इस संभावना पर विचार कर रहा है कि जमाकर्ता शिक्षण और जागरुकता फन्ड (डीईएएफ) की स्थापना की जाए जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि अदावाकृत निधियां निष्क्रिय या असंचालित खातों में न पड़ी रहें बल्कि उचित स्वामियों के लिए उपलब्ध बनी रहने के साथ-साथ लोक शिक्षण के लिए प्रयुक्त हो सकें।

भुगतान सेवाएं

भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) और भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) गैर बैंक मध्यस्थ हैं जो बैंकों के साथ संयुक्त रहकर बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के प्राकृतिक विस्तारक के रूप में विभिन्न सहभागियों को वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आईएफएससी में भुगतान सेवा प्रदाताओं का नियंत्रण आईएफएससीए (भुगतान सेवाएं) विनियमावली, 2024 के अधीन किया जाता है जो गिफ्ट आईएफएससी में ऐसे संस्थानों हेतु सिद्धान्त आधारित व्यवस्था प्रदान करते हैं। वर्तमान में इस विनियमावली के अधीन भुगतान सेवाओं के पांच कार्यकलापों की अनुमति है, यथा – (क) खाता निर्गमन सेवा (ई-मनी खाता निर्गमन सेवा सहित), (ख) ई-मनी निर्गमन सेवा; (ग) एस्क्रो सेवा, (घ) सीमा-पारीय धन अंतरण सेवा, और (ङ) मर्चेन्ट अधिक्रय सेवा। अनुमत सेवाओं के किसी भी सम्मिश्र को प्रदान करने के लिए किसी भुगतान सेवा प्रदाता को केवल एक ही बार में प्राधिकृत कर दिया जाता है। वर्तमान में 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार चार प्रतिष्ठानों को प्राधिकार दिया गया है, और 10 प्रतिष्ठानों को आईएफएससी में भुगतान सेवाएं देने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया जा चुका है। नवीनतम स्थिति यह है कि भुगतान सेवा प्रदाता प्राधिकार पाने के लिए भुगतान डोमेन में भारतीय और विदेशी फिनटेक काफी रुचि दिखा रहे हैं।

बड़े मूल्य के संव्यवहारों को प्रभावी बनाने और/अथवा ऐसे भुगतान संव्यवहारों में निहित निधियों के निपटान में भुगतान प्रणालियां रीढ़ की हड्डी होते हैं और ऐसी प्रणालियां प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों को भुगतान प्रणाली परिचालक कहा जाता है। आईएफएससी में भुगतान प्रणाली परिचालकों का नियंत्रण आईएफएससीए (भुगतान और निपटान प्रणाली) विनियमावली, 2024 के अधीन किया जाता है, जिसमें इस प्राधिकरण द्वारा प्राधिकार प्रदान करने हेतु विचारार्थ पद्धति और घटकों को निर्दिष्ट किया गया है और इसमें वित्तीय बाजार अवसंरचना हेतु सिद्धांतों और प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों (सीपी-एसआईपीएस) हेतु प्रमुख सिद्धांतों जैसी सर्वोत्तम परिपाटियों को शामिल किया गया है, जिनका अनुपालन भुगतान प्रणाली परिचालक को करना होता है। आईएफएससी में भुगतान प्रणालियों के विकास और विनियमन के संबंध में भुगतान और विनियामक बोर्ड के माध्यम से यह प्राधिकरण अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, यह बोर्ड गिफ्ट आईएफएससी में भुगतान प्रणालियों के संबंध में सर्वोच्च नीति निर्माता प्राधिकरण है। इस डोमेन मील का प्रमुख पत्थर है विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (एफसीएसएस) जो रियल-टाइम में बड़े मूल्यों की भुगतान प्रणाली है, जो आईएफएससी में बैंकिंग यूनिटों के बीच विदेशी मुद्रा के दायित्वों का निपटान करती है।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

आईएफएससी में भुगतान प्रणाली परिचालक स्थापित करने के इच्छुक भुगतान प्रणाली परिचालकों/ आवेदकों हेतु शुल्क की संरचना

अप्रैल 02, 2025

आईएफएससीए (भुगतान और निपटान प्रणाली) विनियमावली, 2024 के विनियम 6(2) और 12(2) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भुगतान प्रणाली परिचालकों/भुगतान प्रणाली परिचालक आवेदकों के लिए शुल्क संरचना से संबंधित एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ

आईएफएससी में किसी भी भुगतान प्रणाली का परिचालन करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए प्रयोज्य शुल्क के विभिन्न प्रकारों यथा आवेदन शुल्क, प्राधिकृतिकरण शुल्क, वार्षिक शुल्क आदि का उल्लेख किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली में भुगतान प्रणाली परिचालकों की सहभागिता

जून 06, 2025

आईएफएससीए अधिनियम 2019 की धारा 13 के साथ पठित भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 की धारा 18 के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों में सहभागिता कर रहे भुगतान सेवा प्रदाताओं हेतु नियंत्रण नीतियों का निर्धारण इस प्राधिकरण ने किया।

आईएफएससीए (भुगतान और विनियामक बोर्ड) विनियमावली, 2025

सितम्बर 17, 2025

वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 की धारा 3 में किए गए संशोधनों को 6 मई 2025 की राजपत्र अधिसूचना जारी करते हुए 9 मई 2025 से प्रभावी किया गया। इस प्रकार के संशोधन के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु बोर्ड के स्थान पर एक निकाय के रूप में भुगतान और विनियामक बोर्ड को प्रतिस्थापित किया गया जिसके माध्यम से आईएफएससीए द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, कार्यों का निष्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। इसके अनुसरण में इस प्राधिकरण ने आईएफएससीए (भुगतान और विनियामक बोर्ड) विनियमन, 2025 को अधिसूचित किया जिसे आधिकारिक राजपत्र में 12 सितम्बर 2025 को प्रकाशित किया गया।

विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (एफसीएसएस) – उपविधियों, नियमावली और विनियमावली की अधिसूचना

अक्तूबर 03, 2025

भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 और आईएफएससीए (भुगतान और निपटान प्रणाली) विनियमावली, 2004 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस प्राधिकरण ने सीसीआइएल आईएफएससी लिमिटेड द्वारा तैयार की गई उपविधियों, नियमावली और विनियमावली को आईएफएससीए (भुगतान और निपाटान प्रणाली) विनियमावली, 2024 को विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली के परिचालन को नियंत्रित करने वाले विनियम, दिशानिदेश, अनुदेश या निदेश (गिफ्ट-आईएफएससी में विदेशी मुद्रा संव्यवहारों के निपटान हेतु प्राधिकृत भुगतान प्रणाली) के रूप में अधिसूचित किया।

विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली परिपत्र – आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों हेतु अनुदेश

अक्तूबर 07, 2025

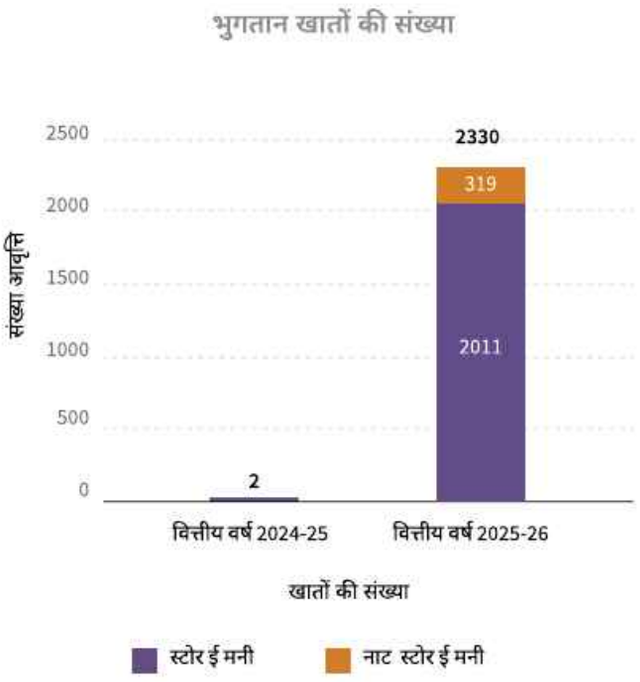
आईएफएससीए ने आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों को विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली के विभिन्न अभिलक्षणों और सदस्यता लेने तथा एफसीएसएस में अभिगम के बारे में एक परिपत्र जारी किया।

संव्यवहार/ प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियां

भुगतान सेवाएं और भुगतान प्रणालियां

भुगतान खातों की संख्या में महत्त्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई और मार्च 2025 के दो खातों से बढ़कर मार्च 2026 में इनकी संख्या 2,330 हो गई। यह बढ़ोतरी प्राथमिक रूप से ई-मनी खातों से संचालित थी जो यह प्रकट करता है कि आईएफएससी में परिचालन कर रहे भुगतान सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जा रही भुगतान सेवाओं को अपनाने में बढ़ोतरी हो रही है। इसे साथ-साथ भुगतान खातों में संव्यवहारों की संख्या यह बताती है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में महत्त्वपूर्ण संवृद्धि हुई, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के तीन संव्यवहारों से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025–26 में 20,000 संव्यवहार हो गई। संव्यवहार की मात्रा में प्रमुख स्थान अमरीकी डालर-मूल्यवर्गित संव्यवहारों का रहा।

इसके अलावा भुगतान खातों में संव्यवहारों का मूल्य मार्च 2025 के नगण्य स्तर से बढ़कर मार्च 2026 में 47.14 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। संव्यवहारों के मूल्य में अमरीकी डालर संव्यवहारों ने सबसे बड़ा



आरेख 5: भुगतान खातों की संख्या

हिस्सा बनाया है जो अंतरराष्ट्रीय भुगतानों के लिए भुगतान सेवा प्रदाता सेवाओं के बढ़ते हुए उपयोग को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीमा-पारीय और इन्ट्रा-आइएफएससी धन अंतरण क्रियाकलाप में काफी विस्तार हुआ। संव्यवहारों की मात्रा में आगामी

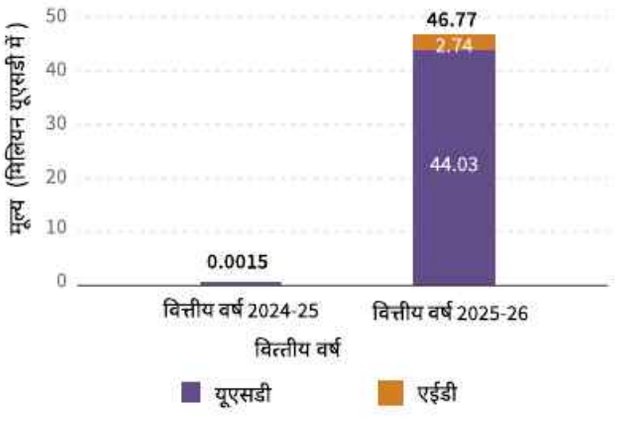
सारणी 3: आईएफएससी में भुगतान परितंत्र के बारे में प्रमुख अपडेट

विवरण	मार्च 2025	मार्च 2026	वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि गुणक
भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी)[56]	2	4	2x
कुल भुगतान खाते	2	2330	1165x
भुगतान खातों में लेन-देन की कुल संख्या	3	20444	6814x
भुगतान खातों में लेन-देन का मूल्य (मिलियन यूएसडी में)	0.0015	47.14	31426x
सीमापार और इन्ट्रा आइएफएससी धन अंतरण संव्यवहारों का मूल्य (मिलियन यूएसडी में)	0.0015	46.77	31180x

[56] अंतिम प्राधिकृति पाने वाले चार (4) प्रतिष्ठानों के अलावा, बारह (12) अतिरिक्त प्रतिष्ठानों को भी आईएफएससीए द्वारा मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार प्राधिकृति हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

सीमा-पारीय संव्यवहारों का हिस्सा सर्वाधिक रहा जो आईएफएससी के भीतर अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रवाहों में भुगतान सेवा प्रदाताओं की सुविधादाता के रूप में बढ़ती भूमिका को प्रकट करता है। मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार सीमा-पारीय और इन्ट्रा-आइएफएससी धन अंतरण संव्यवहार महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़कर लगभग 46.77 मिलियन अमरीकी डालर हो गए। यह संवृद्धि प्राधिकृत भुगतान सेवा प्रदाताओं के माध्यम से किए गए भुगतानों के लए ग्राहक स्वीकार्यता को प्रकट करती है।

सीमापार और इन्ट्रा आइएफएससी धन अंतरण संव्यवहारों का मूल्य (मिलियन $ में)



आरेख 6: क्रॉस बार्डर और इन्ट्रा आईएफएससी धन अंतरण को मूल्य (मिलियन $ में)

पर्यवेक्षण

आईएफएससीए ने फरवरी 2024 में आईएफएससीए (भुगतान सेवाएं) विनियमावली, 2024, समय-समय पर यथासंशोधित, जारी किए ताकि आईएफएससी में परिचालन कर रहे भुगतान सेवा प्रदाताओं का नियमन किया जा सके। बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को यह अधिदेश दिया गया है कि गिफ्ट आईएफएससी में परिचालन कर रहे भुगतान सेवा प्रदाताओं के कार्यचालन का पर्यवेक्षण करे और प्रयोज्य आईएफएससीए विनियमों, निदेशों, और नियामक व्यवस्थाओं का अनुपालन को सुनिश्चित करे।

महत्त्वपूर्ण पर्यवेक्षण क्रियाकलाप

ऑफ-साइट निगरानी

बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा नियामक विवरणियों, आवधिक प्रस्तुतियों, और भुगतान सेवा प्रदाताओं और उनके केएमपी के साथ सतत परिचर्चाओं के विश्लेषण के माध्यम से लगातार ऑफ-साइट निगरानी की जाती है। यह विभाग कारोबारी संवृद्धि, संव्यवहार मात्राओं और मूल्यों, ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग, कार्यचालनगत निष्पादन, आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं, परिवेदना निवारण पद्धतियों, और प्रयोज्य विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन की निगरानी करता है। यह विभाग प्राधिकृत भुगतान सेवा प्रदाताओं के साथ नियमित रूप से बैठकों का आयोजन करता है ताकि उदीयमान कारोबारी प्रवृत्तियों, नए उत्पादों और सेवाओं, परिचालनगत चुनौतियों, और जोखिम प्रबंधन परिपाटियों को समझा जा सके। इन परिचर्चाओं से संभावित पर्यवेक्षी चिन्ताओं की समय रहे शिनाख्त करने और जहां भी जरूरी हो सुधार की कार्रवाई करने में सुविधा रहती है।

आरंभिक परिनियोजन और कारोबारी मॉडल का आकलन

यह विभाग नव-प्राधिकृत भुगतान सेवा प्रदाताओं के साथ परिचयात्मक बैठकों का आयोजन करता है ताकि इनके कारोबारी मॉडलों, अभिशासन संरचना, परिचालन प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी के गठन, ग्राहक जुटाने की रणनीतियों, और जोखिम प्रबंधन व्यवस्थाओं की समेकित समझ प्राप्त की जा सके। इन परिनियोजनों से विनियामक प्रत्याशाएं बताने और परिचालन के आरंभ से ही प्रयोज्य लाइसेन्सिंग शर्तों और नियामक अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने का काम भी हो जाता है।

बॉक्स मद : 1

विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (एफसीएसएस)

विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली आरंभ करने के साथ ही गिफ्ट आईएफएससी में भुगतान और निपटान प्रणाली के डोमेन में एक महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल किया गया। इसकी शुरुआत माननीय वित्त और कार्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा 7 अक्तूबर 2025 को मुम्बई में आयोजित वैश्विक फिनटेक फेस्टिवल (जीएफएफ) में किया गया। इस एफसीएसएस, की शुरुआत के साथ ही गिफ्ट आईएफएससी ने टोक्यो और हांगकांग सहित कुछ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्रों का स्तर प्राप्त कर लिया है, जिनके पास विदेशी मुद्रा लेनदेनों को स्थानीय रूप से निपटाने की अवसंरचना है।

एफसीएसएस एक प्रकार से आरटीजीएस शैली की अंतर-बैक भुगतान प्रणाली है जिसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्राधिकृत किया गया है और यह आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों के बीच विदेश मुद्रा लेन-देन को स्थानीय स्तर पर निपटाने में सहायक है। इससे पहले आईएफएससी में बैंकिंग यूनिटों के बीच लेन-देन को पारंपरिक सम्बद्ध बैंकिंग चैनल के माध्यम से निपटाया जाता था जिसमें लेन-देन श्रृंखला में एकाधिक बैंकों के शामिल होने के कारण प्राथमिक कमी से जूझना पड़ता था और लेन-देन में 36-48 घन्टे का समय लग जाता था। एफसीएसएस ने इस समस्या का समधान करने के लिए स्थानीय बैंकिंग यूनिट को निपटान बैंक के रूप में नियुक्त कर दिया और अन्य सदस्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने निपटान खाते इसमें खोल लें। इन सदस्य बैंकों के बीच लेनदेन को इस प्रकार से सीधे ही इन निपटान खातों के माध्यम से निपटाया जाता है और इस प्रकार से अभिकर्ता बैंक के सहारे किए जाने वाले निपटान की तुलना में कम समय लगता है।

आइएसओ 20022 मैसेजिंग मानकों का अनुपालन करने वाले यह एफसीएसएस अंतर बैंक लेन-देन को तीव्रतर, सुरक्षित, और अधिक किफायती लेन-देन को सक्षम बनाते है और निपटान जोखिम भी कम होता है। मार्च 31, 2026 की स्थिति के अनुसार इस प्रणाली पर नौ (9) बैंक लाइव थे और यूएसडी लेनदेनों का लगभग 5-6 सेकेन्ड में निपटान हो जाता है।

क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. की एक सहायक इकाई सीसीआइएन, आईएफएससी लिमिटेट को आईएफएससीए ने पीएसएस अधिनियम 2007 के तहत प्राधिकृत किया है कि यह एफसीएसएस का परिचालक रहेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वामित्वाधीन सहायक इकाई भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और सहयोगी सेवा ने एफसीएसएस सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किया है। स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा अपनी आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के माध्यम से एफसीएसएस के लिए अपने निपटान बैंक का परिचालन किया जाता है।

एफसीएसएस आंकड़े



आरेख 7: एफसीएसएस लेन-देन का संचयी मूल्य और एफसीएसएस पर लेन-देन संचयी संख्या

ऑन-साइट आकलन

भुगतान सेवा प्रदाताओं की जोखिम प्रोफाइल, पैमाने, जटिलता, और क्रियाकलापों की प्रकृति के आधार पर आवधिक रूप से ऑन-साइट आकलन किए जाते हैं। इन आकलनों का फोकस अभिशासन व्यवस्थाओं, आंतरिक नियंत्रणों, परिचालनगत लोचशीलता, आईटी प्रणालियों, साइबर-सुरक्षा उपायों, आउसटसोर्सिंग व्यवस्थाओं, ग्राहक संरक्षण पद्धतियों, एएमएल नियंत्रणों, और प्रयोज्य विनियमों तथा दिशानिदेशों के अनुपालन पर रहता है। उद्देश्य यही रहता है कि जोखिम प्रबंधन परिपाटियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भुगतान सेवा प्रदाता एक सुरक्षित, सुदृढ़ और अनुपालनीय रीति से परिचालन करते हैं।

क्षमता निर्माण और नियामक गतिविधि

यह विभाग पर्यवेक्षी अवलोकनों, प्रौद्योगिकीय उन्नति, बाजार के विकास, और उद्योग में उद्विकसित हो रही परिपाटियों को ध्यान में रखते हुए पर्यवेक्षण और नियामक विकास और परिशोधन में योगदान करता है। यह विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, और ज्ञान साझा करने के प्रयासों के माध्यम से अन्य तथ्यों के साथ-साथ डिजिटल भुगतान, साइबर-सुरक्षा, फिनटेक नवोन्मेषों, और परिचालनगत लोचशीलता जैसे उदीयमान क्षेत्रों में अपने अधिकारियों की पर्यवेक्षी क्षमताओं को बढ़ाते हुए लगातार क्षमता निर्माण पर जोर देता है।

पक्षसमर्थन और आउटरीच

वैश्विक फिनटेक फेस्टिवल 2025

अक्तूबर 07-09, 2025

मुम्बई, महाराष्ट्र

माननीय केन्द्रीय वित्त और कार्पोरेट कार्य मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन ने मुम्बई में 7 अक्तूबर 2025 को आयोजित वैश्विक फिनटेक फेस्टिवल में गिफ्ट आईएफएससी के विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (एफसीएसएस) को आरंभ किया। एफसीएसएस प्रणाली में आगे चलकर अन्य विदेशी मुद्राओं को जोड़ने की गुंजाइश रखते हुए आरंभ में अमरीकी डालर में किए गए लेन-देन का निपटान किया जाता है। एफसीएसएस का आरंभ करने के साथ ही गिफ्ट आईएफएससी ने टोक्यो और हांगकांग सहित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्रों की सीमित संख्या में अपना स्थान बना लिया है, जिनके पास विदेशी मुद्रा के लेन-देन को स्थानिक रूप से निपटाने की अवसंरचना मौजूद है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस बात को दोहराया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि गिफ्ट आईएफएससी में संवृद्धि और अवसरों को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा श्रीमती सीतारामन द्वारा सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष और आईएफएससीए के अध्यक्ष की उपिस्थिति में गिफ्ट आईएफएससी से आए सहभागियों और वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ लीडरों के साथ "गिफ्ट आईएफएससी – भारत के वित्तीय महाद्वार के रूप में उदीयमान" विषय पर गोलमेज परिचर्चा में भी सहभागिता की गई।



चित्र 2 : माननीय केन्द्रीय वित्त और कार्पोरेट कार्य मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन गिफ्ट आइएफएससी के लिए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, मुंबई 2025 में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली का आरंभ करते हुए

आईएफएससीए भुगतान फोरम 2026

फरवरी 13, 2026

गिफ्ट सिटी, गुजरात

आईएफएससीए द्वारा फरवरी 2026 में गिफ्ट आईएफएससी में भुगतान फोरम की मेजबानी की गई, जिसमें बैंकिंग, पूंजी बाजार, बीमा, निधि प्रबंधन, भुगतान सेवाओं, फिनटेक और अकादमियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का जुटाव हुआ, जिसमें गिफ्ट आईएफएससी में भुगतान और निपटान परितंत्र को सुदृढ़ बनाने पर विचार-विमर्श किया गया।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

एफसीएसएस के प्रथम और द्वितीय चरण का विकास

आईएफएससी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों के बीच अमरीकी डालर देयताओं का वर्तमान में निपटान करने के लिए प्रयुक्त भुगतान प्रणाली – विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली अब सुस्थिर हो चुकी है। विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली की कुल सदस्यता को बढ़ाने के लिए आईएफएससीए द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि तटवर्ती एडी बैंकों, भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं शामिल की जाएं और विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली तक अभिगम हेतु गैर बैंकों के लिए उप-सदस्यता का मार्ग खोला जाए।

भुगतान गेटवे का पंजीकरण कराने की व्यवस्था

भुगतान गेटवे के लिए परिचालनों के नियंत्रण और तकनीकी मानको के निर्धारण हेतु आईएफएससीए एक नियामक व्यवस्था जारी करने की संभावना पर विचार करेगा।

वित्तीय कम्पनियां

आईएफएससी में वित्तीय कम्पनियों /यूनिटों (एफसी/एफयू) का नियमन वैश्विक रूप से समायोजित आईएफएससीए (वित्त कम्पनी) विनियमावली, 2021 के अधीन किया जाता है, जिसमें वित्तीय कम्पनियों/यूनिटों के संबंध में पंजीकरण के समस्त पक्षों, नियामक अपेक्षाओं, अनुमेय क्रियाकलापों, परिचालनगत अन्य पक्षों आदि का नियमन किया जाता है। वित्तीय कम्पनियों/यूनिटों के लिए अनुमेय क्रियाकलापों को प्रमुख क्रियाकलापों यथा – उधार देना, निवेश, फैक्टरिंग /फोरफेटिंग, वैश्विक / प्रादेशिक कार्पोरेट ट्रेजरी केन्द्र (जीआरसीटीसी) जैसे क्रियाकलाप और अप्रमुख क्रियाकलाप यथा – अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा (आइटीएफएस) प्लेटफॉर्म, वायुयान पट्टेदारी, जलपोत पट्टेदारी के लिए या इस प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य उपकरण परिचालन/वित्तीय पट्टे देना।

31 मार्च, 2026 के अनुसार,आईएफएससीए ने 104 संस्थाओं (अस्थायी पंजीकरण सहित) को वित्तीय कंपनियों के रूप में स्थापित करने के लिए पंजीकरण दिया है। परितंत्र में विभिन्न प्रकार की संस्थाएँ शामिल हैं, जिनमें प्रमुख शिपिंग और विमानन कंपनियाँ/पट्टेदार शामिल हैं जिन्होंने पट्टे की गतिविधियों के लिए संचालन स्थापित किया है, वैश्विक एमएनसी जिन्होंने जीआरसीटीसी स्थापित किए हैं, और विशेष संस्थाएँ जो उधारी और फैक्टरिंग सेवाओं में संलग्न हैं।

एफसी द्वारा गैर-कोर कार्य करने के संबंध में, 35 विमान पट्टेदारों और 36 जलपोत पट्टेदारों ने क्रमशः गिफ्ट आईएफएससी से (31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार) कुल 373 विमान संपत्तियों और 37 जहाज संपत्तियों को पट्टे पर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आईएफएससी के भीतर ट्रेजरी प्रबंधन गतिविधियों को करने के लिए जीआरसीटीसी स्थापित करने में वैश्विक और भारतीय कंपनियों की ओर से रुचि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत एमएनसी द्वारा कुल नौ जीआरसीटीसी स्थापित किए गए, जिसमें वस्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली, तेल और गैस आदि शामिल हैं।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

वित्त कम्पनियों के लिए कार्पोरेट अभिशासन और प्रकटीकरण दिशानिदेशों में संशोधन

अप्रैल 04, 2025

आईएफएससीए ने 9 अगस्त 2021 को जारी पूर्ववर्ती दिशानिदेशों को संशोधित करते हुए एक परिपत्र जारी किया ताकि इन्हें संशोधित वित्त कम्पनी विनियमावली, 2021 और जीआरसीटीसी क्रियाकलापों हेतु व्यवस्था के साथ समरूपित किया जा सके। इन संशोधनों में यह स्पष्ट किया गया है कि जेनरिक दिशानिदेश जीआरसीटीसी क्रियाकलाप संचालित करने वाली वित्त कम्पनियों के अलावा सभी पंजीकृत वित्त कम्पनियों पर लागू होते हैं, जबकि विस्तृत दिशानिदेश जीआरसीटीसी के अलावा प्रमुख क्रियाकलाप करने वाली कम्पनियों पर लागू होते हैं।

जलपोत पट्टेदारी के लिए संशोधित व्यवस्था

अप्रैल 07, 2025

आईएफएससीए ने जलपोत पट्टेदारी व्यवस्था (एसएल व्यवस्था) के लिए एक समेकित परिपत्र जारी किया, जिसमें 4 अक्तूबर 2024 और 7 अप्रैल 2025 के पूर्ववर्ती में किए गए संशोधनों को भी समाहित किया

गया। इस अद्यतन व्यवस्था में यह स्पष्ट किया गया है कि आईएफएससी में पट्टेदार किसी भी भारतीय निवासी से जलपोत का अधिक्रय या पट्टेदारी नहीं कर सकते यदि संबंधित जलयान किसी एकल वित्तीय वर्ष में पूरी तरह से भारतीय निवासियों द्वारा उपयोग के लिए है। हालांकि, यह प्रतिबंध भारतीय शिपयार्ड से सीधे ही खरीदे गए जलयानों पर लागू नहीं होता है।

आईटीएफएस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए दिशानिदेश

अप्रैल 11, 2025

आइटीएफएस परिचालकों और बाजार के अन्य सहभागियों से प्राप्त फीडबैक के प्रतिसाद में आईएफएससीए ने अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा प्लेटफॉर्म की स्थापना और परिचालन हेतु दिशानिदेशों के खंड 12(2) में संशोधन किए। अन्य परिवर्तनों के साथ-साथ इन संशोधनों ने प्रबंधन अधीन आस्तियों (एयूएम) की परिभाषा को निर्धारित किया गया, विदेशी वित्तदाताओं की ऑनबोर्डिंग के लिए पात्रता मानदंडों को व्यापक बनाया गया ताकि आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं के माध्यम से क्रेडिट या ऋण वसूली में लगे प्रतिष्ठानों को शामिल किया जा सके और इसलिए यह निर्दिष्ट किया कि वित्तदाताओं के साथ-साथ 10% से अधिक की हिस्सेदारी रखने वाले शेयरधारकों को उन स्थानों पर नहीं होना चाहिए जिन स्थानों को एफएटीएफ द्वारा उच्च जोखिम वाले अधिकार क्षेत्रों के रूप में अभिनिर्धारित कर दिया गया है।

संशोधित जीआरसीटीसी व्यवस्था

जून 09, 2025

आईएफएससीए ने 9 जून 2025 को जीआरसीटीसी के लिए संशोधित व्यवस्था जारी किया जिसमें 25 जून 2021 को जारी पूर्ववर्ती व्यवस्था को निष्प्रभावी कर दिया गया। नियामक-तंत्र को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों के साथ समरूपित करने और बाजार के सहभागियों से प्राप्त फीडबैक को समाहित करने के लिए संशोधित व्यवस्था का सूत्रपात किया गया।

परिवर्तनों के लिए अनुरोध इस प्राधिकरण से पूर्वानुमोदन/को जानकारी देने के लिए प्रस्तुत करने के बारे में दिशानिदेशों पर परिपत्र

जुलाई 01, 2025

इस परिपत्र का लक्ष्य है कारोबार करने में एकरूपता और सहजता को बढ़ावा दिया जाए। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक प्रकार के अनुरोध के लिए विभिन्न परिदृश्य क्या हैं और साथ ही अपेक्षित प्रलेखों का विवरण भी दिया गया है, जिनका अनुपालन विनियमित एफसी द्वारा किया जाना है।

'केन्द्रीय रजिस्ट्री में पंजीकरण और प्राप्य संव्यवहारों के निर्धारण की संतुष्टि के लिए विनियमित प्रतिष्ठानों के कतिपय वर्गों की ऑनबोर्डिंग' के बारे में परिपत्र

अगस्त 07, 2025

इस परिपत्र में इसमें उल्लिखित उन सभी विनियमित प्रतिष्ठानों को निदेश दिया गया है कि वे स्वयं को भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री पर ऑनबोर्ड करें। इसके अलावा, इस परिपत्र में सेरसाइ पोर्टल पर संगत प्रयोक्ता मैनुअलों को प्राप्त करने के बारे में दिशानिदेश दिए हैं और ऑनबोर्डिंग सहायता हेतु संपर्क विवरण भी दिए गए हैं।

कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) संशोधन नियमावली, 2025

नवम्बर 06, 2025

केन्द्र सरकार ने 3 नवम्बर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी

शक्तियां) नियमावली, 2014 को संशोधित किया। इस संशोधन के माध्यम से 'औद्योगिक उद्यमों के वित्तीयन का कारोबार' पदबंध के दायरे को व्यापक बनाया गया ताकि कारोबार के सामान्य संचालन में इस प्राधिकरण में पंजीकृत वित्त कम्पनियों और उधार देने के प्रमुख क्रियाकलापों के लिए अनुमति प्राप्त उपक्रमों और जीआरसीटीसी को शामिल किया जा सके। परिणामस्वरूप, ऐसी वित्त कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम की धारा 186 की प्रयोज्यता से रियायत मिल जाती है, इससे इन प्रतिष्ठानों के लिए लोचशील उधारी शर्तों/व्यवस्थाओं की सुविधा मिल जाती है।

आईएफएससी में 'तेलक्षेत्र उपस्कर' को वित्तीय उत्पाद मानने के बारे में अधिसूचना

जनवरी 09, 2026

इस प्राधिकरण ने आईएफएससीए अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए 'तेलक्षेत्र उपस्कर' को वित्तीय उत्पाद के रूप में माने के संदर्भ में, परिचालन और वित्तीय लीज के किसी भी हायब्रिड सहित, परिचालन लीज को निर्दिष्ट किया। 'तेलक्षेत्र' और 'तेलक्षेत्र उपस्करों' की परिभाषा वही रहेगी जो तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 और अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017 (जीएसआर 675(ई) के तहत भाग-II, धारा 3 और उपधारा (i)) में क्रमश: दी गई है।

एफसी/एफयू आढ़त संव्यवहारों के लिए पूंजी राहत और विवेकसम्मत अपेक्षाओं पर प्रारूप दिशानिदेशों के संबंध में जन-परामर्श

मार्च 11 – 31, 2026

इस परामर्श-पत्र में एफसी/एफयू द्वारा चलाए जा रहे आढ़त संव्यवहारों के लिए पूंजीगत राहत प्रदान करने के लिए क्रेडिट जोखिम को दूर करने की तकनीकों के परिज्ञान हेतु दिशानिदेशों का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, प्रारूप दिशानिदेशों में विवेकसम्मत अपेक्षाओं यथा – एक्सपोजर मानदंडों और एनपीए परिज्ञान को भी समाहित किया गया है। पूंजीगत राहत के लिए प्रस्तावित दिशानिदेशों को बासेल III व्यवस्था और एफसीआइ नेटवर्क के भीतर सदस्यों और इसी प्रकार के अन्य संस्थानों द्वारा प्रदत्त व्यवस्थाओं के माध्यम से हासिल क्रेडिट जोखिम निवारण व्यवस्था के साथ समरूपित किया गया है ।

न्यास और कम्पनी सेवा प्रदाताओं (टीसीएसपी) और विशेष प्रयोजन वाहकों (एसपीवी) के लिए प्रस्तावित नियामक व्यवस्था पर परामर्श-पत्र

मार्च 17 – अप्रैल 06, 2026

इस जन-परामर्श का उद्देश्य यह था कि आईएफएससीए (टीएएस) विनियमावली, 2025 के तहत न्यास और कम्पनी सेवा प्रदाताओं तथा आईएफएससीए (वित्त कम्पनी) विनियमावली(2021 (टीसीएसपी–एसपीवी व्यवस्था) के तहत एसपीवी के लिए इस प्राधिकरण की प्रस्तावित व्यवस्था के बारे में जनता से अभिमत / विचार/सुझाव प्राप्त किए जा सकें। इस व्यवस्था में प्रस्ताव है कि एसपीवी अपना कार्य आस्ति-स्वामित्वधारी के रूप में करेंगे और न्यास और कम्पनी सेवा प्रदाता सहायक और विश्वासी सेवाएं प्रदान करेंगे। इस व्यवस्था का अभिप्राय है वित्तीय और सहायक क्रियाकलापों के बीच स्पष्ट विभाजन रखते हुए कुशल संव्यवहार संरचना, परिचालनगत निरंतरता, और प्रबल अभिशासन को समर्थ बनाया जाए। प्रस्तावित व्यवस्था में यह भी परिकल्पना है कि ग्राहक हेतु विधिवत समवेक्षा, पारदर्शिता, और एएमएल/सीएफटी अनुपालना जैसे क्षेत्रों में न्यास और कम्पनी सेवा प्रदाताओं पर प्रखर निगरानी के साथ-साथ विशेष प्रयोजन वाहकों की सीमित और संव्यवहार-विशिष्ट भूमिका को मान्य करते हुए इनके लिए समानुपाती नियामक दृष्टिकोण रखा जाए।

निर्यात संवर्द्धन मिशन (ईपीएम) के अधीन वैकल्पिक कारोबार संलेखों के लिए समर्थन – निर्यात प्रोत्साहन

मार्च 19, 2026

भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) द्वारा जारी किए गए ट्रेड नोटिस सं.25/2025-26 दिनांक 20 फरवरी 2026 के माध्यम से पायलेट आधार पर उक्त योजना के लिए घोषणा की गई। उपाश्रयी और अनुपाश्रयी दोनों ही प्रकार की आढ़त सहित, और भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित या मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में और पात्र एमएसएमई (अंतरराष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल) और भारतीय रिज़र्व बैंक या आईएफएससीए विनियमित प्रतिष्ठानों के बीच निर्यात आढ़त व्यवस्थाओं को इस योजना के तहत समर्थन दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत आढ़त कार्य करने वाली सभी आईएफएससी बैंकिंग यूनिटें और एफसी/एफयू इस स्कीम के तहत निर्यात आढ़त ब्याज लागत अवयव पर प्राप्त होने वाले लाभों को ब्याज विखंडन के रूप में या समतुल्य लागत समर्थन के रूप में इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार पात्र एमएसएमई निर्यातकों को प्रदान करेंगी।

संव्यवहार / प्रोसेस / परिचालन / प्रवृत्तियां

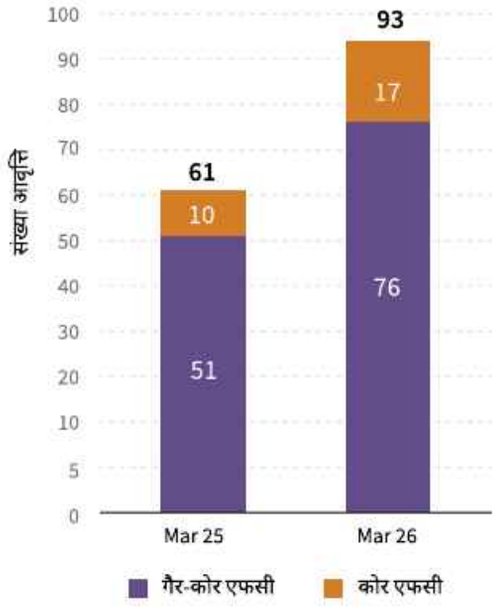
स्वदेशी संस्थानों से लेकर वैश्विक संचालकों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तक प्रतिष्ठानों के विविध समूहों के बीच आईएफएससी को सार्थक आकर्षण मिलता रहा कि इसे एफसी/एफयू की स्थापना करने के लिए वरीयता प्राप्त गंतव्य का स्थान मिला। इन वित्त कम्पनियों की स्थापना अनुमत क्रियाकलापों के व्यापक दायरे को संचालित करने के लिए हो रही है, जिसमें उधार देने, आढ़त और ऋण-बट्टेदारी, ट्रेजरी परिचालन, और वायुयान तथा जलपोतों की लीजिंग शामिल हैं। यह बढ़ती हुई गति एक गतिमान और वैश्विक रूप से स्पर्धी वित्तीय केन्द्र के रूप में आईएफएससी की विकसित हो रही स्थिति को प्रकट करती है।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान आईएफएससी में प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों के विविध समूह वित्त कम्पनियों के रूप पंजीकृत हुए, जो वायुयान और जलपोत लीजिंग, उधारियों और ट्रेजरी परिचालनों जैसे क्षेत्रों में गिफ्ट आईएफएससी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को प्रकट करता है।

सारणी 4 : आईएफएससी में पंजीकृत वित्तीय कम्पनियां

प्रतिष्ठान का प्रकार	मार्च 2025	मार्च 2026	वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि %
वायुयान लीजिंग (एएल) प्रतिष्ठान	30	35	16.67%
जलपोत लीजिंग (एएल) प्रतिष्ठान	16	36	125%
वैश्विक / क्षेत्रीय कार्पोरेट ट्रेजरी केन्द्र (जीआरसीटीसी)	3	9	200%
वित्तीय कम्पनी – प्रमुख (जीआरसीटीसी के अलावा)	7	8	14.29%
वित्तीय कम्पनी – प्रमुख (जीआरसीटीसी के अलावा)	4	4	कोई परिवर्तन नहीं
वित्तीय कम्पनी – प्रमुख (जीआरसीटीसी के अलावा)	1	1	कोई परिवर्तन नहीं
कुल	**61**	**93**	**52.46%**

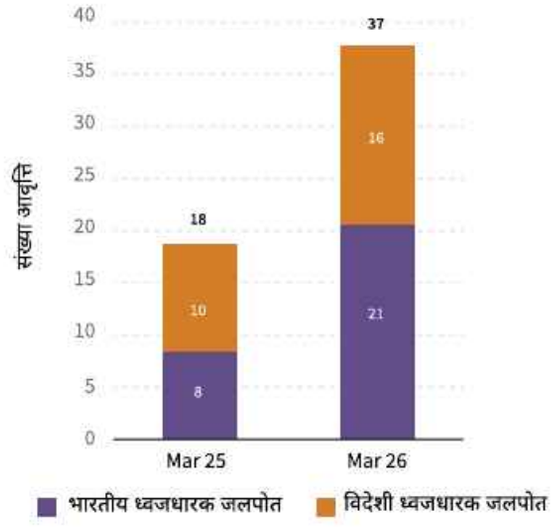
आइएफएससी में पंजीकृत वित्त कम्पनियां



आरेख 8 : गिफ्ट आईएफएससी में पंजीकृत वित्त कम्पनियां

मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार आईएफएससी में लीजिंग प्रतिष्ठानों द्वारा कुल 37 जलपोत पट्टे पर दिए गए, इसकी तुलना में मार्च 2025 में 18 जलपोत दिए गए थे। पट्टाकृत पोतों में सुस्थिर बढ़ोतरी आईएफएससी के भीतर जलपोत लीजिंग खंड में बढ़ती हुई सहभागिता और सतत विकास को प्रकट करता है।

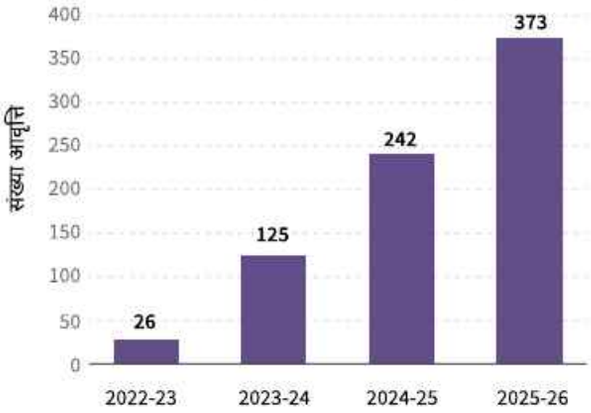
जलपोत लीजिंग प्रतिष्ठानों द्वारा पट्टाकृत आस्तियां



आरेख 9 : जलपोत लीजिंग प्रतिष्ठानों द्वारा लीजकृत आस्तियां

वायुयान लीजिंग परितंत्र में 373 अस्तियां दर्ज हुईं जिनमें 203 वायुयान, 84 इन्जन, 85 एपीयू, और एक विमानन प्रशिक्षण सिमुलेशन यंत्र (एटीडी) शामिल थे, एटीडी इस तिमाही में आस्ति आधार में सर्वप्रथम रहा, इसकी तुलना में दिसम्बर 2025 में कुल 370 आस्तियां थीं।

विव की अंतिम तारीख को लीजकृत विमानन आस्तियों की संख्या (31 मार्च की स्थिति)



आरेख 10: लीजकृत विमानन आस्तियां

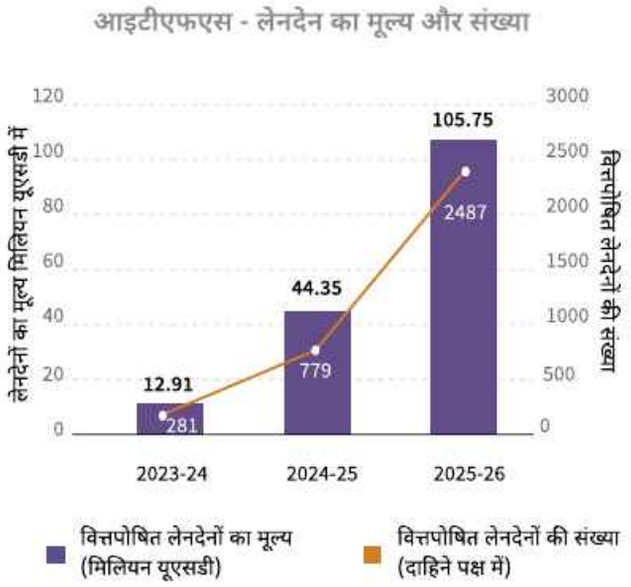
मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार जीआरसीटीसी ने 5.61 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण और अग्रिम तथा कुल 0.23 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश सूचित किए। यह दर्शाता है कि मार्च 2025 के 2.33 बिलियन अमरीकी डालर के उधारी पोर्टफोलियो में काफी बढ़ोतरी हुई, जो इस वित्तीय वर्ष के दौरान जीआरसीटीसी के उधार देने के क्रियाकलाप में प्रबल संवृद्धि का संकेत है।

साथ-ही-साथ आईएफएससी में प्रमुख वित्त कम्पनियों ने 64.77 मिलियन अमरीकी डालर के ऋणों और अग्रिमों की रिपोर्ट की है जो मार्च 2025 के 7.73 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक है, यह इस वर्ष के दौरान उधारियों में गतिवर्धन को प्रकट करता है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान इन कम्पनियों द्वारा किए गए निवेश 6.65 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 58.9 मिलियन अमरीकी डालर हो गए।

सारणी 5 : जीआरसीटीसी / कोर एफसी के व्यवसाय का ब्यौरा

विवरण	मार्च 2025	मार्च 2026	संवृद्धि %
जीआरसीटीसी			
ऋण और अग्रिम (मिलियन यूएसडी)	2,332.05	5,609.12	140.52%
कुल निवेश (मिलियन यूएसडी)	141.38	234.40	65.79%
कोर वित्त कम्पनियां (उदाहरण के लिए उधारदाता, निर्यात वित्तीयन)			
ऋण और अग्रिम (मिलियन यूएसडी)	07.73	64.77	737.90%
कुल निवेश (मिलियन यूएसडी)	06.65	58.90	785.71%

मार्च की स्थिति के अनुसार आईएफएससी में आईटीएफएस संव्यवहारों की संख्या 2,487 हो गई जिनका कुल मूल्य 105.75 मिलियन अमरीकी डालर रहा। यह मार्च 2025 को 44.35 मिलियन अमरीकी डालर पर मूल्यांकित 779 संव्यवहारों में बढ़ोतरी दर्शाता है। इन आंकड़ों से प्रकट होता है कि आईएफएससी में आईटीएफएस प्लेटफार्मों के माध्यम से कारोबारी वित्तपोषण क्रियाकलाप में वार्षिक रूप से सतत संवृद्धि हुई।



आरेख 11: आइटीएफस द्वारा वित्तपोषित लेनदेनों का मूल्य और वित्तपोषित लेनदेनों की संख्या

पर्यवेक्षण

बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आईएफएससी में परिचालन कर रही वित्त कम्पनियों पर पर्यवेक्षी निगरानी को सुदृढ़ किया। आईएफएससीए में 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार विविध कारोबारी खंडों में कुल 93 वित्त कम्पनियों का पंजीकरण हुआ, जिनमें वायुयान लीजिंग, जलपोत लीजिंग, आइटीएफएस प्लेटफार्म प्रदाता, जीआरसीटीसी और अन्य वित्तपोषण क्रियाकलाप शामिल हैं।

वर्ष के दौरान पर्यवेक्षी निगरानी में वायुयान लीजिंग के 5 प्रतिष्ठानों, जलपोत लीजिंग के 3 प्रतिष्ठानों और 6 प्रमुख वित्त कम्पनियों/जीआरसीटीसी को कवर किया गया। पर्यवेक्षण की परिपाटियों अभिशासन, विनियामक अनुपालना और वित्तीय स्थिरता के उच्च मानकों को बरकरार रखते हुए वैश्विक रूप से स्पर्धी परितंत्र को बढ़ावा देने के लिए आईएफएससीए के उद्देश्यों के समरूप बनी रहीं।

जोखिम आधारित और समानुपाती पर्यवेक्षी दृष्टिकोण

आईएफएससीए द्वारा गिफ्ट वित्त कम्पनियों के लिए जोखिम-आधारित और अग्रदर्शी पर्यवेक्षी दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाता है। इसके अधीन प्रमुख वित्त कम्पनियों का पर्यवेक्षण जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण प्रविधि के माध्यम से किया जाता है, जिसमें आवधिक जोखिम आकलन, हस्तक्षेप स्कोरिंग और लक्ष्यबद्ध पर्यवेक्षी परिनियोजन शामिल है। यह दृष्टिकोण विनियमित प्रतिष्ठानों के जोखिम प्रोफाइल के समानुपात में पर्यवेक्षी संसाधनों के आबंटन में सुविधा प्रदान करता है।

वायुयान लीजिंग और जलपोत लीजिंग प्रतिष्ठानों सहित अप्रमुख वित्त कम्पनियों के लिए आईएफएससीए एक समानुपाती पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को अपनाता है जिसका फोकस विनियामक अनुपालना, कारोबारी क्रियाकलाप, परिचालनगत तत्परता और अभिशासन मानकों पर रहता है।

ऑनसाइट आकलन और पर्यवेक्षी परिनियोजन

आईएफएससीए द्वारा गिफ्ट वित्त कम्पनियों के लिए जोखिम-आधारित और अग्रदर्शी पर्यवेक्षी दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाता है। इसके अधीन प्रमुख वित्त कम्पनियों का पर्यवेक्षण जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण प्रविधि के माध्यम से किया जाता है, जिसमें आवधिक जोखिम आकलन, हस्तक्षेप स्कोरिंग और लक्ष्यबद्ध पर्यवेक्षी परिनियोजन शामिल है। यह दृष्टिकोण विनियमित प्रतिष्ठानों के जोखिम प्रोफाइल के समानुपात में पर्यवेक्षी संसाधनों के आबंटन में सुविधा प्रदान करता है।

वायुयान लीजिंग और जलपोत लीजिंग प्रतिष्ठानों सहित अप्रमुख वित्त कम्पनियों के लिए आईएफएससीए एक समानुपाती पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को अपनाता है जिसका फोकस विनियामक अनुपालना, कारोबारी क्रियाकलाप, परिचालनगत तत्परता और अभिशासन मानकों पर रहता है।

ऑफसाइट निगरानी और पर्यवेक्षी विश्लेषण

आवधिक पर्यवेक्षी विवरणियों के विश्लेषण के माध्यम से बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा नियमित रूप से ऑफसाइट निगरानी की जाती है। इस रिपोर्टिंग व्यवस्था ने कारोबारी मात्राओं की सतत संवीक्षा को समर्थ बनाया है और जहां भी महत्त्वपूर्ण विचलन, विसंगतियां या पर्यवेक्षी चिन्ताएं समाने आई वहां समय रहते पर्यवेक्षी परिनियोजन किए गए।

परिचालनगत सत्यापन और साइट का अचानक निरीक्षण

पर्यवेक्षी निगरानी को सुदृढ़ बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईएफएससी के भीतर पंजीकृत प्रतिष्ठान अपनी विशिष्ट उपस्थिति बनाए रखते हैं, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग ने वर्ष के दौरान परिचालनगत सत्यापन दौरों के लिए संरचनाबद्ध कार्यक्रमों को लागू किया। इन दौरों का फोकस कार्यालय की भौतिक मौजूदगी, प्रमुख कार्मिक के नियोजन, एसईजेड एलओए की विधिमान्यता, आदि पर रहा, ताकि कारोबारी परिचालनों के साथ मैनपॉवर की समनुरूपता की दृष्टि से सार्थकता को सुनिश्चित किया जा सके।

जब कभी भी विसंगतियां पाई गईं तो प्रतिष्ठानों का पर्यवेक्षी अनुसरण किया गया, जिसमें चेतावनीपरक सम्प्रेषण किए गए और इसके बाद सत्यापन हेतु दौरे किए गए, इस प्रकार समय रहते उपचार और सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा अनुपालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के नाम आगामी कार्रवाई के लिए प्रवर्तन विभाग को भेज दिए

गए। सन 2025-26 के दौरान कुल 85 चेतावनी जारी की गई, और 11 वित्त कम्पनियों की केस फाइलें आईएफएससीए के प्रवर्तन प्रभाग को भेजी गई।

पक्ष समर्थन और आउटरीच

गिफ्ट आईएफएससी में व्यवसायिकों के लिए अवसरों के बारे में बंगलूर चैम्बर ऑफ इन्डस्ट्री एन्ड कॉमर्स (बीसीआइसी) के समक्ष प्रस्तुति

मई 08, 2025

बंगलूरु, भारत

एचएसबीसी इंडिया डे समारोह के एक भाग के रूप में श्री प्रवीण त्रिवेदी, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए ने आईएफएससी परितंत्र के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की, जिसमें पूंजी बाजार और बैंकिंग क्षेत्रों में प्रमुख विनियामक गतिविधियों और प्रगति का उल्लेख किया गया। इसके बाद आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने आईएफएससीए द्वारा किए गए हालिया प्रयासों के बारे में सत्र का का आयोजन किया, जिसमें 'वैश्विक/क्षेत्रीय कार्पोरेट ट्रेजरी केन्द्रों' को आईएफएससीए द्वारा सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस समारोह ने गिफ्ट सिटी में बढ़ते हुए वित्तीय परितंत्र को दर्शाते हुए उद्योग के साथ परिचर्चा के लिए बहुमूल्य प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य किया।

"गिफ्ट सिटी और भारत के डिजिटाइजेशन पथ को भविष्य-सक्षम बनाने" पर पैनल परिचर्चा

मई 14, 2025

मुम्बई , भारत

ग्लोबल ट्रेड रिव्यू (मुम्बई) में पैनल परिचर्चा का आयोजन किया गया जिसमें आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने अपनी जानकारी साझा की और गिफ्ट आईएफएससी की स्थिति को नवोन्मेषों के लिए केन्द्र के रूप में रखने की जरूरत को बताया गया। अंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता के लिए चुनौतियों का समाधान देते समय उत्पाद विकास को समर्थन देने हेतु लोचशील विनियमन, वैश्विक पूंजी को भारत के डिजिटल क्रेडिट परितंत्र के साथ जोड़ने की संभावना, और एमएसएमई के लिए चलनिधि समाधान का विस्तार करने के लिए अवसरों के महत्त्व पर जोर दिया गया।

भारत के बाजार से कारोबारी अवसर' पर पैनल परिचर्चा

जून 03, 2025

ताइवान, एशिया

दिनांक 3 जून 2025 को आयोजित एपीएलएमए ताइवान लोन मार्केट कॉन्फ्रेन्स में बाजार सहभागिता में परिनियोजित आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने भारत के संवृद्धि परिदृश्य और निवेश अवसरों को प्रस्तुत किया। इस विचार-विमर्श में भारत की प्रबल संभावनाओं और प्रमुख संवृद्धि चालकों का दर्शाया गया। इसमें ऊर्जस्वी वित्तीय परितंत्र पर जोर देते हुए गिफ्ट आईएफएससी के भीतर संभावनाओं का उल्लेख किया गया और अन्य के साथ-साथ इसमें वायुयान और जलपोत लीजिंग जैसे गैर-बैंकिंग क्रियाकलापों को चलाने हेतु समर्थनों को बताया गया।

फैक्टर्स चेन इन्टरनेशनल की 57वीं वार्षिक बैठक

जून 22-26, 2025

रियो डि जेनेरियो, ब्राजील

फैक्टर्स चेन इन्टरनेशनल की 57वीं वार्षिक बैठक का आयोजन 22 – 26 जून 2025 के दौरान रियो-डि-जेनेरियो, ब्राजील में किया गया। इस समारोह के एक भाग के रूप में आईएफएससीए पदाधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के अवरोधों का समाधान करते हुए उत्पाद विकास समर्थनकारी, भारत के

डिजिटल क्रेडिट परितंत्र के साथ वैश्विक पूंजी को जोड़ने, और एमएसएमई चलनिधि को बढ़ाने के लिए लोचशील विनियमन की भूमिका को दर्शाया।

भारत मैरीटाइम सप्ताह 2025

अक्तूबर 27-31, 2025

मुम्बई, भारत

आईएफएससीए ने मुम्बई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान सक्रिय रूप से भारत के मैरीटाइम वित्त परितंत्र को सुदृढ़ बनाने पर विचार-विमर्श में योगदान किया। आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारामन ने "इनोवेटिव मैकेनिज्म फॉर शिप फाइनान्सिंग," विषय पर अमृत काल सत्र के दौरान अपना वक्तव्य दिया, और उद्योग के अग्रणियों को उदीयमान वित्तीयन मॉडलों और मैरिटाइम और शिपिंग संबंधित निवेशों के लिए समर्थन देने में गिफ्ट आईएफएससी के बढ़ते हुए महत्त्व के बारे में बताया गया। इस वक्तव्य में विकसित भारत गिफ्ट@2047 विजन के साथ समरूपण में आईएफएससी की रणनीतिगत भूमिका के बारे में को बताया गया।

समाह

दिसम्बर 17, 2025

मुम्बई, भारत

एम1 समूह द्वारा आयोजित एक समारोह – समाह में प्रमुख वक्ता के रुप में आईएफएससीए के अध्यक्ष शामिल हुए। इस समारोह में बैकों, एनबीएफसी, भारतीय कार्पोरेट और बीमा कम्पनियों के सहभागी शामिल हुए। अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर जोर दिया कि बैंकों के साथ साझेदारी करके प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों द्वारा ग्राहकों को स्पर्धी कीमतें देते हुए वित्तपोषण जोखिमों को महत्त्वपूर्ण रूप से कम किया जा सकता है।



चित्र 3: माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी – इंडिया मैरीटाइम रिपोर्ट 2025-26 को लॉन्च करते हुए

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

लीजिंग व्यवस्था का निर्गमन

भारत सरकार ने 8 जनवरी 2026 की अधिसूचना के द्वारा आईएफएससी में 'तेलक्षेत्र उपस्कर' को वित्तीय उत्पाद के रूप में बताने, परिचालन और वित्तीय लीज के हाइब्रिड सहित, परिचालन लीज समर्थकारी पहले ही किया जा चुका है। इसके अनुसरण में और गिफ्ट आईएफएससी से लीज किए जा सकने वाले ऐसे उत्पादों की सूची का विस्तार करने के लिए, इस प्राधिकरण द्वारा अन्य उपस्करों (जलपोत और वायुयान लीजिंग के अलावा) को लीजिंग में शामिल करने के लिए लीजिंग परिचालनों को नियंत्रित करने के लिए समेकित नियामक व्यवस्था की तलाश की जा रही है।

होल्डिंग कम्पनियों के लिए व्यवस्था

आईएफएससी में होल्डिंग कम्पनियां स्थापित करने का अभिप्राय रखने वाले प्रतिष्ठान वर्तमान में आईएफएससीए (वित्त कम्पनी) विनियमावली, 2021 के विनियम 5(1)(iii)(एम) के तहत पंजीकरण करके ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, उद्योग से प्राप्त फीडबैक और आवेदकों को स्पष्टता बनाए रखने के लिए आईएफएससी में होल्डिंग कम्पनियों की स्थापना हेतु व्यवस्था के बारे में परामर्श-पत्र का प्रारूप प्रस्तावित है।

पूंजी बाजार

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) में पूंजी बाजार अपना परिचालन वैश्विक रूप से समरूपित व्यवस्था के अधीन परिचालन करते हैं, जिसमें इक्विटी शेयरों, ऋण लिखतों, निधियों और डेरिवेटिव की यूनिटों सहित प्रतिभूतियों और वित्तीय लिखतों के निगर्मन, लिस्टिंग, कारोबार, क्लीयरिंग और निपटान का नियंत्रण शामिल है। ये क्रियाकलाप पूंजी निरूपण, निवेश और जोखिम प्रबंधन का समर्थन गिफ्ट आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय रूप से निर्धारित बाजार अवसंरचना के माध्यम से करते हैं।

वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान आईएफएससी में पूंजी बाजार क्रियाकलापों में सतत विस्तार होता रहा जिसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों के साथ समरूपित और कारोबार करने में सहजता पर सतत फोकस रखते हुए इसे विनियामक व्यवस्था का समर्थन भी रहा।
इस परितंत्र में स्टॉक एक्सचेन्जों, क्लीयरिंग निगमों और जमाकर्ताओं, और पूंजी बाजार के मध्यस्थों की एक बड़ी श्रृंखला सहित मान्यताप्राप्त अवसंरचना संस्थाओं का समावेश है, जिसमें बाजार से फीडबैक के आधार पर आवधिक समीक्षा करने हेतु विनियामक व्यवस्था भी है।

बाजार अवसंरचना संस्थान (एमआइआइ)

गिफ्ट आईएफएससी में परिचालन कर रहे स्टॉक एक्सचेन्ज, क्लीयरिंग निगम, और डिपॉजिटरी सामूहिक रूप से बाजार अवसंरचना संस्थान (एमआइआइ) के रूप में वर्गीकृत हैं। ये संस्थान ट्रेडिंग, क्लीयरिंग निपटान, और प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए अपेक्षित प्रमुख अवसंरचना प्रदान करते हैं। गिफ्ट आईएफएससी में पूंजी बाजार परितंत्र की सुस्थिरता, कुशलता, और सत्यनिष्ठा को बरकरार रखने में एमआइआइ द्वारा निभाई जा रही प्रमुख भूमिका को देखते हुए इन पर उच्चस्तरीय विनियामक निगरानी और पर्यवेक्षण के अधीन रखा जाता है।

स्टॉक एक्सचेन्ज

क्लीयरिंग निगमों और डिपॉजिटरियों के साथ समन्वय करते हुए स्टॉक एक्सचेन्ज प्रतिभूतियों के सौदों में सुविधा प्रदान करते हैं। ये पारदर्शी और कुशल ट्रेडिंग प्लेटफार्म प्रदान करने हैं जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए कीमत तलाशने में समर्थ हैं। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेन्जों को बाजार की सत्यनिष्ठा, बाजार के नियमानुसार कार्यचालन, और निवेशकों के हितों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्यबद्ध महत्त्वपूर्ण नियामक दायित्व भी सौंपे जाते हैं।

आईएफएससीए द्वारा आईएफएससीए (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियमावली, 2021 (एमआइआइ विनियमावली) के विनियम 9 के अधीन स्टॉक एक्सचेन्जों को मान्यता प्रदान की जाती है। वर्तमान में गिफ्ट आईएफएससी में दो स्टॉक एक्सचेन्ज परिचालन कर रहे हैं, इनके नाम हैं – इंडिया इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज (आईएफएससी) लिमिटेड (इंडिया आइएनएक्स) और एनएसई आईएफएससी लिमिटेड (एनएसई आइएक्स)। इंडिया आइएनएक्स बीएसई की सहायक इकाई और एनएसई आइएक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई है। दोनों ही स्टॉक एक्सचेन्ज सन 2017 से परिचालन कर रहे हैं और सन 2025-26 में इन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता हेतु नवीकरण प्रदान किया गया है।

क्लीयरिंग कार्पोरेशन

क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऐसे एमआइआइ हैं जो स्टॉक

एक्सचेन्जों में किए गए सौदों की क्लीयरिंग और निपटान के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये इस कार्य को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि प्रतिपक्षों के बीच जो संव्यवहार हुए हैं उन्हें समय पर, कुशल, और सुरक्षित रीति से निपटाया जाता है, इस प्रकार ये समग्र बाजार की सुस्थिरता और जोखिम प्रबंधन में योगदान करते हैं।

गिफ्ट आईएफएससी में दो क्लीयरिंग कार्पोरेशन परिचालनरत हैं, इनके नाम हैं इंडिया इन्टरनेशनल क्लीयरिंग कार्पोरेशन (आईएफएससी) लिमिटेड (इंडिया आइसीसी) और एनएसई आईएफएससी क्लीयरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएसई आइसीसी)। इंडिया आईसीसी सेबी में पंजीकृत स्टॉक एक्सचेन्ज – बीएसई लिमिटेड की सहायक इकाई है और एनएसई आईसीसी एनएसई आइएक्स के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई है। दोनों क्लीयरिंग कार्पोरेशनों को 2025-26 में तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता नवीकृत की गई।

डिपॉजिटरी

डिपॉजिटरी एक ऐसी संस्था होती है जो पंजीकृत डिपॉजिटरी सहभागियों के माध्यम से निवेशकों की तरफ से शेयर, डिबेन्चर, और बॉन्ड जैसी प्रतिभूतियों को रखती है। डिपॉजिटरी द्वारा प्रतिभूतियों के सुरक्षित और कुशल अंतरण तथा रखरखाव की सुविधा दी जाती है जिससे प्रतिभूति बाजार के सहज कार्यचालन में सुविधा मिलती है। इंडिया इन्टरनेशनल डिपॉजिटरी आईएफएससी लिमिटेड (आइआइडीआइ) वर्तमान में गिफ्ट आईएफएससी में कार्यरत एकमात्र डिपॉजिटरी है। यह आईएफएससी परितंत्र के भीतर धारित और सौदाकृत प्रतिभूतियों के लिए केन्द्रीय रिकार्ड कीपर के रूप में कार्य करती है।

पूंजी बाजार के मध्यस्थ

पूंजी बाजार के मध्यस्थ (सीएमआइ) सामान्यतया ग्राहक-उन्मुख प्रतिष्ठान हैं जो निर्गमकर्ता कम्पनी और निवेशकों को पूंजी बाजार में विभिन्न संव्यवहार करने में सहायता देते हैं। आईएफएससी में सीएमआइ के क्रियाकलापों का नियंत्रण आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2025 के तहत किया जाता है। इन विनियमों में ब्रोकर डीलर्स, क्लीयरिंग सदस्य, डिपॉजिटरी सहभागी, निवेश बैंकर, निवेश परामर्शदाता, अभिरक्षक, वितरक, इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार के मध्यस्थों के लिए नियामक व्यवस्था निर्दिष्ट है।

क्लीयरिंग सदस्य

एक क्लीयरिंग सदस्य ऐसा मध्यस्थ होता है किसी भी ब्रोकर डीलर द्वारा निष्पादित सभी सौदों की क्लीयरिंग और निपटान के लिए जिम्मेदार होता है।

सारणी 6 : मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार आईएफएससी में क्लीयरिंग सदस्य

क्लीयरिंग कार्पोरेशन	सेल्फ क्लीयरिंग सदस्य	ट्रेडिंग सह क्लीयरिंग सदस्य	व्यवसायी क्लीयरिंग सदस्य
एनएसई आइसीसी	7	12	2
इंडिया आइसीसी	4	9	3

सारणी 7 : मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार आईएफएससी में ब्रोकर डीलर

स्टॉक एक्सचेन्ज	31 मार्च 2026 की यथास्थिति अनुसार ब्रोकर डीलर की संख्या
एनएसई आइएक्स	77
इंडिया आइएनक्स	53

ब्रोकर डीलर

ब्रोकर डीलर ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो अपने खाते के साथ-साथ अपने ग्राहकों की तरफ से भी आईएफएससी में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेन्जों में सौदा निष्पादित करते हैं।

नीतिगत और निमामक गतिविधियां

आईएफएससीए (केवाइसी पंजीकरण एजेन्सी) विनियमावली, 2025

अप्रैल 16, 2025

विनियमित प्रतिष्ठानों द्वारा ग्राहकों के लिए सहज ऑनबोर्डिंग की सुविधा देने के लिए और ग्राहकों के संबंध में विधिवत समवेक्षा को बढ़ाने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा आईएफएससीए (केवाईसी पंजीकरण एजेन्सी) विनियमावली, 2025 जारी किए गए। इस केआरए विनियमावली में आईएफएससी के भीतर केआरए के पंजीकरण, पर्यवेक्षण, और विनियमन का नियंत्रण करने के लिए समेकित विनियामक व्यवस्था निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य है आईएफएससी में केवाइसी जानकारी का केन्द्रीकृत डाटाबेस तैयार किया जाए।

आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2025

अप्रैल 17, 2025

आईएफएससी में कारोबार करने में सहजता को बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार सहभागियों के लिए विनियामक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के विजन को लेकर आईएफएससीए द्वारा आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2021 की सम्पूर्ण समीक्षा की गई। इस समीक्षा का फोकस यह रहा कि विनियामक शिल्प को औचित्यपूर्ण बनाया जाए, अनुपालन अपेक्षाओं को सहज बनाया जाए, और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों के साथ समरूपण सुनिश्चित किया जाए ताकि नवोन्मेषों और निवेशक संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। स्टेकधारकों के साथ व्यापक परामर्शी प्रक्रिया के अनुसरण में 11 अप्रैल 2025 को आयोजित बैठक में इस प्राधिकरण के समक्ष प्रारूप विनियमावली प्रस्तुत की गई, बाद में इसे 17 अप्रैल 2025 के आधिकारिक राजपत्र में आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2025 (सीएमआइ विनियमावली) के रूप में अधिसूचित किया गया। अद्यतन व्यवस्था में अपेक्षित है कि नियामक स्पष्टता बढ़ेगी, बाजार दक्षता में सुधार होगा, और गिफ्ट आईएफएससी में एक ऊर्जामय पूंजी बाजार परितंत्र के विकास में सुविधा होगी।

आईएफएससी में ओटीसी डेरिवेटिव की रिपोर्टिंग और क्लीयरिंग के लिए परामर्श-पत्र

जुलाई 15 - अगस्त 05, 2025

आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों को अनुमति है कि वे विदेशी मुद्रा, ब्याज दर, और क्रेडिट को अंतर्निहित आस्ति रखते हुए में ओटीसी डेरिवेटिव का निर्गम कर सकती हैं। इसके अलावा सेबी से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआइ) लाइसेन्स ले चुके पंजीकृत

प्रतिष्ठानों द्वारा भारत में स्वदेशीय सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को अंतर्निहित रखते हुए ओडीआई का निर्गम किया जा सकता है। इस प्राधिकरण को बाजार सहभागियों से इस आशय के प्रतिवेदन प्राप्त हुए कि आईएफएससी और विदेशी अधिकारक्षेत्रों के स्टॉक एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर ओटीसी डेरिवेटिव का निर्गम करने की अनुमति दी जाए। विदेशी अधिकारक्षेत्रों में वित्त कम्पनियों को उपलब्ध अवसरों का निर्धारण करने के प्रयोजन से इस प्राधिकरण ने ऐसे ओटीसी डेरिवेटिव की रिपोर्टिंग और क्लीयरिंग के बारे में प्रारूप दिशानिदेशों पर फीडबैक मांगा है, जिन डेरिवेटिव के साथ 1) आईएफएससी और विदेशी अधिकारक्षेत्रों के स्टॉक एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध इक्विटी और बॉन्ड, और 2) विदेशी स्टॉक एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध इन्डेक्स, इक्विटी और बॉन्ड डेरिवेटिव।

आईएफएससी में पूंजी बाजार मध्यस्थों (सीएमआइ) पर मास्टर परिपत्र

अगस्त 05, 2025

सभी परिपत्रों और दिशानिदेशों का एक ही स्थल पर संदर्भ देकर कारोबार करने में सहजता को बढ़ाने के प्रयोजन से, आईएफएससीए ने सीएमआइ की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए मास्टर परिपत्र जारी किए हैं –

- क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी
- डिबेन्चर ट्रस्टी
- वितरक
- ईएसजी रेटिंग और डाटा उत्पाद प्रदाता
- निवेश परामर्शदाता
- निवेश बैंकर्स और
- शोधकर्ता प्रतिष्ठान

इन मास्टर परिपत्रों में, अन्य तथ्यों के साथ-साथ विभिन्न परिचालनगत पक्षों यथा पंजीकरण प्रक्रिया, पंजीकरण की वैधता, अनुमेय क्रियाकलापों, अभिशासन, आचार संहिता, केवाइसी, एएमएल और सीएफटी दिशानिदेशों, आउसटसोर्सिंग, शिकायतों का निपटान, नियंत्रण में परिवर्तन, आवधिक रिपोर्टिंग, साइबर-सुरक्षा और साइबर लोचशीलता, और पंजीकरण समर्पण के बारे में भी विस्तार से बताया गया है।

आईएफएससी में वैश्विक अभिगम हेतु विनियामक व्यवस्था

अगस्त 12, 2025

आईएफएससीए ने संशोधित मानदंडों, वैश्विक अभिगम के लिए नियामक व्यवस्था की अपेक्षाओं को निर्दिष्ट करते हुए एक परिपत्र जारी किया। इस परिपत्र में वैश्विक अभिगम प्रदाताओं के लिए मानदंडों का समेकित सेट दिया गया है, और प्राधिकार देने की प्रक्रिया, न्यूनतम निवल मालियत अपेक्षाओं, अनुमत उत्पादों, ग्राहक ऑनबोर्डिंग और संरक्षण उपायों, केवाइसी, एएमएल और सीएफटी अपेक्षाओं का अनुपालन, ग्राहकों की निधियों के विभाजन, प्रबल जोखिम प्रबंधन, तिमाही रिपोर्टिंग और वार्षिक लेखापरीक्षा जैसे पक्षों को शामिल किया गया है जो परिचायक ब्रोकर से संबंधित हैं। वैश्विक अभिगम के लिए नियामक व्यवस्था का प्रयोजन यही है कि विदेशी अधिकारक्षेत्रों में स्टॉक एक्सचेन्जों पर प्रतिभूतियों और अन्य अनुमत वित्तीय उत्पादों में सीमा-पारीय कारोबार को पारदर्शी, नियंत्रित, स्पर्धी और कुशल तरीके से करने की सुविधा दी जाए।

आईएफएससी में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेन्जों में परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों पर स्पष्टीकरण

सितम्बर 18, 2025

आईएफएससीए ने अपने परिपत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि आईएफएससी के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध करने के प्रयोजन से आईएफएससीए (लिस्टिंग) विनियमावली, 2024 में ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए निर्दिष्ट

पद्धति, रीति, और शर्तें, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों पर भी लागू होंगी, जो परिवर्तन होने तक विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्डों (एफसीसीबी) या इसी प्रकार के संलेखों की प्रकृति के हैं।

आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेन्जों और क्लीरिंग कार्पोरेशनों हेतु मास्टर परिपत्र पर परामर्श-पत्र

अक्तूबर 01 - अक्तूबर 22, 2025

स्टॉक एक्सचेन्जों और क्लीयरिंग निगमों को आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों का अनुपालन करना ही है। इसके अलावा एमआइआइ के लिए सेबी द्वारा जारी वे विभिन्न परिपत्र भी प्रयोज्य होंगे, जिन्हें आईएफएससीए के किसी भी परिपत्र में निष्प्रभावी नहीं किया गया है। इस परामर्श-पत्र में स्टॉक एक्सचेन्जों और क्लीयरिंग निगमों के लिए एक मास्टर परिपत्र का प्रस्ताव किया गया, जो अनुपालन में सहजता के लिए संदर्भ के एकल स्थल के रूप में रहे और सेबी तथा आईएफएससीए के सभी परिपत्रों और दिशानिदेशों को निष्प्रभावी और प्रतिस्थापित करे।

बाजार अवसंरचना संस्थानों के नियंत्रक बोर्ड के बारे में परिपत्र

अक्तूबर 13, 2025

मान्यताप्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थानों के नियंत्रक बोर्डों में अस्वतंत्र निदेशक (एनआइडी), लोक हित निदेशक (पीआइडी) और प्रबंध निदेशक (एमडी) का समावेश किया जाता है। निदेशकों के बीच ज्ञान वैविध्य को सुनिश्चित करने के लिए और निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु आईएफएससीए ने 13 अक्तूबर 2025 को एक परिपत्र जारी किया। लोक हित निदेशकों के संदर्भ में इस परिपत्र में अर्हता और अनुभव अपेक्षाओं, नियुक्ति और पुनः नियुक्ति प्रक्रियाओं, कार्यनिष्पादन समीक्षा और ज्ञान संवर्द्धन अपेक्षा को शामिल किया गया है। बाजार अवसंरचना संस्थानों को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि लोक हित निदेशकों की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की अनुमति अपेक्षित नहीं है।

आईएफएससीए (लिस्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2025

अक्तूबर 16, 2025

आईएफएससीए ने (क) वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण, (ख) आबंटन और धनवापसी की समयबद्धता और (ग) वित्तीय विवरणों का सूचीबद्ध-पश्चात प्रकटीकरण को शामिल करते हुए अक्तूबर 2025 में आईएफएससीए (लिस्टिंग) विनियमावली, 2024 में किए गए संशोधनों को अधिसूचित किया है।

आईएफएससी में निवेश सलाहकारोंद्वारा कार्यान्वयन सेवाओं हेतु विनियामक व्यवस्था पर परामर्श-पत्र

नवम्बर 13 – दिसम्बर 03, 2025

इस परामर्श-पत्र का प्रयोजन यह था कि आईएफएससीए में पंजीकृत निवेश सलाहकारों (आइए) द्वारा कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारूप व्यवस्था पर जनता और स्टेकधारकों से अभिमत लिया जाए।

आईएफएससी में एमआइआइ में साइबर सुरक्षा और साइबर लोचशीलता पर दिशानिदेशों के बारे में परामर्श-पत्र

नवम्बर 25 – दिसम्बर 16, 2025

आईएफएससीए ने 10 मार्च 2025 को "आईएफएससी में विनियमित प्रतिष्ठानों हेतु साइबर-सुरक्षा और साइबर-लोचशीलता " पर दिशानिदेश जारी किए। सिद्धांत आधारित ये दिशानिदेश, यदि छूट नहीं दी गई है, तो समानुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर सभी विनियमित प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे। बाजार अवसंरचना

संस्थानों के प्रणालीगत महत्त्व को देखते हुए साइबर सुरक्षा और साइबर लोचशीलता की विभेदीकृत और उच्च आधाररेखा रखने का प्रस्ताव परामर्श-पत्र में किया गया है।

"आईएफएससी में वैश्विक अभिगम हेतु नियामक व्यवस्था" परिपत्र के खंड 39 के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाएं

नवम्बर 26, 2025

आईएफएससीए ने वैश्विक अभिगम के लिए प्रमुख जोखिमों/प्रकटीकरणों को निर्दिष्ट किया जिनका प्रदर्शन वैश्विक अभिगम प्रदाताओं या परिचायक ब्रोकरों, यथा स्थिति अनुसार, द्वारा ग्राहकों द्वारा प्रत्येक लॉगइन के अवसर पर किया जाना है। परिपत्र के अनुलग्नक-1 में जिन जोखिमों को स्पष्ट किया गया है वे समावेशी हैं लेकिन अंतिम नहीं हैं। प्रत्येक ग्राहक को हर बार लॉगइन करते समय यह पुष्टि अवश्य करनी होगी कि प्रकटीकरण को पढ़ और समझ लिया गया है और वे इसकी शर्तों का अनुपालन करेंगे।

ब्रोकर डीलरों और क्लीयरिंग सदस्यों हेतु मास्टर परिपत्र पर परामर्श-पत्र

नवम्बर 29 - दिसम्बर 20, 2025

आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2025 अक्तूबर 2021 में अधिसूचित किए गए थे, जिन्हें आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2025 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ब्रोकर डीलरों और क्लीयरिंग सदस्यों को सीएमआई विनियमावली के अधीन शामिल करने के लिए आईएफएससीए द्वारा विभिन्न परिपत्र जार किए गए हैं। आईएफएससीए द्वारा जारी परिपत्रों के अलावा सेबी द्वारा जारी वे विभिन्न परिपत्र भी आईएफएससी में प्रयोज्य होंगे, जिन्हें आईएफएससीए के किसी भी परिपत्र में निष्प्रभावी नहीं किया गया है। ब्रोकर डीलरों और क्लीयरिंग सदस्यों द्वारा अनुपालन में सहजता की सुविधा के लिए परामर्श-पत्र में एक मास्टर परिपत्र का प्रस्ताव किया गया जो संदर्भ के एकल स्थल के रूप में रहे और सेबी तथा आईएफएससीए के सभी परिपत्रों और दिशानिदेशों को निष्प्रभावी और प्रतिस्थापित करे।

आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2025 के तहत नकद निवल मालियत की संगणना – स्पष्टीकरण

दिसम्बर 30, 2025

आईएफएससीए ने सीएमआइ विनियमावली, 2025 के तहत नकद निवल मालियत की संगणना को स्पष्अ करने के लिए परिपत्र जारी किया। इसमें स्पष्ट किया गया कि –

- स्टॉक एक्सचेन्जों/क्लीयरिंग निगमों में रखी हुई आधार न्यूनतम पूंजी, ब्याज-रहित जमाराशियों को नकद निवल मालियत के एक भाग के रूप में माना जाएगा।
- ब्रोकर डीलर / क्लीयरिंग सदस्य/ वैश्विक अभिगम प्रदाता/विदेशी ब्रोकर के पास रखे हुए मार्जिन को नकद निवल मालियत का एक भाग माना जाए।
- नकद निवल मालियत की संगणना में से किसी भी देयता को शामिल नहीं किया जाएगा।

आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) (संशोधन) विनियमावली, 2026

जनवरी 13, 2026

बाजार सहभागियों से प्राप्त अभिवेदनों के अनुसरण में आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2025 में संशोधन किए गए, जिनमें निम्नलिखित को शामिल किया गया –

- फिनटेक में स्नातककोत्तर डिग्री और स्टेम योग्यताओं (इस विनियमावली में निर्दिष्ट अन्य विषयों के अलावा) को मान्यता देते हुए मुख्य

अधिकारी (पीओ) और अनुपालन अधिकारी (सीओ) के लिए पात्रता मानदंडों को व्यापक बनाया गया है।

- स्नातक डिग्री रखने वाले पीओ और सीओ की नियुक्ति के लिए अनुभव की अपेक्षा को दस (10) वर्ष से कम करके पांच (5) वर्ष दिया गया है।
- एकाधिक पंजीकरण रखने वाले कॉमन पीओ अर्थात ब्रोकर डीलर, क्लीयरिंग सदस्य, डिपॉजिटरी सहभागी, निवेश सलाहकार, अभिरक्षक और वितरक नियुक्त करने की अनुमति। हालांकि उक्त के अनुसार एकाधिक पंजीकरण रखने वाले प्रतिष्ठानों को एक अलग से विभाग प्रमुख अपनी वितरण क्रियाओं के लिए नियुक्त करना होगा।
- आईएफएससी में अभिरक्षक के लिए निवल मालियत अपेक्षा को औचित्यपूर्ण बनाकर 1 मिलियन अमरीकी डालर किया गया।
- सीएमआइ विनियमावली के तहत एकाधिक क्रियाकलापों को करने के लिए प्रतिष्ठानों को अनुमति देने हेतु एकीकृत पंजीकरण व्यवस्था का सूत्रपात।

स्टॉक एक्सचेन्जों में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हेतु दिशानिदेशों पर परामर्श-पत्र

जनवरी 21 - फरवरी 11, 2026

आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेन्जों में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हेतु प्रस्तावित दिशानिदेशें के लिए बाजार के सहभागियों और जनता से अभिमत और सुझावों के परामर्श-पत्र जारी किया गया। इस परामर्श-पत्र का प्रयोजन यही है कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लाभों और पूंजी बाजार को प्रणालीगत जोखिमों से बचाने की जरूरत और बाजार की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के बीच एक संतुलन हासिल किया जाए। आईएफएससीए के दिशानिदेशों में यह परिकल्पना है कि पारदर्शिता, जवाबदेही लाने, और स्टॉक एक्सचेन्जों में ट्रेडिंग के लिए एलगोरिथमिक के प्रयोग से होने वाले जोखिमों को कम किया जाए।

आईएफएससी में मान्यताप्राप्त डिपॉजिटरी से आइएसआइएन प्राप्त हेतु दिशानिदेश

फरवरी 06, 2026

आईएफएससी में एक सर्वांगपूर्ण नियामक और पर्यवेक्षी परितंत्र विकसित करने के उद्देश्य से आईएफएससीए ने 6 फरवरी 2026 के अपने परिपत्र में आईएफएससी में परिचालन कर रही यूनिटों के लिए अनिवार्य किया कि वे स्वदेशीय डिपॉजिटरियों की बजाय आईएफएससीए द्वारा मान्यताप्राप्त डिपॉजिटरियों से अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति अभिनिर्धारण संख्या (आइएसआइएन) प्राप्त करें ताकि प्रतिभूतियों और अन्य अनुमत वित्तीय उत्पादों को अभौतिक रूप दिया जा सके। इसके अलावा जिन विद्यमान यूनिटों ने पहले ही स्वदेशीय भारतीय डिपॉजिटरियों से आइएसआइएन प्राप्त कर लिए हैं उनके लिए भी यह अनिवार्य है कि वे 31 अगस्त 2026 तक आईएफएससी से मान्यताप्राप्त डिपाजिटरियों से नया आइएसआइएन प्राप्त करें। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि आईएफएससीए लिस्टिंग विनियमावली, 2024 के तहत ऋण प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय उत्पादों के निर्गमन और लिस्टिंग के लिए इन्टरनेशनल सेन्ट्रल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरीज की सेवाएं लेना जारी रख सकते हैं। नया आइएसआइएन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सहज बनाने के प्रयोजन से आईएफएससी मान्यताप्राप्त डिपॉजिटरियों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे स्वदेशी डिपॉजिटरियों के साथ समन्वय ताकि मानकीकृत अंतरण प्रक्रिया का सृजन करे, दिशानिदेश और एफएक्यू जारी करें, और 30 सितम्बर 2026 तक आईएफएससीए में अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निवल मालियत प्रमाणपत्र और जीएपी का ऑडिट करने के लिए जांचसूची का प्रपत्र

फरवरी 12, 2026

आईएफएससी (जीएपी परिपत्र) दिनांक 12 अगस्त 2025 में, विशेषतया खंड 13 और 14 जिसमें अन्य तथ्यों के साथ-साथ जीएपी के माध्यम से स्वामित्व के आधार पर वैश्विक बाजारों में अभिगम करने वाले जीएपी और अन्य ब्रोकर डीलरों के लिए न्यूनतम निवल मालियत की अपेक्षाओं का उपबंध है। वैश्विक अभिगम प्रदाताओं के माध्यम से स्वामित्व आधार पर वैश्विक बाजारों का अभिगम करने वाले वैश्विक अभिगम प्रदाताओं और अन्य ब्रोकर डीलरों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले निवल मालियत प्रमाणपत्रों के प्रपत्र को इस परिपत्र के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया है। इसके अलावा जीएपी परिपत्र के खंड 49 में वैश्विक अभिगम प्रदाताओं और प्रस्तावक ब्रोकरों के लिए अपने वैश्विक अभिगम क्रियाकलापों की वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा कराएं। इस संबंध में यह निदेश दिए गए कि वार्षिक लेखापरीक्षा का कार्य भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (आइसीएआइ) या भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आइसीएसआइ) या भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के समकक्षी सदस्य से कराया जाए, और इसके लिए इस परिपत्र में निर्दिष्ट प्रलेखों की सांकेतिक जांचसूची को ध्यान में रखा जाए।

आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2025 के तहत एकाधिक पूंजी बाजार क्रियाकलापों हेतु विशिष्ट पंजीकरण

फरवरी 13, 2026

आईएफएससीए ने आईएफएससी में यूनिटों को अनुमति दी है कि वे ब्रोकर डीलर, क्लीयरिंग सदस्य, क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी, अभिरक्षक, डिबेन्चर ट्रस्टी, डिपॉजिटरी सहभागी, वितरक, ईएसजी रेटिंग और डाटा उत्पाद प्रदाता, निवेश सलाहकार और निवेश बैंकर जैसे एकाधिक पूंजी बाजार के संचालनों के लिए मास्टर कुंजी हेतु आवेदन कर सकते हैं। किसी यूनिट को इससे यह अनुमति मिल जाती है कि उन्हें आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2025 के तहत एकाधिक क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए स्विट पोर्टल के तहत एकल आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह परिपत्र 16 फरवरी 2026 से प्रभावी हुआ है।

आईएफएससी में सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों द्वारा राइट्स निर्गम हेतु नियामक व्यवस्था पर परामर्श-पत्र

मार्च 06 – 27, 2026

आईएफएससीए ने एक परामर्श-पत्र जारी किया जिसमें आईएफएससी में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों के राइट्स निर्गमों के लिए नियामक व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रस्तावित व्यवस्था का प्रयोजन यह है कि सूचीबद्ध कम्पनियों को तेजी के साथ और विधिसम्मत तरीके से राइट्स निर्गम के माध्यम से पूंजी जुटाने का तंत्र प्रदान किया जा सके।

आईएफएससीए (प्रतिभूति बाजार में बाजार दुरुपयोग का प्रतिबंध) विनियमावली, 2026 पर परामर्श-पत्र

मार्च 06 – 27, 2026

आईएफएससीए ने एक परामर्श-पत्र जारी किया जिसमें आईएफएससीए (प्रतिभूति बाजारों में बाजार के दुरुपयोग पर प्रतिबंध) विनियमावली, 2026 का प्रस्ताव है ताकि आईएफएससी में बाजार के दुरुपयोग से बचाव हेतु नियामक व्यस्था का प्रावधान हो सके। इन विनियमों में प्रस्ताव है कि इनसाइडर ट्रेडिंग और अनुचित कारोबारी व्यवहार के बारे में सेबी के विद्यामन विनियमों केा आईएफएससी में प्रतिस्थापित किया जाए। आइओएससीओ सिद्धांतों 10-12 (प्रवर्तन से संबंधित

पसिद्धांतों) और सिंगापुर,हांगकांग, डीआइएफसी, यूके और यूरोपियन यूनियन जैसे विभिन्न अधिकारक्षेत्रों में प्रचलित सर्वोत्तम परिपाटियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिभूति बाजार में बाजार के दुरुपयोग को प्रबंधित करने के बारे में प्रारूप विनियमों को तैयार कर लिया गया है।

अधिमानता निर्गमों और अर्हताप्राप्त संस्थानों में अवस्थापन हेतु नियामक व्यवस्था पर परामर्श-पत्र

मार्च 06 - 27, 2026

आईएफएससीए ने एक परामर्श-पत्र जारी किया है जिसमें आईएफएससी में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों द्वारा अधिमानता निर्गमों और अर्हताप्राप्त संस्थानों में आवस्थापन (क्यूआईपी) के लिए नियामक व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रस्तावित व्यवस्था का प्रयोजन यह है कि सूचीबद्ध कम्पनियों को एक तीव्र-गामी, किफायती, और सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से पूंजी जुटाने की पद्धति प्रदान की जाए और साथ ही साथ पारदर्शिता, उचित कीमत निर्धारण, और शेयरधारकों के हितों का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके।

सीएमआइ विनियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर परामर्श-पत्र और क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों के संबधं में मास्टर परिपत्र

मार्च 16 – अप्रैल 05, 2026

आईएफएससीए ने एक परामर्श-पत्र जारी किया जिसमें क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों की सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों के साथ समरूपता लाने और कारोबार करने में सहजता को बढ़ाने के के साथ सीआरए से संबंधित विनियमावली और परिपत्रों को समरूप करने के लिए आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2024 में और मास्टर परिपत्र में संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।

संव्यवहार / प्रोसेस / परिचालन / प्रवृत्तियां

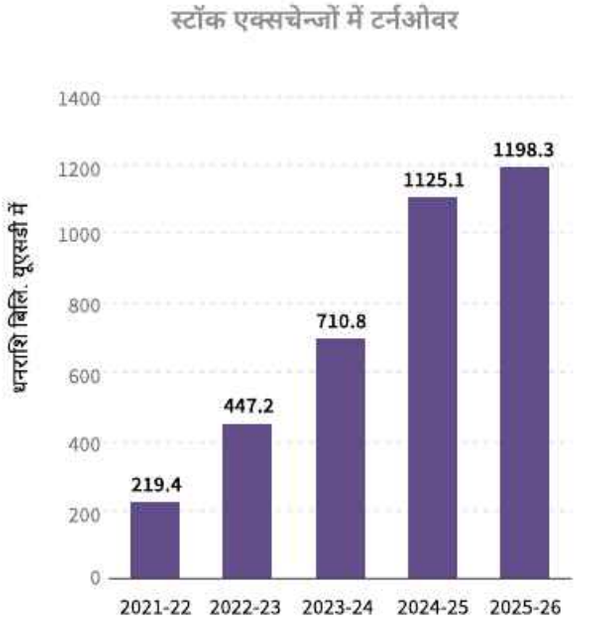
स्टॉक एक्सचेन्जों में टर्नओवर

आईएफएससी में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान स्टॉक एक्सचेन्जों में टर्नओवर विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 6.5% की बढ़ोतरी हुई और यह लगभग 1.2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर पर (1,198 बिलियन अमरीकी डालर) पर पहुंच गया। यह संवृद्धि प्रथमतया गिफ्ट कनेक्ट, विशेषकर गिफ्ट निफ्टी वायदा सौदों के

सारणी 8 : आईएफएससी में पूंजी बाजार परितंत्र पर प्रमुख अपडेट

विवरण	मार्च 2025	मार्च 2026	वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि %
पूंजी बाजार प्रतिष्ठानों की संख्या (एमआइआइ और सीएमआइ) – वर्ष के अंत में	152	192	26.32%
औसत मासिक टर्नओवर (आईएफएससी एक्सचेन्ज) – बिलि. यूएसडी में	93.76	99.86	6.51%
एक्सचेन्जों पर संचयी ऋण लिस्टिंग (बिलि. यूएसडी में) – वर्ष के अंत में	65.10	70.31	8.00%
सक्रिय डीमैट खाते – वर्ष के अंत में	65227	69270	6.20%

माध्यम से बढ़ी हुई संस्थागत सहभागिता से परिचालित थी।



आरेख 12: स्टॉक एक्सचेन्जों में टर्नओवर

स्टॉक एक्सचेन्जों में मासिक टर्नओवर 87.85 बिलियन अमरीकी डालर (अगस्त-25) से 130.11 बिलियन अमरीकी डालर (मार्च-26) के दायरे में रहा। राजकोषीय वर्ष का औसत 99.86 बिलियन अमरीकी डालर रहा। वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों में यह टर्नओवर मोटे तौर पर 87–95 बिलियन अमरीकी डालर के दायरे पर रहा, जिसमें एक बार यह अक्तूबर 2025 में 106.53 बिलियन अमरीकी डालर को पार कर गया। चौथी तिमाही में लगातार तीनों महीनों में 100 बिलियन अमरीकी डालर से ऊपर का टर्नओवर रहा – 105.52 बिलियन अमरीकी डालर (जनवरी), 101.84 बिलियन अमरीकी डालर (फरवरी), और 130.11 बिलियन अमरीकी डालर (मार्च)।

स्टॉक एक्सचेन्जों में ट्रेडिंग हेतु उपलब्ध उत्पाद

ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध उत्पादों में अन्य के साथ-साथ इन्डेक्स डेरिवेटिव, स्टॉक डेरिवेटिव, पण्य डेरिवेटिव, मुद्रा डेरिवेटिव और डिपॉजिटरी रसीदें शामिल थे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न डेरिवेटिव उत्पादों ने लगभग समस्त टर्नओवार में योगदान किया, डिपाजिटरी रसीदों (यूएस स्टॉक की अप्रत्यायोजित डिपाजिटरी रसीदें) ने लगभग 11.30 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान किया।

इन्डेक्स डेरिवेटिव

विगत वर्ष की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए एनएसई- IX पर निफ्टी 50 वायदा सौदे सर्वाधिक ट्रेड किए गए डेरिवेटिव संविदा बने रहे। सभी स्टॉक एक्सचेन्जों में पूरे वर्ष के दौरान कुल मासिक टर्नओवर (मूल्य) 99% से अधिक बना रहा। वर्ष के दौरान एनएसई-IX पर उपलब्ध डेरिवेटिव अर्थात निफ्टी बैंक, निफ्टी वित्तीय सेवाएं, निफ्टी आइटी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिडकैप सेलेक्ट, निफ्टी इंडिया एफपीआइ 150 और निफ्टी भारत बॉन्ड में केवल निफ्टी बैंक ने कुछ क्रियाकलाप दर्ज किए।

सारणी 9: इन्डेक्स वायदा में संविदाओं की संख्या और टर्नओवर

वित्तीय वर्ष	कुल	
	संविदाओं की संख्या	संविदाओं का मूल्य (मिलियन यूएसडी)
2024-25	23747322	1,123,593
2025-26	23903432	1,197,987

स्रोत : एनएसई आइएक्स और इंडिया आइएनएक्स

सारणी 10: इन्डेक्स आप्शन में संविदाओं की संख्या और प्रीमियम टर्नओवर

वित्तीय वर्ष	कुल	
	संविदाओं की संख्या	संविदाओं का मूल्य (मिलियन यूएसडी)
2024-25	1943829	373
2025-26	503448	319

स्रोत : एनएसई आइएक्स और इंडिया आइएनएक्स

इंडिया आइएनएक्स द्वारा दो इक्विटी इन्डेक्सों पर डेरिवेटिव संविदाएं दी जाती है, इनके नाम हैं बीएसई सेनसेक्स 50 और बीएसई सेन्सेक्स। इंडिया आइएनएक्स के टर्नओवर में पूरी तरह से बीएसई सेन्सेक्स वायादा संविदाओं का समावेश है।

इन्डेक्स वायदा और इन्डेक्स बदला सौदों में खुली वृद्धि (ओआइ) का दिवस के अंत में औसत, जिसका आकलन सभी कारोबारी दिवसों के लिए प्रत्येक माह के दौरान करते हुए निम्नलिखित आरेख में दर्शाया गया है। औसत इन्डेक्स वायदा ओआइ मूल्य 9.6 बिलियन अमरीकी डालर (अप्रैल 2025) बढ़कर वर्ष के उच्चतम 13.4 बिलियन अमरीकी डालर (दिसम्बर-25) पर पहुंच गया, जिसमें मार्च 2026 में यह ओआइ 12.9 बिलियन अमरीकी डालर पर रहा।

ओआइ का औसत मूल्य (एनएसई आइएक्स और इंडिया आइएनएक्स संयुक्त)



आरेख 13: ओआइ का औसत मूल्य (एनएसई आइएक्स और इंडिया आइएनएक्स संयुक्त)

कमोडिटी डेरिवेटिव

इंडिया आइएनएक्स अपने प्लेटफार्म पर अंतर्निहित पण्यों में कमोडिटी डेरिवेटिव उत्पाद देता है जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। इन अनुबंधों का कारोबार पिछले वर्ष के 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर शून्य हो गया।

बहुमूल्य धातुएं	स्वर्ण, चांदी
बेस धातुएं	तांबा
ऊर्जा	ब्रेन्ट कच्चा तेल

स्रोत : इंडिया आइएनएक्स

करेन्सी डेरिवेटिव

इन स्टॉक एक्सचेन्जों में ट्रेडिंग के लिए विभिन्न करेन्सी डेरिवेटिव उपलब्ध है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

ग्लोबल करेन्सी डेरिवेटिव	यूरो - यूएसडी, जीबीपी-यूएसडी, जेपीवाइ – यूएसडी, सीएचएफ-यूएसडी, एयूडी-यूएसडी
रुपया डेरिवेटिव	आइएनआर - यूएसडी, यूएसडी – आइएनआर

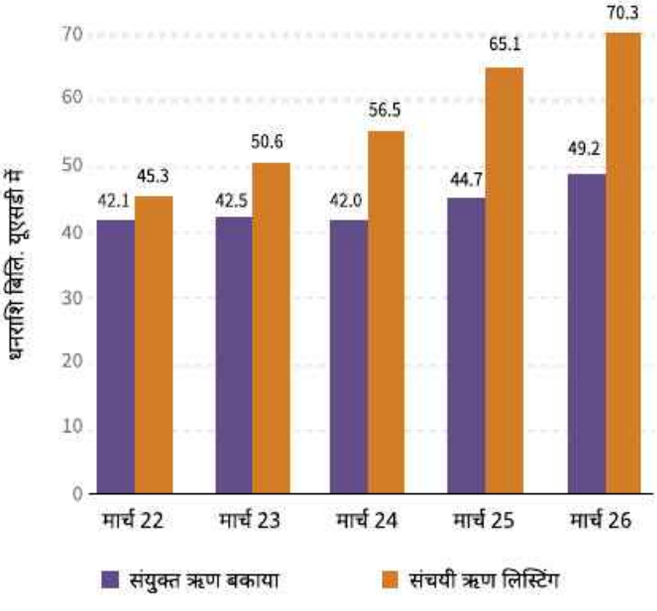
स्रोत : एनएसई आइएक्स और इंडिया आइएनएक्स

आईएफएससी में ऋण बाजार

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आईएफएससी का ऋण बाजार मुख्यतया एनबीएफसी द्वारा संचालित रहा, इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा और अवसंरचना निर्गमकर्ताओं की सहभागिता भी बढ़ी। इस बाजार ने अमरीकी डालर वित्तपोषण के लिए भी सुदृढ़ वरीयता का प्रदर्शन किया, जिसमें कुल निर्गमन मूल्य में 99% से भी अधिक हिस्सा अमरीकी डालर में मूल्यवर्गित संलेखों का रहा। आईएफएससी स्टॉक एक्सचेन्जों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान श्रीलंकन बैंक द्वारा बॉन्डों को सूचीबद्ध कराया गया – यह पहला विदेशी कार्पोरेट निर्गमकर्ता बना – जो अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड को सूचीबद्ध करनेके लिए वरीयता प्राप्त गंतव्य के रूप में आईएफएससी के उदय को दर्शाता है।

इस संधारणीय वित्त परितंत्र ने और भी संवृद्धि दर्शाई, जिसमें जीएसएस+ बॉन्ड और अपनी गिफ्ट आईएफएससी ट्रेजरी एक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा कम्पनी द्वारा अपनी सहायक इकाई के माध्यम से 600 मिलियन अमरीकी डालर के हरित बॉन्ड निर्गमन हुआ जो गिफ्ट आईएफएससी में किसी ट्रेजरी यूनिट द्वारा इस प्रकार के सर्वप्रथम निर्गमन को प्रदर्शित करता है। वर्ष के दौरान निर्गमन क्रियाकलापों से निवेश-ग्रेड और उच्च-अर्जन संलेखों के संतुलित मिश्रण प्रकट होता है। इसमें सबसे बड़ा संव्यवहार 800 मिलियन अमरीकी डालर के बॉन्ड निर्गम का रहा जो एक एयरपोर्ट अवसंरचना प्रतिष्ठान द्वारा किया गया, जबकि फरवरी 2026 में कार्यचालन का सर्वोच्च स्तर रहा जिसमे सकल निर्गमन 1.2 बिलियन अमरीकी डालर से भी आगे निकल गया।

आइएफएससी में ऋण लिस्टिंग



आरेख 14: ऋण निर्गमन अदत्त

इन निर्गमनों में अधिकांश संलेख निश्चित दर संलेख थे जिनका निर्धारण सुरक्षित ओवरनाइट वित्तपोषण दर (एसओएफआर) के अनुसार है, और इन्हें निजी अवस्थापन के रूप संरचनाबद्ध किया गया जिसका प्राथमिक लक्ष्य संस्थागत निवेशक थे। आईएफएससी में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 30 लिस्टिंग से 5.20 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण निर्गमन हुए [57]।

कुल 30 निर्गमनों में से 10 निर्गमनों ने आईएफएससी में इंडिया इन्टरनेशलन डिपॉजिटरी लिमिटेड (आईआईडीआई) नामक डिपॉजिटरी का उपयोग किया। शेष 20 निर्गमनों ने अंतरराष्ट्रीय केन्द्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी जैसे कि यूरोक्लीयर, क्लीयरस्ट्रीम आदि का प्रयोग किया। यद्यपि लघुतर निर्गमनों के लिए इंडिया इन्टरनेशलन डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्वीकार्यता बढ़ रही है, तथापि बड़े निर्गमनकर्ता आइसीएसडी के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं।

पर्यवेक्षण

बाजार अवसंरचना संस्थानों का पर्यवेक्षण

यह प्राधिकरण इस प्रयोजन से बाजार अवसंरचना संस्थानों का पर्यवेक्षण करता है कि उनके प्रमुख कार्यचालन क्षेत्रों के परिचालन की प्रभावी निगरानी की जा सके। इस पर्यवेक्षण प्रक्रिया में इन संस्थानों की अभिशासन व्यवस्था, अनुपालन मानकों, और प्रणालियों और पद्धतियों की लोचशीलता की पर्याप्तता का आकलन करना शामिल है। ऑफ-साइट संवीक्षण और ऑन-साइट निगरानी के एक सम्मिश्र के माध्यम से पर्यवेक्षण कार्य किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस प्राधिकरण ने इंडिया आइएनएक्स का निरीक्षण किया और विगत वर्ष में आरंभ एनएसई IX के निरीक्षण का समापन किया।

ऑन-साइट पर्यवेक्षण परिनियोजनों के अलावा यह प्राधिकरण आवधिक विनियामक प्रस्तुतियों और अन्य पर्यवेक्षी इनपुटों के परीक्षण के माध्यम से बाजार अवसंरचना संस्थानों की सतत निगरानी करता है। इन रिपोर्टों में अन्य तथ्यों के अलावा ट्रेडिंग क्रियाकलापों और संबंधित सांख्यिकी, नियंत्रक बोर्ड के अभिशासन और कार्यचालन, बाजार अवसंरचना संस्थानों द्वारा की गई अनुशासनात्मक और प्रवर्तन कार्रवाइयों से संबंधित जानकारी भी हासिल की जाती है, साथ ही चूक की घटनाओं, परिचालनगत चूक, और प्रयोज्य विनियामक और परिचालन अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करने की भी जानकारी ली जाती है, क्योंकि पूंजी बाजार की सत्यनिष्ठा और सुस्थिरता के लिए इनके निहितार्थ हो सकते हैं।

पूंजी बाजार मध्यस्थों का पर्यवेक्षण

ऑफ साइट पर्यवेक्षण

पूंजी बाजार मध्यस्थों के सतत ऑफ साइट पर्यवेक्षण के एक भाग के रूप में आईएफएससीए ने पूंजी बाजार मध्यस्थों द्वारा तिमाही आधार पर प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित रिपोर्टिंग मानदंडों को निर्दिष्ट करते हुए पूंजी बाजार मध्यस्थों के ऑफसाइट पर्यवेक्षण हेतु व्यवस्था निर्धारित की है। रिपोर्टिंग प्रपत्र में पूंजी बाजार मध्यस्थ के परिचालनों के बारे में मात्रात्मक और गुणात्मक जानकारी की प्रस्तुति शामिल है और इसके साथ ही पूंजी बाजार मध्यस्थों के अनुपालन अधिकारी और प्रमुख अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर करते हुए अनुपालन की वचनबद्धता भी ली जाती है।

पर्यवेक्षण कुशलता को बढ़ाने की दृष्टि से विद्यमान रिपोर्टिंग प्रपत्रों की समीक्षा की गई और वैश्विक अभिगम प्रदाता, क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी, ईएसजी रेटिंग और डाटा

[57] वे बॉन्ड शामिल नहीं हैं जो विगत वित्तीय वर्षों में निर्गमित हुए और जिनकी द्वितीयक लिस्टिंग आइएफएससी में वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुई।

उत्पाद प्रदाता और अनुसंधान प्रतिष्ठान जैसे नए पंजीकरण वर्गों के प्रपत्रों को भी समाहित किया गया है। पूंजी बाजार मध्यस्थों से अपेक्षित होगा कि वे अप्रैल से जून 2026 की तिमाही और इसके बाद से संशोधित तिमाही रिपोर्ट प्रपत्र में ही जानकारी प्रस्तुत करें। ब्रोकर डीलर, क्लीयरिंग सदस्या और डिपॉजिटरी सहभागियों के रूप में पंजीकरण रखने वाले पूंजी बाजार मध्यस्थों को उन पंजीकरणों के संबंध में अलग-अलग बाजार अवसंरचना संस्थानों के पास तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, इस प्रकार से आईएफएससीए और बाजार अवसंरचना संस्थानों दोनों को वर्तमान की दोहरी रिपोर्टिंग अपेक्षा में सहजता हो जाएगी।

तिमाही रिपोर्टों का विश्लेषण और तिमाही रिपोर्टों में किए गए अवलोकनों के आधार पर की गई कार्रवाई का संचालन मध्यस्थ पर्यवेक्षण प्रभाग द्वारा सतत आधार पर किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष से आरंभ करते हुए डीएसआइ ने पूंजी बाजार मध्यस्थों से प्राप्त वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसीएआर) प्राप्त करना आरंभ कर दिया है। डीएसआइ ने इनका विश्लेषण किया और वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किए गए अवलोकनों के आधार पर कार्रवाई की है।

सीएमआइ का ऑन-साइट पर्यवेक्षण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जोखिम आधारित पर्यवेक्षण मानदंडों के आधार पर ऑनसाइट पर्यवेक्षण के लिए पच्चीस (25) पूंजी बाजार मध्यस्थों की शिनाख्त की गई, पूंजी बाजार मध्यस्थों के बाजार अवसंरचना संस्थानों और आईएफएससीए द्वारा यह पर्यवेक्षण किए गए। इसके अलावा तिमाही रिपोर्टों के विश्लेषण के आधार पर दो (2) पूंजी बाजार मध्यस्थों का सीमित प्रयोजन हेतु पर्यवेक्षण भी किया गया।

सीएमआइ का ऑन-साइट दौरा

जी बाजार मध्यस्थों के परिसरों में प्रणाली, मैनपॉवर और अवसंरचना की मौजूदगी पूंजी बाजार मध्यस्थों द्वारा किए जा रहे कारोबार के समानुरूप होना सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 72 पूंजी बाजार मध्यस्थों की ऑनसाइट विजिट भी की गई। इस ऑनसाइट विजिट के आधार पर बन्द पड़े कार्यालय परिसरों और अस्थायी स्टॉफ की मौजूदगी हेतु चेतावनी/एडवाइजरी पत्र जारी करने के रूप में प्रशासनिक कार्रवाई की गई। इसके अलावा दो अवसरों पर प्रवर्तन कार्यवाही भी आरंभ की गई। आईएफएससीए ने 19 मार्च 2026 को एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कि ताकि सीएमआइ को गिफ्ट आईएफएससी में प्रमुख अपेक्षाओं के अनुपालन के प्रति प्रबुद्ध बनाया जा सके और बताया जा सके कि वे इस प्रकार के आपत्तिजनक कार्यों से दूर रहें।

पक्ष समर्थन और आउटरीच

क्षमता निर्माध प्रयासों को त्वरित बनाने के लिए आईएफएससीए और एनआइएसएम के बीच समझौता ज्ञापन

मई 02, 2025

मुम्बई, भारत

आईएफएससीए और नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ सिक्यूरिटीज मार्केट्स (एनआइएसएम) ने 2 मई 2025 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि गिफ्ट आईएफएससी में प्रतिभूति बाजारों के भीतर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रयासों को सुदृढ़ बनाया जा सके। इस समझौता ज्ञापन पर मुम्बई में श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए, और श्री तुहिन कान्त पान्डेय, अध्यक्ष, सेबी की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए। इस समझौता ज्ञापन का प्रयोजन है आईएफएससी में परिचालन कर रहे स्टेकधारकों बढ़ती हुई दक्षता और

प्रमाणीकरण की जरूरतों को पूरा किया जाए। इस सहयोग के तहत अनुकूलित सामग्री, प्रश्न संग्रहों, और आईएफएससीए की नियामक व्यवस्था के साथ समरूपित ई-लर्निंग मॉड्यूलों का विकास करके एनआइएसएम द्वारा समर्थन दिया जाएगा और आईएफएससी में बाजार सहभागियों और प्रतिष्ठानों के लिए प्रमाणीकरण परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

आइओएससीओ वार्षिक बैठक 2025

मई 12 - 14, 2025

दोहा, कतर

आईएफएससीए के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दोहा, कतर में मई 2025 में आयोजित आइओएससीओ वार्षिक बैठक 2025 में हिस्सा लिया। इस दौरे पर आईएफएससीए ने आइओएससीओ की कई बैठकों, कार्यशालाओं, अन्य अधिकारक्षेत्रों के नियामकों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया। इन विचार-विमर्श में सभी क्षेत्रों में आइओएससीओ की कार्य-योजनाओं जैसे वित्तीय लोचशीलता को सुदृढ़ बनाने, बाजार प्रभावशीलता में समर्थन, निवेशकों के संरक्षण, संधारणीयता में जोखिम निवारण और फिनटेक, और नियामक सहयोग और प्रभावशीलता को बढ़ाने को शामिल किया गया। आइओएससीओ वार्षिक बैठक के साथ-साथ पदाधिकारियों ने साइप्रस सिक्यूरिटीज एन्ड एक्सचेन्ज कमीशन (साइसेक), सीएएसएफ (लक्जेमबर्ग), डीएफएसए (दुबई) और एससीए, यूएई के साथ महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय विचार-विमर्श किए। ये विचार-विमर्श सहायोग और आसूचना विनिमय, प्रयासों के बारे में अपडेट, विशेषकर पूंजी बाजारों में और अन्य तथ्यों के साथ-साथ निधियों के विपणन और वितरण हेतु पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता ज्ञापन के इर्दगिर्द रहे। आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल ने कतर स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से कतर इन्वेस्टमेन्ट अथॉरिटी के साथ द्विपक्षीय बैठकों का अयोजन किया।

भारत-श्रीलंका फोरम – शीर्षक 'दि डायलॉग' – कोलम्बो, श्रीलंका

जून 06, 2025

कोलम्बो, श्रीलंका

आईएफएससीए ने वित्तीय और निवेश क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के प्रयोजन से भारत सरकार, एनएसई इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज (एनएसई IX), और केयरएज ग्लोबल के सहयोग से कोलम्बो, श्रीलंका में "दि डायलॉग" नामक उच्च स्तरीय फोरम का आयोजन किया जिसका मूल विषय था "क्रेडिट एन्ड कैपिटल : बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू रेटिंग्स एन्ड रेग्यूलेशन्स" ताकि वित्तीय और निवेश क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इस अवसर पर दोनों राष्ट्रों के वरिष्ठ नीतिनिर्माता, नियामक, और कारोबारी लीडर साथ आए। विचार-विमर्श में स्पष्ट रूप से गिफ्ट आईएफएससी के विशिष्ट मूल्य समानुपातों को शामिल किया गया था, और इसमें स्पर्धी लागतों पर वैश्विक पूंजी तक पहुंच, टैक्स के लिए आकर्षक प्रोत्साहनों, निवेशक-हितैषी विनियमन, और अंतरराष्ट्रीय मानकों के समरूप नियामक परिवेश का उल्लेख किया गया। इस समारोह के दौरान आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक श्री प्रदीप रामकृष्णन ने वैश्विक लिस्टिंग और संधारणीय वित्त के लिए वरीय प्लेटफॉर्म के रूप में गिफ्ट आईएफएससी के उद्विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी जो इस क्षेत्र में रणनीतिक महत्त्व को अधिकाधिक प्रबल बना रहे हैं।

गिफ्ट आईएफएससी में प्रथम विदेशी कार्पोरेट निर्गम की लिस्टिंग

जून 09, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

श्रीलंका के डीएफसीसी बैंक पीएलसी ने गिफ्ट आईएफएससी में 9 जून 2025 को एनएसई इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज पर 2.5 बिलियन श्रीलंका रुपये के ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध कराया। यह प्रथम कार्पोरेट ग्रीन बॉन्ड निर्गम रहा जिसे गिफ्ट आईएफएससी में सूचीबद्ध किया गया जो श्रीलंका द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस करते हुए आरंभिक पूंजी बाजार में ऋण संलेख को दर्शाता है। इससे हुए अर्जन को प्रथमतया सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निधि प्रदान करने के लिए होगा, जिससे सन 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से श्रीलंका के 70% बिजली उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

एनएसई इंडिया पर बाजार के मध्यस्थों और स्टेकधारकों के साथ परिनियोजन

जुलाई 25, 2025

मुम्बई, भारत

आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक श्री प्रदीप रामकृष्णन के नेतृत्व में आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल द्वारा एनएसई के प्रधान कार्यालय, मुम्बई में एनएसई IX की मेजबानी में आयोजित सेमिनार में सहभागिता की गई। वार्ता के प्रमुख सत्र का फोकस उदीयमान अवसरों की तलाश करने, पूंजी बाजार में हालिया गतिविधियों, और गिफ्ट आईएफएससी परितंत्र में दिए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करने पर रहा। बाजार के अग्रणी मध्यस्थों और स्टेकधारकों द्वारा महत्त्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं, जिससे यह विचार-विमर्श अत्यधिक सक्रिय और लाभकारी बन गया।

फिक्की की लीड्स 2025 कॉन्फ्रेन्स

सितम्बर 10-11, 2025

नई दिल्ली, भारत

आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक श्री प्रदीप रामकृष्णन ने एफआइसीसीआइ के लीड्स 2025 कॉन्फ्रेन्स में सहभागिता करते हुए यह उल्लेख किया कि भारत का आईएफएससी किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत टैक्सोनोमीज को अपना करके जलवायु वित्तपोषण केन्द्र के रूप में उदित हुआ है।

कार्पोरेट बॉन्ड बाजार पर 8वीं वार्षिक कॉन्क्लेव

सितम्बर 19, 2025

मुम्बई, भारत

कार्पोरेट बॉन्ड बाजार में 8वीं वार्षिक शीर्षबैठक का आयोजन एसोचेम द्वारा किया गया जिसमें प्रमुख नियामकों, नीतिनिर्माताओं, और बाजार के लीडरों ने हिस्सा लिया और पैमाने, लोचशीलता, और व्यापक अभिगम हेतु रणनीतियों पर परिचर्चा हुई। इस अवसर पर आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक श्री प्रदीप रामाकृष्णन ने आईएफएससी में ऋण बाजार में विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की।

विश्व निवेशक सप्ताह

अक्तूबर 06-10, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

आईएफएससीए ने 6 अक्तूबर 2025 के सप्ताह के दौरान आइओएससीओ के वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक (डब्ल्यूआईडब्ल्यू) का आयोजन स्टॉक एक्सचेन्जों और बाजार के सहभागियों के सहयोग से किया गया। यह वैश्विक प्रयास निवेशक शिक्षण और संरक्षण को बढ़ावा देता है। सन 2025 का प्रतिपाद्य विषय था "टेक्नोलॉजी एन्ड डिजिटल फाइनान्स, आर्टिफिशियन इन्टैलिजेन्स, एन्ड फ्रॉड एन्ड स्कैम प्रीवेन्शन"।

ताइवान का अधिकारिक दौरा

अक्तूबर 15, 2025

ताइवान

आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक श्री प्रदीप रामकृष्णन के नेतृत्व में गिफ्ट आईएफएससी में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेन्जों से पदाधिकारियों ने एफएससी, ताइवान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। विचार-विमर्श में आईएफएससीए और एफएससी, ताइवान के बीच सहयोग को मजबूत बनाने पर फोकस रहा ताकि गिफ्ट आईएफएससी और ताइवान के बीच अधिकाधिक सम्पर्क हेतु मार्गों की तलाश और पूंजी बाजार के सम्पर्क गहन हो सकें।

आइओएससीओ संवृद्धि और उदीयमान बाजार समिति (जीईएमसी) बैठक

नवम्बर 18-20, 2025

माल्टा, यूरोप

आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने "इनेबलिंग इन्वेस्टमेन्ट्स इन एमर्जिंग मार्केट्स : गिफ्ट आईएफएससी पर्सपेक्टिव" पर एक प्रस्तुतिकरण किया। पदाधिकारियों ने आईएफएससीए के प्रखर नियामक आर्किटेक्चर, और पूंजी प्रवाह को बढ़ाने और गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से भारत में निवेश सुविधा देने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी।

आईएफएससी और गिफ्ट सिटी को अनलॉक करना - लिस्टिंग, फन्ड, व्यापार वित्त और उदीयमान व्यवसायिक अवसर

जनवरी 05, 2026

सालेम, तमिलनाडु

सालेम में "अनलॉकिंग आईएफएससी एन्ड गिफ्ट सिटी – लिस्टिंग, फन्ड्स, ट्रेड फिनान्स एन्ड एमर्जिंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज" विषय पर आईएफएससीए, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान, और इंडिया इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज (आईएफएससी) लि. द्वारा एकदिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक श्री प्रदीप रामकृष्णन ने प्रमुख वक्तव्य दिया जिसमें नियामक उद्विकास, नवोन्मेष, एनआरआई सहभागिता, और विकसित भारत@2047 विजन पर फोकस करते हुए वैश्विक वित्त, के लिए भारत के गेटवे के रूप में गिफ्ट आईएफएससी की भूमिका का उल्लेख किया गया।

वैश्विक पूंजी और विदेशी लिस्टिंग हेतु गेटवे के रूप में गिफ्ट आईएफएससी

जनवरी 22, 2026

मुम्बई, भारत

"गिफ्ट आईएफएससी एज ए गेटवे फॉर ग्लोबल कैपिटल एन्ड फॉरेन लिस्टिंग्स" विषय पर सीएफएमआइपी, आइसीएआई द्वारा आयोजित समारोह में आईएफएससीए ने विशेष सम्भाषण किया जिसमें गिफ्ट आईएफएससी में हालिया गतिविधियों, पूंजी बाजार क्रियाकलापों और वैश्विक रूप से निर्धारित विनियमों के आधार पर भारतीय कार्पोरेट के लिए अंतरराष्ट्रीय लिस्टिंग (ऋण और इक्विटी) हेतु अवसरों पर अपडेट प्रदान किए गए।

आईएफएससीए – श्रीलंका विनियामक संवाद

फरवरी 05, 2026

आईएफएससीए मुख्यालय (आभासी)

कार्यपालक निदेशक श्री प्रदीप रामकृष्णन और आईएफएससीए के अन्य पदाधिकारियों ने डॉ. हर्षना सूर्याप्पेरुमा (सेक्रेटरी, वित्त, आयोजना और आर्थिक विकास मंत्रालय), सीनियर प्रोफेसर डी. बी. पी. एच. दिस्साबन्दारा (अध्यक्ष, एसईसी, श्रीलंका), श्री दिमुथु अबेयेस्केरा (चेयरमैन, कोलम्बो स्टॉक एक्सचेन्ज), और

सुश्री देविका लाल, काउन्सलर (आर्थिक और वाणिज्य), कोलम्बो में भारतीय उच्चायोग सहित श्रीलंका के प्रमुख स्टेकधारकों ने आभासी बैठक का आयोजन किया। इस विचार-विमर्श का केन्द्र भारत और श्रीलंका के बीच सीमा-पारीय वित्तीय बाजार सम्पर्कों को मजबूत बनाने पर रहा। फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में गिफ्ट आईएफएससी में अवसरों, ऋण संलेखों की लिस्टिंग को शामिल किया गया और अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ सम्पर्क तथा पूंजी प्रवाहों में सुविधा को बढ़ाने पर जोर दिया गया।

ग्लोबल सिक्यूरिटीज मार्केट कॉन्क्लेव 2.0

फरवरी 26-27, 2026

गिफ्ट सिटी, गुजरात

आईएफएससीए ने आईएफएससी में बाजार अवसंरचना संस्थानों यथा – एनएसई इन्टरनेशलन एक्सचेन्ज (एनएसई आइएक्स), इंडिया इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज (इंडिया आइएनएक्स), एनएसई क्लीयरिंग कार्पोरेशन (एनएसई आइसीसी), इंडिया इन्टरनेशनल क्लीयरिंग कार्पोरेशन (इंडिया आइसीसी), इंडिया इन्टरनेशनल डिपॉजिटरी (आइआइडीआइ) और इंडिया इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेन्ज (आइआइबीएक्स) के सहयोग से ग्लोबल सिक्यूरिटीज मार्केट कॉन्क्लेव (जीएसएमसी 2.0) का आयोजन गिफ्ट सिटी, गुजरात में किया।

इस कॉन्क्लेव में भारत तथा विदेशों से नियामक, नीतिनिर्माता, अंतरराष्ट्रीय एक्सचेन्ज, फन्ड प्रबंधक, मध्यस्थ, बहुपक्षीय संस्थान, फिनटेक नवोन्मेषक, और बाजार सहभागी एकत्र हुए और "ग्लोबल कैपिटल फ्लोज - नेविगेटिंग क्रॉस-बार्डर इन्वेस्टमेन्ट्स इन दि ऐज ऑफ आर्टिफिशियल इन्टैलिजेन्स" के प्रतिपाद्य विषय पर चर्चा की गई।



चित्र 4: (बाएं से दाहिने) श्री इन्जेटी श्रीनिवास, पूर्व अध्यक्ष आईएफएससीए; श्री वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार; श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए, और महामहिम श्री गिलेस रॉथ, मिनिस्टर ऑफ फिनान्स, लक्जेमबर्ग - जीएसएमसी 2.0 के उदघाटन अवसर पर

आईएफएससी पूंजी बाजारों को गहन बनाने, वैश्विक सम्पर्कशीलता को बढ़ने, संधारणीय वित्त व्यवस्था को मजबूत करने, नवोन्मेषों को बढ़ावा देने, और विनियामक दक्षता को सुनिश्चित करना दो दिन तक चले इस विचार-विमर्श का केन्द्र रहा।

जीएसएमसी 2.0 के साथ-साथ महामहिम श्री गिलेस रॉथ, मिनिस्टर ऑफ फिनान्स, लक्जेमबर्ग के साथ द्विपक्षीय बैठक

फरवरी 26, 2026

गिफ्ट सिटी, गुजरात

आईएफएससीए ने जीएसएमसी 2.0 के साथ-साथ एक द्विपक्षीय बैठक का अयोजन महामहिम श्री गिलेस रॉथ, मिनिस्टर ऑफ फिनान्स, लक्जेमबर्ग की अगुआई में किया। यह विचार-विमर्श दो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्रों के बीच रणनीतिगत सहयोग अवसरों को तलाशने और प्रबल विनियामक सहयोग को बढ़ावा देने पर केन्द्रित





चित्र 5: श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और महामहिम श्री गिलेस रॉथ, मिनिस्टर ऑफ फिनान्स, लक्जेमबर्ग – विचार-विमर्श के दौरान

था। इस संवाद ने बढ़े हुए सीमा-पारीय वित्तीय सेवाओं, संधारणीय वित्त प्रयासों, और साझा की गई विनियामक दक्षता के लिए पथ प्रशस्त किया।

आइओएससीओ द्वारा एशिया – पेसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेन्स

मार्च 02-04, 2026

सिडनी, आस्ट्रेलिया

आईएफएससीए के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल आइओएससीओ के तत्वावधान में आयोजित एक सम्मेलन में शामिल हुआ। इस सम्मेलन में पदाधिकारियों ने अन्य बातों के साथ-साथ एशिया पेसिफिक क्षेत्र के अन्य नियामकों के साथ वित्तीय नियमन, से संबंधित विचार विनिमय किए। इस सम्मेलन के एक भाग के रूप में 2 मार्च 2026 को एशिया पेसिफिक क्षेत्र के नियामकों के प्रवर्तन निदेशकों के साथ एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रवर्तन वरीयताओं, चुनौतियों और सर्वोत्तम परिपाटियों पर चर्चा की गई।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु प्रपत्र

आईएफएससीए बाजार अवसंरचना संस्थानों और अन्य स्टेकधारकों के साथ परामर्श करते हुए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2025 के अनुपालन के संदर्भ में पूंजी बाजार मध्यस्थों द्वरा वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मानकीकृत प्रपत्र तैयार करने की प्रक्रिया में है। यह मानकीकृत प्रपत्र सुनिश्चित करेगा कि रिपोर्टिंग में सातत्य है और अनुपालन लेखापरीक्षा का दायरा समरूपी है।

स्टॉक एक्सचेन्जों पर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हेतु दिशानिदेश

इस प्राधिकरण का लक्ष्य है कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लाभों को प्रणालीगत जोखिमों के प्रति पूंजी बाजार की सुरक्षा और बाजार की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के बीच एक संतुलन लाया जाए। इन दिशानिदेशों में स्टॉक एक्सचेन्जों में ट्रेडिंग के लिए एल्गोरिथ्म के उपयोग से होने वाले जोखिमों को कम करने, पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ाया गया है।

स्टॉक एक्सचेन्जों और क्लीयरिंग कार्पोरेशनों हेतु मास्टर परिपत्र

स्टॉक एक्सचेन्जों और क्लीयरिंग निगमों को आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों का अनुपालन करना होता है। है। इसके अलावा एमआइआइ के लिए सेबी द्वारा जारी वे विभिन्न परिपत्र

भी प्रयोज्य होंगे, जिन्हें आईएफएससीए के किसी भी परिपत्र में निष्प्रभावी नहीं किया गया है। इस संदर्भ में स्टॉक एक्सचेन्जों और क्लीयरिंग निगमों के लिए एक मास्टर परिपत्र का प्रस्ताव किया गया, जो अनुपालन में सहजता के लिए संदर्भ के एकल स्थल के रूप में रहे और सेबी तथा आईएफएससीए के सभी परिपत्रों और दिशानिदेशों को निष्प्रभावी और प्रतिस्थापित करे।

प्रतिभूति बाजारों में बाजार के दुरुपयोग के प्रतिबंध पर विनियमन

आईएफएससीए ने एक परामर्श-पत्र जारी किया जिसमें आईएफएससीए (प्रतिभूति बाजारों में बाजार के दुरुपयोग पर प्रतिबंध) विनियमावली, 2026 का प्रस्ताव है ताकि आईएफएससी में बाजार के दुरुपयोग से बचाव हेतु नियामक व्यवस्था का प्रावधान हो सके। इन प्रारूप विनियमों में प्रस्ताव है कि इनसाइडर ट्रेडिंग और अनुचित कारोबारी व्यवहार के बारे में सेबी के विद्यमान विनियमों को आईएफएससी में प्रतिस्थापित किया जाए। प्रस्ताव किया जाता है कि आईएफएससीए (प्रतिभूति बाजारों में बाजार के दुरुपयोग पर प्रतिबंध) विनियमावली, 2026 समाविष्ट किया जाए।

आईएफएससीए केआरए की डोमेस्टिक केआरए के साथ संयोजनीयता

आईएफएससी में विनियमित प्रतिष्ठानों द्वारा निवेशकों की ऑनबोर्डिंग में सहजता लाने के लिए यह प्रस्तावित है कि केवाइसी पंजीकरण एजेन्सियों (केवाइसी) को भारत में केवाइसी पंजीकरण एजेन्सियों द्वारा अनुरक्षित स्वदेशी डाटाबेस तक अभिगम की अनुमति होगी। इससे निवेशकों को केवाइसी प्रक्रिया में फिर से नहीं गुजरना पड़ेगा, यदि स्वदेशी डाटाबेस में उनका केवाइसी रिकार्ड पहले ही उपलब्ध है।

शेयरों की महत्त्वपूर्ण खरीद और टेकओवर्स पर विनियमन

सूचीबद्ध कम्पनियों के सार्थक अधिग्रहण और नियंत्रण में परिवर्तनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उचित निकास अवसरों के माध्यम से अल्प स्टेकधारकों के संरक्षण के प्रयोजन से यह प्रस्ताव किया जाता है कि आईएफएससीए (शेयरों के महत्त्वपूर्ण अधिग्रहण और टेकओवर्स) विनियमावली, 2026 को समाविष्ट किया जाए।

बाय-बैक संबंधी विनियमन

निवेशकों के साथ उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने, उचित प्रकटीकरण करते हुए अपने शेयरों को वापस खरीदने के लिए पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करने, कुशल पूंजी प्रबंधन और शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन को समर्थ करने, के प्रयोजन से प्रस्ताव है कि आईएफएससीए (बाय-बैक) विनियमावली, 2026 को समाविष्ट किया जाए।

लोक प्रस्ताव किए बिना ही शेयरों की सीधी लिस्टिंग हेतु व्यवस्था

बिना किसी लोक प्रस्ताव के सीधे ही सूचीबद्ध करने की व्यवस्था को समाविष्ट करने का प्रस्ताव है ताकि जिन कम्पनियों को नई पूंजी की जरूरत नहीं है उनके लिए भी लोक बाजारों तक पहुंचने, विद्यमान शेयरधारकों हेतु चलनिधि सुविधा पाने, बाजार आधारित कीमत की पारदर्शी तलाश, और गहन पूंजी बाजार सहभागिता के लिए एक कुशल मार्ग मिल सके।

फन्ड प्रबन्धन

अत्यधिक परामर्शी दृष्टिकोण के अनुसरण में आईएफएससीए (फन्ड प्रबंधन) विनियमावली, 2022 को प्रतिस्थापित करते हुए फरवरी 2025 से आईएफएससीए (फन्ड प्रबंधन) विनियमावली, 2025 प्रभावी की गई। वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों के साथ समरूपित करते हुए ये विनियम नवोन्मेष को प्रोत्साहन देते हैं और आईएफएससी में फन्ड प्रबंधन क्रियाकलापों में सहजता बढ़ाते हैं।

आईएफएससीए (फन्ड प्रबंधन) विनियमावली, 2025 में एफएमई के लिए एकीकृत और सरल और कारगर पंजीकरण व्यवस्था दी गई है, जो इन्हें फन्ड प्रबंधन क्रियाकलापों की एक पूरी श्रृंखला का संचालन करने की अनुमति देती है, यथा –

क. रिटेल स्कीमों का प्रबंधन (एक्सचेन्ज पर सौदाकृत फन्डों सहित),

ख. गैर-रिटेल स्कीमों का संचालन (वैकल्पिक निवेश फन्ड),

ग. निवेश न्यासों का प्रबंधन (आरईआईटी और आईएनवीआईटी),

घ. पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना।

विनियमावली में निम्नलिखित तीन श्रेणियों में एफएमई के पंजीकरण का प्रावधान है –

पंजीकृत एफएमई (रिटेल)

इस श्रेणी के तहत, एफएमई रिटेल निवेश उत्पादों और सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी, यथा – रिटेल स्कीमों (एक्सचेन्ज सौदाकृत फन्डों सहित), गैर-रिटेल स्कीमों (वैकल्पिक निवेश फन्ड), वेन्चर पूंजी स्कीमों, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं, आदि का प्रस्ताव रिटेल निवेशकों के साथ-साथ गैर-रिटेल निवेशकों को भी कर सकते हैं।

पंजीकृत एफएमई (गैर-रिटेल)

यह वर्ग उन एफएमई के लिए है जो प्रत्यायित निवेशकों अथवा एक कतिपय सीमा (प्रतिबंधित स्कीमों के मामले में 150,000 यूएसडी और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के मामले में 75,000 यूएसडी) तक न्यूनतम निवेश करने वाले निवेशकों के लिए फन्ड प्रबंधन या पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने का अभिप्राय रखते हैं।

प्राधिकृत एफएमई

यह विशेष वर्ग लाइट-टच पंजीकरण के साथ ऐसे एफएमई के लिए है जिनका अभिप्राय वेन्चर कैपिटल स्कीम के माध्यम से स्टार्ट-अप्स की केवल गैरसूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करने से है और जो केवल कम-से-कम 250,000 यूएसडी तक निवेश करने वाले निवेशकों या प्रत्यायित निवेशकों के लिए है।

एफएमई के लिए पंजीकरण के तीनों वर्ग, क्रियाकलापों की जोखिम संभावना के आधार पर उन्हें दी गई अनुमति के अनुसार, उनके लिए अनुमेय आरंभिक और अविरत विनियामक अपेक्षाओं को भी निर्धारित किया जाता है।

एफएमई, रिटेल स्कीमों, गैर-रिटेल स्कीमों, वेन्चर कैपिटल स्कीमों, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं और निवेश ट्रस्टों के लिए विस्तृत पात्रता और विनियामक अपेक्षाओं को विनियमों के तहत निर्धारित किया जा चुका है।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

उद्यम पूंजी और परिसीमित स्कीम द्वारा सह-निवेश की सुविधा हेतु व्यवस्था

मई 21, 2025

वेन्चर पूंजी स्कीम और विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से परिसीमित स्कीम द्वारा सह-निवेश की सुविधा देने के लिए और अवलम्बन लेने के लिए विशेष स्कीमों के लिए आईएफएससीए ने पद्धति और रीति का प्रावधन किया। आईएफएससीए (फन्ड प्रबंधन) विनियमावली, 2022 के विनियम 41 के उप-विनियम (1) के साथ पठित आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 12 और 13 द्वारा विनियोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईएफएससी में कारोबार करने में सहजता को बढ़ाने और वैकल्पिक निवेश उद्योग के संवृद्धि में सुविधा के लिए नियंत्रण स्कीम के अधीन एक एसपीवी के सृजन का संचालन किया जा रहा है, ताकि इस स्कीम के साथ अंतर्निहित प्रतिभूतियों में अन्य निवेशकों को सह-निवेश के लिए समर्थ किया जा सके और इस स्कीम को एसपीवी स्तर का अवलंबन लेने की अनुमति मिल सके।

आईएफएससीए (फन्ड प्रबन्धन) विनियमावली, 2025 के विनियम 7 के अनुसरण में केएमपी पात्रता सुनिर्धारित करने के बारे में दिशानिदेश

जुलाई 25, 2025

नवीन फन्ड प्रबन्धन विनियमावली को समाविष्ट करने के बाद उद्योग से बहुत से प्रश्न प्राप्त हुए जो फन्ड प्रबंधन प्रतिष्ठानों के लिए मुख्य अधिकारियों (पीओ) और अनुपालन अधिकारियों (सीओ) की पात्रता मानदंडों के बारे में थे। तदनुसार फन्ड प्रबन्धन प्रतिष्ठानों से प्राप्त हुए सीवी और पूछताछ की प्रकृति के आधार पर आईएफएससीए (फन्ड प्रबन्धन) विनियमावली, 2025 के विनियम 7 के तहत 'केएमपी पात्रता निर्धारण हेतु दिशानिदेश' नाम से एक संक्षिप्त सेट जारी किया जा चुका है। इन दिशानिदेशों को फन्ड प्रबन्धन प्रतिष्ठानों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए सर्वसुलभ डोमेन में डाल दिया गया है। इन दिशानिदेशों का अभिप्राय यही है कि प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की पात्रता के बारे में स्पष्टता रखी जा सके और एफएमई को नियुक्ति के निर्णय लेने में पूरी जानकारी लेने में सहायता रहे। इस प्रयास का यह भी प्रयोजन है कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सातत्यपूर्ण व्यवस्था के माध्यम से एफएमई को सहायता दी जाए।

तृतीय पक्ष फन्ड प्रबन्धन सेवाएं (प्लेटफॉर्म प्ले) के बारे में व्यवस्था

जुलाई 30, 2025

गिफ्ट आईएफएससी को फन्ड प्रबन्धन क्रियाकलापों के लिए गिफ्ट आईएफएससी को एक वैश्विक केन्द्र बनाने के अपने प्रयास में आईएफएससीए ने 30 जुलाई 2025 को तृतीय पक्ष फन्ड प्रबन्धन सेवा हेतु व्यवस्था को समाविष्ट किया, जो 'प्लेटफॉर्म प्ले' के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। इस व्यवस्था का प्रयोजन यही है कि फन्ड प्रबन्धन परितंत्र के भीतर ही परिचालनगत लोचशीलता को बढ़ाया जाए और वैश्विक सम्पर्क का संवर्द्धन किया जाए, इसलिए आईएफएससी में पंजीकृत फन्ड प्रबन्धन प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई कि वे विदेशी या स्वदेशी तृतीय पक्ष फन्ड प्रबन्धकों की तरफ प्रतिबंधित स्कीमों को आरंभ करते हुए उनका प्रबंधन कर सकते हैं, इसके लिए तृतीय पक्ष के फन्ड प्रबन्धकों को आईएफएससी में भौतिक मौजूदगी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस व्यवस्था को परिचालित करने के लिए आईएफएससीए ने 8 सितम्बर 2025 और 16 जनवरी 2026 को परिपत्र जारी किए जिसमें आईएफएससी में तृतीय पक्ष फन्ड प्रबन्धन सेवाएं प्रदान करने का अभिप्राय रखने वाले फन्ड प्रबन्धन प्रतिष्ठानों के लिए परिचालनगत पक्षों को निर्धारित किया गया है।

आईएफएससी में स्टीवार्डशिप संहिता के बारे में व्यवस्था

अक्तूबर 23, 2025

इस प्राधिकरण ने निवेशक संरक्षण और कार्पोरेट अभिशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु स्टीवार्डशिप संहिता व्यवस्था आरंभ की है। इस संहिता में आईएफएससी में फन्ड प्रबन्धन प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थागत निवेशकों के लिए सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है ताकि दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए उत्तरदायी निवेश परिपाटियों और वैश्विक मानकों के साथ समरूपण का अनुसरण और बढ़ाव दिया जा सके। सभी फन्ड प्रबन्धन प्रतिष्ठानों और संस्थागत निवेशकों, वैकल्पिक निवेश फन्डों और रिटेल फन्डों सहित, को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इस संहिता को अपनाएं और आईएफएससी में अधिक उत्तरदायी और सहनशील निवेश परितंत्र में योगदान कर सकें।

प्लेसमेन्ट ज्ञापन की वैधता को विस्तारित करने के लिए एक-कालिक विन्डो

जनवरी 27, 2026

अशांत भूराजनैतिक परिवेश और उच्चतर लोचशीलता की अपेक्षा के प्रतिसाद में आईएफएससीए ने आईएफएससीए (फन्ड प्रबन्धन) (संशोधन) विनियमावली, 2026 के तहत फन्ड प्रबन्धन प्रतिष्ठानों को प्लेसमेन्ट ज्ञापन की वैधता के एकाधिक विस्तारों को प्राप्त करने के लिए फन्ड प्रबन्धन प्रतिष्ठानों को लोचशीलता प्रदान की गई तकि वे बाजार की शक्तियों पर निर्भर रहने वाली निधि जुटाने के लिए समयबद्धता को काबू में रख सकें। इसी के साथ एकबारगी उपाय के रूप में आईएफएससीए ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें कालातीत हो चुके पीपीएम के लिए वेन्चर कैपिटल स्कीमों और प्रतिबंधित स्कीमों की पीपीएम वैधता को आगे बढ़ाने के लिए तीन (3) माह की एक विन्डो प्रदान की गई।

आईएफएससीए (फन्ड प्रबन्धन) (संशोधन) विनियमावली, 2026

जनवरी 30, 2026

गिफ्ट आईएफएससी में एक प्रबल, पारदर्शी, और वैश्विक रूप से स्पर्धी फन्ड प्रबन्धन परितंत्र विकसित करने के लक्ष्य को पाने के लिए आईएफएससीए ने राउन्ड टेबल परामर्श सहित संरचनाबद्ध परामर्श, उद्योग कॉन्क्लेव, और अन्य अभिकेन्द्रित परिचर्चाओं के माध्यम से स्टेकधारकों के साथ सक्रिय परिनियोजन बनाए रखा। इसके अलावा आईएफएससीए विभिन्न क्षेत्रों में बाजार सहभागियों के साथ चिन्तन शिविर का भी आयोजन करता है, जिसमें फन्ड प्रबन्धन उद्योग के वरिष्ठ लीडरों के साथ वार्तालाप किया जाता है जो विनियामक व्यवस्था, और कुछ प्रावधानों में विनियामक अभिप्रायों में स्पष्टता की आवश्यकता में आगामी सुधार हेतु इनपुट प्रदान करता है।

प्राप्त फीडबैक और इसके बाद आंतरिक विश्लेषण के आधार पर आईएफएससीए (फन्ड प्रबन्धन) विनियमावली, 2025 के कतिपय प्रावधानों की समीक्षा के लिए 17 अक्तूबर 2025 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया, जिसके माध्यम से प्रस्तावित संशोधनों पर लोक अभिमत मांगे गए।

स्टेकधारकों के एक बड़े हिस्से से मिले इनपुट पर विचार और व्यापक आंतरिक परिचर्चाओं के बाद, कतिपय प्राथमिकता क्षेत्रों जैसे प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी), परिस्थापन ज्ञापन की वैधता, और अभिरक्षक की नियुक्ति हेतु पात्रता मानदंडों को तत्काल ही संशोधन हेतु लिया गया। इन संशोधनों को दिनांक 22 दिसम्बर 2025 को आयोजित बैठक में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया और आईएफएससीए (फन्ड प्रबन्धन) (संशोधन) विनियमावली, 2026 के रूप में जनवरी 2026 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

बॉक्स मद : 2
तृतीय पक्ष फन्ड प्रबन्धन सेवाएं

भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (आईएफएससी) हेतु विशिष्ट नियामक है, और यह भारत के प्रथम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र पर विश्व-स्तरीय वित्तीय परितंत्र का विकास करने के लिए प्रयासरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में, अन्य सुधारों के साथ-साथ, गिफ्ट आईएफएससी में फन्ड प्रबंधन परितंत्र के लिए विशिष्ट और वैश्विक रूप से निरूपित व्यवस्था के लिए आवश्यकता को मान्य करते हुए, कारोबार करने की सहजता को बढ़ाने के लिए, और अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए, इस प्राधिकरण ने 24 जून 2025 को हुई अपनी 24वीं बैठक में आईएफएससी में तृतीय पक्ष फन्ड प्रबन्धन सेवा (प्लेटफॉर्म प्ले के रूप में सुविख्यात) के लिए नियामक व्यवस्था का अनुमोदन आईएफएससीए फन्ड प्रबंधन विनियमावली, 2025 के तहत किया। यह व्यवस्था अनुमति देती है कि आईएफएससी में पंजीकृत फन्ड प्रबंधन प्रतिष्ठान (एफएमई) द्वारा विदेशी या स्वदेशीय तृतीय पक्ष प्रबंधकों, जिनके लिए आईएफएससी में भौतिक उपस्थिति स्थापित करना अपेक्षित नहीं है, की तरफ से उन स्कीमों का प्रबन्धन करें जिन्हें परिसीमित स्कीम कहा जाता है। इस व्यवस्था के प्रमुख लक्षण निम्नानुसार हैं –

- तृतीय पक्ष फन्ड प्रबन्धन सेवाएं प्रदान करने वाले एफएमई के लिए अनिवार्य प्राधिकृति
- ऐसे एफएमई के लिए 500,000 यूएसडी की अतिरिक्त निवल मालियत की अपेक्षा
- ऐसी व्यवस्था के तहत प्रत्येक स्कीम के लिए समर्पित मुख्य अधिकारी
- ऐसी व्यवस्था के तहत प्रति-स्कीम 50 मिलियन यूएसडी तक के कोष की अनुमति
- प्रबल जोखिम प्रबंधन ऑडिट और परिवर्धित प्रकटीकरण की अपेक्षाएं

इस व्यवस्था से विदेशी फन्ड प्रबंधकों को प्लग्-एन्ड-प्ले मॉडल के माध्यम अपने निवेश उत्पादों को आईएफएससी में आरंभ करने की अनुमति मिलती है, जिसमें अधिकारक्षेत्र का परीक्षण इन प्रबंधकों द्वारा अपनी मौजूदगी और अपने संसाधनों के प्रति वचनबद्धता के सृजन से पहले ही कर लिया जाता है।

कुछ मामलों में, विशेषकर बड़े बहुराष्ट्रीय संगठनों के लिए, नए अधिकारक्षेत्र में प्रवेश करने से पहले इन्हें अपने बोर्ड या समकक्ष प्राधिकारी से अनूमोदन कराना होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो कई माह से कई साल तक चल सकती है और फिर उस अधिकारक्षेत्र में लम्बे ट्रैक रिकार्ड, उसकी नियामक और कराधान व्यवस्था की मांग भी होती है।

तृतीय पक्ष फन्ड प्रबन्धन सेवा हेतु व्यवस्था से फन्ड प्रबंधकों को ऐसी स्थितियों के लिए समाधान मिलता है, जो फन्ड प्रबंधन क्रियाकलापों पर पर्याप्त सुरक्षा और नियामक निगरानी भी सुनिश्चित करता है। तदनुसार यह व्यवस्था न केवल अधिकाधिक लोचशीलता प्रदान करती है बल्कि गिफ्ट आईएफएससी को फन्ड प्रबंधन कार्यों के लिए एक वैश्विक रूप से स्पर्धी केन्द्र के रूप में मजबूती से स्थापित करती है।

बॉक्स मद : 3
गिफ्ट आईएफएससी में रिटेल स्कीम

फन्ड प्रबंधन प्रतिष्ठानों (एफएमई) द्वारा रिटेल स्कीम आरंभ किए जाने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 ने गिफ्ट आईएफएससी में फन्ड प्रबन्धन परितंत्र के विकास में एक नया मुकाम हासिल किया। यह विकास बताता है कि रिटेल निवेशकों, भारतीय जनसमूह सहित, को समर्थ बनाती है कि भारतीय और वैश्विक निवेश अवसरों को गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से उनके लिए निवेशक सहभागिता के व्यापक अवसरों की तरफ एक महत्त्वपूर्ण शिफ्ट है।

आईएफएससीए (फन्ड प्रबंधन) विनियमावली, 2025 में एक विशिष्ट और समेकित विनियामक व्यवस्था है जो – गैर-रिटेल स्कीमों के साथ-साथ एक्चेन्ज पर सौदाकृत फन्डों (ईटीएफ) सहित रिटेल स्कीमों – दोनों को नियंत्रित करती है। इसके अलावा यूनियन बजट 2025-26 में माननीय वित्त मंत्री ने आईएफएससी में रिटेल स्कीमों और ईटीएफ के लिए आयकर की व्यवस्था का प्रावधान किया है। आईएफएससीए की नियामक व्यवस्था के साथ मिलकर इस कर-व्यवस्था ने गिफ्ट आईएफएससी में रिटेल फन्ड प्रबंधन उद्योग के विकास हेतु सुदृढ़ आधारशिला रखी है। उक्त उपायों के परिणामस्वरूप गिफ्ट आईएफएससी में रिटेल स्कीमों में महत्त्वपूर्ण बढ़ोतरी दिखाई दी है। मार्च 31, 2026 की यथास्थिति अनुसार एफएमई ने दस (10) रिटेल स्कीमों को शुरू किया, और इस रिटेल वर्ग में एफएमई हेतु 19 पंजीकरण दिए गए। इन स्कीमों ने 31 मार्च 2026 के अंत की स्थिति अनुसार 45.61 मिलियन यूएसडी का संचयी फन्ड जुटाया, और वित्तीय वर्ष के अंत में 40.81 मिलियन यूएसडी का कुल निवेश हुआ। यह गति निवेशकों के बढ़ते हुए भरोसे को रेखांकित करती है और फन्ड प्रबंधन के लिए एक स्पर्धी केन्द्र के रूप में गिफ्ट आईएफएससी के उदय को मजबूती प्रदान करती है।

रिटेल स्कीमों की यह सफल शुरुआत एक नए अध्याय के आरंभ को दिखाती है और वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में आईएफएससी की स्थिति को सुदृढ़ करती है।

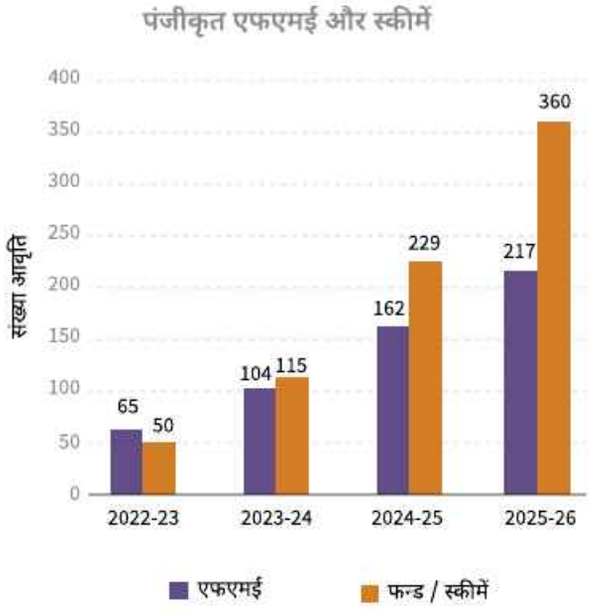
संव्यवहार / प्रोसेस / परिचालन / प्रवृत्तियां

गिफ्ट आईएफएससी में फन्ड प्रबन्धन उद्योग ने संवृद्धि की मजबूत गति दिखाई है और स्वयं को अंतरराष्ट्रीय फन्ड ऑपरेटरों के लिए वरीय अधिकारक्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। आईएफएससीए ने 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार 217 फन्ड प्रबन्धन प्रतिष्ठानों का पंजीकरण हुआ, जो समेकित रूप से से 360 स्कीमों की शुरुआत कर चुके हैं। गैर-रिटेल की 350 स्कीमों ने 39.09 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की संचयी निवेशक प्रतिबद्धताएं जुटाई हैं और 19.66 बिलियन अमरीकी डॉलर का संचयी निवेश परिनियोजित किया है। यह संवृद्धि दर्शाती है कि गिफ्ट आईएफएससी के नियामक और टैक्स परितंत्र की उद्योग में प्रबल स्वीकार्यता रही है।

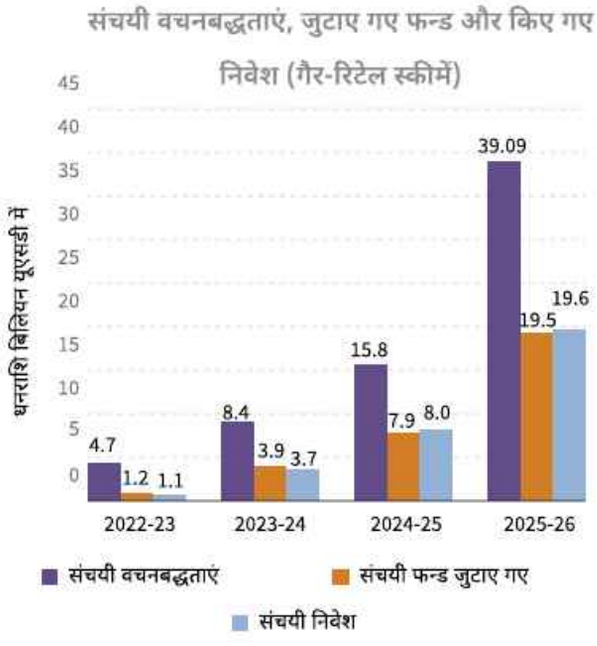
आईएफएससीए में 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार 217 फन्ड प्रबन्धन प्रतिष्ठानों का पंजीकरण हुआ जिसमें अधिकांश पंजीकरणों का वर्ग पंजीकृत एफएमई (गैर-रिटेल) में था।

सारणी 11 : आईएफएससी में फन्ड प्रबन्धन परितंत्र

विवरण (वर्ष के अंत में)	मार्च 2025	मार्च 2026	वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि
एफएमई की संख्या	162	217	33.95%
स्कीमों की संख्या (गैर-रिटेल और रिटेल)	229	360	57.21%
संचयी रूप में जुटाई गई कुल वचनबद्धताएं (गैर-रिटेल) (बिलियन यूएसडी)	15.74	39.09	148.35%
संचयी रूप में जुटाए गए कुल फन्ड (गैर-रिटेल) (बिलियन यूएसडी)	07.95	19.51	145.41%
संचयी रूप में किए गए कुल निवेश (गैर-रिटेल) (बिलियन यूएसडी)	08.07	19.66	143.62%



आरेख 15: पंजीकृत एफएमई और स्कीमें



आरेख 16 : फन्ड प्रबंधन क्रियाकलाप की प्रवृत्तियां

पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं (पीएमएस)

आईएफएससीए (फन्ड प्रबन्धन) विनियमावल, 2025 में प्रावधान है कि जो एफएमई पंजीकृत (रिटेल) और पंजीकृत (गैर-रिटेल) वर्ग में पंजीकृत किए जाते हैं वे भी पोर्टफोलियो प्रबन्धन सेवाएं दे सकते हैं। इस समय 36 ऐसे एफएमइ हैं जो आईएफएससी में इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं और 1.39 बिलियन अमरीकी डॉलर की आस्तियों का प्रबंधन करते हैं।

गिफ्ट आईएफएससी में रिटेल स्कीमें

इस वित्तीय वर्ष ने गिफ्ट आईएफएससी के फन्ड परितंत्र में रिटेल स्कीमों का आगमन हुआ। दिनांक 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार गिफ्ट आईएफएससी में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दायर की गई सभी 10 रिटेल स्कीमों को इसी वर्ष पंजीकृत कर दिया गया, जो आईएफएससी फन्ड प्रबन्धन परिदृश्य के उद्विकास में महत्त्वपूर्ण सोपान है। इन रिटेल स्कीमों के तहत 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार संचयी निवेश लगभग 40.81 मिलियन अमरीकी डॉलर पर रहा। इसमें से 14.27 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश भारत में हुआ, जबकि लगभग 26.54 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश अन्य विदेशी अधिकारक्षेत्रों में हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान रिटेल-उन्मुख स्कीमों में यह उल्लेखनीय बढ़ोतरी प्रकट करती है कि संस्थागत और प्रत्यायित निवेशकों से भी अलग हटते हुए निवेश आधार की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है।

पर्यवेक्षण

तिमाही आधार पर एफएमई से प्राप्त रिपोर्टों के माध्यम से आईएफएससीए द्वारा किए जाने वाले ऑफसाइट पर्यवेक्षण के अलावा, वर्ष के दौरान सात (7) एफएमई के ऑनसाइट दौरे भी किए गए।

पक्ष समर्थन और आउटरीच

आइवीसीए सीएटी - III समिट 2025

अगस्त 06, 2025

मुम्बई, भारत

इंडियन वेन्चर एन्ड आल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन ने मुम्बई में आइवीसीए कैट–III शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन में आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक श्री प्रदीप रामकृष्णन द्वारा प्रमुख संभाषण दिया जिसमें उन्होंने हालिया नियामक सुधारों और वित्तीय सेवाओं गिफ्ट आईएफएससी की उदीयमान भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा आईएफएससीए के पदाधिकारियों द्वारा एआइएफ कैट III के कारोबार की नियामक व्यवस्था और विकास के बारे में जानकारी दी गई। इस परितंत्र के प्रमुख लाभों और हालिया प्रयासों पर विचार विमर्श किया गया।

आईएफएससीए एचएसबीसी ग्लोबल वैल्थ समिट

अगस्त 13, 2025

बंगलुरु, भारत

एचएसबी द्वारा 13 अगस्त 2025 को बंगलूरु में आईएफएससीए ग्लोबल वैल्थ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन ने एक उदीयमान वैश्विक वित्तीय केन्द्र के रूप में गिफ्ट आईएफएससी की तेजी से बढ़ती क्षमताओं और विकसित हो रहे अवसरों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक श्री प्रदीप रामकृष्णन ने प्रमुख सम्भाषण दिया जिसमें हालिया नियामक गतिविधियों का उल्लेख करते हुए वैश्विक वित्तीय सेवा परिदृश्य में गिफ्ट आईएफएससी के बढ़ते हुए महत्त्व को रेखांकित किया।

इसके अलावा, आईएफएससीए के पदाधिकारी "रीइमेजिंग ग्लोबल वैल्थ क्रिएशन विद गिफ्ट सिटी,"

शीर्षक वाले पैनल परिचर्चा में भी शामिल हुए, जिसमें समर्थकारी नियामक विन्यास और संवृद्धि के प्रमुख संचालाकों सहित गिफ्ट आईएफएससी में फन्ड प्रबन्धन परितंत्र के विकास को स्पष्ट किया गया।

केफेआल्ट कॉन्फ्रेन्स 2025

अगस्त 21, 2025

मुम्बई, भारत

कैफेम्यूचुअल द्वारा मुम्बई में कैफेआल्ट कॉनफ्रेन्स 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक श्री प्रदीप रामकृष्णन द्वारा 'गिफ्ट सिटी – ए न्यू फ्रन्टियर फॉर आल्टरनेटिव फन्ड प्लेटफार्मस् ' पर एक सत्र में वक्तव्य दिया। इस सत्र में गिफ्ट आईएफएससी द्वारा प्रदान किए जा रहे व्यापक अवसरों और आईएफएससीए में हालिया प्रयासों को बताया गया जैसे कि सीधी लिस्टिंग और वैश्विक बाजारों तक आईएफएससी ब्रोकर डीलरों के माध्यम से पहुंच। इस सत्र में प्रगामी विनियामक सुधारों के बीच फन्ड प्रबंधन परितंत्र की संवृद्धि के बारे में भी बताया गया, साथ ही गिफ्ट आईएफएससी में वितरकों की भूमिका और उदीयमान अवसरों पर भी जोर दिया गया।

गिफ्ट आईएफएससी में निवेशकों और संस्थानों हेतु अवसरों पर डोमेस्टिक आउटरीच समारोह

अक्तूबर 10, 2025

सूरत, भारत

स्वदेशीय जागरुकता को गहरा करने और गिफ्ट आईएफएससी में सहभागिता के लिए सतत आउटरीच प्रयासों के एक भाग के रूप में आईएफएससीए ने सूरत में 10 अक्तूबर 2025 को स्वदेशीय आउटरीच समारोह का आयोजन किया जिसका शीर्षक था – "अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर्स एन्ड इन्स्टीट्यूट्स् इन गिफ्ट आईएफएससी"। इस समारोह का आयोजन भारतीय कम्पनी सचिव संस्था के सहयोग से किया गया और इसे विश्व निवेशक सप्ताह 2025 का एक भाग बनाया गया। विचार-विमर्श के विषयों में शामिल रहे –

- अनिवासी भारतीयों और निवासी भारतीयों के लिए विशेषरूप से गिफ्ट सिटी में उपलब्ध फन्ड संरचना के माध्यम से निवेश के अवसर।
- गिफ्ट आईएफएससी में बुलियन संबंधी अवसर।
- गिफ्ट आईएफएससी परितंत्र के तहत व्यापार वित्त पद्धति और प्लेटफार्म।
- गिफ्ट आईएफएससी के भीतर आरंभिक लोक प्रस्ताव (आइपीओ) व्यवस्था और उदीयमान अवसर।

आस्ति प्रबंधन में वैश्विक प्रवृत्तियों पर गोलमेज परिचर्चा – ग्लेबल सिक्यूरिटीज मार्केट कॉन्क्लेव 2.0 का साइड ईवेंट

फरवरी 26, 2026

गिफ्ट सिटी, गुजरात

जीएसएमसी 2.0 के साथ-साथ 26 फरवरी 2026 को 'ग्लोबल ट्रेन्ड्स् इन एसेट मैनेजमेन्ट' विषय पर एक परिसीमित गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सत्र का अयोजन ब्लूमबर्ग ने इंडियन वेन्चर एन्ड आल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन की साझेदारी में आईएफएससीए के तत्त्वावधान में किया था। गोलमेज सम्मेलन में वरिष्ठ आस्ति प्रबंधक, संस्थागत निवेशक, नीतिनिर्माता, और नियामक एकजुट हुए और वैश्विक आस्ति प्रबंधन उद्योग को आकार दे रहे प्रमुख संरचनागत बदलावों पर विचार-विमर्श किया गया।

इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स काउन्सिल – गिफ्ट आईएफएससी में परिसिमित सत्र

मार्च 12, 2026

गिफ्ट सिटी, गुजरात

गिफ्ट आईएफएससी में इम्पेक्ट इन्वेटर्स काउन्सिल (आइआइसी) के सदस्यों के लिए एक परिसीमित

सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वैश्विक पूंजी प्रवाहों और भारत की सामाजिक विकास प्राथमिकताओं के बीच सहयोजन को मजबुत करने पर फोकस किया गया। आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारामन ने प्रमुख वक्तव्य दिया जिसमें सामाजिक क्षेत्र में निवेशों को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि समावेशी विकास का संचालन किया जा सके। वित्तीयन अंतराल का समाधान करने के लिए सम्मिश्रित वित्त के विकास और अंतरण वित्त व्यवस्थाओं सहित संधारणीय वित्त में इस प्राधिकरण के प्रयासों के बारे में आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक श्री प्रदीप रामकृष्णन द्वारा जानकारी प्रदान की गई। इस सत्र में उद्योगों के सहभागियों से निवेश प्रवृत्तियों और गिफ्ट आईएफएससी में अवसरों के संभावनाओं के बारे में चर्चा की गई, जिसमें आईएफएससी व्यवस्था के भीतर निधि प्रबंधन क्रियाकलापों के परिचालनगत पक्षों और पद्धतियों की जानकारी दी गई।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

एक्सचेन्ट ट्रेडेड फन्ड (ईटीफ) की क्रास-लिस्टिंग

गिफ्ट आईएफएससी को निधि प्रबंधन हेतु और आईएफएससी के स्टॉक एक्सचेन्जों पर मिलने वाले प्रस्तावों का विस्तार करने की दृष्टि से वैश्विक रूप से स्पर्धी वित्तीय केन्द्र के रूप में सुदृढ़ बनाने अपने प्रयासों में आईएफएससीए द्वारा अाी में ईटीएफ की क्रॉस-लिस्टिंग को सुविधा देने की व्यवस्था को समाविष्ट करने पर परिचर्चा की जा रही है। यद्यपि आईएफएससीए (फन्ड प्रबंधन) विनियमावली, 2025 में पहले ही वैश्विक ईटीएफ की क्रॉस-लिस्टिंग को समर्थ कर दिया गया है तथापि आईएफएससी एक्सचेन्जों में इनकी लिस्टिंग और ट्रेडिंग प्रदान करने के लिए अतिविस्तृत व्यवस्था तैयार कर समाविष्ट करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि निवेशकों के लिए निवेश के मार्ग बढ़ें और बाजार में चलनिधि को गहन किया जाए। प्रस्तावित व्यवस्था में प्रत्याशित है कि वैश्विक निवेश उत्पादों तक अभिगम में सहजता होगी और आईएफएससी परितंत्र में अंतरराष्ट्रीय निर्गमकर्ताओं का एक व्यापक हिस्सा आकर्षित होगा।

फन्ड प्रबंधन विनियमावली के तहत अनिवारक उल्लंघन हेतु व्यवस्था

यद्यपि विद्यमान विनियमों में विविध प्रकार की निवेश सीमाएं और स्कीम-स्तरीय अपेक्षाओं का निर्धारण है, तथापि फन्ड प्रबंधन परितंत्र के नियंत्रण बाहर होने के कारण कुछ घटकों से कतिपय उल्लंघन हो सकते हैं, जैसे कि बाजार की गतिविधियां या निवेशक द्वारा रकम बाहर निकालना। इस बारे में आईएफएससीए द्वारा वर्ष के दौरान आईएफएससीए (निधि प्रबंघन) विनियमावली, 2025 के तहत व्यवस्था तैयार की जाएगी ताकि औपचारिक रूप से सक्रिय उल्लंघनों को पहचाना जा सके और इनकी रिपोर्टिंग और निर्धारित समयबद्धता के भीतर ही इनके निवारण के लिए स्पष्ट व्यवस्था निर्धारित की जाए।

परिसीमित स्कीमों और उद्यम पूंजी स्कीमों में विभेदन वितरण हेतु विनियामक व्यवस्था को अंतिम रूप देना

आईएफएससीए ने 22 अक्तूबर 2025 को परिसीमित स्कीमों और वेन्चर पूंजी स्कीमों में विभेदीकृत वितरण के लिए नियामक व्यवस्था पर एक परामर्श-पत्र जारी किया ताकि सम्मिश्रित वित्त और अन्य निधि संरचनाओं के लिए सुविधा हो सके। इस परामर्श-पत्र का प्रयोजन यही रहा कि आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियमावली, 2025 के तृतीय अध्याय के क्रमश: भाग-ए और भाग-बी के तहत वेन्चर पूंजी स्कीमों और परिसीमित स्कीमों में विभेदीकृत वितरण की अनुमति देने के लिए जनता से अभिमत लिया जाए। आईएफएससीए वर्तमान में बाजार सहभागियों से प्राप्त अभिमतों का मूल्यांकन कर रहा है और वित्तीय वर्ष 2025-26 में नियामक व्यवस्था को अंतिम रूप मिलने की आशा है।

धातुएं और पण्य

भारत विश्व में स्वर्ण के सबसे बड़े आयातकों और उपभोक्ताओं में से एक है, और गिफ्ट आईएफएससी में इंडिया इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेन्ज आईएफएससी लिमिटेड (आइआइबीएक्स) की स्थापना के माध्यम से वैश्विक मूल्यवान धातुओं के बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कृतसंकल्प है। यह प्रयास नीति आयोग के 2018 की रिपोर्ट से निसृत हुआ है जो भारत के स्वर्ण परितंत्र में सुधार के बारे में थी और बाद में इसे यूनियत बजट 2020-21 में भी घोषित किया गया। इसका अनुसरण करते हुए आईएफएससीए ने दिसम्बर 2020 में आईएफएससीए (बुलियन एक्सचेन्ज) विनियमावली जारी की जिसे बाद में फरवरी 2025 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित आईएफएससीए (बुलियन एक्सचेन्ज) विनियमावली, 2025 से प्रतिस्थापित कर दिया गया। आइआइबीएक्स मूलतया भारत में 5 अग्रणी बाजार अवसंरचना संस्थानों के संघ के रूप स्थापित किया गया था। आधिकारिक रूप से इस एक्सचेन्ज का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 29 जुलाई 2022 को किया गया था। आइआइबीएक्स की स्थापना के पीछे यह प्रयोजन था कि स्वर्ण और रजत जैसी मूल्यवान धातुओं की ट्रेडिंग के लिए एक गतिमान और पारदर्शी प्लेटफार्म तैयार किया जाए जिससे भारत इस वैश्विक बाजार में कीमत पूछने की बजाय कीमत को प्रभावित करने वाला बन जाए।

इंडिया इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेन्ज (आइआइबीएक्स)

वर्तमान में आइआइबीएक्स को भारत के अग्रणी बाजार अवसंरचना संस्थानों यथा एनएसई, इंडिया

आइआइबीएक्स पर उत्पाद

सारणी 12: आइआइबीएक्स पर गोल्ड (स्पॉट) उत्पाद

स्वर्ण उत्पाद			
उत्पाद	विवरण		
	ट्रेडिंग यूनिट	शुद्धता	गुड डिलीवरी मानक
गोल्ड 995 टी+0	1 किग्रा	995	एलबीएमए अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा या आइआइबीएक्स पर यथाअनुमोदित अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्त स्वर्ण छड़ें
गोल्ड मिनी 999 टी +0	100 ग्राम	999	
गोल्ड 9999 टी +0	1 किग्रा	9999	
गोल्ड 12.5 किग्रा 9999 टी +0	12.5 किग्रा	9999	
यूएईजीडी गोल्ड 995 टी +0	1 किग्रा	995	यूएई गुड डिलीवरी (यूएईजीडी) अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्त स्वर्ण-छड़ें
यूएईजीडी गोल्ड मिनी 999 टी +0	100 ग्राम	999	
यूएईजीडी गोल्ड 9999 टी +0	1 किग्रा	9999	
यूएईजीडी गोल्ड 12.5 किग्रा 9999 टी +0	12.5 किग्रा	9999	
यूएईजीडीटीआरक्यू गोल्ड 995 टी +0	1 किग्रा	995	भारत-यूएई समेकित आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत यूएई गुड डिलीवरी (यूएईजीडी) अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्त स्वर्ण-छड़ें
यूएईजीडीटीआरक्यू गोल्ड 999 टी +0	100 ग्राम	999	

सारणी 13 : आइआइबीएक्स पर सिल्वर (स्पॉट) उत्पाद

चांदी			
उत्पाद	विवरण		
	ट्रेडिंग यूनिट	शुद्धता	गुड डिलीवरी मानक
सिल्वर ग्रेन्स् टी +0	20 किग्रा	999	एलबीएमए अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा या आइआइबीएक्स पर यथा अनुमोदित अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्त ग्रेन्स्/छड़ें
सिल्वर छड़ें टी +0	30 किग्रा	999	
यूएईजीडी सिल्वर ग्रेन्स् टी +0	20 किग्रा	999	यूएई गुड डिलीवरी (यूएईजीडी) अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्त ग्रेन्स्/छड़ें
यूएईजीडी सिल्वर छड़ें टी +0	30 किग्रा	999	
यूएईजीडीसीईपीए सिल्वर ग्रेन्स् टी +0	20 किग्रा	999	भारत-यूएई समेकित आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत यूएई गुड डिलीवरी (यूएईजीडी) अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्त ग्रेन्स्/छड़ें

आइएनएक्स, इंडिया आइसीसी, एनएसडीएन, सीडीएसएल और एमसीएक्स द्वारा आरंभ किया गया और इसका नियंत्रण आईएफएससीए द्वारा किया जाता है। आइआइबीएक्स की भूमिका यह है कि आईएफएससी में धातुओं और पण्यों के लिए एक पारदर्शक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म, लोकतांत्रिक कीमत निर्धारण पद्धति, वित्तीय बाजार के अन्य खंडों के साथ अधिकाधिक एकीकरण प्रदान किया जाए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत को प्रभावित करने वाला बना जाए, आदि ।

बुलियन एक्सचेन्ज और बुलियन क्लीयरिंग निमग

बुलियन बाजार अवसंरचना संस्थान के रूप में आईएफएससीए से मान्यताप्राप्त इंडिया इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेन्ज बुलियन एक्सचेन्ज और बुलियन क्लीयरिंग कार्पोरेशन दोनों ही प्रकार से परिचालन करता है। वर्तमान में बुलियन एक्सचेन्ज के रूप में यह ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो बुलियन (स्वर्ण और चाँदी) से संबंधित उत्पाद प्रदान करता है। क्लीयरिंग कार्पोरेशन के रूप में इसकी भूमिका बुलियन एक्सचेन्ज में निष्पादित सभी सौदों की क्लीयरिंग और निपटान हेतु यह केन्द्रीय प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करता है।

बुलियन डिपॉजिटरी

गिफ्ट आईएफएससी में केवल एक ही डिपॉजिटरी है जिसका नाम है इंडिया इन्टरनेशनल डिपॉजिटरी आईएफएससी लि. (आइआइडीआइ) (पहले इसे सीएसडीएल आईएफएससी लि. के नाम से जाना जाता था), इसे ही बुलियन डिपॉजिटरी का नाम भी दिया गया है। आइआइडीआइ की भूमिका है कि बुलियन एक्सचेन्ज में सौदे के लिए बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करना। यह वाल्ट प्रबन्धकों के माध्यम से बुलियन के भंडारण और सुरक्षा की निगरानी का कार्य भी करता है। इसके अलावा बुलियन

डिपॉजिटरी के रूप में आइआइडीआइ यह भी सुनिश्चित करता है कि बुलियन डिपॉजिटरी को सूचना का एन्क्रिप्टेड अंतरण प्रदान करने के लिए और वाल्ट प्रबन्धक तथा बुलियन डिपॉजिटरी के बीच डाटा के सिस्टम-आधारित त्रुटिशोधन के लिए वाल्ट प्रबन्धक के पास सिस्टम, मैकेनिज्म, और संबंधित आइटी अवसंरचना है।

वाल्टिंग अवसंरचना

गिफ्ट आईएफएससी की वाल्टिंग अवसंरचना में बुलियन के भंडारण हेतु सुविधाएं शामिल हैं। वर्तमान में सीक्वेल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिन्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और माल्का-अमित जेके लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लि. नामक तीन वाल्ट प्रबन्धक इस प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किए गए हैं।

बुलियन बाजार के मध्यस्थ

बुलियन ट्रेडिंग सदस्य (बुलियन टीएम), बुलियन ट्रेडिंग एन्ड क्लीयरिंग सदस्य (बुलियन टीसीएम), बुलियन ट्रेडिंग-कम-सेल्फ क्लीयरिंग सदस्य (टीएससीएम) और बुलियन प्रोफेशनल क्लीयरिंग सदस्य (बुलियन पीसीएम) की क्षमता में 31 मार्च 2026 की स्थिति निम्नानुसार रही। इन प्रतिष्ठानों के नाम और विवरण इस प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स

विदेशी व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 5 जनवरी 2022 की अपनी अधिसूचना सं.49/2015-2020 के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्दिष्ट किया है कि आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स (क्यूजे) को यह अनुमति होगी वे आइआइबीएक्स के माध्यम से आइटीसी (एचएस) कोड 71081200 और 71189000 के तहत स्वर्ण का आयात कर सकते हैं। इसके अलावा अक्तूबर 2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से डीजीएफटी ने चांदी के लिए आयात नीति शर्त में संशोधन किया ताकि अर्हताप्राप्त ज्वैलरों द्वरा आइटीसी (एचएस) कोड 71069110 और 71069290 के तहत आयात की अनुमति मिल सके। डीजीएफटी की उक्त अधिसूचना के आधार पर आईएफएससीए ने समर्थकारी परिपत्र जारी किए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, आइआइबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण और चांदी के आयात करने के लिए किसी प्रतिष्ठान को अर्हताप्राप्त ज्वैलर के रूप अधिसूचित करने के प्रयोजन से पात्रता शर्तें का भी उल्लेख किया गया था।

वैध भारत-यूएई सीईपीए टीआरक्यू धारक

भारत और यूएई ने 18 फरवरी 2022 को एक समेकित आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बुलियन, और रत्न और आभूषण क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा भी शामिल है। भारत-यूएई सीइपीए के तहत भारत अब प्रतिवर्ष स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा (टैरिफ रेट कोटा) का आयात यूएई के पात्र प्रतिष्ठानों से कर सकता है, जिसपर प्रचलित दर से 1 प्रतिशत कम सीमा-शुल्क लगेगा। यह टीआरक्यू पात्र भारतीय प्रतिष्ठानों

सारणी 14: मार्च 31, 2026 की यथास्थिति अनुसार बुलियन बाजार मध्यस्थ

बुलियन टीएम	बुलियन टीसीएम	टीएससीएम	बुलियन पीसीएम
6	12	3	2

(भारत-यूएई सीईपीए टीआरक्यू धारकों) को डीजीएफटी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में आबंटित की जाती है। आइआइबीएक्स के माध्यम से भारत-यूएई सीईपीए टीआरक्यू धारकों द्वारा आयातों की सुविधा देने की दृष्टि से डीजीएफटी ने आइटीसी (एचएस) 2022, की प्रथम अनुसूची (आयात नीति) के अध्यया 71 के आइटीसी(एचएस) कोड 71081200 हेतु आयात नीति की शर्त को संशोधित किया और कहा कि आईएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित वैध भारत-यूएई सीईपीए टीआरक्यू धारक टीआरक्यू के बदले में आइआइबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण का आयात कर सकते हैं और इसकी भौतिक डिलीवरी एसईजेड में स्थित आईएफएससीए पंजीकृत वाल्टों से आईएफएससीए द्वारा निर्धारित दिशानिदेशों के तहत प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद, आईएफएससीए ने 13 दिसम्बर 2023 को एक परिपत्र जारी किया ताकि भारत-यूएई सीईपीए के तहत यूएई गुड डिलीवरी (यूएईजीडी) टीआरक्यू स्वर्ण के आयात हेतु आइआइबीएक्स पर भारत-यूएई सीईपीए टीआरक्यू धारकों की सहभागिता के लिए सुविधा रहे। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 के अपने परिपत्र के माध्यम से दिशानिदेशों का प्रावधान किया जो आईएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित भारत-यूएई सीईपीए के तहत टीआरक्यू धारकों द्वारा स्वर्ण के आयात के बारे में है और ये निदेश श्रेणी- I प्राधिकृत डीलर बैंकों पर लागू होंगे।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

आईएफएससी में वाल्ट प्रबन्धकों द्वारा ग्राहक के लिए विधिवत समावेक्षा (सीडीडी) और आपूर्ति शृंखला की सत्यनिष्ठता

Apr 22, 2025

दिशानिदेशों और बुलियन दिशानिदेशों के तहत वाल्ट प्रबन्धकों के दायित्वों को स्पष्ट करते हुए यह परिपत्र जारी किया। इस परिपत्र के अनुसार वाल्ट प्रबन्धकों द्वारा विदेशी और स्वदेशी सहभागियों सहित सभी बीडीआर धारकों के लिए सीडीडी का आयोजन किया जाएगा और वे कुछ सीमाओं के साथ बुलियन डिपॉजिटरी की सीडीडी पर भरोसा कर सकते हैं।

"बुलियन एक्सचेन्ज, बुलियन क्लीयरिंग निगम, बुलियन डिपॉजिटरी और वाल्ट प्रबन्धकों पर आईएफएससीए के परिचालन दिशानिदेश – 'ग्राहकों' के लिए निवल मालियत अपेक्षाओं का समापन" में संशोधन

अप्रैल 29, 2025

परिचालन दिशानिदेशों में किए गए संशोधन में 'ग्राहकों' के सभी वर्गों के लिए निवल मालियत की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है। यह आइआइबीएक्स पर दिए जा रहे विभिन्न उत्पादों के लिए सहभागिता को व्यापक बनाने के लिए किया गया। हालांकि क्रमश: 18 अगस्त 2022 और 11 दिसम्बर 2023 के परिपत्रों के माध्यम से अर्हताप्राप्त आपूर्तिकर्ताओं और अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स के लिए निर्धारित निवल मालियन की अपेक्षाएं यथावत लागू रहेंगी।

आइआइबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण और चांदी के आयात के लिए आइटीसी(एचएस) कोड में संशोधन

जून 02, 2025

आइआइबीएक्स में बुलियन आयात के दिशानिदेशों को डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 08/2025-26 दिनांक 19 मई 2025, और वित्त अधिनियम, 2025 की अनिवार्यताओं के साथ समरूपित करने के लिए यह परिपत्र जारी किया गया। इन संशोधनों ने बहुत से आइटीसी (एचएस) कोड भी अपडेट किए हैं।

बुलियन एक्सचेन्ज में प्राधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से बाजार अभिगम पर आईएफएससीए परिपत्र

सितम्बर 11, 2025

आईएफएससीए ने दिनांक 14 अक्तूबर 2020 और 29 अप्रैल 2022 के अपने बाजार अभिगम परिपत्रों के माध्यम से अनुमति प्राप्त आईएफएससी स्टॉकब्रोकरों और ब्रोकर-डीलरों को भारत और विदेश में प्राधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से बाजार में अभिगम कराने की अनुमति दी थी। इसके बाद आईएफएससीए ने एक परिपत्र जारी किया और उक्त उल्लिखित बाजार अभिगम परिपत्रों की प्रयोज्यता का विस्तार किया और बुलियन एक्सचेन्ज और बुलियन ट्रेडिंग सदस्यों पर भी लागू किया ताकि आईएफएससी में बुलियन बाजार की पहुंच का विस्तार हो सके और बाजार में सहभागिता का विस्तार हो सके।

बुलियन एक्सचेन्ज, बुलियन क्लीयरिंग निगम, बुलियन डिपॉजिटरी और वाल्ट प्रबन्धकों पर आईएफएससीए के परिचालन दिशानिदेशों का संशोधन – बुलियन ट्रेडिंग सदस्य के लिए पात्रता मानदंड

सितम्बर 22, 2025

आईएफएससीए ने बुलियन ट्रेडिंग सदस्य के कर्मचारी के न्यूनतम अनुभव अपेक्षाओं में रियायत देते हुए बुलियन एक्सचेन्ज की सदस्यता हेतु पात्रता के लिए परिचालन दिशानिदेशों में संशोधन किया। इस संबंध में कम-से-कम एक कर्मचारी के पास तीन वर्ष का अनुभव और बहुमूल्य धातु उद्योग की अच्छी जानकारी होने के मानदंड को संशोधित करके इस प्रकार कर दिया गया 'ट्रेडिंग सदस्यों के पास कम-से-कम एक कर्मचारी ऐसा होना चाहिए जिसके पास प्रतिभूतियों या विदेशी मुद्रा या बहुमूल्य धातुओं में कारोबारी करने का दो वर्ष से कम के अनुभव वाला नहीं होना चाहिए'।

अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स और वैध भारत-यूएई सीईपीए टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) धारकों द्वारा इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेन्ज (आइआइबीएक्स) के माध्यम से स्वर्ण या चांदी का निर्यात

अक्तूबर 10, 2025

इस परिपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स के लिए निवल मालियत की पूर्ववर्ती 25 करोड़ भारतीय रुपये की अपेक्षा को कम करके निवल मालियत अपेक्षा को 15 करोड़ भारतीय रुपये कर दिया गया है और 'योग्य तथा उचित' व्यक्ति की परिभाषा को भी संशोधित किया गया और इस प्रकार स्वर्ण और चांदी के आयात करने के लिए आईएफएससी में बुलियन एक्सचेन्ज में अभिगम के लिए पात्र प्रतिष्ठानों के सेट को व्यापक बनाया गया।

प्रस्तावित आईएफएससीए गुड डिलीवरी दिशानिदेशों पर परामर्श-पत्र

नवम्बर 28 - दिसम्बर 31, 2025

इस परामर्श-पत्र का प्रयोजन यही था कि सर्वोत्तम परिपाटियों का अनुपालन करते हुए और उत्तरदायी सोर्सिंग पर अग्रणी ऑडिट विशेषज्ञों द्वारा ऑडिट कराते हुए किसी भी भारतीय या वैश्विक रिफाइनरी द्वारा रिफाइन किए हुए स्वर्ण की डिलीवरी इंडिया इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेन्ज पर की जा सके।

पात्र एसईजेड यूनिटों और एडवान्स ऑथोराइजेशन धारकों को स्वर्ण / चांदी का आयात आइआइबीएक्स के माध्यम से करने की अनुमति

जनवरी 02, 2026

अपने ज्वैलरी का निर्यात परिचालन प्राधिकृत परिचालनों में से एक होने की स्थिति में और अनुमोदन का वैध पत्र धारक एसईजेड यूनिटों और एडवान्स प्राधिकृत धारकों को आइआइबीएक्स के माध्यम से

स्वर्ण और चांदी का आयात करने के लिए पात्रता मानदंडों में रियायत देने के लिए आईएफएससीए ने एक परिपत्र जारी किया। उक्त परिपत्र को जारी करने के बाद दिनांक 10 अक्तूबर 2025 को एक समेकित परिपत्र अपडेट किया गया और उसी दिन जारी कर दिया गया। किसी भी परिपत्र के जारी होने पर समेकित परिपत्र का अपडेशन स्टेकधारकों के लिए स्पष्टता, एकरूपता, और संदर्भ को सुनिश्चित करता है, क्योंकि आइआइबीएक्स के माध्यम से बुलियन के आयातों के लिए सभी प्रयोज्य अपेक्षाएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं और आईएफएससी में बुलियन बाजार में व्यापक सहभागिता में सुविधा रहती है।

गिफ्ट आईएफएससी में परिचालन कर रहे आइआइबीएक्स को क्वालिफाइंग सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी (क्यूसीसीपी) स्थिति प्रदान करना

मार्च 25, 2026

आइआइबीएक्स को आईएफएससीए अधिनियम और आईएफएससीए (बुलियन बाजार) विनियमावली, 2025 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 के तहत आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी में बुलियन एक्सचेन्ज और बुलियन क्लीयरिंग निगम दोनों ही के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। बुलियन क्लीयरिंग निगम एक क्यूसीसीपी के रूप में अर्हता प्राप्त कर चुका है और इसका नियंत्रण आईएफएससीए द्वारा आईएफएससीए अधिनियम, 2019, एससीआरए और इसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और दिशानिदेशों के अधीन किया जा रहा है। आइआइबीएक्स का सतत रूप से उन्ही नियमों और विनियमों द्वारा किया जाता है जो भुगतान और निपटान प्रणाली संबंधी समिति और आइओएससीओ द्वारा जारी किए गए वित्तीय बाजार अवसरंचना हेतु सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं। इन्हें इसलिए जारी किया गया था कि भुगतान, क्लीयरिंग, निपटान, और वित्तीय स्थायित्व में सुरक्षा और कुशलता बढ़े, और भी व्यापक रूप से देखा जाए तो प्रणालीगत जोखिम सीमित हो पारदर्शिता तथा वित्तीय स्थायित्व को बढ़ावा मिले। आईएफएससीए द्वारा नियंत्रित आइआइबीएक्स का निर्धारण बाजार अवसंरचना संस्थान के रूप में किया गया है जो गिफ्ट आईएफएससी में गिफ्ट आईएफएससी के प्रणालीगत महत्त्व को देखते हुए निगरानी के लिए है। इस प्रकार आइआइबीएक्स का नियमन और पर्यवेक्षण पीएफएमआइ व्यवस्था के भीतर किया जाता है, और पीएफएमआइ का अनुपालन इसके लिए अनिवार्य है। उक्त को देखते हुए आइआइबीएक्स को क्यूसीसीपी की हैसियत प्रदान की गई है।

संव्यवहार / प्रोसेस / परिचालन / प्रवृत्तियां

प्रमुख गतिविधियां /परिचालन

मार्च 2026 की स्थिति अनुसार, आईएफएससीए ने 6 प्रतिष्ठानों को बुलियन ट्रेडिंग सदस्यों (टीएम) के रूप में, 12 को बुलियन ट्रेडिंग-कम-क्लीयरिंग सदस्य (टीसीएम), 2 को बुलियन प्रोफेशनल क्लीयरिंग सदस्य (पीसीएम), और 3 को बुलियन ट्रेडिंग सदस्य-कम-सेल्फ क्लीयरिंग सदस्य के रूप में पंजीकरण दिया है। इसके अलावा 31 मार्च 2026 तक 214 प्रतिष्ठानों को अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, आईएफएससीए ने 337 प्रतिष्ठानों को वैध भारत-यूएई सीईपीए टीआरक्यू धारकों के रूप में अधिसूचित किया जो भारत-यूएई सीईपीए के तहत आइआइबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण/ चांदी का आयात कर सकते हैं।

वैश्विक रूप से मान्यताप्राप्त तीन (3) वाल्ट प्रबन्धकों ने अपने सुरक्षित वाल्ट स्थापित किए [3 गिफ्ट आईएफएससी में, 1 चेन्नई (एयरपोर्ट के समीप) और 1 कांचीपुरम (तमिलनाडु) में] जिनकी संयुक्त भंडारण क्षमता 151 टन स्वर्ण और 930 टन चांदी की है, जिसे प्रत्येक वाल्ट हेतु वाल्ट प्रबन्धकों की बीमा देयता के आधार पर विस्तारित किया जा सकता है।

आरंभ से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक के माध्यम से आयातित कुल स्वर्ण 102.33 टन से भी आगे निकल गया है जिसका मूल्य लगभग 8.59 बिलियन अमरीकी डॉलर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आइआइबीएक्स के माध्यम से 0.92 टन स्वर्ण का आयात किया गया।

आइआइबीएक्स के माध्यम से आयातित चांदी का कारोबार 13 दिसम्बर 2023 को आरंभ होने से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में 1147.98 टन पर पहुंच गया जिसका मूल्य लगभग 926.79 मिलियन अमरीकी डॉलर है।

गोल्ड वायदा सौदों की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुई थी और पहला सौदा जुलाई 2025 में हुआ। इसके बाद चांदी वायदा कारोबार की शुरुआत हुई और पहला सौदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में हुआ।

आइआइबीएक्स पर नामित बैंक का पहला सौदा

भारतीय रिज़र्व बैंक-मनोनीत दो बैंकों ने विशेष श्रेणी ग्राहक (एससीसी) के रूप में सहभागिता की, जिन्हें अपने स्वदेशी ग्राहकों की तरफ से स्वर्ण का आयात करने के लिए आइआइबीएक्स पर सीधे अभिगम दिया गया और इन्होंने परीक्षण के तौर पर सौदे किए। चीन के बाद भारत विश्व में स्वर्ण का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और इसलिए स्वर्ण के बाजार में कीमत को प्रभावित करने वाला बनने का भी लक्ष्य रखता है। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार फुल-ईयर 2025 गोल्ड डिमान्ड ट्रेन्ड्स् रिपोर्ट के अनुसार पहली बार स्वर्ण की मांग 5,000 टन से भी आगे निकल गई, इसका कारण रिकार्ड उच्चता पर हुए निवेश रहे, 53 बार सर्वकालिक कीमत उच्चता रही, और केन्द्रीय बैंकों ने बड़ी खरीद की। सन 2025 कुल स्वर्ण आपूर्ति 1 प्रतिशत बढ़कर 5002 टन पर पहुंच गई, खदानों ने भी अनुमानित 3,672 टन का रिकार्ड उत्पादन किया। भारत में स्वर्ण का आयात मूल्य की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान रिकार्ड पर रहा, जिसका प्रमुख कारण वैश्विक और स्वदेशी कीमतों में भारी बढ़ोतरी रहा। यद्यपि आयातों के मूल्य में 24% की बढ़ोतरी हुई (58.01 बिलि. अमरीकी डॉलर से 71.98 बिलि. अमरीकी डॉलर), लेकिन आयातित स्वर्ण की वास्तविक मात्रा में 'कीमत आघात' के कारण लगभग 5% (757.09 टन से 721.03 टन) की गिरावट रही।

सारणी 15 : आईएफएससी में बुलियन परितंत्र का स्नैपशॉट

विवरण वर्ष के अंत में	मार्च 2025	मार्च 2026	वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि (%)
आइबीएक्स पर विनियमित प्रतिष्ठान / मध्यस्थ	23	26	13.04%
सहभागी (क्यूजे, क्यूएस और वैध भारत सीईपीए टीआरक्यू धारक)	645	596	-7.60%
आइआइबीएक्स पर सौदाकृत स्वर्ण (टन में) – वर्ष के अंत में	101.41	102.33	0.91%
आइआइबीएक्स पर सौदाकृत चांदी (टन में) – वर्ष के अंत में	1147.98	1147.98	कोई परिवर्तन नहीं

सारणी 16: आइआइबीएक्स पर उत्पाद-अनुसार सारांश

उत्पाद	वित्तीय वर्ष 2024-25 में		वित्तीय वर्ष 2025-26 में	
	सौदाकृत मूल्य (मिलि. यूएसडी)	सौदाकृत मात्रा (किग्रा में)	सौदाकृत मूल्य (मिलि. यूएसडी)	सौदाकृत मात्रा (किग्रा में)
एलबीएमए 1 किग्रा गोल्ड 995	0.00	0.00	0.00	0.00
एलबीएमए 100 ग्राम गोल्ड 999	0.00	0.00	0.00	0.00
यूएई जीडी 1 किग्रा गोल्ड 995	8.46	106.00	84.31	574.00
यूएई जीडी 100 ग्राम गोल्ड 999	10.97	135.50	13.32	107.20
यूएईजीडी टीआरक्यू 1 किग्रा गोल्ड 995	3,471.10	40514.00	13.59	88.00
यूएईजीडी टीआरक्यू 100 ग्राम गोल्ड 999	4,437.75	52317.40	22.96	147.00
कुल (स्वर्ण)	**7,928.28**	**93072.50**	**134.18**	**916.20**
यूएईजीडी सीईपीए सिल्वर ग्रेन्स	217.91	228060.00	0.00	0.00
यूएईजीडी सिल्वर ग्रेन्स	1.10	1100.00	0.00	0.00
सिल्वर ग्रेन्स	0.00	0.00	0.00	0.00
यूएईजीडी सिल्वर बार	0.00	0.00	0.00	0.00
सिल्वर बार	9.29	10020.00	0.00	0.00
कुल (चांदी)	**228.31**	**239180.00**	**0.00**	**0.00**

सारणी 17 : आइआइबीएक्स का वायदा खंड (गोल्ड)

उत्पाद	वित्तीय वर्ष 2025-26 में	
	सौदाकृत मूल्य (यूएसडी में)	सौदाकृत मात्रा (किग्रा में)
26 मार्च को 1 किलो सोना (जीएफयूटी)	6,537,492.39	42.00
25 अक्टूबर को 1 किलो सोना (जीएफयूटी)	215,772.55	2.00
25 अगस्त को 1 किलो सोना (जीएफयूटी)	214,045.09	2.00
कुल	**6,967,310.03**	**46.00**

सारणी 18: आइआइबीएक्स का वायदा खंड (चांदी)

उत्पाद	वित्तीय वर्ष 2025-26 में	
	सौदाकृत मूल्य (यूएसडी में)	सौदाकृत मात्रा (किग्रा में)
चांदी 30 किलो जीएफयूटीएसईपी25	72,830.98	60.00
चांदी 30 किलो जीएफयूटीओसीटी25	72,541.63	60.00
कुल	**145,372.61**	**120.00**

भारत के लिए स्विटजरलैन्ड मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा, कुल स्वर्ण आयात का लगभग 22% आयात वहीं से हुआ इसके बाद यूएई (~16%) और चिली (~14%) का रहा।

देश के कुल आयातों में बहुमूल्य धातुओं का हिस्सा काफी बड़ा है और देश में स्वर्ण और चांदी की भारतीय मांग को देखते हुए आइआइबीएक्स का निरूपण उन उपायों में से एक है जो स्वर्ण और चांदी के आयात/भारत में कारोबार को औपचारिकता प्रदान करने के लिए अवसरों का सृजन करते हैं। यह एक्सचेन्ज स्वर्ण और चांदी के आयात/कारोबार के लिए अधिक पारदर्शी, लोकतांत्रिक, और कुशल प्लेटफार्म प्रदान करता है। इस प्राधिकरण का यह भी लक्ष्य है कि गिफ्ट आईएफएससी में आगामी समय के दौरान एक्सचेन्जों पर अधिकाधिक कमोडिटी-सहबद्ध उत्पादों और डेरेवेटिव को समाविष्ट किया जाए।

पर्यवेक्षण

यह सुनिश्चित करने के लिए कि गिफ्ट आईएफएससी में बुलियन बाजार परितंत्र के विकास की गति को नियामक अनुपालना का पर्याप्त समर्थन मिलता है, जिससे इसका विधिवत विकास हो, आईएफएससीए द्वारा अपने विनियमित प्रतिष्ठानों का पर्यवेक्षण किया जाता है। आईएफएससीए अपनी आरई से अर्थात बुलियन डिपॉजिटरी, बुलियन एक्सचेन्ज, और वाल्ट प्रबन्धकों से मासिक रिपोर्टिंग मंगाकर ऑफसाइट पर्यवेक्षण करता है। इसके अलावा, आईएफएससीए ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 5 बुलियन ट्रेडिंग और क्लीयरिंग सदस्यों (टीएम/सीएम) और इंडिया इन्टरनेशनल डिपॉजिटरी लिमिटेड का ऑनसाइट पर्यवेक्षण भी किया।

कार्यदल / समिति

'गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक कमोडिटी ट्रेडिंग केन्द्र के रूप में स्थापित करने' पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

अगस्त 01, 2025

आईएफएससीए ने मई 2024 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जो गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक पण्य कारोबार केन्द्र के रूप में स्थापित करने पर विचार करेगी। इस विशेषज्ञ समिति को आईएफएससी में पण्य कारोबार को समर्थकारी बनाने और संबंधित पक्षों का परीक्षण करने का कार्य सौंपा गया था, जो आईएफएससी के वित्तीय परितंत्र को वैश्विक कारोबारी प्रवाह, के कारोबारी एकीकरण में सुविधा देंगे और प्रमुख कमोडिटी केन्द्रों के साथ 2 अवसरों को एकीकृत करके आईएफएससी में वैश्विक निवेश प्रवाह को आकर्षित करें, के संबंध में संस्तुतियों का कार्य भी इस समिति को दिया गया। इस विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट 1 अगस्त 2025 को प्रस्तुत की और गिफ्ट आईएफएससी में विश्व-स्तरीय कारोबारी परितंत्र बनाने का लक्ष्यबद्ध करते हुए संस्तुतियां की गईं।

पक्ष समर्थन और आउटरीच

दुबई प्रीशियस मैटल कॉन्फ्रेन्स 2025

नवम्बर 24-25, 2025

दुबई, यूएई

अपने आउटरीच प्रयासों के एक भाग के रूप में आईएफएससीए ने बाजार के सहभागियों और उद्योग में प्रमुख स्टेकधारकों के साथ बैठकों की एक पूरी श्रृंखला का आयोजन किया।

इंडिया मैनेजमेन्ट रिसर्च कॉन्फ्रेन्स (आइएमआरसी) – आइआइएम अहमदाबाद 2025

दिसम्बर 05-07, 2025

अहमदाबाद , भारत

आईएफएससीए ने आइआइएम अहमदाबाद में दिसम्बर 2025 में आयोजित आइएमआरसी 2025 में सहभागिता की।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

बुलियन बाजार मध्यस्थ विनियमन की अधिसूचना

आईएफएससीए द्वारा आईएफएससी में बुलियन बाजार में कार्यरत मध्यस्थों के लिए समेकित विनियमावली तैयार करने की प्रक्रिया में है। इन विनियमों का लक्ष्य यही है कि बाजार की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट परिचालनगत, अनुपालन, और अभिशासन के मानक स्थापित हो सकें।

आईएफएससीए बुलियन गुड डिलीवरी दिशानिदेश

आईएफएससीए इस प्रक्रिया में है कि बुलियन की गुड डिलीवरी के लिए मानकों और पद्धतियों को परिभाषित करने के लिए दिशानिदेश अधिसूचित किए जाएं, जिनमें भार, शुद्धता, और रिफाइनर के प्रत्यायन भी शामिल हैं। इन दिशानिदेशों का लक्ष्य यही है कि आईएफएससी प्लेटफॉर्म पर सौदाकृत बुलियन की समतुल्यता और वैश्विक स्वीकार्यता का सृजन किया जाए।

सम्पूर्ण भारत में विशेष आर्थिक जोन या मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग जोन के भीतर अन्य स्थानों पर आईएफएससी वाल्टिंग केन्द्रों को परिचालनयुक्त करना

एसईजेड नियमावली में नियम 19ए को समाविष्ट करने से गुजरात में गिफ्ट आईएफएससी के बाहर भी नए वाल्ट की अवसंरचना स्थापित करने की अनुमति मिल गई है, इनमें चेन्नई का एमईपीजेड भी शामिल है। यह आशा है कि एसईजेड जैसे कि सीप्झ (सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन), मणिकांचन कोलकाता और देश के अन्य प्रान्तों में कुछ और वाल्ट संचालित किए जाएं।

डायमन्ड ट्रेडिंग सहित कमोडिटी कारोबार के लिए विनियामक व्यवस्था जारी करना (वित्त मंत्रालय-आर्थिक कार्य विभाग से आवश्यक अनुमतियों के बाद)

आईएफएससीए इस प्रक्रिया में है कि आईएफएससी के माध्यम से कमोडिटी कारोबार के लिए समेकित विनियामक व्यवस्था का विकास किया जाए, यह व्यवस्था वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (एमओएफ – डीईए) द्वारा आवश्यक अनुमतियों के अधीन होगी। प्रस्तावित व्यवस्था का लक्ष्य यही है कि आईएफएससी में कमोडिटी कारोबार को अनुमति दी जाए, जिससे आईएफएससी का वित्तीय परितंत्र का एकीकरण वैश्विक कारोबार के प्रवाह के साथ हो, प्रमुख कमोडिटी केन्द्रों के साथ एकीकरण अवसरों का लाभ उठाया जाए और आईएफएससी में वैश्विक निवेश को आकर्षित किया जाए, इससे आईएफएससी को स्पर्धी रूप से विकास करने में सहायता मिले।

गिफ्ट आइएफएससी में फिनटेक

गिफ्ट आईएफएससी का उदय भारत के प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी नवोन्मेषों के रूप में हो गया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा "वैश्विक फिनटेक प्रयोगशाला" और ""नवयुग की वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सेवाओं का चेतना केन्द्र" की इस परिकल्पना के लिए आईएफएससी ने एक प्रबल परितंत्र तैयार किया है जो विनियम, नवोन्मेष और वैश्विक पूंजी को एकजुट कर रहा है।

अप्रैल 2022 में फिनटेक एन्टिटी (एफई) व्यवस्था समाविष्ट होने के बाद से इस प्राधिकरण ने एक विशिष्ट नियामक व्यवस्था तैयार की है जो बैंकिंग, पूंजी बाजारों, बीमा, पेन्शन और सम्बद्ध क्षेत्रों के बीच फिनटेक और टेकफिन परिचालन की क्षमता प्रदान करती है, कि वे आईएफएससी में रहकर नवोन्मेषी समाधानों का परीक्षण और नियोजन करें।

इस व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण यह है कि टेकफिन के एक अलग ही वर्ग को समाविष्ट किया गया जो वित्तीय क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहे प्रौद्योगिकी-चालित प्रतिष्ठानों का जोखिम-आधारित वर्गीकरण को सक्षमता देता है। इस अग्रदर्शी व्यवस्था ने अग्रणी प्रौद्योगिकी जैसे कि टोकनीकरण, क्वान्टम टेक्नोलॉजी, कृत्रिम मेधा (एआइ), और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कार्य कर रहे प्रतिष्ठानों के लिए सीमित प्रयोग हेतु प्राधिकार दिए कि वे अपने समाधानों को आईएफएससीए फिनटेक सैन्डबॉक्स में परीक्षण हेतु दे सकते हैं।

आईएफएससीए को उल्लिखित एफई व्यवस्था और आईएफएससीए फिनटेक सैन्डबॉक्स व्यवस्था के तहत 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार 175 आवेदन प्राप्त हुए, आवेदकों में संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंग्डम, सिंगापुर, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात सहित 14 अधिकारक्षेत्र शामिल हैं। इस व्यवस्था में यह अनुमति भी है कि अग्रणी भारतीय प्रौद्योगिकी कम्पनियों को भी प्राधिकृत किया जाएगा, जिससे आशा है कि महत्त्वपूर्ण रोजगारों का सृजन होगा और आईएफएससी में प्रौद्योगिकी परितंत्र सुदृढ़ होगा।

इन प्रयासों की सफलता वैश्विक वित्तीय केन्द्र सूचकांक (जीएफसीआई) फिनटेक रैंकिंग में गिफ्ट आईएफएससी के महत्त्वपूर्ण सुधार में प्रकट होती है जो सन 2022 के 76वें पायदान से सन 2026 में 29वें पायदान पर आ गया, यह स्थिति फिनटेक नवोन्मेष के लिए गिफ्ट आईएफएससी को एक वैश्विक केन्द्र के रूप में बढ़ती हुई अंतरराष्ट्रीय मान्यता को प्रकट करती है।

आईएफएससीए फिनटेक सैन्डबॉक्स व्यवस्था

एफई व्यवस्था, उदीयमान वैश्विक फिनटेक गतिविधियों, और लोक परामर्श प्रकिया के दौरान स्टेकधारकों से मिले अभिमतों से प्राप्त अनुभव का आश्रय लेते हुए आईएफएससीए ने 16 मार्च 2026 को आईएफएससीए फिनटेक सैन्डबॉक्स व्यवस्था जारी की है। आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 12 के तहत जारी की गई यह व्यवस्था विगत व्यवस्थाओं के तहत किए गए कार्यों की विधिमान्यता को बरकरार रखते हुए पूर्ववर्ती सैन्डबॉक्स-सम्बद्ध सभी संलेखों को निष्प्रभावी करती है। इस व्यवस्था में यह प्रावधान है कि एक नियंत्रित नियामक परिवेश के भीतर रहते हुए नवोन्मेषी प्रतिष्ठानों को सरल और कारगर तथा सिद्धांत आधारित पद्धति मिले जिससे वे अपने नए उत्पादों, सेवाओं और कारोबारी मॉडलों का परीक्षण कर सकें, और इससे फिनटेक नवोन्मेषों के लिए गिफ्ट आईएफएससी की स्थिति को अग्रणी वैश्विक अधिकारक्षेत्र की स्थिति को और भी सुदृढ़ करें।

पांच लक्ष्यबद्ध परिवर्धन

- विस्तारित पात्रता – भारत अथवा एफएटीएफ-अनुपालन कर रहे अधिकारक्षेत्रों में मान्यताप्राप्त अकादमीय संस्थानों से सम्बद्ध व्यक्ति और समूह, इनक्यूबेटर, और एक्सेलेरेटर अब आवेदन करने के पात्र है, अब वे अकादमीय और नवोन्मेष परितंत्र के आरंभिक स्तर के सैन्डबॉक्स में आवेदन कर सकते हैं।
- स्विट के माध्यम से द्विस्तरीय डिजिटल आवेदन – प्रारंभिक आवेदन का मूल्यांकन 30 दिन के भीतर; अंतिम आवेदन का मूल्यांकन 60 दिन के भीतर। संरचनाबद्ध, समयबद्ध प्रक्रिया आवेदकों के लिए स्पष्टता और अनुमानयोग्यता प्रदान करती है।
- द्विस्तरीय अनुमोदन पद्धति – सैद्धांतिक अनुमोदन (आइपीए) निर्धारित शर्तों सहित दिया जाता है, जिसमें आवश्यक होने पर परीक्षण पार्टनर को शामिल करने की अपेक्षा भी समाहित है। सैद्धांतिक अनुमोदन की शर्तों को पूरा करने पर 30 दिन के भीतर सीमित-प्रयोग प्राधिकृति (एलयूए) मिल जाती है।
- विकसित उत्पादों के लिए बाजार समन्वेषण – पहले से विकसित उत्पादों के लिए परीक्षण स्तर पर अब स्पष्ट तौर पर बाजार समन्वेषण को लाइव आईएफएससी वित्तीय सेवा बाजार के भीतर ले लिया जाता है जो प्रोटोटाइप परीक्षण से भी आगे की बात हो गई है।
- विस्तारित परीक्षण दायरा – आईएफएससीए द्वारा विनियमित या विनियमन हेतु प्रस्तावित सभी वित्तीय सेवाओं, उत्पादों, और संस्थाओं को अब अनुमेय परीक्षण क्रियाकलापों के तहत शामिल किया जाता है।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

आईएफएससीए फिनटेक सैन्डबॉक्स व्यवस्था

मार्च 16, 2026

आईएफएससीए फिनटेक सैन्डबॉक्स व्यवस्था एक संरचाबद्ध और नियामक-सुकृत परीक्षण परिवेश प्रदान करती है ताकि वित्तीय सेवाओं में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए आईएफएससी के भीतर ही फिनटेक समाधानों के परीक्षण हो सकें।

फिनटेक सैन्डबॉक्स प्रतिष्ठानों का पर्यवेक्षण / की निगरानी

आईएफएससीए फिनटेक सैन्डबॉक्स व्यवस्था के तहत प्रविष्ट फिनटेक सैन्डबॉक्स प्रतिष्ठानों की परीक्षण चरण में निगरानी आईएफएससीए द्वारा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अनुमोदित परीक्षण क्रियाकलापों को सीमित प्रयोग प्राधिकृति में निर्धारित सीमा की शर्तों के भीतर ही संचालित किया जाता है। इस निगरानी में प्रस्तावित प्रयोजनों, प्रमुख सोपानों और परिणामों की तुलना में परीक्षण की प्रगति, परीक्षण अवधि में हुई प्रमुख गतिविधियों का आकलन, और इस व्यवस्था के तहत निर्धारित प्रकटीकरण अपेक्षाओं का आकलन की समीक्षा शामिल है। फिनटेक सैन्डबॉक्स प्रतिष्ठानों से अपेक्षित है कि आवधिक अवस्थिति रिपोर्टों को प्रस्तुत करें जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों, प्राप्त किए गए सोपानों, परीक्षण के दौरान सामने आई समस्याओं, ऐसी समस्याओं को दूर करने हेतु की गई कार्रवाई, और इस प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अन्य जानकारी समाहित होती है।

इसके अलावा इस प्राधिकरण ने डोमेन-विशिष्ट के लिए निगरानी उप-समितियों का गठन भी किया हुआ है ताकि विभिन्न श्रेणियों के सैन्डबॉक्स प्रतिष्ठानों के

बॉक्स मद : 4
सैन्डबॉक्स के चार पथ

आईएफएससीए फिनटेक नियामक सैन्डबॉक्स (एफआरएस)

एक निर्धारित समयसीमा में वास्तविक ग्राहकों के सीमित सेट में नियंत्रित लाइव परीक्षण। आईएफएससी में भौतिक उपस्थिति तभी अपेक्षित है जब परीक्षण में ग्राहकों की निधियों की धारिता समाहित हो। प्रकरण विशिष्ट के आधार पर नियामक रियायतें या छूट मिल जाती है।

अन्तर-परिचालनीय नियामक सैन्डबॉक्स (आइओआर एस)

यह वैश्विक आकांक्षा वाले भारतीय फिनटेकों और भारत में प्रवेश के इच्छुक विदेशी फिनटेकों के लिए है, जहां व्यवसाय का दायरा एकाधिक वित्तीय नियंत्रकों के अधीन है। आईएफएससीए प्रमुख नियामक का कार्य करता है और संबंधित स्वदेशी नियामक सहयोगी नियामक का कार्य करते हैं। इसका नियंत्रण फिनटेक पर अन्तर नियामक तकनीकी समूह की एसओपी द्वारा किया जाता है।

आईएफएससीए फिनटेक नवोन्मेष सैन्डबॉक्स (एफआइएस)

परीक्षण परिवेश को लाइव बाजार से विलग रखा गया है, बाजार संबंधी डाटा का प्रयोग आईएफएससी वित्तीय संस्थानों से लेकर किया जाता है। कोई भौतिक उपस्थिति अपेक्षित नहीं है। खंड 20 और 28 के तहत प्रयोक्ता की सहमति और मुद्रा संबंधी दायित्व लागू नहीं होते।

ओवरसीज नियामक निर्देशक मैकेनिज्म

द्विपक्षीय सहयोग पद्धति जिसका नियंत्रण विदेशी वित्तीय क्षेत्र के नियंत्रकों के साथ हुए समझौता ज्ञापन या फिनटेक सहयोग समझौते द्वारा होता है। इससे आईएफएससीए द्वारा नियंत्रित प्रतिष्ठान विदेशी बाजारों में अभिगम करने में सक्षम होते हैं और इनबाउन्ड विदेशी फिनटेकों को गिफ्ट आईएफएससी में सुविधा होती है।

प्रयोग-प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा हो सके और इन्हें जारी रखने, सफलतापूर्वक पूरा होने, या सैन्डबॉक्स से निकासन के बारे में संस्तुतियां की जा सकें। इस संरचनाबद्ध निगरानी पद्धति से इस प्राधिकरण को यह क्षमता मिलती है कि संबंधित प्रतिष्ठानों के सैन्डबॉक्स के पूरे जीवनचक्र की समुचित नियामक निगरानी का अनुरक्षण करते हुए उत्तरदायी नवेन्मेषों को सुविधा मिले।

पक्ष समर्थन और आउटरीच

वेब 3.0 परितंत्र और ईकेवाइसी सेतु प्रणाली हेतु आस्ति टोकनीकरण अवसंरचना और भुगतान रेल के साथ अदला-बदली

जुलाई 10, 2025

गिफ्ट सिटी, गुजरात

आईएफएससीए ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) के सहयोग से "एसेट टोकनाइजेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्टरऑपरेबिलिटी विद पेमेन्ट रेल्स् फॉर दि वेब 3.0 इकोसिस्टम एन्ड ई-केवाइसी सेतु

सिस्टम "पर एक कार्यशाला का आयोजन आईएफएससीए के मुख्यालय में किया। इस कार्यशाला में आईएफएससी के भीतर डिजिटल वित्तीय अवसंरचना और नवोन्मेषों के विकास के बारे में उच्चस्तरीय विचारविमर्श की सुविधा मिली।

आईएफएससीए व्यवस्था प्रयोग करने वाले एनआरआई हेतु बीमा उत्पादों की डिजाइनिंग

अगस्त 11, 2025

गिफ्ट सिटी, गुजरात

आईएफएससीए ने इंडिया इन्श्यूरटेक एसोसिएशन के सहयोग से "डिजाइनिंग इन्श्योरेन्स प्रोडक्टस फॉर एनआरआइ यूजिंग दि आईएफएससीए फ्रेमवर्क " विषय पर एक आभासी सत्र का आयोजन किया। इस आयोजन में बीमा और इन्श्यूरटेक परितंत्र के अग्रणी एक साथ आए और एनआरआइ खंड की सामने आ रही जरूरतों और आईएफएससीए नियमन व्यवस्था के भीतर नवोन्मेषों के अवसरों की तलाश के बारे में परिचर्चा हुई।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) गांधीनगर का दौरा

अगस्त 26, 2025

आइआइटी गांधीनगर, गुजरात, भारत

आईएफएससीए के अध्यक्ष के नेतृत्व में आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल ने आइआइटी, गांधीनगर का दौरा किया। इस दौर का प्रयोजन यही था कि इस संस्था के प्रखर अनुसंधान और नवोन्मेष परितंत्र को गहराई से समझा जाए और शिक्षण, अनुसंधान और नवोन्मेष के क्षेत्रों में सहयोग के संभावित मार्गों को तलाश किया जाए।

नियामक से भेंट

सितम्बर 24, 2025

बंगलुरू, भारत

गिफ्ट अंतरराष्ट्रीय फिनटेक नवोन्मेष केन्द्र (आइएफआइएच) के सहयोग से आईएफएससीए ने 24 सितम्बर 2025 को बंगलुरू में एक आउटरीच सत्र का आयोजन किया, ताकि फिनटेक परितंत्र को परिनियोजित किया जाए और गिफ्ट आईएफएससी के भीतर अवसरों के बारे में जागरुकता को बढ़ाया जा सके। टेकफिन और सहायक सेवा (टीएएस) विनियमावली, 2025 और गिफ्ट आईएफएससी में विकसित हो रहे परितंत्र पर जानकारी से परिपूर्ण एक प्रस्तुति दी गई।

इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्यूरेन्स सुपरवाइजर्स (आइएआइएस) फिनटेक फोरम

अक्तूबर 29, 2025

एम्स्टर्डम, नीदरलैन्ड्स्

आईएफएससीए द्वारा आइएआइएस फिनटेक फोरम में उपस्थिति दर्ज कराई गई और "डिजिटल इनोवेशन एन्ट एमर्जिंग मार्केट्स एन्ड डेवलपिंग इकोनॉमीज " विषय पर पैनल परिचर्चा में सहभागिता की गई।

नियामक से भेंट

नवम्बर 04, 2025

पुणे, भारत

फिनटेक एसोसिएशन फॉर कन्ज्यूमर एम्पॉवरमेन्ट के साथ फाइबे के कार्यलय पुणे में एक आउटरीच सत्र का आयोजन किया जिसमें सहभागियों को गिफ्ट आईएफएससी में अवसरों के बारे में बताया गया।

ग्लोबल फिनान्शियल इनेवेशन नेटवर्क (जीएफआइएन) के बोर्ड की बैठक

नवम्बर 10, 2025

सिंगापुर, एशिया

आईएफएससीए को इस प्रथम जीएफआइएन के बोर्ड के एक सदस्य के रूप में चुना गया था। इनसाइट फोरम 2025 और फिनटेक फेस्टिवल 2025 के साथ-साथ जीएफआइएन की बोर्ड बैंक में भी आईएफएससीए शामिल हुआ। बैठक के दौरान जीएफआइएन के एआइ कैम्पस प्रोजेक्ट और क्वान्टम प्रोजेक्ट पर नवीनतम जानकारी दी गई।

इनसाइट्स फोरम 2025

नवम्बर 10-11, 2025

सिंगापुर, एशिया

आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल ने इनसाइट्स फोरम 2025 में सहभागिता की। इनसाइट्स फोरम के दौरान आईएफएससीए ने, अन्य के साथ-साथ, "जीएफआइएन टोकनाइजेशन राउन्डटेबल – ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स ऑन इवोल्विंग फ्रेमवर्क्स " और जीएफआइएन बोर्ड बैठक में भी हिस्सा लिया।

सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल (एसएफएफ) 2025

नवम्बर 12-14, 2025

सिंगापुर, एशिया

एसएफएफ 2025 में आईएफएससीए, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, और इरडाई (बीमासुगम) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित इंडिया इनोवेशन पेवेलियन में नियामकों के नवोन्मेषी प्रयासों को दर्शाया गया था। आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी परितंत्र के प्रमुख अभिलक्षणों पर प्रकाश डाला गया। इंडिया इनोवेशन पेवेलियन में आईएफएससीए के बूथ में सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त भी आए, जहां प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें वहां प्रदर्शित प्रमुख तथ्यों से अवगत कराया।

आइआइटी, गांधीनगर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

दिसम्बर 16, 2025

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी

भविष्य के लिए सुसज्जित गिफ्ट आईएफएससी परितंत्र का विकास करने के लिए विनियमों और अकादमी के साथ सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आईएफएससीए ने आइआइटी गांधीनगर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



चित्र 6 : अध्यक्ष, आईएफएससीए श्री के. राजारामन - आइआइटी गांधीनगर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर

भारत इनोवेटिव्स 2026

दिसम्बर 18, 2025

आईआईटी गांधीनगर, गुजरात

आईएफएससीए के प्रतिनिधि ने भारत इनोवेट्स 2026 में एक वक्तव्य दिया – नेशनल बेसकैम्प जिसकी मेजबानी आइआइटी गांधीनगर द्वारा किया गई जिसमें लगभग 400 स्टार्टअप्स ने अपने नवोन्मेषी समाधान प्रदर्शित किए।

ग्लोबल फिनान्शियल इनोवेशन नेटवर्क (जीएफआइएन) क्वान्टम राउन्डटेबल 2026

जनवरी 27, 2026

आभासी

आईएफएससीए द्वारा जीएफआइएन क्वान्टम प्रोजेक्ट के तहत जीएफआइएन क्वान्टम राउन्डटेबल में परियोजना साझेदार के रूप में आभासी सहभागिता की गई।

इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट

फरवरी 16 और फरवरी 20, 2026

नई दिल्ली, भारत

इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट 2026 में "इनसाइड इंडियाज फ्रन्टियर लैब एन्ड इट्स ग्लोबल साउथ इमपैक्ट " शीर्षक से आयोजित पैनल चर्चा में आईएफएससीए शामिल हुआ, और इस बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई कि किसी प्रकार से भारत का डीपीडीपी अधिनियम और नियमावली 2025 द्वारा सुरक्षित रूप से सीमा-पारीय डाटा कॉरिडोर तक पहुंचा जा सकता है और किसी प्रकार से अब भारत को डाटा उपभोक्ता से बढ़कर संप्रभु डाटा प्रोसेसर की तरफ अंतरण करना होगा जिसमें स्वदेशीय फाउन्डेशन मॉडल होंगे, और इस समिट के प्रतिपाद्य विषय "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय " के साथ समरूपी होते हुए आधार स्तर समाधानों को समावेशी बनाने में एआइ को लोकतांत्रिक बनाने के महत्त्व को बताया गया। इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट 2026 में आईएफएससीए के पदाधिकारी 20 फरवरी 2026 को दि डायलॉग द्वारा "एम्बेडेड गवर्नेन्स फॉर एआई इन फाइनान्स " विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में शामिल हुए।

एजेएनआइएफएम इमर्सन प्रोग्राम में फिनटेक सैन्डबॉक्स व्यवस्था पर आईएफएससीए का सत्र

फरवरी 19, 2026

गिफ्ट सिटी, गुजरात

अरुण जेतली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन संस्थान (एजेएनआइएफएम) से मिड कैरियर अधिकारियों और व्यवसायियों के लिए एक सत्र आईएफएससीए ने प्रस्तुत किया। इस सत्र का संचालन एजेएनआइएफएम के 5 दिवसीय अकादमिक और उद्योग निमज्जन कार्यक्रम में गिफ्ट सिटी में किया गया और इसका आयोजन गिफ्ट अंतरराष्ट्रीय फिनटेक संस्था (गिफ्ट आइएफआइ) द्वारा किया गया था। सत्र के दौरान आईएफएससीए के प्रतिनिधियों ने सैन्डबॉक्स की चारों श्रेणियों सहित सैन्डबॉक्स व्यवस्था का रूपरेखा के बारे में बताया और आईएफएससीए सैन्डबॉक्स के तहत परीक्षित विभिन्न प्रयोग प्रकरणों को उल्लेख किया।

बीमा और पेन्शन

आईएफएससी परितंत्र में बीमा क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण अवयव है, जो वित्तीय बाजारों को सुदृढ़ करने में और सम्पूर्ण विश्व में ग्राहकों को बीमा समाधान प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए आईएफएससीए ने आईएफएससी में परिचालन करने वाले बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, और बीमा मध्यस्थों के लिए समेकित और वैश्विक रूप से समरूपित नियामक व्यवस्था स्थापित की है, जिसमें कारोबार करने में सहजता पर बहुत जोर दिया गया है। इस व्यवस्था में विभिन्न पक्षों यथा बीमा प्रतिष्ठानों का पंजीकरण, प्रीमियम सग्रहण पद्धतियां, उत्पाद का डिजाइन, आस्ति निवेश मानदंडों, वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण मानकों, नियुक्त बीमांककों की भूमिका और दायित्व, निरीक्षण और जांच के लिए रिकार्ड अनुरक्षण, आगामी और निर्गामी पुनर्बीमा क्रियाकलापों, ऋणशोधन अपेक्षाओं, और संबंधित परिचालनगत मामलों को दायरे में लिया गया है।

जैसे-जैसे घरेलू बीमा बाजार का विस्तार हो रहा है, यह प्रत्याशित है कि बीमा प्रवेशन में सुधार और भारतीय बीमाकर्ताओं को बृहद जोखिम पूल बनाने में सहायता को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ इस बढ़ोतरी से यह प्रकट होता है कि पुनर्बीमा क्षमता को मजबूत करने की जरूरत है। नियामक सहायता और रणनीतिपरक प्रोत्साहनों के बल पर गिफ्ट आईएफएससी एक ऐसे स्थिति में है जो पुनर्बीमा क्षमता का विकास करने के लिए एक केन्द्र के रूप में उदित हो जो भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही बाजारों की जरूरतों का पूरा करे।

इसके अलावा बड़ा भारतीय जनसमूह बीमा प्रतिष्ठानों के लिए इतने बड़े अवसर प्रस्तुत करता है जो स्वास्थ्य, जीवन, और यात्रा के लिए विशिष्टरूप से निर्मित समाधान गिफ्ट आईएफएससी में परिचालनों की स्थापना के माध्यम से किए जा सकते हैं।

गिफ्ट आईएफएससी में पेन्शन उत्पादों के विकास को विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों के अनुसरण में महत्त्वपूर्ण गति मिली, जिसमें यह प्रस्तावित है कि आईएफएससी परितंत्र के भीतर पेन्शन उत्पादों को वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों के अनुसार तैयार किया जाए।

विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों के साथ अधिकाधिक विनियामक स्पष्टता और समरूपता लाने के लिए भारत सरकार ने आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 3 के तहत दिनांक 5 दिसम्बर 2024 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के प्रयोजन से आधिकारिक रूप से 'किसी पेन्शन निधि द्वारा परिचालित स्कीमों' को 'वित्तीय उत्पाद' के रूप में अधिसूचित किया। इस अधिसूचना ने गिफ्ट आईएफएससी व्यवस्था के भीतर पेन्शन स्कीमों के औपचारिक विकास और प्रस्तावों के लिए महत्त्वपूर्ण विनियामक प्रावधान किए गए और इससे वैश्विक रूप से स्पर्धी पेन्शन परितंत्र की आधारशिला रखी गई।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

आईएफएससीए (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) (संशोधन) विनियमावली, 2026

जनवरी 09, 2026

आईएफएससीए को लॉयड'स लन्दन से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ कि आइआइओ विनियमावली में यथा प्रावधानित लॉयड'स आईएफएससी की सर्विस कम्पनियों की परिभाषा का विस्तार किया जाए। इस अनुरोध की जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि विद्यमान परिभाषा के अनुसार या भारतीय कम्पनी के केवल प्रबंधक एजेन्ट ही लॉयड'स सर्विस कम्पनी की स्थापना

कर सकते हैं। इस प्रकार उक्त परिभाषा का विस्तार करने पर विचार किया गया जिससे लॉयड'स सिन्डीकेट के सदस्य द्वारा सर्विस कम्पनी की स्थापना की अनुमति मिल जाएगी जो एक निगमित निकाय या भारतीय व्यक्ति हो सकता है।

प्रस्तावित आईएफएससीए (प्रबंधनकर्ता सामान्य एजेन्ट) विनियमावली, 2026 पर परामर्श-पत्र

मार्च 13 - अप्रैल 03, 2026

इस परामर्श-पत्र का प्रयोजन यही था कि आईएफएससी में प्रस्तावित आईएफएससीए (एमजीए) विनियमावली, 2026 के माध्यम से प्रबंधनकर्ता सामान्य एजेन्ट (एमजीए) के पंजीकरण, परिचालन, और पर्यवेक्षण हेतु समेकित व्यवस्था स्थापित करने के प्रस्ताव पर लोक और स्टेकधारकों से अभिमत प्राप्त किए जाएं।

आईएफएससीए (पेन्शन निधि) विनियमावली, 2026 की अधिसूचना

अप्रैल 04, 2026

तदनुसार आईएफएससीए (पेन्शन निधि) विनियमावली, 2026 की अधिसूचना के साथ ही इस वित्तीय वर्ष में प्रमुख विनियामक घटना रही। यह विनियमावली गिफ्ट आईएफएससी से पेन्शन उत्पाद और पेन्शन सेवा प्रदाताओं के लिए एक समेकित व्यवस्था स्थापित करती है और आशा है कि दीर्घावधि रिटायरमेन्ट सेवाओं और पेन्शन संबंधी वित्तीय सेवाओं के लिए ये गिफ्ट सिटी को एक अग्रणी केन्द्र की स्थिति में लाएंगे।

संव्यवहार / प्रोसेस / परिचालन / प्रवृत्तियां

सारणी 19 : आईएफएससी में (पुन:)बीमा परितंत्र संबंधी प्रमुख अपडेट

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	साल-दर-साल संवृद्धि
पंजीकृत आइआइओ की संख्या (वर्ष के अंत में)	18	36	100%
पंजीकृत आइआइआइओ की संख्या (वर्ष के अंत में)	27	34	25.93%
आइआइओ द्वारा प्रीमियम संव्यवहार (मिलि. यूएसडी में)	162.10	648.68	300.17%
आइआइआइओ द्वारा प्रीमियम संव्यवहार (मिलि. यूएसडी में)	411.36	481.37	17.02%

सारणी 20 : गिफ्ट आईएफएससी में दिए जा रहे प्रमुख बीमा उत्पाद

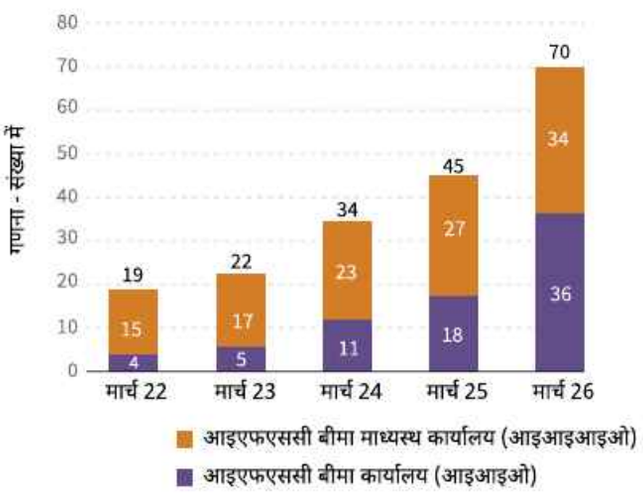
क्रमांक	क्षेत्र / वर्ग	उत्पाद का प्रकार
1	लाइफ	निवेश सहबद्ध बीमा पॉलिसी
2	लाइफ	व्यक्तिगत सावधि जीवन बीमा पॉलिसी
3	लाइफ	समूह सावधि जीवन बीमा पॉलिसी
4	जनरल	ट्रेड क्रेडिट पॉलिसी
5	जनरल	ट्रेवल बीमा (समूह) पॉलिसी
6	जनरल	ट्रेवल बीमा (व्यक्तिगत) पॉलिसी
7	जनरल	मैरीन सिंगल ट्रान्जिट पॉलिसी

क्रमांक	क्षेत्र / वर्ग	उत्पाद का प्रकार
8	जनरल	मैरीन ओपन डिक्लेरेशन बीमा पॉलिसी
9	जनरल	मैरीन आयात निर्यात बीमा ओपन पॉलिसी
10	जनरल	देयता बीमा पॉलिसी
11	जनरल	सम्पत्ति बीमा पॉलिसी
12	जनरल	संविदा कार्य पॉलिसी
13	जनरल	व्यक्तिगत हैल्थ पॉलिसी
14	जनरल	समूह हैल्थ पॉलिसी
15	जनरल	मैरीन नौकाय बीमा पॉलिसी
16	जनरल	मैरीन नौकाय से अर्जन हानि /हायर बीमा पॉलिसी

प्रतिष्ठानों का पंजीकरण

इस प्राधिकरण द्वारा विनियामक और विकासात्मक दृष्टियों से विभिन्न प्रयासों और सरकार से समर्थन के बाद से ही गिफ्ट आईएफएससी में बीमा क्षेत्र को बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। गिफ्ट आईएफएससी में पंजीकृत आइआइओ की कुल संख्या वित्तीय वर्ष 2024-25 के 18 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 36 हो गई। यह ध्यान देने योग्य है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंजीकृत इन 18 नए आइआइओ में से एक जीवन बीमा क्षेत्र से है, और 17 विदेशी बीमाकर्ता

आईएफएससी में बीमा प्रतिष्ठानों की संख्या



आरेख 17: आईएफएससी में बीमा प्रतिष्ठानों की संवृद्धि

हैं। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में आइआइआइओ के पक्ष में आईएफएससीए ने 4 कम्पोजिट इन्श्योरेन्स ब्रोकरों, 1 प्रत्यक्ष ब्रोकर और 2 कार्पोरेट एजेन्टों का पंजीकरण किया, जिससे पंजीकृत आइआइआइओ की संख्या बढ़कर 34 हो गई।

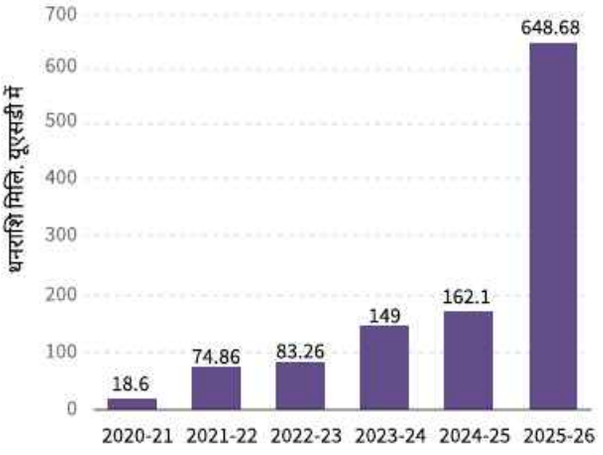
आईएफएससी में कारोबारी संव्यवहार

आईएफएससी बीमा कार्यालय (आइआइओ)

आईएफएससी बीमा कार्यालयों (आइआइओ) द्वारा किए गए हामीदारी कारोबार में गिफ्ट आईएफएससी में बीमा परिचालनों का आरंभ होने के बाद से प्रबल बढ़ोतरी हुई है। हामीदारी कारोबार की मात्रा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 7.6 मिलियन अमरीकी डॉलर थी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 648.68 मिलियन अमरीकी डॉलर (अनंतिम) हो गई, जो आईएफएससी परितंत्र में बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के बढ़ते हुए भरोसे को प्रकट करता है।

यद्यपि विकास का यह पथ आरंभिक वर्षों में क्रमिक रहा, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद से यह तेजी से बढ़ा, जो गिफ्ट आईएफएससी में विनियामक सुधारों, अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ताओं की बढ़ती हुई सहभागिता,

आसी बीमा कार्यालयों (आइआइओ) द्वारा सकल लिखित प्रीमियम



आरेख 18 : आइआइओ द्वारा बुक किया गया सकल लिखित प्रीमियम

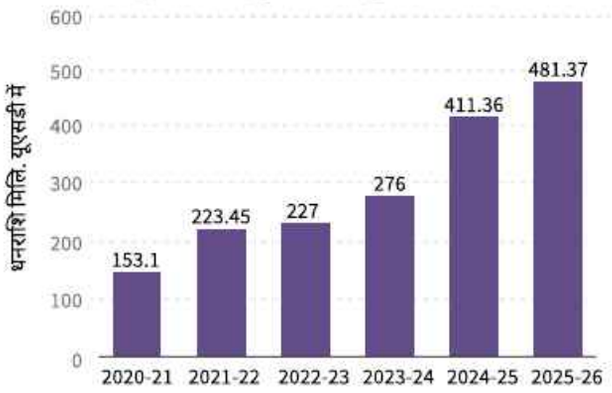
और विकासमान बीमा और पुनर्बीमा परितंत्र से संचालित हुआ। हामीदारी के इस कारोबार में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान तेज बढ़ोतरी हुई जो विगत वर्ष की तुलना में चार गुनी है, यह बताती है कि गिफ्ट आईएफएससी का उदय वैश्विक बीमा और पुनर्बीमा कारोबार करने के लिए एक आकर्षक अधिकारक्षेत्र के रूप में हो रहा है और परिचालनों का पैमाना भी बढ़ रहा है।

आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय (आइआइआइओ)

आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालयों (आइआइआइओ) द्वारा किए गए कारोबार ने गिफ्ट आईएफएससी में अपना कार्यचालन आरंभ करने के बाद से प्रबल और सतत बढ़ोतरी दिखाई है। किए गए कारोबार की मात्रा वित्तीय वर्ष 2017-18 के 15 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 481.37 मिलियन अमरीकी डॉलर (अनंतिम) हो गई, जो सीमा-पारीय बीमा और पुनर्बीमा कारोबार में दी जाने वाली सुविधाओं में बीमा मध्यस्थों की बढ़ती भूमिका को प्रकट करता है।

विकास के इस पथ को वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद से महत्त्वपूर्ण गति मिली, इसके कारोबार की मात्रा वित्तीय वर्ष 2020-21 के 153.1 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 481.37 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गई। यह बताता है कि पांच साल की अवधि में तीन गुनी से भी अधिक बढ़ोतरी हुई। कारोबार की मात्रा में इस सतत बढ़ोतरी का श्रेय पंजीकृत मध्यस्थों की बढ़ती हुई संख्या, आईएफएससी व्यवस्था में बाजार के बढ़ते हुए भरोसे, और गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से बीमा और पुनर्बीमा कारोबार को स्थापित करने के लिए बढते हुए अवसरों को जाता है।

आईएफएससी के बीमा मध्यस्थ कार्यालयों (आइआइआइओ) द्वारा वर्ष अनुसार सौदाकृत प्रीमियम



आरेख 19: आइआइआइओ द्वारा सौदाकृत प्रीमियम

वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दर्ज महत्त्वपूर्ण बढ़ोतरी आगे गिफ्ट आईएफएससी के भीतर मजबूत हो रहे मध्यस्थ परितंत्र को प्रकट करता है। यह वैश्विक बीमा बाजारों के साथ सम्पर्क करने और जोखिम अंतरण के कुशल समधानों की सुविधा देने में बीमा ब्रोकरों और अन्य मध्यस्थों को योगदान को रेखांकित करता है। यह प्रवृत्ति गिफ्ट आईएफएससी को बीमा और पुनर्बीमा मध्यस्थता के लिए एक उदीयमान केन्द्र के रूप में स्थापित करने और कारोबार की सहजता को बढ़ावा देने में विनियामक व्यवस्था की प्रभावशीलता को प्रकट करती है।

आइआइओ और आइआइआइओ प्रतिष्ठानों का पर्यवेक्षण

ऑफसाइट पर्यवेक्षण

(पुन:)बीमा क्रियाकलापों के विधिवत विकास से सुनिश्चित करने के लिए, आईएफएससीए ने रिपोर्टिंग मानदंडों को निर्दिष्ट करके आइआइओ/ आइआइआइओ के ऑफसाइट पर्यवेक्षण हेतु एक व्यवस्था निर्धारित की है। आईएफएससीए द्वारा निर्धारित आवधिकता के अनुसार कारोबारी डाटा और अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं। आइआइओ/आइआइआइओ द्वारा की गई प्रस्तुतियों का परीक्षण विद्यमान विनियामक व्यवस्था के अनुपालन की दृष्टि से किया जाता है।

ऑनसाइट पर्यवेक्षण

ऑफसाइट पर्यवेक्षण के अलावा आईएफएससीए ने आइआइओ और आइआइआइओ का ऑनसाइट पर्यवेक्षण भी किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 4 आइआइओ और 9 आइआइआइओ का ऑनसाइट पर्यवेक्षण किया गया।

पक्ष समर्थन और आउटरीच

आईएफएससीए में आइबीएआइ की शुरुआत

अप्रैल 28, 2025

गिफ्ट सिटी, गुजरात

इन्श्योरेन्स ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आइबीएआइ) का निगमन 25 जुलाई 2001 को हुआ था, ताकि सदस्यों को बीमा और पुनर्बीमा के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मार्ग प्रशस्त किए जा सकें और इस उद्योग के अन्य निकायों के साथ ब्रोकरों के हितों का प्रतिवेदन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सके। आइबीएआइ भी काउन्सिल ऑफ एशिया पेसिफिक ब्रोकर्स एसोसिएशन (सीएपीआइबीए), दि बाम्बे चैम्बर ऑफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री (एफआइसीसीआइ) का सदस्य है। दिनांक 28 अप्रैल 2025 को आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने गिफ्ट सिटी के आइबीएआइ चैप्टर के शुभारंभ में शामिल हुए।

सीएटी बॉन्ड पर भारतीय संभावनाएं

मई 07, 2025

नई दिल्ली, भारत

डीएफएस और विश्व बैंक ने कैटेस्ट्रॉफी (सीएटी) बॉन्ड के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन 7 मई 2025 को किया। कार्यपालक निदेशक श्री के. महीपाल रेड्डी और अन्य आईएफएससीए पदाधिकारी इस कार्यशाला में शामिल हुए। विश्व बैंक ने एक संकल्पना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें इसी प्रयास के एक भाग के रूप में भारत में सीएटी बॉन्ड के लिए अनुमति देने की जरूरत की रूपरेखा दी गई है, श्री रेड्डी ने आईएफएससीए के वैकल्पिक जोखिम अंतरण (एआरटी) व्यवस्था पर कार्यदल की संस्तुतियों पर चर्चा की गई ताकि सीएटी बॉन्डों के निर्गम के लिए प्रबल नियामक व्यवस्था हो सके।

कोरिया इन्टरनेशनल इन्श्योरेन्स कॉन्फ्रेन्स (केआइआइसी) में आईएफएससीए सहभागिता

जून 4-5, 2025

दक्षिणी कोरिया

आईएफएससीए पदाधिकारी 4 से 5 जून 2025 के दौरान केआइआइसी 2025 में शामिल हुए, जिसका आयोजन "इवोल्विंग रिस्कस्, एजाइल एक्शन " के प्रतिपाद्य विषय पर हुआ, जिसका फोकस जटिल चुनौतियों यथा जलवायु परिवर्तन, साइबर जोखिमों, और डिजिटल रूपांतरण के प्रति बीमा क्षेत्र के प्रतिसाद

पर था। गिफ्ट आईएफएससी में (पुन:)बीमा परिदृश्य में अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें, विशेषकर सीमा-पारीय नियामक परिवेशों के संदर्भ में, कोरियन (पुन:) बीमाकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। आईएफएससीए पदाधिकारियों के दौरे के अवसर पर वित्तीय पर्यवेक्षण सेवा, कोरिया में वित्तीय नीति और नियामक पर्यवेक्षण के लिए सांविधिक प्राधिकरण के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। इनका फोकस यह था कि एफएसएस के साथ द्विपक्षीय परिनियोजन को मजबूत किया जाए और गिफ्ट आईएफएससी की स्थिति को वैश्विक (पुन:)बीमा केन्द्र के रूप में मजबूत किया जाए।

आइबीएआइ का स्थापना दिवस

जुलाई 25, 2025

मुम्बई, भारत

आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक श्री के. महीपाल रेड्डी ने आइबीएआइ के 24वें स्थापना दिवस के स्मरणीय अवसर पर अपना संभाषण दिया। यह देखते हुए कि आइबीएआइ ने अपने 25वें वर्ष में प्रवेश किया है तो यह अवसर गिफ्ट आईएफएससी में ब्रोंकिंग प्रतिष्ठानों की मौजूदा पच्चीस की संख्या को भी बताता है। श्री रेड्डी ने आईएफएससी में खासतौर पर विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों यथा ट्रेड क्रेडिट, प्रतिभूति बॉन्डों, साइबर सुरक्षा, जलयानों और जलपोत लीजिंग क्रियाकलापों के लिए विशिष्ट बीमा उत्पादों, बीमा सहबद्ध प्रतिभूतियों और अन्य विकासमान खंडों में बीमा ब्रोकरों के लिए उदीयमान अवसरों का भी उल्लेख किया।

फेडरेशन ऑफ एफ्रो एशियन रीइन्श्योरर्स (एफएआइआर) 2025 सम्मेलन

अक्तूबर 05-08, 2025

मुम्बई, भारत

आईएफएससीए पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुम्बई में फेडरेशन ऑफ एफ्रो एशियन रीइन्श्योरर्स (एफएआइआर) 2025 सम्मेलन में हिस्सा लिया। एफएआइआर 2025 के आयोजकों ने भारत सरकार और इरडाई के '2047 तक सबके लिए बीमा' के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को समर्थन देने के लिए "रीइन्श्योरेन्स स्ट्रेटेजीस फॉर एक्सपेन्डिंग इन्श्योरेन्स एक्सेस' विषय पर एक महत्त्वपूर्ण परिचर्चा के लिए अतिप्रभावी समग्र सत्र का आयोजन भी किया। आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक श्री के. महीपाल रेड्डी को भारतीय (पुन:)बीमा उद्योग के अन्य अग्रणी लोगो के साथ पैनल सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था।

सिंगापुर रीइन्श्योरेन्स कॉन्फ्रेन्स, 2025

नवम्बर 03-06, 2025

सिंगापुर, एशिया

इस 21वीं सिंगापुर इन्टरनेशनल रीइन्श्योरेन्स कॉन्फ्रेन्स (एसआइआरसी) 2025 का आयोजन "स्टेइंग् अहेड, फ्यूचर रेडी" प्रतिपाद्य विषय के साथ किया गया। इस अवसर पर बीमा विभाग आईएफएससीए के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

पेन्शन पर्यवेक्षकों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आइओपीएस) और ग्लोबल फोरम ऑन प्राइवेट पेन्शन्स की तकनीकी समिति की वार्षिक बैठक

नवम्बर 05-06, 2025

इस्तांबूल, तुर्कीये

आईओपीएस की तकनीकी समिति और ओईसीडी/आइओपीएस/आइपीआरएसए/पीएमसी ग्लोबल फोरम ऑन प्राइवेट पेन्शन्स की इस्तांबूल, तुर्किये में 5–7 नवम्बर 2025 के बीच हुई वार्षिक बैठकों में हिस्सा लिया।

आइएआइएस – इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इन्श्योरेन्स सुपरवाइजर्स कॉन्फ्रेन्स

नवम्बर 10-14, 2025

टिराना, अल्बानिया

आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक श्री के. महीपाल रेड्डी और उनकी टीम आइएआइएस – इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इन्श्योरेन्स सुपरवाइजर्स कॉन्फ्रेन्स की एजीएम और समिति की बैठकें टिराना, अल्बानिया में 10 से 14 नवम्बर 2025 के बीच आयोजित बैठकों में शामिल हुए। पर्यवेक्षण फोरम, नीति विकास समिति, मैक्रोप्रूडेन्शियल समिति, कार्यान्वयन और आकलन समिति तथा कार्यपालक समिति के पदाधिकारी इन बैठकों में शामिल हुए।

12वीं ईटी एनओडब्ल्यू इन्श्योरेन्स समिट

दिसम्बर 18, 2025

मुम्बई, भारत

आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक श्री के. महीपाल रेड्डी ने 12वीं ईटी एनओडब्ल्यू इन्श्योरेन्स समिट के श्रोताओं को सम्बोधित किया। उन्होंने गिफ्ट आईएफएससी की विकासमान भूमिका पर चर्चा की और बीमा क्षेत्र के लिए आगामी पथ की रूपरेखा बताई। श्री रेड्डी ने बीमा परितंत्र में उद्योग के विशिष्ट सहभागियों के योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किए।

ग्लोबल रीइन्श्योरेन्स समिट 3.0

जनवरी 19, 2026

मुम्बई, भारत

आईएफएससीए, इरडाई और गिफ्ट कम्पनी लि. ने संयुक्त रूप से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के



चित्र 7: श्री अजय सेठ, अध्यक्ष, इरडाई; श्री हसमुख अधिया, अध्यक्ष, गिफ्ट सिटी कं. लि.; श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए; श्री एम. नागराजु, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग; और श्री के. महीपाल रेड्डी, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए – जीआरएस 3.0 में अन्य उच्चाधिकारियों के साथ

तत्त्वावधान में "आईएफएससीए-इरडाई–गिफ्ट सिटी वैश्विक रीइन्श्योरेन्स समिट (जीआरएस)" के प्रमुख समरोह के तृतीय संस्करण का अयोजन मुम्बई में 19 जनवरी 2026 को "अनलॉकिंग इंडिया'ज रीइन्श्योरेन्स पोटेन्शियल" के प्रतिपाद्य विषय पर किया गया। इस समिट का लक्ष्य है कि संबंधित स्टेकधारकों को एक ऐसे कॉमन प्लेटफार्म पर लाया जाए जहां समकालीन गतिविधयों, उदीयमान जोखिमों, और संगत वैश्विक नियामक रीइन्श्योरेन्स परिदृश्य पर इन्श्योरेन्स और रीइन्श्योरेन्स उद्योग से आए प्रतिनिधि परिचर्चा करें। गिफ्ट आईएफएससी में आइआइओ, विकासशील आइएलएस/सीएटी बॉन्ड व्यवस्था हेतु रणनीतिपरक तरीकों और गिफ्ट आईएफएससी से प्रत्यक्ष बीमा कारोबार के लिए अवसरों के बारे में परिचर्चा की जा सके।

इंडिया रेंडेज़वस 2026

जनवरी 19-21, 2026

मुम्बई, भारत

आईएफएससीए के बीमा और पेन्शन विभाग से वरिष्ठ पदाधिकारियों ने "बिल्डिंग ट्रस्टेड ग्लोबल रीइन्श्योरेन्स हब्स — रेग्युलेटरी इनसाइट एन्ड लर्निंग्स" और "रीइन्श्योरेन्स एन्ड दि वोलाटाइल ग्लोबल लैन्डस्केप – रोल ऑफ इंडिया इन दि ग्लोबल रीइन्श्योरेन्स सप्लाइ चेन" पर आयोजित सत्रों में हिस्सा लिया। इन सत्रों के दौरान आईएफएससीए के पदाधिकारियों पर गिफ्ट आईएफएससी में इन्श्योरेन्स और रीइन्श्योरेन्स विकसित हो रहे परितंत्र के बारे में उल्लेख किया और सहभागियों को विनियामक व्यवस्था, विकास अवसरों, और आईएफएससी को वैश्विक नियामक बीमा और पुनर्बीमा का केन्द्र के रूप में मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों की संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई।

25वीं ग्लोबल कॉन्फ्रेन्स ऑफ एक्चुअरीज

फरवरी 23, 2026

मुम्बई, भारत

आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारामन ने भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा आयोजित 25वें वैश्विक बीमांकक समारोह में " एक्च्यूरियल पाथवेज टू विकसित भारत – समावेशी सामाजिक और आर्थिक संवृद्धि के लिए जोखिम प्रबंधन" के प्रतिपाद्य विषय के बारे में संबोधित किया। इस सम्बोधन में यह उल्लेख किया गया कि बीमांककों का व्यवसाय भारत की इस अंतरण यात्रा के मूल में है, यहाँ गिफ्ट आईएफएससी बीमा और सहायक परितंत्र में वैश्विक ग्राहक वर्ग के साथ बीमांककों के लिए व्यवसाय के महत्त्वपूर्ण अवसर हैं।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

बीमा सहबद्ध प्रतिभूतियों (आइएलएस) हेतु समर्थकारी व्यवस्था

प्रस्ताव है कि आईएफएससी के भीतर आइएलएस के लिए नियामक व्यवस्था समाविष्ट की जाए ताकि नवोन्मेषी जोखिम अंतरण समाधानों और बीमा क्षेत्र के लिए वैकल्पिक पूंजी के लिए गिफ्ट आईएफएससी को एक स्पर्धी वैश्विक केन्द्र के रूप विकसित किए जा सके।

आईएफएससीए (पेन्शन निधि) विनियमावली, 2026 का कार्यान्वयन और परिचालीकरण

अगले वर्ष का फोकस प्राथमिक रूप से अभी हाल ही में अधिसूचित पेन्शन विनियमों के कार्यान्वयन और संचालित करने पर रहेगा। इस बारे में आउटरीच प्रयासों, स्टेकधारकों के परिनियोजन, रोड-शो, और उद्योग जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा ताकि इस परितंत्र के भीतर समझ और सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सके।

संधारणीय वित्त

भारत के माननीय प्रधानमंत्री का विजन है कि गिफ्ट आईएफएससी को संधारणीय वित्त के लिए गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक केन्द्र बनाया जाए। गिफ्ट आईएफएससी के विशिष्ट नियामक के रूप में आईएफएससीए इस विजन को मूर्त रूप देने की दिशा में कार्यरत है। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों से प्रेरित लेकिन भारत जैसे विकासशील देश की जरूरतों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए हितकारी नियामक परिवेश का सृजन करें और संधारणीय पूंजी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए आईएफएससीए ने महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आईएफएससीए ने निधीयन के तीन प्रधान स्रोतों यथा – देनदारी प्रतिभूतियों, ऋणों और निधियों पर ध्यान देते हुए प्रयास किए हैं।

आईएफएससीए ने संधारणीय विकास के वित्तीयन और न्यून-कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में अंतरण में ईएसजी लेबलकृत देनदारी प्रतिभूतियों (हरित बॉन्ड, सामाजिक बॉन्ड, संधारणीयता बॉन्ड, संधारणीयता सहबद्ध बॉन्डों) की प्रमुख भूमिका को समझा है। इसके अनुरूप ही हरित, सामाजिक, संधारणीय और निरंतरता-सहबद्ध बॉन्डों के लिए एक नियामक व्यवस्था को आईएफएससीए द्वारा समाविष्ट किया जाएगा जो आईएफएससीए (बीमा और प्रतिभूतियों की लिस्टिंग) विनियमावली, 2021 के एक भाग के रूप में है और बाद में इसे आईएफएससीए (लिस्टिंग) विनियमावली, 2024 में शामिल कर लिया गया। आईएफएससी के एक्सचेन्जों में मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार कुल 70.31 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण लिस्टिंग में से लगभग 16.81 बिलियन अमरीकी डॉलर ईएसजी-लेबलकृत ऋण प्रतिभूतियां थीं, जो यह बताता है कि संधारणीय पूंजी जुटाने के लिए भारतीय कॉर्पोरेट को एक वरीय मंच के रूप में गिफ्ट आईएफएससी सामने आ रहा है।

न्यून-कार्बन और जलवायु रक्षी भविष्य के लिए बैंकिंग चैनल बहुत अहम है। आईएफएससीए ने अप्रैल 2022 में 'वित्तीय संस्थानों द्वारा संधारणीय और संधारणीयता-सहबद्ध दिशानिदेश व्यवस्था' का समाविष्ट किया। इस व्यवस्था में आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपनी वृद्धिशील उधारियों का 5% संधारणीय ऋणों की दिशा में करें। गिफ्ट आईएफएससी में बैंकिंग यूनिटों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में हरित/संधारणीय ऋणों के लिए लगभग 6.25 बिलियन अमरीकी डॉलर का संवितरण किया।

ईएसजी फंडों को प्रोत्साहित करने और भारत में हरित और संधारणीय परियोजनाओं की ओर पूंजी प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से, आईएफएससीए ने 18 जनवरी 2023 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें ईएसजी योजनाओं को कुछ प्रारंभिक और आवधिक प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है। एफएमई को उनके निवेश निर्धारण में स्थिरता से संबंधित जोखिमों और अवसरों को शामिल करने के लिए प्रेरित करने के लिए, आईएफएससीए ने बड़े एफएमई (3 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक) के लिए वैश्विक मानकों के आधार पर अतिरिक्त स्थिरता रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को शामिल करना अनिवार्य किया है।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

अंतरण बॉन्डों के लिए व्यवस्था पर परिपत्र

जुलाई 29, 2025

आईएफएससीए (प्रतिभूतियों का निर्गमन और लिस्टिंग) विनियमावली, 2021 और बाद में आईएफएससीए (लिस्टिंग) विनियमावली, 2024 में समाहित करके आईएफएससीए द्वारा हरित, संधारणीय और सातत्य

सहबद्ध बॉन्डों के लिए विनियामक व्यवस्था समाविष्ट की गई थी। जलवायु वित्त संबंधी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों के आधार पर और विभिन्न अधिकारक्षेत्रों / संस्थानों द्वारा अपनाई गई नीतियों, के बारे में आईएफएससीए द्वारा 8 अप्रैल 2025 को जारी परामर्श-पत्र पर मिले अभिमतों के आधार पर, और आईएफएससीए ने आगामी परीक्षण किए और भारत जैसे विकासशील देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आईएफएससीए ने 'अंतरण बॉन्डों हेतु व्यवस्था जारी की। इस व्यवस्था का अभिप्राय यही है कि आईएफएससी में मुश्किल से पकड़ में आने वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से समर्थ किया जाए और वे अपनी प्रतिभूतियों को आईएफएससी में सूचीबद्ध करें, साथी ही विश्वसनीय अंतरण योजना भी रखें ताकि व्यापक प्रकटीकरण करत हुए निवेशकों के हितों का संरक्षण किया जा सके।

संव्यवहार / प्रोसेस / परिचालन / प्रवृत्तियां

ऋण प्रतिभूतियां

मार्च 31 2026 की स्थिति के अनुसार 16.81 बिलियन अमरीकी डालर के ईएसजी लेबलकृत ऋण प्रतिभूतियों को आईएफएससी एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध किया गया। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार आईएफएससी एक्सचेन्जों पर कुल सूचीबद्धता 70.31 बिलियन अमरीकी डालर की रही।

आईएफएससी एक्सचेन्जों में ऋण प्रतिभूतियों की कुल लिस्टिंग 31 मार्च 2025 के 65.10 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 31 मार्च 2026 को 70.31 बिलियन अमरीकी डालर हो गई जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15.43 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़ोतरी दर्शाता है। इस संचयी ईएसजी लेबलकृत ऋण लिस्टिंग भी इसी अवधि के दौरान 15.43 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 16.81 बिलियन डॉलर हो गई, जो 1.38 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़ोतरी है। ईएसजी लेबलकृत संलेख इस प्रकार से 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार कुल संचयी ऋण लिस्टिंग का लगभग 23.90% है, जो मोटेतौर पर विगत वर्ष के 23.7% के हिस्से के बराबर ही है।



आरेख 20: वर्ष अनुसार ईएसजी ऋण निर्गमन – श्रेणी अनुसार

सारणी 21 : आईएफएससी एक्सचेन्जों पर ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग

विवरण	मार्च 2025	मार्च 2026	वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि (%)
संचयी ऋण लिस्टिंग	65.10	70.31	8.00%
संचयी ईएसजी लेबलकृत ऋण लिस्टिंग	*15.43*	*16.81*	*8.94%*

ईएसजी लेबलकृत बॉन्डों की कुल लिस्टिंग में से कुल ईएसजी निर्गमन के बाजार में हरित बॉन्डों का बाजार में वर्चस्व रहा, जो तीनों श्रेणियों के योग से भी अधिक है।

आरेख 20 पर दिया गया चार्ट यह दिखाता है कि 2020-21 से 2025-26 के चार वर्षों के दौरान कितने ईएसजी ऋण जुटाए गए, जिन्हें चार प्रकारों यथा – हरित, सामाजिक, संधारणीयता और संधारणीयता-सहबद्ध में रखा गया।

ईएसजी बॉन्ड निर्गमन में वित्तीय वर्ष 2020-21 से ही मोटेतौर पर सकारात्मक पथ दिखाई दिया है, सिमें संचय निर्गमन के मूल्यों में इन वर्षों के दौरान महत्त्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। वित्तीय वर्ष 2020-21 कुल 0.1 बिलियन अमरीकी डालर के मामूली से स्तर से आरंभ करने के बाद यह निर्गमन वित्तीय वर्ष 2021-22 में बढ़कर 5.2 बिलियन अमरीकी डालर पर हो गया जो बाजार की मजबूत गति और निर्गमनकर्ता में संधारणीय वित्त संलेखों के प्रति बढ़ती रुचि को बताता है। इसके बाद विश्वविद्यालय 2022-23 (2.0 बिलियन) में थोड़ी नरमी रही और इसके बाद निर्गमन भी वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3.0 से 3.1 बिलियन अमरीकी डालर के दायरे में बने रहे, और निर्गमों का मूल्य भी 1.375 बिलियन पर बना रहा। ध्यान देने योग्य यह है कि ईएसजी बॉन्डों का निर्गमन वित्तीय वर्ष 2020-21 के केवल एक बॉन्ड से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12 बॉन्ड हो गया, जो व्यापक हो रहे निर्गमनकर्ता आधार और बाजार में गहरी पहुंच को बताता है, वह भी ऐसी अवधि में जब सकल निर्गमन मात्राओं में शिथिलता थी।

इसके अलावा मार्च 2026 को तीन (3) ईएसजी निधियों की स्थापना आईएफएससी में हुई।

पक्ष समर्थन और आउटरीच

अंतरण बॉन्डों हेतु व्यवस्था के बारे में गोलमेज

मार्च 06, 2026

मुम्बई, भारत



चित्र 8: श्री प्रदीप रामकृष्णन, ईडी, आईएफएससीए गोलमेज सत्र में अंतरण बॉन्डों हेतु व्यवस्था पर चर्चा करते हुए

आईएफएससीए ने 6 मार्च 2026 को इंडियाआइएनक्स और काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट और वाटर (सीईईडब्लयू) के साथ एक रणनीतिक सहयोग से, आईएफएससीए द्वारा समाविष्ट किए गए "ट्रांजिशन बांड्स हेतु व्यवस्था" पर केंद्रित एक उच्च-स्तरीय गोल मेज बैठक का आयोजन किया। यह पहल गिफ्ट सिटी को संधारणीय वित्त के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक कदम थी, विशेष रूप से औद्योगिक दिग्गजों के "ब्राउन-से-ग्रीन" विकास को लक्षित करते हुए। गोलमेज बैठक के मुख्य उद्देश्यों में व्यवस्था ढांचे की स्पष्टता प्रदान करना, ट्रांजिशन पूंजी तक पहुँच प्रदान करना और मानकों के साथ बाजार की तत्परता का मूल्यांकन करना शामिल था। यह आयोजन वित्तीय और औद्योगिक क्षेत्रों के विभिन्न स्तंभों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता था, जिसमें जारीकर्ता, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ और पेशेवर सेवा प्रदाता शामिल थे।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

आईएफएससी में सम्मिश्रित वित्त की सुविधा के लिए व्यवस्था समाविष्ट करने के लिए आईएफएससीए की योजना

प्रस्तावित व्यवस्था उन क्षेत्रों में निवेश को संचालित करने के लिए लक्ष्यबद्ध है जो अर्थव्यवस्था के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं लेकिन अकेले बने रहने पर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकते। आईएफएससी में समाविष्ट विभिन्न फंड संरचनाओं के माध्यम से वाणिज्यिक पूंजी को उत्प्रेरक पूंजी के साथ मिलाकर यह व्यवहार्यता लाना इसका प्रयोजन है।

वित्तीय समर्थन सेवाएं

वैश्विक वित्तीय केंद्रों का महत्व केवल वित्तीय संस्थानों को संकेन्द्रित करने से ही नहीं, बल्कि उस व्यापक सहायक सेवा परितंत्र से है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी को सक्षम बनाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकों, बीमा संस्थाओं, पूंजी बाजार के भागीदारों, संपत्ति प्रबंधकों और नवोन्मेष आधारित वित्तीय उद्यमों को एकजुट करते हैं ताकि वैश्विक निवेश, पूंजी संग्रहण और सीमा-पार वित्तीय लेनदेन को सुगम बनाया जा सके। जैसे-जैसे वित्तीय बाजारों में आपसी जुड़ाव और जटिलता बढ़ रही है, विशेषीकृत समर्थन और पेशेवर सेवा प्रदाताओं की भूमिका भी ऐसे केंद्रों की स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अनिवार्य होती जा रही है। ये पेशेवर सेवा प्रदाता बाजार में अभिगम और वैश्विक व्यापार स्तर के परिचालन अंतर को दूर करते हैं।

एक मजबूत सहायक सेवा परितंत्र अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के लिए संस्थागत रीढ़ होता है, जो विधिक और नियामक परामर्श, लेखा और ऑडिट, कराधान, शासन, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन, और रणनीतिक परामर्श जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। ये संस्थाएं वित्तीय संस्थानों को जटिल अंतर्राष्ट्रीय नियामक वातावरण के भीतर उच्च स्तर की पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अखंडता बनाए रखते हुए संचालन करने में मदद करती हैं। उनकी विशेषज्ञता प्रभावी लेनदेन संरचना, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन, और विकसित हो रहे वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन का समर्थन करती है। इस प्रकार, पेशेवर और प्रौद्योगिकी समर्थन सेवा प्रदाता निवेशक के विश्वास को बढ़ाने, बाजार की विश्वसनीयता को मजबूत करने और एक लचीले और वैश्विक प्रतिस्पर्धी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

इसके अलावा वैश्विक इन-हाउस केंद्र (जीआईसी) प्रौद्योगिकी, वित्त, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन, डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा और अन्य विशिष्ट कार्यों में उच्च मूल्य वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए रणनीतिक केंद्र के रूप में सामने आए हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय परितंत्र की सुदृढ़ता में इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 16 अक्टूबर 2020 को आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के तहत जीआईसी को एक वित्तीय सेवा के रूप में अधिसूचित किया, और आईएफएससीए ने 12 नवंबर 2020 को जीआईसी के विकास को सुगम बनाने के लिए जीआईसी के लिए एक समर्पित नियामक व्यवस्था समाविष्ट की।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, जीआईसी नियमों के कार्यान्वयन से मिली जानकारी और बाजार भागीदारों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर, आईएफएससीए ने जीआईसी परितंत्र को मजबूत किया और आईएफएससीए (जीआईसी) विनियमावली, 2025 को अधिसूचित किया, जिसने जीआईसी के लिए उपलब्ध परिचालन क्षेत्र और लचीलापन का दायरा बढ़ाया।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आईएफएससीए द्वारा गिफ्ट आईएफएससी पर व्यावसायिक सेवाओं के परितंत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीति और नियामक प्रयास आरंभ किए। ये उपाय सहायक सेवाओं और टेकफिन सेवाओं के लिए नियामक व्यवस्था को मजबूत करने, पूर्व जीआईसी विनियमों को फिर से तैयार करने और व्यापार में सहजता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीएटीएफ विनियमों में संशोधन के लिए हैं।

आईएफएससी में सहायक सेवाओं को सक्षम करने हेतु व्यवस्था में संशोधन

अप्रैल 17, 2025

हाल की नियामक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आईएफएससी (सहायक सेवा) व्यवस्था, 2021 में "ट्रस्टीशिप सेवाओं" के तहत क्रियाकलापों के दायरे का विस्तार करने के इच्छुक बाजार सहभागियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर आईएफएससीए ने उक्त व्यवस्था के अनुबंध 1 के खंड 4.3 में संशोधन किया है। संशोधित खंड ट्रस्टीशिप सेवाओं की परिभाषा का विस्तार करता है, जिससे एआइएफ, निवेश ट्रस्ट यथा - आईएनवीआइटीएस, आरईआईटी, और ऐसी ही अन्य ट्रस्ट-आधारित समरूपी संरचनाएँ, पारिवारिक निवेश फंड (एफआइएफ), सुरक्षा ट्रस्ट व्यवस्था, और संबंधित सेवाएँ, जिसमें एस्क्रो एजेंट के रूप में कार्य करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, अब ट्रस्टीशिप सेवाएँ विभिन्न स्कीमों के लिए प्रदान की जा सकती हैं, जिसमें एफएमई द्वारा लॉन्च की गई रिटेल स्कीमें शामिल हैं जो आईएफएससीए (फंड प्रबंधन) विनियम, 2025 के अंतर्गत पंजीकृत हैं।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (टेकफिन और सहायक सेवाएं) विनियमावली, 2025

जुलाई 22, 2025

यह समेकित विनियम सहायक सेवाओं, टेकफिन सेवाओं और संबंधित वित्तीय क्षेत्र नियामकों द्वारा आउटसोर्स करने की अनुमति प्राप्त गतिविधियों को शामिल करने के लिए परिकल्पित था। प्रयोजन यही था कि सहायक सेवाएं और संस्थानों को आईटी समर्थन सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करके व्यापार करने में सुविधा को बढ़ावा देना, जो बीएफएसआई खंड से संबंधित हैं। अब, संस्थाएँ एक ही लाइसेंस के अंतर्गत 50 से अधिक सुविधाएं (27 सहायक सेवाएँ और 23 टेकफिन सेवाएँ) प्रदान कर सकती हैं, जो गिफ्ट आईएफएससी के भीतर एक पूर्ण वित्तीय सेवा मूल्य श्रृंखला प्रदान करती हैं।

आईएफएससीए (टेकफिन और सहायक सेवाएं) विनियमावली, 2025 की दिशा में अंतरण

जुलाई 31, 2025

यह परिपत्र उन विद्यमान प्रतिष्ठानों को तरीके और अपेक्षाएं बताने के लिए जारी किया गया था जो आईएफएससीए सहायक सेवा व्यवस्था, 2021 और समय-समय पर यथासंशोधित "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में फिनटेक प्रतिष्ठानों के लिए व्यवस्था, 2022 के तहत प्राधिकृत हैं और आईएफएससीए (टेकफिन और सहायक सेवाएँ) विनियम, 2025 की तरफ अंतरण करना चाहती हैं।

आईएफएससीए (टीएएस) विनियमावली, 2025 के तहत एफएक्यू जारी करना

दिसम्बर 11, 2025

नियामक स्पष्टता बढ़ाने, अनुपालन को सरल बनाने और गिफ्ट आईएफएससी के भीतर व्यवसायी सेवा प्रदाताओं की ऑनबोर्डिंग को तेज़ करने के लिए, इस प्राधिकरण ने आईएफएससीए (टीएएस) विनियमावली, 2025 के तहत शुल्क संरचना, प्रवासन, पात्र विधिक फॉर्म आदि जैसे विषयों पर स्पष्टता देने वाले व्यापक एफएक्यू जारी किए हैं।

आईएफएससीए (ग्लोबल इन-हाउस केन्द्र) विनियमावली, 2025

दिसम्बर 31, 2025

जीआईसी विनियमावली, 2020 के लागू करने के बाद से प्राप्त अनुभव का आधार लेते हुए और आवधिक नियामक समीक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आईएफएससीए ने इस व्यवस्था का समेकित रूप

से पुनर्निर्माण किया। नए सिरे से निरूपित आईएफएससीए (जीआइसी) विनियमावली, 2025 को विनियमन स्पष्टता और लचीलापन बढ़ाने, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ समरूपित करने, और व्यवसाय करने में सहजता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

आईएफएससीए (बीएटीएफ) (संशोधन) विनियमावली, 2026

जनवरी 09, 2026

आईएफएससीए (बीएटीएफ) विनियमावली, 2024 में संशोधन किया गया है ताकि आईएफएससीए (बीएटीएफ) विनियमावली, 2024 के उप-विनियम (12) को हटाया जा सके गिफ्ट आईएफएससी से संचालन करने के लिए बीएटीएफ सेवा प्रदाता के लिए प्रति कर्मचारी न्यूनतम 60 वर्ग फुट फर्श क्षेत्र के कार्यालय स्थान की पूर्व आवश्यकता को अनिवार्य करता था। इस आवश्यकता को हटाने के लिए संशोधन का उद्देश्य प्रवेश अवरोध को कम करना है, क्योंकि अनिवार्य कार्यालय स्थान की आवश्यकताएँ निश्चित लागत को बढ़ाती हैं, नए आने वालों को हतोत्साहित करती हैं, और बीएटीएफ परितंत्र के विकास में बाधक हो सकती हैं। यह व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगा, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा, और गिफ्ट आईएफएससी पर व्यवसायिक सेवाओं के परितंत्र के विकास का समर्थन करेगा।

आईएफएससीए (जीआईसी) विनियमावली, 2025 संबंधी एफएक्यू

फरवरी 13, 2026

आईएफएससीए ने बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक समेकित सेट जारी किया जो पुनः निरूपित आईएफएससीए (जीआइसी) / जीसीसी विनियमावली, 2025 के बारे में है, और निम्नलिखित पर विस्तृत दिशानिदेश भी प्रदान करते हैं –

- अनुमेय संचालन मॉडल (कैप्टिव, बीओटी, जेवी, हायब्रिड);
- अनुमेय सेवाओं की सांकेतिक सूची;
- विद्यमान जीआइसी यूनिटों के लिए अनुपालन संबंधी अपेक्षाएं; और
- भारत से कर्मचारियों के स्थानांतरण और कार्य संविदाओं की प्रक्रियाएं।

आईएफएससीए (आईएफएससी वित्तीय सलाहकार) विनियमावली, 2026 पर परामर्श-पत्र

फरवरी 24 - मार्च 16, 2026

आईएफएससीए ने प्रस्तावित आईएफएससीए (आईएफएससी वित्तीय सलाहकार) विनियम, 2026 पर टिप्पणियों के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया। ड्राफ्ट विनियमों का उद्देश्य एक संरचनाबद्ध, संस्थान-आधारित नियामक व्यवस्था को समाविष्ट करना है, जिससे आईएफएससी में वित्तीय संस्थान आईएफएससी वित्तीय सलाहकारों को आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 3(1)(इ)(xiii) के तहत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने या मांगने के लिए संलग्न कर सकें। प्रस्तावित व्यवस्था में सुरक्षित परामर्श देने के स्तर से ही निवेशक संरक्षण को मजबूत करने और आईएफएससी नियामक संरचना को वैश्विक स्तर पर स्वीकृत वित्तीय सलाह मानकों के साथ समन्वित करने का प्रयास किया गया है, जिससे जीआईएफटी आईएफएससी परितंत्र में रिटेल और एनआरआई निवेशकों की अधिक भागीदारी को सुगम बनाया जा सके।

कार्यदल / समिति

गिफ्ट आईएफएससी में स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों के संबंध में आंतरिक कार्यदल की रिपोर्ट

फरवरी 13, 2026

"आईएफएससीए द्वारा कार्यपालक निदेशक श्री के. महीपाल रेड्डी की अध्यक्षता में गठित आंतरिक कार्यदल, जिसमें विभिन्न उद्योग विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल हैं, ने 13 फरवरी 2026 को आईएफएससीए के अध्यक्ष के समक्ष स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों (आइएफए) के लिए एक नियामक व्यवस्था की स्थापना की संस्तुति करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य वैश्विक रूप से समरूपित, पारदर्शी और निवेशक-केंद्रित सलाहकार परितंत्र विकसित करना है। रिपोर्ट में वित्तीय सेवाओं की विकास कर रही और निरंतर महत्वपूर्ण हो रही प्रकृति पर प्रकाश डाला गया, जहां सलाह आधारित और संबंध-प्रेरित सहभागिता विशेष रूप से एनआरआई, वैश्विक रूप से व्यवसायियों को एकजुट करने और रिटेल तथा प्रबुद्ध निवेशकों के लिए, जो सीमा-पार वित्तीय उत्पादों और अंतरराष्ट्रीय निवेश के अवसरों तक अभिगम की तलाश कर रहे हैं।

कार्यदल द्वारा यह सिफारिश की गई कि एक योग्य वित्तीय संस्था (क्यूएफआइ) पर आधारित निगरानी मॉडल की स्थापना की जाए, जिसमें गिफ्ट आईएफएससी में विनियमित वित्तीय संस्थान के माध्यम से गिफ्ट आईएफएससी वित्तीय सलाहकार (जीआइएफए) का निर्धारण, ऑनबोर्ड और पर्यवेक्षण किया जाए। कार्यदल ने प्रत्येक सलाहकार के लिए पारदर्शिता, पोर्टेबिलिटी और प्रभावी नियामक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री बनाने और एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यूआरएन) जारी करने की भी सिफारिश की।

संव्यवहार / प्रोसेस / परिचालन / प्रवृत्तियां

वित्तीय समर्थन सेवा विनियामक प्रभाग द्वारा लागू किए गए विभिन्न विनियमों के तहत 31 मार्च 2026 कुल 134 प्रतिष्ठानों को तक पंजीकरण प्रदान किया जा चुका था। इसमें 120 टेकफिन और सहायक सेवा



चित्र 9: गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने गिफ्ट सिटी में एक विकास केन्द्र का उदघाटन किया

सारणी 22 : आईएफएससी में वित्तीय समर्थन सेवा परितंत्र पर प्रमुख अपडेट

विवरण	मार्च 2025	मार्च 2026	वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि%
टेकफिन और सहायक सेवा प्रदाता	104	120	15.38%
जीआइसी और बीएटीएफ सेवा प्रदाता	6	14	133.33%
सृजित रोजगार (लगभग)	3200	4600	43.75%

(टीएएस) प्रदाता, 10 बुककीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध निगरानी (बीएटीएफ) सेवा प्रदाता, और 4 ग्लोबल इन-हाउस केन्द्र (जीआइसी) सेवा प्रदाता शामिल हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान 24 प्रतिष्ठानों को विभिन्न विनियमों के तहत पंजीकरण प्रदान किए जा चुके हैं। इन प्रतिष्ठानों ने विशेषीकृत व्यावसायिक, प्रौद्योगिकी, और कारोबारी समर्थन सेवाएं प्रदान करके गिफ्ट आईएफएससी को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वित्तीय सेवा क्षेत्र की संवृद्धि और परिचालनगत दक्षता में योगदान करने के अलावा इन प्रतिष्ठानों का उदय रोजगार सृजन के एक महत्त्वपूर्ण चालकों के रूप में भी हुआ है जो मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार 4,600 से भी अधिक कुशल व्यवसायियों के लिए सम्यक रोजगार अवसरों का सृजन कर चुके हैं। इस कार्यबल में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों, कम्पनी सचिवों, विधिवेत्ताओं, प्रौद्योगिकीय व्यवसायियों, वित्तीय विश्लेषकों, अनुपालन विशेषज्ञों, और अन्य डोमेन विशेषज्ञों का समावेश है।

पर्यवेक्षण

आईएफएससीए ने 31 जुलाई 2025 को एक समर्पित प्रभाग स्थापित किया जिसका नाम रखा गया वित्तीय समर्थन सेवा निगरानी प्रभाग (एफएसएसएसडी), ताकि आईएफएससी में परिचालन कर रहे वैश्विक इन-हाउस केंद्रों, बुककीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध सेवा प्रदाताओं, टेकफिन और सहायक सेवा प्रदाताओं की संरचनाबद्ध निगरानी की जा सके। यह विभाग अपनी पर्यवेक्षित संस्थाओं की ऑफ़साइट निगरानी और ऑनसाइट आकलन के लिए जोखिम आधारित निगरानी दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करता है।

पर्यवेक्षित प्रतिष्ठानों की सतत निगरानी के एक भाग के रूप में आईएफएससीए ने ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए रिपोर्टिंग मानदंडों को निर्धारित करके ऑफ़साइट निगरानी की एक व्यवस्था तैयार की है। रिपोर्टिंग मानदंडों में उन संस्थाओं द्वारा मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक प्रारूपों में मात्रा और गुणात्मक जानकारी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, साथ ही आईएफएससी में पर्यवेक्षित संस्थाओं के संचालन के संबंध में प्रधान अधिकारी (पीओ) और अनुपालन अधिकारी (सीओ) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रासंगिक प्रस्ताव/ घोषणा शामिल हैं। यह विभाग पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत जानकारी का विश्लेषण करता है ताकि अनुज्ञेय नियमावली के साथ उनके द्वारा की जा रही अनुपालना का आकलन किया जा सके।

पर्यवेक्षी प्रभावशीलता को और मजबूत करने के लिए, मौजूदा रिपोर्टिंग प्रारूपों की समीक्षा की गई है, संशोधन किया गया है ताकि संगत पर्यवेक्षी जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने हेतु नए रिपोर्टिंग प्रारूप भी तैयार किए गए हैं।

इसके अलावा, पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा उनकी पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों और लागू नियमों के साथ अनुपालन का संरचनाबद्ध मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, यह प्रभाग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की प्रक्रिया में है। प्रस्तावित एसओपी का उद्देश्य पर्यवेक्षित संस्थाओं का उनके जोखिम प्रोफ़ाइल के आधार पर वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण करना है, जिससे अधिक संरचनाबद्ध ऑफ़साइट निगरानी और ऑनसाइट मूल्यांकन की सक्षमता मिल सके।

निकास बैठकें

इस प्रभाग ने उन पांच प्रतिष्ठानों के साथ बैठकों का आयोजन किया जिन्होंने पंजीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित कर दिया, ताकि यह समझा जा सके कि आईएफएससी में परिचालन के समय उनके के समक्ष क्या चुनौतियां आईं और जहां भी आवश्यक हो उनसे परितंत्र में इन विनियमों, प्रक्रियाओं, और अन्य पक्षों के संबंध में फीडबैक लिया जा सके।

पक्ष समर्थन और आउटरीच

आईएफएससीए (बीएटीएफ) विनियमावली, 2024 और आईएफएससीए (टेकफिन और सहायक सेवाएं) विनियमावली, 2025 के तहत गिफ्ट आईएफएससी में व्यवसायियों और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं हेतु अवसरों पर आउटरीच सत्र

अगस्त 27, 2025

नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत

"अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल एन्ड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स एट गिफ्ट आईएफएससी" विषय पर आईएफएससीए-आइसीएसआइ कॉन्फ्रेन्स का सफल आयोजन आइसीएसआइ हाउस, नोएडा में किया गया जसमें 120 के आस-पास व्यवसायियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कॉन्फ्रेन्स ने एक मंच के रूप में कार्य किया जिसने आईएफएससीए टीएएस विनियमों, बीएटीएफ विनियमों और जीआइसी विनियमों के बारे में जागरूकता का सृजन किया और साथ ही गिफ्ट आईएफएससी में व्यवसायियों और प्रौद्योगिकी सेवाओं के बारे में विचारों और कारोबारी अवसरों के बारे में विचार विनिमय किया।

गिफ्ट आईएफएससी में व्यवसायियों और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के लिए अवसरों पर आउटरीच सत्र

सितम्बर 18, 2025

हैदराबाद, भारत

आइसीएआइ की एसआइआरसी की हैदराबाद शाखा ने सफलतापूर्वक बोधमय आउटरीच सत्र का आयोजन किया। इस समारोह की प्रमुखता रही आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक श्री के. महीपाल रेड्डी का सम्बोधन, जिसमें उन्होंने गिफ्ट आईएफएससी परितंत्र को मजबूत करने में व्यवसायियों और प्रौद्योगिकीय सेवाओं की बढ़ती हुई भूमिका पर अपने विजन को साझा किया, इसके बाद गिफ्ट आईएफएससी में व्यवसायिक सेवा प्रदाताओं के लिए अवसरों पर एक प्रस्तुति की गई।

आईएफएससीए (टीएएस) विनियमावली, 2025 और बीएटीएफ विनियमावली, 224 पर आईएफएससीए – आइसीएसआइ का संयुक्त आउटरीच कार्यक्रम

सितम्बर 19, 2025

मुम्बई, भारत

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान ने आईएफएससीए के साथ संयुक्त रूप से एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन एनएसई ऑडिटोरियम, मुम्बई में किया ताकि हाल ही में अधिसूचित आईएफएससीए (टेकफिन और सहायक सेवाएं) विनियमावली, 2025 और बीएटीएफ

विनियमाली, 2024 के तहत उपलब्ध अवसरों के बारे में जागरूकता का सृजन किया जा सके।

इस कार्यक्रम में लगभग 101सहभागी शामिल हुए। प्रमुख सम्बोधन में कार्यपालक निदेशक श्री के. महीपाल रेड्डी ने वैश्विक केन्द्र के रूप में गिफ्ट आईएफएससी में संभावनाओं के बारे में बताया और इसके बाद एक प्रस्तुति की गई जिसमें इस परितंत्र में व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं के लिए अवसरों के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से टीएएस प्रदाता आईएफएससीए के कारोबारी परितंत्र में बैंकिंग, पूंजी बाजार , बीमा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में समर्थन दे सकते हैं।

"ईसीटीए को विमुक्त किया – भारत और आस्ट्रेलिया एक्शन में'', आईसीएआई (सिडनी चैप्टर) द्वारा सीपीए आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त रूप से आयोजित

सितम्बर 23, 2025

न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, आस्ट्रेलिया

इस कार्यक्रम में 300 से भी अधिक सहभागी शामिल हुए जिसमें भारतीय और आस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के प्रतिनिधि, और प्रमुख स्टेकधारक और अन्य विशिष्ट व्यक्ति भी आए। इस दौरे के अलावा आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने सिडनी में प्रमुख व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं के साथ भी 22 और 24 सितम्बर 2025 को बैठकों का आयोजन किया।

आईएफएससीए (बीएटीएफ) विनियमावली, आईएफएससीए (टेकफिन और सहायक सेवाएं) विनियमावली, 2025 के तहत गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के लिए अवसरों पर आउटरीच सत्र

अक्तूबर 01, 2025

हैदराबाद, भारत

आईएफएससीए और आईसीएसआई द्वारा संयुक्त रूप से 1 अक्तूबार 2025 को हैदराबाद में एक सत्र 'गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के लिए अवसरों' के बारे में आयोजित किया गया। इस सत्र में बीएटीएफ सेवाओं का नियंत्रण करने वाले नियामक व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया और साथ ही नए अधिसूचित टेकफिन और सहायक सेवाएं (टीएएस) विनियमावली के बारे में, और इनके द्वारा व्यावसायिकों और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के लिए मिलने वाले महत्त्वपूर्ण अवसरों का उल्लेख किया गया।

गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के लिए अवसर और लिस्टिंग तथा फन्ड परितंत्र

अक्तूबर 10-11, 2025

चेन्नई, भारत

आईएफएससीए ने दो सम्मेलनों का आयोजन किया पहले का आयोजन भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान के साथ मिलकर 10 अक्तूबर को और दूसरे का आयोजन भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के साथ 11 अक्तूबर को व्यावसायिक समुदाय के सदस्यों के साथ किया। इन संयुक्त रूप से मेजबानी वाले ज्ञानमय आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन चेन्नई में हुआ जिसमें 'गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के लिए अवसरों तथा लिस्टिंग और फन्ड परितंत्र' का विशेष उल्लेख किया गया।

जीसीसी गोलमेज – 4था इंडिया इन्श्योरटेक एसोसिएशन वार्षिक समारोह

अक्तूबर 30, 2025

मुम्बई, भारत

आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारामन 4थे इंडिया इन्श्योरटेक एसोसिएशन वार्षिक समारोह में

मुम्बई से "ग्लोबल कैपेबिलिटी सेन्टर्स : टेकिंग इंडिया टू दि ग्लोब" विषय पर एक गोलमेज में शामिल हुए। अध्यक्ष महोदय ने आईएफएससीए जीआइसी विनियमों, गुजरात सरकार की जीसीसी नीति, और बैंकिंग, पूंजी बाजार, और बीमा क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों द्वारा जीआइसी की स्थापना करने के लाभों का उल्लेख किया। आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने इसके बाद टीएएस विनियमों के तहत अवसरों के बारे में गिफ्ट सिटी, बीमा कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों, सॉफ्टवेयर/टेक प्रदाताओं, और इन्श्योरटेक/फिनटेक स्टार्टअप से आए वरिष्ठ लीडरों को बताया।

व्यावसायिक सेवा परितंत्र – गिफ्ट आईएफएससी के लिए संवृद्धि के उत्प्रेरक

नवम्बर 01, 2025

कोचीन, भारत

कोचीन में 1 नवम्बर 2025 को 53वीं कम्पनी सचिव राष्ट्रीय सभा के एक भाग के रूप में ऐ विशेष सत्र का आयोजन किया गया जिसका विषय था - "गिफ्ट आईएफएससी – एनेबलिंग ग्रोथ एन्ड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीक फॉर अचीविंग दि विजन ऑफ विकसित भारत"।

एचएसबीसी ईवाइ गिफ्ट सिटी विनियम सार-संग्रह की शुरुआत

दिसम्बर 04, 2025

मुम्बई, भारत

एचएसबीसी ने ईवाइ भारत के सहयोग से आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारामन और डीईए की सचिव श्रीमती अनुराधा ठाकुर की मौजूदगी में "दि गिफ्ट सिटी एडवान्टेज – डूइंग बिजनेस इन इंडिया'ज इन्टरनेशनल फाइनेन्शियल सर्विसेज सेन्टर (आईएफएससी)," शीर्षक से एक समेकित सारसंग्रह का प्रकाशन किया।



चित्र 10 : आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारामन और डीईए की सचिव श्रीमती अनुराधा ठाकुर द्वारा "दि गिफ्ट सिटी एडवान्टेज" सार-संग्रह का लोकार्पण

गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के लिए अवसर और लिस्टिंग तथा फन्ड परितंत्र पर आउटरीच सत्र

दिसम्बर 11, 2025

बंगलुरु, भारत

आउटरीच सत्र के दौरान श्री के. महीपाल रेड्डी, कार्यपालक निदेशक ने आईएफएससी व्यवस्था के भीतर ट्रस्ट, कुशलता, और संधारणीय संवृद्धि को बढ़ावा देने में अभिशासन और अनुपालन की प्रमुख भूमिका का उल्लेख किया। इसके अलावा श्री प्रदीप रामकृष्णन, कार्यपालक निदेशक ने गिफ्ट आईएफएससी में तेजी से विस्तार हो रहे फन्ड परितंत्र का समेकित परिदृश्य प्रस्तुत किया और वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में भारत की बढ़ती हुई मौजूदगी को रेखांकित किया।

गिफ्ट आईएफएससी – विकसित भारत @2047 के विजन को मूर्त रूप देने में एक रणनीतिगत समर्थक

दिसम्बर 12, 2025

बंगलुरु, भारत

जीसीसी समिट शृंखला के 5वें संस्करण में 12 दिसम्बर 2025 को आइसीएआइ के कार्यपालक निदेशक श्री के. महीपाल रेड्डी ने बंगलुरु में "गिफ्ट आईएफएससी – विकसित भारत @2047 के विजन को मूर्त रूप देने में

एक रणनीतिगत समर्थक" विषय पर प्रमुख संभाषण दिया।

आइसीएआइ डब्ल्यूओएफए 2026 – "बढ़ते हुए जीसीसी और टीयर–2/टीयर–3 शहरों से कारोबारी आउटसोर्सिंग"

फरवरी 01, 2026
ग्रेटर नोएडा, भारत

आईएफएससीए ने "बढ़ते हुए जीसीसी और टीयर–2/टीयर–3 शहरों से कारोबारी आउटसोर्सिंग" विषय पर एक सत्र में सहभागिता की और छोटे शहरों में किफायती, प्रतिभा सम्पन्न, तथा सुधरती हुई अवसरंचना से संचालित सेवा परितंत्र के बढ़ते हुए महत्त्व को बताया। इसने आईएफएससीए की भूमिका को रेखांकित किया कि किस प्रकार से सीमा-पार सेवा प्रदाय, नियामक स्पष्टता, और वैश्विक बाजार तक अभिगम को समर्थकारी बनाया जा रहा है। इस विचार-विमर्श में टेकफिन,सहायक सेवाओं, और जीआइसी व्यवस्था के माध्यम से नीतिगत समर्थन, और साथ ही साथ कौशल बढ़ाने और परितंत्र के विकास पर भी जोर दिया गया ताकि उदीयमान शहरों को वैश्विक आदर्श शृंखला में लाया जा सके।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

लीजिंग के लिए न्यास और कम्पनी सेवा प्रदाता (टीसीएसपी) विनियमावली

आईएफएससीए (टीएएस) विनियमावली, 2025 में उच्च मूल्य वाले अनुमेय संचालनों यथा – वायुयान और जलपोत लीजिंग की जरूरतों को पूरा करता है, इमें विशेषीकृत कार्पोरेट सेटअप, ट्रस्टीशिप प्रबंधन, और प्रशासनिक सेवाओं की अनुमति दी गई है। प्रस्तावित व्यवस्था इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि टीसीएसपी को सक्षम करे कि वे सहायक और विश्वस्त सेवाएं प्रदान कर सकें। यह व्यवस्था कुशल संविभाजन संरचना, संचालनगत निरंतरता, और प्रबल अभिशासन की सक्षमता देती है और साथ ही वित्तीय और सहायक सेवा क्रियाकलापों के बीच एक स्पष्ट संविभाजन को सुनिश्चित करती है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सलाहकारों के लिए विनियामक व्यवस्था

आईएफएससीए (एफए) विनियमावली, 2026 का लक्ष्य है कि गिफ्ट आईएफएससी में वित्तीय संस्थानों द्वारा आईएफएससी वित्तीय सलाहकारों के विनियोजन के लिए संरचनाबद्ध नियामक व्यवस्था स्थापित की जाए। इस व्यवस्था का यह भी लक्ष्य है कि निवेशक संरक्षण को मजबूत किया जाए और सलाहकार सेवाओं में पारदर्शिता को बढ़ाया जाए। इसका ध्येय है कि गिफ्ट आईएफएससी के सलाहकारी परितंत्र को वैश्विक रूप से स्वीकार्य नियामक मानकों और सर्वोत्तम परिपाटियों के साथ समरूपित किया जाए। इन विनियमों से यह भी अपेक्षित है कि आईएफएससी परितंत्र में रिटेल और एनआरआइ निवेशकों की अधिकाधिक सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।

अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पस और अपतटीय शिक्षण केन्द्र

गिफ्ट आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक महत्त्व मिला है। इस एनईपी – 2020 में एक आकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2020-21 के 27.3% से बढ़ाकर सन 2035 तक 50% किया जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं कि न केवल उच्चतम शिक्षण में उपलब्ध सीटों को बढ़ाया जाए बल्कि मानकों की कोटि को भी उन्नत क्या जाए। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा गिफ्ट आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देने के लिए नीतिगत सुधार एक महत्त्वपूर्ण और समसामयिक हस्तक्षेप है।

यूनियन बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 की घोषणा के अनुसरण में अनिवार्य नीतिगत और नियामक समर्थनकारी व्यवस्था की गई ताकि पात्र विदेशी विश्वविद्यालयों को गिफ्ट आईएफएससी में अपतटीय शिक्षा केन्द्र के रूप में अपना अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पस स्थापित और संचालित करने की अनुमति दी जा सके।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

विद्यमान आईएफएससीए (अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पसों और अपतटीय शिक्षण केन्द्रों की स्थापना और संचालन) विनियमावली, 2022 के संबंध में लोक और बाजार सहभागियों से अभिमत /सुझाव प्राप्त करना

नवम्बर 14 – दिसम्बर 31, 2025

आईएफएससीए ने 14 नवंबर 2025 को जारी सार्वजनिक सूचना के माध्यम से एक सार्वजनिक परामर्श किया, जिसमें आईएफएससीए (आइबीसी और ओईसी की स्थापना और संचालन) विनियमावली, 2022 में संभावित संशोधनों पर सार्वजनिक अभिमत/ सुझाव मांगे गए। ये विनियम मूल रूप से यूनियन बजट 2022–23 की घोषणा के बाद समाविष्ट किए गए थे, जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों को गिफ्ट आईएफएससी में वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) के क्षेत्रों में पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति दी गई थी। यह व्यवस्था विदेशी विश्वविद्यालयों को आईएफएससीए के नियामक निगरानी के तहत गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों (आइबीसी) और अपतटीय शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करने की अनुमति देता है।

विदेशी विश्वविद्यालयों के आइबीसी हेतु वार्षिक रिपोर्टिंग का प्ररूप

मार्च 27, 2026

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी में कार्यरत विदेशी विश्वविद्यालयों की आइबीसी हेतु वार्षिक रिपोर्टिंग प्ररूप तैयार और परिचालित किया ताकि उनकी प्रतिक्रिया और टिप्पणियाँ प्राप्त की जा सकें। आईएफएससीए (अंतर्राष्ट्रीय शाखा कैम्पस और अपतटीय शिक्षा केन्द्रों की स्थापना और संचालन) विनियमावली, 2022 के विनियम 15 के अंतर्गत यह प्ररूप एआरएफ तैयार किया गया था। इस प्ररूप के तहत, छात्रों की संख्या, संचालित कार्यक्रम, ली गई फीस आदि से संबंधित जानकारी आइबीसी से जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।

संव्यवहार / प्रोसेस / परिचालन / प्रवृत्तियां

वर्ष के दौरान, आईएफएससीए ने यूके के एक विश्वविद्यालय (क्यूएस विश्व में विश्वविद्यालय रैंक 262, 2026) को गिफ्ट आईएफएससी में अपनी आइबीसी की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया, ताकि वह स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रमों का संचालन कर सके, जिसमें बीएससी बिजनेस मैनेजमेंट तथा बिजनेस एनालिटिक्स, बीएससी बिजनेस मैनेजमेंट, एमएससी डेटा साइंस, एमएससी बिजनेस एनालिटिक्स आदि शामिल हैं। इसके अलावा, आईएफएससीए ने वर्ष के दौरान रसेल ग्रुप यूके विश्वविद्यालय (क्यूएस विश्व में विश्वविद्यालय रैंक 199, 2026) को पंजीकरण का प्रमाणपत्र भी दिया।

विश्वविद्यालय ने 2026 की अंतिम तिमाही से तीन पाठ्यक्रम आरंभ करते हुए अपनी शैक्षणिक गतिविधियां शुरू कीं, जिनमें एमएससी बिजनेस एनालिटिक्स, एमएससी फाइनेंशियल एनालिटिक्स, एमएससी फाइनेंस शामिल हैं।

पक्ष समर्थन और आउटरीच

आईएफएससीए टेकफिन टेलेन्ट विस्टा 2025

मार्च 19, 2026

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

आईएफएससीए ने "शेपिंग ग्लोबल टेलेन्ट फॉर इंडिया एन्ड दि वर्ल्ड" के प्रतिपाद्य विषय पर गिफ्ट सिटी में टेलेन्ट समिट 2026 के द्वितीय संस्करण का आयोजन



चित्र 11: (बाएं से दाहिने) श्री दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए, श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए, पीएम के मुख्य सचिव श्री पी. के. मिश्रा, गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री श्री हर्ष सांघवी, श्री उदय कोटक, अध्यक्ष गिफ्ट कम्पनी लि., श्री संजय कौल, एमडी और सीईओ गिफ्ट कम्पनी लि., और श्री रिशाद प्रेमजी, एक्जीक्यूटिव चेयरमैन विप्रो – गिफ्ट सिटी में आयोजित आईएफएससीए टेलेन्ट विस्टा समिट के दौरान

किया जिसका लक्ष्य था उद्योग-अकादमिया के सहयोग को सुदृढ़ करते हुए वैश्विक रूप से स्पर्धी प्रतिभाओं को भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय परितंत्र में समाहित किया जाए। इस समिट में श्री हर्ष सांघवी, माननीय मुख्य मंत्र गुजरात; डॉ. पी. के. मिश्रा, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव; श्री उदय कोटक, अध्यक्ष, गिफ्ट सिटी कम्पनी लिमिटेड; श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए; और श्री संजय कौल, एमडी और सीईओ, गिफ्ट सिटी कम्पनी लिमिटेड भी शामिल हुए।

श्री सांघवी ने गिफ्ट आईएफएससी को एक ऐसे प्लेटफार्म के रूप में बताया जो भारतीय युवाओं की वैश्विक आकांक्षाओं को पूरा करेगा; जबकि डॉ. मिश्रा ने बताया कि वैश्विक वित्तीय परितंत्र को विकसित भारत 2047 के विजन के साथ समरूपी बनाने में गिफ्ट आईएफएससी के उदय को रेखांकित किया।

श्री संजय कोटक ने गिफ्ट सिटी को विश्व के अग्रणी वित्तीय केन्द्रों में स्थापित करने के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत किया, जिसमें विकास संभावनाओं और प्रमुख शक्तियों का उल्लेख किया गया। श्री राशिद प्रेमजी, एक्जीक्यूटिव चेयरमैन, विप्रो लिमिटेड ने प्रतिभा और नवोन्मेष की संभावनाओं का उल्लेख किया और इसी कार्यक्रम में डॉ. दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए ने अपना अभिमत भी प्रस्तुत किया। यह समिट उद्योग-अकादमिया परिचर्चा के साथ समाप्त हुई, इसमें भावी सहयोगों, रोजगार प्रतिबद्धताओं, और गिफ्ट आईएफएससी में नए विशिष्ट कार्यक्रमों की शुरुआत का मार्ग बताया गया।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

आईबीसी द्वारा रिपोर्ट योग्य घटनाओं के संबंध में परिपत्र

आइबीसी पर नियामक निगरानी को और भी सुदृढ़ करने के लिए इस प्राधिकरण का प्रयास रहेगा कि आईबीसी द्वारा रिपोर्ट योग्य घटनाओं के संबंध में परिपत्र जारी किया जाए। इस परिपत्र का प्रयोजन यही रहेगा कि गिफ्ट आईएफएससी में आइबीसी द्वारा दिए जा रहे अकादमीय कार्यक्रमों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए कि ये विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा अपने देश में दिए जा रहे अकादमीय कार्यक्रमों के अनुरूप हैं तथा साथ ही साथ गिफ्ट आईएफएससी में परिचालनों में विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हो और अधिकाधिक पारदर्शिता और जवाबदेही शामिल रहे।

विकास क्रियाकलाप

आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की प्रस्तावना में यह प्रावधान है कि भारत में आईएफएससी में वित्तीय सेवा बाजार को विकसित करने और नियमित करने के लिए आईएफएससी प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा विकास और विनियमन के इस दोहरे अधिदेश को इस अधिनियम की धारा 12 में पुन: दोहराया गया है, जिसमें यह कहा गया है – ' इस प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि जिन उपायों का यह आवश्यक समझे उनके द्वारा आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों का विकास और नियमन करे। अपने विकास संबंधी अधिदेश को आगे बढ़ाने के लिए इस प्राधिकरण ने विकास विभाग की स्थापना की है, जिसका प्रमुख एक कार्यपालक निदेशक को रखा गया है।

इस विकास विभाग द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों और समग्र अधिदेश का उल्लेख निम्नानुसार है –

वित्तीय बाजारों का विकास: गिफ्ट आईएफएससी में एक ऊर्जावान वित्तीय बाजार परितंत्र का विकास करने के लिए, यह विभाग नियमित रूप से स्वदेशी के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आउटरीच और परिनियोजन संबंधी क्रियाकलापों की एक व्यापक श्रृंखला चलाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस विभाग ने अग्रणी उद्योग एसोसिएशनों और व्यापार निकायों यथा – फिक्की, सीआइआइ, एसोचेम, आइवीसीए, आदि के साथ मिलकर कई सम्मलेनों, सेमिनारों, वेबिनारों, आदि का आयोजन किया ताकि गिफ्ट आईएफएससी में नियामक परिदृश्य और कारोबारी अवसरों के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जा सके।

अंतरराष्ट्रीय कार्य प्रभाग: गिफ्ट आईएफएससी को एक विख्यात वैश्विक वित्तीय केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए यह अनिवार्य है कि प्रतिपक्षी वैश्विक वित्तीय केन्द्रों के साथ मजबूत संबंध और सहयोग स्थापित किए जाएं। विदेशी अधिकारक्षेत्रों के प्राधिकरणों और विनियामकों के साथ यह विभाग नियमित रूप से जुड़ा रहता हे ताकि पारस्परिक सहयोग और पारस्परिक हितों के क्षेत्रों की तलाश की जा सके। इसके अलावा यह विभाग विदेशी अधिकारक्षेत्रों के वित्तीय संस्थानों और निवेशकों से भी सम्पर्क रखता है ताकि उन्हें गिफ्ट आईएफएससी में नियामक परिदृश्य और कारोबारी अवसरों से अवगत कराया जा सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस विभाग ने यूके, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैन्ड, आदि के नियामकों और वित्तीय संस्थानों से सम्पर्क किए।

आर्थिक नीति और विश्लेषण प्रभाग: प्रमाण-आधारित नीति निर्माण और विश्लेषणपरक अनुसंधान और नियामक नीतिगत हस्तक्षेप में सुविधा के लिए, ईपीए प्रभाग नियमित रूप से क्षेत्र-विशेष से संबंद्ध अध्ययनों, वैश्विक बेन्चमार्किंग नियोजनों और उदीयमान वित्तीय बाजार प्रवृत्तियों पर शोध कार्य सहित अनुसंधान कार्य करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ईपीए प्रभाग ने आईएफएससी परितंत्र की विभिन्न कारोबारी प्रवृत्तियों, आईएफएससी से वित्तीय सेवाओं के निर्यात पर शोध अध्ययनों, एसईजेड रिपोर्टिंग मानदंडों, तथा अन्य के बारे में विश्लेषण किए। ईपीए प्रभाग द्वारा आईएफएससीए तिमाही बुलेटिन तैयार करके इसका प्रकाशन भी किया जाता है जो आईएफएससीए का प्रमुख तिमाही प्रकाशन है, जिसमें कारोबारी मात्राओं, विकास क्रियाकलापों, और गिफ्ट आईएफएससी में नियामक अपडेट के बारे में समेकित जानकारी प्रदान की जाती है।

आउटरीच और सम्प्रेषण प्रभाग: आईएफएससीए की नियामक पद्धति के बारे में बाजार का परिज्ञान लेने और बाजार के सहभागियों तथा स्टेकधारकों से फीडबैक लेने के लिए यह प्रभाग नियमित रूप से गोलमेज परिचर्चाओं का आयोजन अग्रणी संस्थानों और विनियमित प्रतिष्ठानों के साथ करता रहता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट परिचर्चाओं का आयोजन गिफ्ट आईएफएससी में विनियमित प्रतिष्ठानों और स्टेकधारकों, जैसे कि बैंकिंग, ग्लोबल इनहाउस केन्द्रों, ट्रेजरी केन्द्रों, वायुयान लीजिंग प्रतिष्ठानों, जलपोत लीजिंग प्रतिष्ठानों, आदि के साथ किया गया। इस विभाग ने 'चिन्तन शिविर 2.0' का आयोजन भी किया, जून–अगस्त 2025 इस तीन माह के आयोजन के दौरान बाजार के अग्रणी सहभागियों ने इस प्रमुख और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस तीन माह चलने वाले आयोजन के दौरान आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने पूरे वित्तीय क्षेत्र के परितंत्र के 200 उद्योग लीडरों के साथ परिचर्चाएं की और कारोबारी परिचालनों और कारोबार करने में सहजता को और भी बढ़ाने के लिए अपेक्षित उपायों के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त किया।

व्यवसाय सहजता (ईडीबी) कक्ष: गिफ्ट आईएफएससी की वैश्विक स्पर्धात्मकता को बढ़ाने और वैश्विक पूंजी, संस्थानों और प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए यह विभाग नियमित रूप से ऐसे उपाय करता है कि किसी भी प्रतिष्ठान के सम्पूर्ण जीवनचक्र के दौरान कारोबार करने में सुविधा देने के उपाय किए जाएं – इनमें आईएफएससी में प्रवेश, दैनिक परिचालनों के साथ-साथ आईएफएससी से निकास तक को शामिल किया गया है। ईडीबी क्रियाकलापों के एक भाग के रूप में स्टेकधारकों के साथ व्यापक परामर्श करते हुए संघर्ष के मुद्दों का अभिनिर्धारण किया गया है और इन मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय अधिकारक्षेत्रों के साथ बेन्चमार्क किया गया है और समयबद्ध सुधार के माध्यम से इनका निपटान किया जाता है।

सरकार का परिनियोजन: गिफ्ट आईएफएससी में ऊर्जावान और विभेदीकृत वित्तीय बाजार परितंत्र का विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए नीतिगत स्तर पर नियमित सुधारों और हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में यह विभाग नियमित रूप से केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से सम्पर्क रखता है ताकि नए नीतिगत प्रस्तावों के साथ-साथ नीतिगत स्तर के मामलों पर चर्चा की जाए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस विभाग ने वित्त मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आदि के साथ विभिन्न नीतिगत मामलों पर परिचर्चा की।

पक्ष समर्थन और आउटरीच

समझौता ज्ञापन और सहयोग

आईएफएससीए ने आस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एन्ड इनवेस्टमेन्ट कमीशन के साथ एमओयू का निष्पादन किया

सितम्बर 04, 2025
सिडनी, आस्ट्रेलिया

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटीज एन्ड इन्वेस्टमेन्ट कमीशन (एएसआइसी) ने आपसी नियामक सहयोग को सुदृढ़ करने और दोनों अधिकारक्षेत्रों में सुदृढ़ और प्रभावी वित्तीय सेवाओं के एक परितंत्र का समर्थन करने के लिए आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और श्री जोसेफ लॉन्गो, चेयर, एएसआइसी के बीच एएसआइसी के परिसर सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में किया गया।

यह समझौता ज्ञापन दो नियामकों के बीच वित्तीय बाजार के नियमन, तकनीक के उपयोग और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में प्रवृत्तियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर आपसी सहायता और जानकारी साझा करने को सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य को लेकर है। यह वित्तीय सेवाओं में महत्वपूर्ण विकास, साथ ही नियामक अनुपालन, पर्यवेक्षण, और दोनों अधिकारक्षेत्रों में बाजार भागीदारों के संबंध में प्रवर्तन मामलों पर समयबद्ध और प्रभावी जानकारी के आदान-प्रदान को भी सक्षम करेगा।

आईएफएससीए द्वारा फाइनान्शियल सुपरवाइजरी कमीशन ताईवान (एफएससी ताइवान) के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन

दिसम्बर 03, 2025

आभासी

आईएफएससीए और एफएससी ताइवान के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित हुआ ताकि पारस्परिक हित के सुनिर्धारित क्षेत्रों में नियामक सहयोग को औपचारिक रूप दिया जा सके। इस समझौता ज्ञापन पर श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और डॉ. येनलियांग चेन, एफएससी के वाइस चेयरपर्सन द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का विनिमय आभासी रूप से किया गया और इसे 18वें भारत-ताइवान आर्थिक परामर्श (आइटीईसी) के एक भाग के रूप में दिसम्बर 2025 से लागू किया गया। इस समझौता ज्ञापन का प्रयोजन यही है कि अपने-अपने अधिकारक्षेत्रों में वित्तीय बाजारों में विकास, नियामक और कारोबारी संरचनाओं के बारे में वर्तमान प्रवृत्तियों और सर्वोत्तम परिपाटियों की जानकारी को साझा किया जाए और साथ ही साथ पंजीकृत व्यक्तियों की योग्यता और औचित्य का संवर्धन तथा सरंक्षण किया जाए और उचित कारोबार तथा कारोबार संचालन की सत्यनिष्ठा को बढ़ावा दिया जाए।

आईएफएससीए, भारत और एफसी, यूके द्वारा एक्सचेन्ज ऑफ लैटर्स (ईओएल) पर हस्ताक्षर

फरवरी 11, 2026

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

आईएफएससीए, भारत और फाइनान्शियल कन्डक्ट अथॉरिटी (एफसीए), यूनाइटेड किंग्डम ने पारस्परिक हित के निर्धारित क्षेत्रों में नियामक सहयोग को औपचारिकता प्रदान करने के लिए एक्सचेन्ज ऑफ लैटर्स पर हस्ताक्षर किए। इस ईओएल पर डॉ. दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए और सुश्री केमिले ब्लैकबर्न, एफसीए डायरेक्टर, एशिया पेसिफिक द्वारा हस्ताक्षर किए गए तथा इस अवसर पर श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए, श्री स्टीफन हिकलिंग, ब्रिटिश डिप्टी हाइ कमिश्नर टू गुजरात एन्ड राजस्थान तथा ब्रिटिश हाईकमीशन, एफसीए और आईएफएससीए के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस ईओएल पर 11 फरवरी 2026 को हस्ताक्षरित और क्रियान्वित हुआ। इस ईओएल का प्रयोजन यही है कि अपने-अपने अधिकारक्षेत्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के लिए विनियमों में की गई गतिविधियों पर जानकारी को और साथ ही साथ सर्वोत्तम परिपाटियों को साझा करने सहित विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्थाओं तथा प्रयासों को साझा किया जाए।



चित्र 12: अध्यक्ष, आईएफएससीए श्री के. राजारामन ब्रिटिश समकक्षों के साथ डॉ. दीपेश शाह, ईडी द्वारा ईओएल पर हस्ताक्षर के अवसर पर

आईएफएससीए और फिनान्सिटिल्सीनेट, नार्वे के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

फरवरी 13, 2026

आभासी

आईएफएससीए और नॉर्वे के वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण – फिनान्सिटिल्सीनेट ने आपसी हित के क्षेत्रों में विनियामक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारामन, और श्री पेर मैथिस कोंग्सरुद, डायरेक्टर जनरल, फिनान्सिटिल्सीनेट द्वारा हस्ताक्षर किए गए और इसे 13 फरवरी, 2026 को आभासी रूप से विनिमय कर इसे क्रियान्वित किया गया। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों अधिकारक्षेत्रों में वित्तीय क्षेत्र में बाजार की हालिया प्रवृत्तियों, सर्वोत्तम प्रथाओं, और विनियमन विकास के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करना है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स (आइआइसीए) के साथ समझौता ज्ञापन

फरवरी 20, 2026

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

आईएफएससीए और आइआइसीए ने आईएफएससी परितंत्र से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, महानिदेशक, आइआइसीए ने हस्ताक्षर किए। यह सहयोग में कॉर्पोरेट विधि, ईएसजी, संधारणीय वित्त, और सीमा-पार लेन-देन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है, और इसमें संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान, और ज्ञान-प्रयासों को शामिल किया गया है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य संस्थागत क्षमता को मजबूत करना और आईएफएससी के भीतर प्रबल अभिशासन प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

आईएफएससीए ने माल्टा फाइनान्शियल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया

फरवरी 24, 2026

आभासी

आईएफएससीए और माल्टा फाइनान्शियल सर्विसेज अथॉरिटी (एमएफएसए) ने आपसी हित के क्षेत्रों में नियामक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और श्री केनेथ फर्रूजिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमएफएसए ने हस्ताक्षर किए, इस अवसर पर भारत के उच्चायोग, माल्टा में सीडी'ए सुश्री रोजा एस. राजन, डॉ. दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए और दोनों प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। यह समझौता ज्ञापन 24 फरवरी, 2026 को आभासी रूप से आदान-प्रदान और क्रियान्वित किया गया, जिसका उद्देश्य दोनों क्षेत्रों में बाजारों के रुझान, सर्वोत्तम प्रथाओं, और नियामक विकास पर जानकारी साझा करना है।

आईएफएससीए और इसरायल सिक्योरिटीज अथॉरिटी (आइएसए) के बीच समझौता ज्ञापन

फरवरी 26, 2026

इसरायल

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और इज़राइल प्रतिभूति प्राधिकरण (आइएसए) ने वित्तीय नवाचार में संस्थागत सहयोग को औपचारिकता प्रदान करने के प्रयोजन से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसे इसरायल में भारतीय राजदूत श्री जे.पी. सिंह और आइएसए के अध्यक्ष श्री सेफ्फी जिंगर ने औपचारिक रूप से आदान-प्रदान किया गया, इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इज़राइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद थे। यह समझौता प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों पर

सर्वोत्तम प्रथाओं और बाजार की जानकारी साझा करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित करता है। इस साझेदारी के माध्यम से, प्राधिकरणों का लक्ष्य सूचना के आदान-प्रदान, फिनटेक और रेजटेक सहयोग, और प्रमुख क्षेत्र विकास पर अपडेट के माध्यम से वित्तीय सेवाओं में सहयोग को बढ़ाना है ताकि नवाचार-प्रेरित परितंत्र को बढ़ावा दिया जा सके जो दोनों देशों की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं में गहनता लाए।

आउटरीच और परिनियोजन के अन्य क्रियाकलाप

कौशल विकास में भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग को सुदृढ़ करना

अप्रैल 03, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

ऑस्ट्रेड और आईएफएससीए द्वारा साथ मिलकर, 3 अप्रैल 2025 को गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया-भारत कौशल समिट 2025 की मेजबानी की गई। ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख विश्वविद्यालयों और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में विशेषीकृत व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं के पदाधिकारी शामिल थे। समिट की शुरुआत गिफ्ट सिटी का टूर करने के साथ हुई, जिसमें प्रमुख अवसंरचना सुविधाओं को दिखाया गया। इसके बाद, आईएफएससीए अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल के साथ एक राउंडटेबल चर्चा की, जिसमें परितंत्र में कौशल अंतर की पहचान, प्रतिभा को बेहतर बनाने की रणनीतियों पर विचार, और गिफ्ट आईएफएससी में ओवरसीज शिक्षा केंद्रों के अवसरों पर चर्चा की गई।

फिनलैन्ड प्रतिनिधिमंडल का आईएफएससीए और गिफ्ट आईएफएससी दौरा

जून 11, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

आईएफएससीए ने 11 जून 2025 को फिन्निश प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की जिसका नेतृत्व भारत में फिनलैंड के राजदूत महामहिम श्री किम्मो लाहदेविर्टा ने किया। प्रतिनिधिमंडल में व्यापारिक लीडर शामिल थे जो गिफ्ट परितंत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के इच्छुक थे। इस विजिट ने आईएफएससीए के अध्यक्ष और आईएफएससीए की वरिष्ठ लीडरशिप को गहन संवाद का अवसर प्राप्त हुआ। प्रतिनिधिमंडल को गिफ्ट आईएफएससी के परितंत्र, इसके नियामक परिदृश्य, और वैश्विक खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध व्यापारिक अवसरों की विस्तृत श्रृंखला के बारे में बताया गया।

आईएफएससीए और गिफ्ट आईएफएससी में नीदरलैन्ड के प्रतिनिधिमंडल का आगमन

जून 11, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

आईएफएससीए ने 11 जून, 2025 को नीदरलैंड्स के एक प्रतिनिधिमंडल की मेज़बानी की, जिसमें प्रतिष्ठित व्यापारिक लीडरों गिफ्ट सिटी परितंत्र में निवेश के संभावित मार्गों की खोज में रुचि दिखाई। इस विजिट ने आईएफएससीए के अध्यक्ष और वरिष्ठ लीडरशिप के साथ गहन बातचीत के लिए एक अवसर प्रदान किया। प्रतिनिधिमंडल को गिफ्ट आईएफएससी परितंत्र, इसकी नियामक स्थिति और व्यापार के अवसरों की विस्तृत श्रृंखला के बारे में जानकारी दी गई। व्यापार अवसरों पर प्रस्तुति के बाद, प्रतिनिधिमंडल के प्रश्नों और टिप्पणियों का उत्तर देने के लिए एक इंटरैक्टिव प्रश्न-उत्तर सत्र आयोजित किया गया।

आईएफएससीए टेकफिन टैलेंट विस्टा 2025

जून 12, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

यह कार्यक्रम अकादमिक और कॉर्पोरेट्स की प्रभावी सहयोग को सक्षम करने के लिए था ताकि उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए नवीनतम प्रतिभाओं का

सृजन किया जा सके और शहर को "नवयुगीन वैश्विक वित्तीय केन्द्र" में बदलने का विजन रखा जाए। इस कार्यक्रम ने उद्योग और अकादमी के विविध प्रतिभागियों को एकजुट किया, जिनकी साझा रुचि गिफ्ट सिटी के भीतर और इसके चारों ओर उपलब्ध प्रतिभावान लोगों की उपलब्धता के संबंध में अवसरों की खोज में थी।

अर्थ संवाद गिफ्ट आईएफएससी – केएमपी सम्मेलन

जून 20, 2025

पीडीईयू कैम्पस, गांधीनगर

आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने 20 जून, 2025 को पीडीईयू कैम्पस, गांधीनगर में आयोजित "अर्थ संवाद गिफ्ट आईएफएससी – केएमपी सम्मेलन" में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान, आईएफएससीए के एक अधिकारी ने उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण दिया, जिसमें गिफ्ट आईएफएससी के उद्देश्यों और विजन को विस्तार से बताया गया। इसके अतिरिक्त, "ब्लू प्रिंट 2030 – द वे फॉरवर्ड" शीर्षक से एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें भारत के आर्थिक विकास के विमर्श में गिफ्ट आईएफएससी की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया गया।

चिन्तन शिविर 2.0

जुलाई – सितम्बर 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

आईएफएससीए ने वित्तीय नियमन में उत्कृष्टता और नवोन्मेषों की निरंतर खोज में, चिंतन शिविर 2.0 का आयोजन किया, जो उच्चस्तरीय गोलमेज वार्ताओं एक श्रृंखला है। इस पहल में 22 से अधिक सत्रों का समावेश रहा, जिनमें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, निवेशकों और विश्वविद्यालयों की अधिकाधिक सहभागिता रही। आईएफएससीए के अध्यक्ष महोदय की मौजूदगी में आयोजित इस प्रयास ने वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख हितधारकों के एकजुट होने और भविष्य के लिए तैयार, वैश्विक प्रतिस्पर्धी आईएफएससी व्यवस्था के सह-सृजन हेतु एक कार्यनीतिपरक संवाद मंच के रूप में कार्य किया। हितधारकों ने सहयोगात्मक रूप से नियामक और संचालनात्मक चुनौतियों की पहचान की, उभरते अवसरों का अन्वेषण किया, और एक पारदर्शी, प्रभावी, और नवाचार-प्रेरित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के निर्माण में योगदान दिया। सत्रों में आईएफएससीए के सहभागितापूर्ण अभिशासन और लचीले नियमन हेतु प्रतिबद्धता को प्रकट किया। उनका उद्देश्य खुला संवाद स्थापित करना, क्रियाशील अंतर्दृष्टि को ग्रहण करना, और गिफ्ट आईएफएससी के परितंत्र को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ समन्वयित करना और भारत के दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टिकोण विकसित भारत@2047 का समर्थन करना था।

भारत में निवेश करना – दि गिफ्ट एडवान्टेज

जुलाई 03, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में, आईएफएससीए के अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धात्मक फंड प्रबंधन परितंत्र का निर्माण कर रहा है और गिफ्ट आईएफएससी इस का केंद्र है।

गिफ्ट सिटी में नवोन्मेष और दक्षता का संचलन

जुलाई 03, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

आईएफएससीए के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने ब्लूमबर्ग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। अध्यक्ष ने भारत के आर्थिक सुधार, विकसित भारत@2047 में गिफ्ट सिटी की भूमिका, और आईएफएससीए के नियामक प्रयासों और विकास यात्रा के बारे में उल्लेख किया। आईएफएससीए के अन्य

वरिष्ठ पदाधिकारियों ने विशेषज्ञ पैनल चर्चाओं में भाग लिया।

अनलॉकिंग गिफ्ट – ब्रोकर्स का आइबीएआइ सम्मेलन

जुलाई 03, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

आईएफएससीए के अध्यक्ष ने गिफ्ट सिटी में होटल ग्रान्ड मेरक्योर में भारतीय बीमा ब्रोकर संघ (आईबीएआइ) – गिफ्ट सिटी चैप्टर पर आयोजित कार्यक्रम में सभा को संबोधित किया। अपनी टिप्पणी में, अध्यक्ष ने बीमा मध्यस्थों के लिए गिफ्ट आईएफएससी में उपलब्ध महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रकाश डाला, जो बीमा और पुनर्बीमा गतिविधियों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में इसकी बढ़ती भूमिका को उजागर करता है।

भारतीय विदेश सेवा (आइएफएस) प्रशिक्षु अधिकारियों और भूटान से आए अधिकारियों को आईएफएससीए के अध्यक्ष का सम्बोधन

जुलाई 03, 2025

आरआरयू , गांधीनगर

आईएफएससीए के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू), गांधीनगर में अपने एक सप्ताह के ओरिएंटेशन के दौरान आईएफएस प्रशिक्षु अधिकारियों और भूटान के अधिकारियों को संबोधित किया। अध्यक्ष महोदय द्वारा "वैश्विक आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था में भारत की रणनीतिक वृद्धि - भविष्य के भारत का निर्माण" विषय पर सत्र में चर्चा की गई और उन्होंने गिफ्ट आईएफएससी की भूमिका पर प्रकाश डाला और बताया कि किसी प्रकार से इसे आर्थिक कूटनीति के हिस्से और वैश्विक वित्तीय हब के रूप में इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है।

ताइवान का आधिकारिक दौरा

जुलाई 14-15, 2025

ताइवान, एशिया

आईएफएससीए के अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में आईएफएससीए का एक प्रतिनिधिमंडल और इंडिया ताइपेई एसोसिएशन के डीजी, श्री मनहर सिंह यादव, ने ताइवान और जापान का दौरा किया ताकि वित्तीय, विनियामक और शैक्षणिक साझेदारियों को मजबूत किया जा सके और गिफ्ट आईएफएससी में अवसरों को दर्शाया जा सके। ताइपे में, प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख मीडिया, ताइवान शेयर बाजार और ताइवान के केंद्रीय बैंक के साथ संवाद किया, जिसमें फिनटेक, एक्सचेंज संचालन और वित्तीय स्थिरता में सहयोग पर चर्चा की गई। ताइवान विश्वविद्यालयों के साथ बातचीत ने गिफ्ट आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय शाखा कैंपस (आइबीसी) स्थापित करने के अवसरों के बारे में बताया। प्रतिनिधिमंडल ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सम्मेलन, नेटवर्किंग इवेंट्स और आईएफएससीए-आइटीए-टीएबीएफ-बीए सम्मेलन में भी भाग लिया, जहाँ कर-संबंधी प्रोत्साहनों, व्यापार वित्त, जीसीसी लाभ, आइटीएफएस और फैक्टरिंग के अवसरों पर जोर दिया गया।

जापान का आधिकारिक दौरा

जुलाई 16-18, 2025

जापान, एशिया

जापान में, इस प्रतिनिधिमंडल ने जापान एक्सचेंज ग्रुप (जेपीएक्स) के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से पूंजी बाजार सहयोग, सीमापार लिस्टिंग और नवाचार पर चर्चा की। भारत के दूतावास, टोक्यो और आईएफएससीए ने 'भारत के पहले आईएफएससी में जापानी संस्थानों के लिए व्यावसायिक अवसर' पर एक सम्मेलन सह-आयोजित किया, जिसमें आईएफएससीए के अध्यक्ष और भारत के जापान में राजदूत, महामहिम श्री सिबी

जॉर्ज ने संबोधित किया। प्रतिनिधिमंडल ने बैंक ऑफ जापान के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, ताकि अंतर-नियामक सहयोग और मैक्रो-फाइनेंशियल प्रबंधन अवसरों की खोज की जा सके, इस परिचर्चा में डॉ. दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी में जापानी विश्वविद्यालयों के लिए अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान की। यात्रा का समापन भारतीय दूतावास में प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ परिचर्चापरक सत्रों के साथ हुआ, जिससे गिफ्ट आईएफएससी की वित्त, निवेश और शिक्षा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भूमिका को सुदृढ़ किया गया।

भारत में अध्ययन करें – विषयक एक समारोह

अगस्त 21, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

आईएफएससीए के अध्यक्ष, और आईएफएससीए के कार्यापालक निदेशक डॉ. दीपेश शाह ने जापान के युवा उद्यमियों और विद्यार्थियों के एक समूह को नेक्स्ट भारत वेन्चर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संबोधित किया, जिसमें भारत में अध्ययन कीजिए, की पहल के तहत, गिफ्ट आईएफएससी में स्टार्टअप के लिए अवसरों के बारे में बताया गया।

ताइवान एड्यूकेशन सेन्टर डेलिगेशन विजिट

अगस्त 22, 2025

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी

ताइवान एड्यूकेशन सेन्टर, नेशनल त्सिंग हुआ यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर की अगुआई में तीन-सदस्यीय टीम ने गिफ्ट आईएफएससी का दौरा किया। इस यात्रा का प्रयोजन गिफ्ट आईएफएससी में ताइवान के संस्थानों के लिए कैम्पस अवसरों के तहत अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पस हेतु संभावना तलाशना था और गिफ्ट आईएफएससी में आधारित संस्थाओं के साथ सहायोग के मार्गों को निर्धारित करना था।

आइसीएआइ द्वारा जीसीसी समिट

अगस्त 29, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

आईएफएससीए के अध्यक्ष, और आईएफएससीए के कार्यापालक निदेशक डॉ. दीपेश शाह ने जीसीसी समिट के द्वितीय संस्करण में सहभागिता की जिसका आयोजन भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इंस्टीट्यूट ने किया था। इस अवसर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की महत्त्वपूर्ण भूमिका और गिफ्ट आईएफएससी में सीए व्यवसायियों के लिए बढ़ते हुए अवसरों के बारे में बताया।

आस्ट्रेलिया का आधिकारिक दौरा

सितम्बर 01-05, 2025

आस्ट्रेलिया

आईएफएससीए के अध्यक्ष की अगुआई में और आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक डॉ. प्रवीण त्रिवेदी के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने पूरे आस्ट्रेलिया में गहन आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें प्रमुख नियामक, अकादमिक, और वित्तीय संस्थानों को शामिल किया गया। इस दौरे पर दि टर्शियरी एड्यूकेशन क्वलिटी एन्ड स्टैन्डर्ड एजेन्सी और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न के साथ भी चर्चा की गई जिसमें उच्चतर शिक्षण के क्षेत्र में सर्वोत्तम नियामक प्रथाओं पर फोकस किया गया और गिफ्ट आईएफएससी में आईबीसी स्थापित करने के अवसर तलाशने के बारे में चर्चा की गई। इस प्रतिनिधिमंडल ने इसके बाद एक-से-एक की बैठकों की एक शृंखला का आयोजन किया जो अग्रणी ऑस्ट्रेलियन वित्तीय संस्थानों और अधिवार्षिकी निधियों के साथ की गईं। इसी दौरान आईएफएससीए और ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एन्ड इन्वेस्टमेन्ट कमीशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए ताकि वित्तीय सहयोग को बढ़ाया जा सके।

शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के प्रतिनिधिमंडल का आगमन

सितम्बर 08, 2025

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी

शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गिफ्ट आईएफएससी और आईएफएससीए मुख्यालय का दौरा किया ताकि गिफ्ट आईएफएससी में विकसित हो रहे शिक्षण परितंत्र के बारे में गहराई से जानकारी ले सकें, साथ ही उन्होंने आईएफएससीए पदाधिकारियों से नीति संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श भी किया।

इजरायल के वित्त मंत्री का गिफ्ट सिटी में आगमन

सितम्बर 10, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

इजरायल के वित्त मंत्री, महामहिम बेजालेल स्मोत्रिक की मेजबानी करने का गौरव आईएफएससीए और गिफ्ट सिटी को संयुक्त रूप मिला। श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए ने आए हुए प्रतिनिधिमंडल को विकसित हो रहे गिफ्ट आईएफएससी परितंत्र से अवगत कराया, दूसरी तरफ मंत्री महोदय ने भारत-इजरायल साझेदारी को मजबूत करने की बात कही। गिफ्ट सिटी में आए इजरायली प्रतिनिधिमंडल ने बैंकिंग, भुगतान और फिनटेक, और आस्ति प्रबंधन क्षेत्रों में मिल रहे अवसरों की जानकारी प्राप्त की। आईएफएससीए ने बैंक ऑफ इजरायल के निदेशक, भुगतान और निपटान प्रणाली और इजरायल प्रतिभूति प्राधिकरण के अध्यक्ष के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल की भी मेजबानी की। इन विचार-विमर्श का फोकस आईएफएससीए (भुगतान सेवा) विनियमावली, 2024, गिफ्ट आईएफएससी में फिनटेक नवोन्मेषों और निधि प्रबंधन अवसरों पर और वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर रहा।

जैफरीज 4थी इंडिया फोरम

सितम्बर 16, 2025

गुरुग्राम, भारत

आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक डॉ. दीपेश शाह ने अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ. गुरुग्राम में जैफरीज 4थी इंडिया फोरम में बताया कि भारत की वैश्विक वित्तीय आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में गिफ्ट आईएफएससी की कितनी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इस विचार-विमर्श में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए एक गेटवे के रूप में गिफ्ट आईएफएससी के विकास और बैंकिंग, पूंजी बाजारों, आस्ति प्रबंधन, और फिनटेक की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया।

ईटी इन्फ्रा ग्लोबल पोर्टस एन्ड शिपिंग समिट, 2025

सितम्बर 25, 2025

मुम्बई, भारत

आईएफएससीए के वरिष्ठ पदाधिकारी मुम्बई में 25 सितम्बर 2025 को आयोजित ईटी इन्फ्रा ग्लोबल पोर्टस एन्ड शिपिंग समिट, 2025 में शामिल हुए। सत्र के दौरान आईएफएससीए के प्रतिनिधियों ने गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से आ रहे शिप लीजिंग और वित्तपोषण अवसरों का उल्लेख किया और बताया कि यह भारत के मैरीटाइम वित्तीयन परितंत्र को मजबूत बनाने और वैश्विक मैरीटाइम केन्द्र बनने के लिए देश के विजन के लिए समर्थक है।

साइबॉस 2025 सम्मेलन

सितम्बर 29-30, 2025

फ्रैन्कफर्ट, जर्मनी

साइबॉस एक वार्षिक सम्मेलन, प्रदर्शनी और नेटवर्किंग समारोह है जिसका आयोजन स्विफ्ट द्वारा वित्तीय उद्योग के लिए किया जाता है। आईएफएससीए के बैंकिंग, वित्त और लीजिंग कम्पनी प्रभाग के प्रतिनिधियों को

शामिल करते हुए एक प्रतिनिधिमंडल ने साइबॉस 2025 में भाग लिया। विचार-विमर्श के प्रमुख विषयों में विशिष्ट बैंकिंग लाइसेन्स, गोल्ड और सिल्वर के ओटीसी डेरिवेटिव में सौदों की अनुमति, और विमानन और जलपोत लीजिंग हेतु बढ़ते हुए अवसरों को शामिल किया गया था। परिचर्चाओं में सीमा-पारीय ट्रेड वित्तीयन में सुविधा, वैश्विक बाजारों में भारतीय प्रतिभूतियों पर ओडीआई निर्गम, और भुगतान सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सीमा-पार धनप्रेषणों को मजबूत बनाने में आईटीएफएस प्लेटफॉर्मों द्वारा दी जाने वाली सुविधा के विषय शामिल थे।

भारत के महावाणिज्य दूतावास, फ्रैन्फर्ट में जर्मनी आधारित वित्तीय संस्थानों के साथ गोलमेज परिचर्चाएं

अक्तूबर 01, 2025

फ्रैन्कफर्ट, जर्मनी

भारत के महावाणिज्य दूतावास, फ्रैन्फर्ट और आईएफएससीए द्वारा संयुक्त रूप से एक गोलमेज परिचर्चा का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज में आईएफएससी में जर्मनी आधारित वित्तीय संस्थाओं के लिए अवसरों पर और द्वितीय गोलमेज का फोकस आईएफएससी में ट्रेड वित्त परितंत्र पर था। इस अवसर पर जर्मनी के प्रमुख स्टेकधारकों को एकजुट किया जिसमें प्रमुख बैंकों, बीमा मध्यस्थों, और फैक्टर्स चेन इन्टरनेशनल के सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल थे।

यूरोपियन जर्नलिस्ट प्रतिनिधिमंडल का गिफ्ट सिटी में आगमन

नवम्बर 04, 2025

गिफ्ट सिटी, भारत

यूरोप के वरिष्ठ पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल का आगमन गिफ्ट सिटी में हुआ, जहां उन्हें गिफ्ट आईएफएससी को एक वैश्विक वित्तीय केन्द्र के रूप में विकसित करने के बारे में विस्तार से बताया गया। आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारामन और कार्यपालक निदेशक श्री दीपेश शाह ने गिफ्ट आईएफएससी में नियामक व्यवस्था, संवृद्धि आरेखपथ, और गिफ्ट आईएफएससी में उदीयमान अवसरों के बारे में विस्तार से बताया और विदेशी कार्य मंत्रालय के समर्थन से वैश्विक वित्तीय परितंत्र में भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में इसकी भूमिका को दर्शाया गया।

भारत में कनाडा के उच्चायुक्त महामहिम श्री क्रिस कूटर का गिफ्ट सिटी में आगमन

नवम्बर 06, 2025

गिफ्ट सिटी, भारत

भारत में कनाडा के उच्चायुक्त महामहिम श्री क्रिस कूटर और उनके प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी गिफ्ट सिटी में हुई। इसमें आईएफएससीए और गिफ्ट सिटी के पदाधिकारियों के साथ आईएफएससी में विकसित हो रहे नियामक और कारोबारी परितंत्र और प्रगति के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ और साथ ही साथ गिफ्ट आईएफएससी में कनाडा के वित्तीय संस्थानों द्वारा सहभागिता और सहयोग की संभावित वीथियों पर चर्चा हुई, जो भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय परिनियोजन को मजबूत करेंगे।

आन्ध्र प्रदेश रीइमेजिंग पब्लिक फाइनान्स समिट

नवम्बर 15, 2025

विशाखापट्टनम, भारत

आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारामन ने 15 नवम्बर 2025 को विशाखापट्टन में आयोजित आन्ध्र प्रदेश रीइमेजिंग पब्लिक फाइनान्स समिट में प्रमुख संभाषण दिया, जिसमें उन्होंने विकसित भारत@2047 के विजन को मूर्तरूप देने में गिफ्ट आईएफएससी की प्रमुख भूमिका का उल्लेख किया।

पीएचडीसीसीआइ ग्लोबल एविएशन एन्ड एयर कार्गो कॉन्क्लेव

नवम्बर 18, 2025

नई दिल्ली, भारत

आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने 11वें पीएचडीसीसीआइ ग्लोबल एविएशन एन्ड एयर कार्गो कॉन्क्लेव 2025 में "फ्रॉक नेसेन्ट टू नेक्स्ट – लीजिंग इन दि एविएशन सेक्टर एन्ड दि रोड अहेड" विषय पर एक पैनल का संचालन किया और भारत के विमानन लीजिंग और वित्तीय आउटलुक तथा गिफ्ट आईएफएससी की बढ़ती हुई भूमिका, प्रमुख नीतियों और नियामक उपायों पर फोकस किया।

एचएसबीसी ग्लेबल वैल्थ समिट

नवम्बर 21, 2025

हैदराबाद, भारत

श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए ने हैदराबाद में आयोजित एचएसबीसी ग्लेबल वैल्थ समिट में प्रमुख संभाषण दिया जिसमें गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से अनिवासी भारतीयों के लिए निवेश अवसरों का उल्लेख किया गया।

ट्रेजरी सेन्टर पर केपीएमजी भारत सत्र

नवम्बर 24, 2025

मुम्बई, भारत

आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक श्री दीपेश शाह और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुम्बई में एक गोलमेज में भाग लिया। इसका आयोजन केपीएमजी, भारत के सहयोग से किया गया था इस समारोह का फोकस गिफ्ट आईएफएससी में ट्रेजरी सेन्टर की स्थापना और अन्य उदीयमान वित्तीय अवसरों पर फोकस किया गया।

आस्ति प्रबंधन कॉन्क्लेव

नवम्बर 24, 2025

मुम्बई, भारत

आईएफएससीए ने मुम्बई में डोवटेल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित आस्ति प्रबंधन कॉन्क्लेव में सहभागिता की जिसमें गिफ्ट आईएफएससी में वैश्विक उद्योग के लीडरों के लिए उदीयमान निवेश परिदृश्य की जानकारी दी गई। इस समारोह में श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए के साथ एक साक्षात्कार भी रहा जिसमें इस सेन्टर के रणनीतिपरक निदेशन पर चर्चा हुईख इसके साथ ही कार्यपालक निदेशक श्री दीपेश शाह द्वारा इस केन्द्र के मैक्रो कारोबारी परितंत्र और वैश्विक स्पर्धात्मकता के बारे में चर्चा की गई।

पीआईबी भारत प्रतिनिधिमंडल और अन्य अग्रणी राट्रीय दैनिकों वरिष्ठ पत्रकारों गिफ्ट सिटी में आगमन

नवम्बर 25-26, 2025

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी

भारतीय पत्र सूचना कार्यालय के नेतृत्व में अग्रणी राष्ट्रीय मुद्रण मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक घरानों के पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल का आगमन आईएफएससीए के मुख्यालय में हुआ, जिसमें भारत के सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के विकास पर चर्चा हुई। इस विचार-विमर्श का केन्द्र गिफ्ट आईएफएससी द्वारा भारत के आर्थिक प्रक्षेप-वक्र में रणनीतिगत योगदान और स्पर्धी वैश्विक वित्तीय गेटवे के रूप में इसकी ख्याति को रखा गया था।

केमैन द्वीपसमूह के प्रीमियर का गिफ्ट आईएफएससी में आगमन

दिसम्बर 03, 2025

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी

केमैन द्वीपसमूह के प्रीमियर माननीय आन्द्रे इबान्क्स का आगमन आईएफएससीए में एक उच्च स्तरीय

प्रतिनिधिमंडल के लीडर के रूप में हुआ जिनके साथ वैश्विक वित्तीय सेवाओं के भविष्य के बारे में चर्चा की गई। उनकी इस यात्रा का फोकस नियामक सहयोग स्थापित करने और संस्थागत सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर था, जिससे वित्तीय सेवा परितंत्र को मजबूत किया जा सके।

आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल का यूरोप दौरा – गिफ्ट आईएफएससी के लिए वैश्विक परिनियोजन का उन्नयन

दिसम्बर 08-12, 2025

फ्रैन्कफर्ट, ज्यूरिख और नीदरलैन्ड

आईएफएससीए का एक उच्च स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल दिसम्बर 2025 में जर्मनी, स्विटजरलैन्ड और नीदरलैन्ड की यात्रा पर गया, जिसका नेतृत्व श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, ने किया, इसका प्रयाजन था अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ाया जाए और गिफ्ट सिटी को एक वैश्विक रूप से स्पर्धी वित्तीय केन्द्र के रूप में आगे बढ़ाया जा सके। फ्रैन्कफर्ट में आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, आस्ति प्रबंधन और वित्तीय पर्यवेक्षण के प्रमुख स्टेकधारकों के साथ वार्तालाप किए। ज्यूरिख में आईएफएससीए ने अग्रणी वैश्विक आस्ति प्रबंधकों, निजी बैंकों, पुनर्बीमाकर्ताओं और सम्पत्ति प्रबंधकों के साथ गहन चर्चाएं कीं। आईएफएससीए ने ज्यूरिख में एक समर्पित आस्ति प्रबंधन कॉन्फ्रेन्स का भी आयोजन किया जिसमें प्रसिद्ध आस्ति प्रबंधकों और संस्थागत निवेशकों के साथ भारत पर केन्द्रित निधि संरचनाओं और गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से सीमा-पारीय निवेश अवसरों के बारे में चर्चा की गई। नीदरलैन्ड में आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीयन, निर्यात क्रेडिट, विकास वित्त और उदीयमान बाजार अवसरों पर फोकस करने वाले बाजार सहभागियों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया।

गिफ्ट सिटी में 50 सदस्यीय दुबई कारोबार प्रतिनिधिमंडल का आगमन – आईएफएससी में निवेश अवसरों की तलाश

दिसम्बर 09, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

अनिवासी उद्यमियों और वरिष्ठ व्यवसायियों सहित 50 सदस्यीय दुबई कारोबार प्रतिनिधिमंडल का आगमन गिफ्ट सिटी में हुआ जिसका प्रयोजन गिफ्ट आईएफएससी के भीतर विकसित हो रहे अवसरों की जानकारी प्राप्त करना था।

वार्थन यूनिवर्सिटी और अहमदाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का आईएफएससीए में आगमन

जनवरी 02, 2026

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी

वार्थन यूनिवर्सिटी और अहमदाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और विशिष्ट संकाय सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल का आगमन आईएफएससीए मुख्यालय में हुआ, यह दौरा भारत के प्रथम आईएफएससी के बारे में वैश्विक संलयन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में था।

गिफ्ट आईएफएससी के प्रतिनिधिमंडल का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की यात्रा

जनवरी 19-23, 2026

दावोस, स्विटजरलैन्ड

आईएफएससीए ने गिफ्ट सिटी प्रतिनिधियों के साथ डब्ल्यूईएफ की दावोस में हुई वार्षिक बैठक 2026 में वरिष्ठ लीडरों के साथ चर्चा की, जिसमें सहयोग के अवसरों और वैश्विक वित्तीय केन्द्र के रूप में गिफ्ट आईएफएससी की बढ़ती भूमिका का उल्लेख किया गया।

गिफ्ट आईएफएससी में भारत-नेपाल वित्तीय सहयोग को सुदृढ़ता

जनवरी 20, 2026

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी

डॉ. बिस्व नाथ पाउडल, नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर ने नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल का आगमन आईएफएससीए के मुख्यालय में हुआ, इसने कार्यपालक निदेशक डॉ. प्रवीण त्रिवेदी और कार्यपालक निदेशक श्री दीपेश शाह तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी के नियामक परितंत्र, आईएफएससीए-एनआरबी सहयोग की विथिकाओं और भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा परितंत्र के भीतर नेपाली वित्तीय संस्थानों के लिए उदीयमान अवसरों के बारे में अपनी जानकारी को साझा किया।

गिफ्ट सिटी सदा-गतिशील के तहत आईएफएससीए द्वारा फिनटेक स्टार्टअप की मेजबानी

फरवरी 05, 2026

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी

आईएफएससीए ने अपने मुख्यालय में आइएफआइएच के तहत गिफ्ट सिटी सदा-गतिमान कार्यक्रम के 16 फिनटेक स्टार्टअप के साथ सक्रिय सत्र का आयोजन किया। आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने आईएफएससी प्रतिष्ठानों, स्टार्टअप परिनियोजन तंत्रावली, और फिनटेक और वित्तीय संस्थानों के लिए अनुपालन की प्रमुख अपेक्षाओं हेतु ऑनबोर्डिंग व्यवस्था के बारे में गहन जानकारी प्रदान की।

आईएफएससीए में कनाडा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल का आगमन

फरवरी 06, 2026

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी

आईएफएससीए ने कनाडा के अग्रणी विश्वविद्यालयों से प्रेसिडेन्ट और वाइस-चान्सलरों के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबान की, क्यूएस के एक भाग के रूप में भारत के लिए यूनिवर्सिटीज कनाडा मिशन के तहत गोलमेज चर्चाएं हुई जिनमें गिफ्ट आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों हेतु अवसरों की तलाश के बारे में बताया गया।

मनीकन्ट्रोल म्यूचुअल फन्ड समिट में आईएफएससीए की सहभागिता

फरवरी 17, 2026

अहमदाबाद, गुजरात

डॉ. दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक (विकास) और श्री प्रदीप रामाकृष्णन, कार्यपालक निदेशक (पूंजी बाजार) ने मनीकन्ट्रोल म्यूचुअल फन्ड समिट 2026 में इस प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया, और म्यूचुअल फन्ड इन्डस्ट्री हेतु नियामक समर्थन और गिफ्ट आईएफएससी के विजन का उल्लेख किया गया।

एयरबस एयरक्राफ्ट फाइनान्सिंग वर्कशॉप 2026 में आईएफएससीए की सहभागिता

फरवरी 23, 2026

मुम्बई, भारत

आईएफएससीए के प्रतिनिधि मुम्बई में एयरबस एयरक्राफ्ट फाइनान्सिंग वर्कशॉप 2026 में शामिल हुए और वायुयान लीजिंग, वित्तपोषण और दिवाला, दूरस्थ एसपीवी गतिविधियों में गिफ्ट आईएफएससी की बढ़ती हुई भूमिका का उल्लेख किया।

एयरलाइन इकोनॉमिक्स ग्राथ फ्रन्टियर्स इंडिया 2026 में सहभागिता

फरवरी 24, 2026

नई दिल्ली, भारत

नई दिल्ली में आयोजित एयरलाइन इकोनॉमिक्स ग्रोथ फ्रन्टियर्स इंडिया 2026 में आईएफएससीए द्वारा भी

सहभागिता की गई। डॉ. दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक ने वायुयान लीजिंग और विमानन वित्त-पोषण में गिफ्ट आईएफएससी की बढ़ती हुई भूमिका के बारे में बताया।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ आईएफएससीए द्वारा संयुक्त गोलमेज परिचर्चा का आयोजन

फरवरी 27, 2026

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

आईएफएससीए ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से, गिफ्ट सिटी में "भारत की 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हेतु अंतरराष्ट्रीय पूंजी जुटाने" पर एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया। इसमें नीति-निर्माताओं, नियामकों, बहुपक्षीय संगठनों और वित्तपोषकों को एकजुट कर ऊर्जा और जलवायु अवसंरचना में निवेश के अवसरों को बताया गया।

सीएफए सोसायटी इंडिया द्वारा गिफ्ट सिटी सम्मेलन 2.0

मार्च 06, 2026

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

सीएफए सोसायटी ने 'गिफ्ट सिटी सम्मेलन 2.0' का आयोजन गिफ्ट सिटी में किया जिसका फोकस सीमा-परीय निवेशों, फन्ड की संरचना बनाने, और गिफ्ट आईएफएससी में विकसित हो रहे मध्यस्थता परितंत्र पर था। श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और डॉ. दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक ने अपतटीय निवेशों को तटवर्ती बनाने और नवोन्मेषी वित्तीय उत्पादों को सुकर बनाने में गिफ्ट आईएफएससी की भूमिका के बारे में बताया।

न्यूजीलैन्ड के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का गिफ्ट सिटी में आगमन

मार्च 07, 2026

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी

आईएफएससीए ने माननीय क्रिस विशप, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग, मिनिस्टर फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड लीडर ऑफ दि हाउस के नेतृत्व में आए हुए न्यूजीलैन्ड के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने इस प्रतिनिधिमंडल को भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के रूप में गिफ्ट आईएफएससी के विकास के बारे में बताया। विचार-विमर्श में बैंकिंग, आस्ति प्रबंधन, फिनटेक, और संधारणीय वित्त में न्यूजीलैन्ड के संस्थानों हेतु अवसरों का उल्लेख भी किया गया।



चित्र 13 : डॉ. दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए – माननीय क्रिस बिशप, मंत्री और लीडर ऑफ दि हाउस के नेतृत्व में न्यूजीलैन्ड के प्रतिनिधिमंडल के साथ

गिफ्ट आईएफएससी में ड्यूश बन्डेस बैंक के प्रतिनिधियों का आगमन

मार्च 20, 2026

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी

फेडरेल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के महावाणिज्य दूतावास में वाणिज्य दूत सुश्री इर्मेला वान शेनेक और

भारत में ड्यूश बन्डेसबैंक के प्रतिनिधियों ने गिफ्ट आईएफएससी में आईएफएससीए के मुख्यालय का दौरा किया। वार्तालाप के दौरान कार्यपालक निदेशक श्री दीपेश शाह ने गिफ्ट आईएफएससी के लाभों के बारे में प्रमुख तथ्यों के बारे में बताया।

कनाडा का आधिकारिक दौरा

मार्च 23-25, 2026

टोरेन्टो, कनाडा

श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए के नेतृत्व में आईएफएससीए का एक प्रतिनिधिमंडल कनाडा के दौरे पर गया जिसने गिफ्ट आईएफएससी में अवसरों का संवर्द्धन करने के लिए नियामकों, वित्तीय संस्थानों, और निवेशकों के साथ वार्तालाप किए। ऑन्टेरियो सिक्योरिटीज कमीशन और टोरेन्टो स्टॉक एक्सचेन्ज के साथ हुई प्रमुख बैठकों में नियामक सहयोग, पूंजी बाजार नवोन्मेषों, और गिफ्ट आईएफएससी में कनाड की सहभागिता को बढ़ाने पर फोकस किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, भारतीय जनसमूह के सदस्यों, और संस्थागत स्टेकधारकों के साथ गोलमेज परिचर्चा भी की गई जिसमें गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से विदेशी विश्वविद्यालयों, प्रतिभा विकास, और भारत-कनाडा व्यापर और निवेश संपर्कों का उल्लेख किया गा।

संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) का अधिकारिक दौरा

मार्च 25-27, 2026

न्यूयार्क सिटी, यूएसए

श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, की अगुवाई में आईएफएससीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने न्यूयॉर्क सिटी में गिफ्ट आईएफएससी को भारत से जुड़े वैश्विक वित्तीय सेवाओं के लिए एक प्रमुख द्वार के रूप में प्रदर्शित करने के लिए रणनीतिक संवादों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। प्रमुख बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से सीमा-पार बैंकिंग, फन्ड प्रबंधन, वैकल्पिक निवेश और पूंजी बाजारों के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आईएफएससीए ने नस्डाक और यूएस-भारत बिजनेस काउन्सिल द्वारा सह-आयोजित एक गोलमेज बैठक में भी भाग लिया, जिसमें गिफ्ट आईएफएससी की नियामकीय शक्ति और बैंकिंग, बीमा, फिनटेक, और परिसंपत्ति प्रबंधन में बढ़ते अवसरों को प्रदर्शित किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रवासियों, और उद्योग के नेताओं के साथ संवाद भी किया ताकि शिक्षा, प्रतिभा विकास, समुद्री वित्त और जलपोत लीजिंग के अवसरों का पता लगाया जा सके, और गिफ्ट आईएफएससी की स्थिति को भारत के वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में मजबूत किया जा सके।

अन्य क्षेत्र

सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा

प्रौद्योगिकी और वित्त के कार्यक्षेत्र वैश्विक परितंत्र में लगतार संगुंफित होते जा रहे हैं, जहां बाजारे के सहीभागियों के लिए संधारणीय डिजिटल नवोन्मेषों द्वारा परिवर्धित, गति, और संस्थागत पारदर्शिता सुरक्षा प्रदान की जा रही है। एक आधुनिक विशिष्ट नियामक के लिए उन्नत प्रौद्योगिकीय अवसंरचना समूचे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में प्रबल विनियमों के संचालन, डाटा-संचालित पर्यवेक्षण, त्वरित प्रवर्तन, और समेकित अभिशासन अपरिहार्य हो गई है। आईएफएससीए का प्रौद्योगिकी विभाग नियामक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और प्रयोक्ता-केन्द्रित डिजिटल क्षमताओं के विस्तार में प्रमुख सक्षमकर्ता है जो आईएफएससीए की आंतरिक परिचालनगत क्षमताओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ विनियमित प्रतिष्ठानों (आरई) के लिए कारोबार करने की सहजता (ईओडीबी) को भी महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है।

नीतिगत / विनियामक / प्रणालीगत गतिविधियां

प्रौद्योगिकी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अहम प्रौद्योगिकीय सोपान प्राप्त किए जिनसे संस्थागत दक्षता बढ़ी और बाजार संवृद्धि में सहायता मिली –

आईएफएससीए सिंगल विन्डो आइटी (स्विट) प्रणाली

स्विट प्रणाली के सफल आरंभिक विमोचन के बाद आईएफएससीए ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ईओडीबी को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख सोपान तय कर दिया। इस प्राधिकरण ने आधिकारिक रूप से स्विट 2.0 की तरफ अंतरण कर लिया है, जिसमें गहन डिजिटलीकरण और सरल तथा कामगार प्रयोक्ता इन्टरफेस विनियमित प्रतिष्ठानों के लिए दिया गया है। प्रमुख प्रयोक्ता-मुखी परिवर्धन के रूप में समेकित शुल्क भुगतान मॉड्यूल को एकीकृत किया जा चुका है, जो प्रतिष्ठानों का अपने वार्षिक और सांविधिक भुगतानों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान गेटवे के माध्यम से करने की सुकरता प्रदान करता है। वैश्विक अनुपालन को समाहित करके और भी सरल करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य चल रहा है और अनिवासियों के तथा अंतरराष्ट्रीय स्टेकधारकों के लिए आधार ओटीपी-आधारित सत्यापन आरंभ हो जाएगा, जो संभावित वैश्विक सहभागियों को पूरी तरह से पेपरमुक्त, निर्बाध, और अत्यधिक सुरक्षित रूप से दूरस्थ पंजीकरण पद्धति के साथ साथ वर्तमान डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र (डीएससी) व्यवस्था भी प्रदान करेगा। इस डिजिटल आधार पर निर्मिति करते हुए आईएफएससीए सक्रिय रूप से आगामी पीढ़ी के स्विट 3.0 के लिए व्यवस्था पर कार्य कर रहा है जो ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग करेगा और प्रतिष्ठानों के सम्पूर्ण जीवनचक को पूरा करने तक प्रबंधित करेगा। प्रौद्योगिकी विभाग अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है और इस कैलेन्डर वर्ष के अंत तक पूरा उत्पाद रोलआउट हो जाएगा।

डिजिटल विनियामक रिपोर्टिंग (डीआरआर) प्रणाली

व्यापक पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी (सुपटेक) विजन के एक भाग के रूप में आईएफएससीए ने डिजिटल विनियामक रिपोर्टिंग (डीआरआर) समाधान का कार्यान्वयन आरंभ किया ताकि गिफ्ट आईएफएससी में परिचालन कर रहे विनियमित प्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्तुत विनियामक रिपोर्टों के संग्रह, सत्यापन, और विश्लेषण का सुकर और डिजिटाइज किया जा सके। यह डीआरआर समाधान

विनियमित प्रतिष्ठानों के लिए एक विशिष्ट वेब-आधारित पोर्टल प्रदान करेगा ताकि वे इसके माध्यम से बैंकिंग, पूंजी बाजारों, बीमा, और फन्ड प्रबंधन सहित सभी विभागों में आवधिक नियामक रिपोर्ट फाइल कर सकें, और साथ ही आईएफएससीए के पर्यवेक्षी अधिकारियों को विश्लेषण और गहनता हासिल होगी। आईएफएससीए की पर्यवेक्षी दक्षता, डाटा-संचालित निर्णय-निर्धारण होगा और गिफ्ट आईएफएससी के भीतर प्रतिष्ठानों के लिए कारोबार करने की सम्यक सहजता मिलेगी।

साइबर सुरक्षा

"आई में विनियमित प्रतिष्ठानों हेतु साइबर सुरक्षा और साइबर लोचशीलता संबंधी दिशानिदेश" विषयक परिपत्र में संशोधन

मार्च 10, 2026

इस परिपत्र में पूर्ववर्ती साइबर सुरक्षा दिशानिदेशों में कतिपय संशोधनों को समाविष्ट किया गया है। संशोधित व्यवस्था के तहत तीन वर्ष की अवधि हेतु रियायत प्राप्त करने के प्रयोजन से प्रतिष्ठानों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी में आने वाले प्रतिष्ठान, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने मूल अथवा धारक प्रतिष्ठान की साइबर सुरक्षा व्यवस्था को अपनाने की शर्त सहित रियायत के पात्र हैं, बशर्ते उनका मूल या धारक प्रतिष्ठान अपने न्यायक्षेत्र में किसी नियामक या सरकारी प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित हो। ऐसे प्रतिष्ठानों से यह भी अपेक्षित है कि वे वार्षिक साइबर सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। द्वितीय श्रेणी में आने वाले प्रतिष्ठानों को स्वतः प्रमाणन प्रस्तुत करने की शर्त के तहत रियायत दी जाती है, वे यह पुष्टि करें कि उनके जोखिम एक्सपोजर के समानुपात में पर्याप्त साइबर सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

डाटा-शासन और डाटा संरक्षण

आईएफएससीए ने आईएफएससीए की डाटा नीति को स्थापित करने और परिचालित करने तथा आईएफएससीए की डाटा नीति के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं और पद्धतियों के आवधिक मूल्यांकन और अनुपालन के लिए डाटा शासन और डाटा संरक्षण प्रभाग का सृजन किया है। इसके अलावा, आईएफएससीए ने इस प्राधिकरण हेतु एक समेकित डाटा नीति तैयार करने के लिए एक आंतरिक कार्यदल का गठन किया है जो डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुरूप अनुज्ञेय विधिक अपेक्षाओं, और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसरण में होंगी। इस दल को यह अधिदेश भी दिया गया है कि सुनिर्धारित डाटा शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करे, डाटा नीति का एक प्रारूप तैयार करे और आईएफएससीए के भीतर प्रभावपूर्ण डाटा शासन हेतु कार्यान्वयन रेखाचित्र की संस्तुति करे।

पक्ष समर्थन और आउटरीच

भारत एनसीएक्स 2025 में सीआइएसओ कॉन्क्लेव में आईएफएससीए की सहभागिता

जुलाई 30, 2025

नई दिल्ली, भारत

भारत राष्ट्रीय साइबर-सुरक्षा प्रयोग (भारत एनसीएक्स) 2025 के एक आंतरिक भाग के रूप में भारत सिसो कॉन्क्लेव का आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से 20 जुलाई 2025 को किया गया। इस कॉन्क्लेव में सिसो, आईएफएससीए ने भी हिस्सा लिया, जिसमें रणनीतिग चर्चाए और ज्ञान विनिमय हुआ जिसका फोकस राष्ट्र की साइबर सुरक्षा व्यवस्था को प्रबल बनाने पर रहा।

आरआरयू में अर्थशास्त्र स्नातकोत्तरों और वित्तीय अपराध के विद्यार्थियों के लिए 'आईएफएससी में साइबर सुरक्षा का नियमन' विषयक संभाषण

सितम्बर 18, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र स्नातकोत्तरों और वित्तीय अपराध के विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल आईएफएससीए में आया। सीआईएसओ, आईएफएससीए ने इनके लिए अभिभाषण दिया और आईएफएससी में साइबर सुरक्षा के लिए उदीयमान नियामक व्यवस्था की एक रूपरेखा बताई। सीआईएसओ ने आईएफएससीए नियंत्रित प्रतिष्ठानों की विविधता और इस विविधता के साथ जुड़ी हुई विशिष्ट नियामक चुनौतियों को बताया जो समेकित साइबर सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था की अपेक्षा रखती हैं।

विश्व निवेशक सप्ताह 2025

अक्तूबर 06, 2025

आरआरयू, गांधीनगर

आईएफएससीए ने एनएसई आईएक्स और एनएसई आइसीसी द्वारा आयोजित विश्व निवेशक सप्ताह 2025 के प्रथम दिन आयोजित सेमिनार में सहभागिता की। यह समारोह राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया जिसमें सीसो, आईएफएससीए ने 'एआई और साइबरसुरक्षा – वित्तीय बाजारों के लिए निहितार्थों' पर एक सत्र का संचालन किया।

वार्षिक सूचना सुरक्षा समिट, 2025

दिसम्बर 05, 2025

एयरोसिटी, नई दिल्ली

आईएफएससीए के सीसो ने भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एआइएसएस 2025 में सहभागिता की। आईएफएससीए के सीसो ने 'अनुपालन से आगे – वित्तीय सेवाओं के लिए अनुकूलीय डाटा सुरक्षा का निर्माण' विषयक पैनल में एक वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त किए।

इन्डो स्विस ब्लॉकचेन फोरम

फरवरी 11, 2026

गांधीनगर, गुजरात

सीसो, आईएफएससीए ने गिफ्ट सिटी में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इन्डो-स्विस ब्लॉकचेन फोरम के एक भाग के रूप में पैनल चर्चा में सहभागिता की। इस पैनल में भारतीय रिज़र्व बैंक और ज्यूरिख ब्लॉकचेन सेन्टर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ भी शामिल थे। इस पैनल ने वित्तीय क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर चर्चा की और अन्य नियामक निकायों और वित्तीय संस्थानों से प्रतिनिधियों सहित स्टेकधारकों से वार्तालाप किए। आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने आईएफएससीए के प्रबल नियामक शिल्प, और पूंजी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों और गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से भारत में निवेशों की सुविधा देने के लिए बहुमूल्य विचारों को साझा किया।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

आईएफएससीए हेतु डाटा नीति का निरूपण

डाटा शासन और डाटा संरक्षण विभाग का प्रस्ताव है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आईएफएससीए के लिए एक समेकित डाटा नीति का निरूपण किया जाए, जो डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप हो। प्रस्तावित नीति एक व्यापक और संरचनाबद्ध व्यवस्था स्थापित करेगी, जिसमें इस प्राधिकरण के भीतर डाटा से संबंधित मामलों, लेकिन

इतने तक ही परिमित नहीं, को शामिल किया जाएगा। डाटा नीति का निरूपण करने के उपरांत इस प्रभाग ने प्रस्ताव किया है कि डीपीडीपी अधिनियम, 2023 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ही आईएफएससीए की डाटा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और संचालन के लिए एक मानक परिचालन पद्धति (एसओपी) तैयार की जाए। इस एसओपी में व्यापक परिचालन दिशानिदेश होंगे, जिनमें सम्पूर्ण प्राधिकरण में इस नीति व्यवस्था के कार्यान्वय हेतु आवश्यक उपायों, लेकिन इतना ही परिमित नहीं, को बताया जाएगा।

धनशोधन रोधी (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिकार (सीएफटी)

प्रभावी धनशोधन रोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिकार (एएमल और सीएफटी) नीतियां और उपाय वित्तीय प्रणाली की सत्यनिष्ठा और स्थायित्व के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं। एफएटीएफ द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों और धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में आईएफएससीए ने राजपत्र अधिसूचना सं. आईएफएससीए/2022-23/जीएन/जीएल001 दिनांक 28 अक्तूबर को आईएफएससीए (एएमएल, सीएफटी और केवाइसी) दिशानिदेश, 2022 (दिशानिदेश) जारी किए। इन दिशानिदेशों की सहायता से विनियमित प्रतिष्ठानों ने एमएल/ टीएफ /पीएफ जोखिमों की शिनाख्त और आकलन करने के लिए जोखिम आधारित पद्धति को अपनाया।

विनियमित प्रतिष्ठानों को अधिदेश दिया गया है कि ग्राहकों के लिए सख्ती से विधिवत सतर्कता रखें, लाभभोगी स्वामित्वों की शिनाख्त करें, संदेहास्पद संव्यवहारों की निगरानी और रिपोर्टिंग करें, एएमएल ऑडिट करें, रिकार्ड का अनुरक्षण करें और अत्यधिक जोखिम वाले वर्गों के लिए अतिसख्त उपायों को लागू करें। इसके साथ ही, आईएफएससीए द्वारा गिफ्ट आईएफएससी में विनियमित प्रतिष्ठानों द्वारा ग्राहकों की निर्बाध और कुशल ऑनबोर्डिंग में सुविधा के लिए पूर्वसक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। इन प्रयासों का लक्ष्य है कि कारोबार करने की सहजता को बढ़ाया जाए और साथ ही वित्तीय अपराधों के विरुद्ध मजबूत रक्षा उपाय भी बरकरार रखे जाएं।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

आईएफएससीए (धन-शोधन रोधन, आतंकवादी वित्तपोषण प्रतिकारी और अपने ग्राहक को जानिए) दिशानिदेश, 2022 के तहत परिशोधन

जून 05, 2025

इस परिपत्र में विनियमित प्रतिष्ठानों हेतु यह अनिवार्य किया गया है कि वे विशिष्ट मामलों (उदाहरण के लिए अपूर्ण/परिवर्तित डाटा या परिवर्धित विधिवत समापेक्षा) को छोड़कर अन्य मामलों में नए सिरे से केवाइसी कागजात मांगने के स्थान पर केवाइसी निर्धारक प्राप्त करें या रिट्रीव करे और सीकेवाइसीआर रिकार्ड पर भरोसा करें। इसमें यह भी अपेक्षा है कि संग्रह की गई अतिरिक्त केवाइसी जानकारी या किसी भी अपडेट को 7 दिन के भीतर सीकेवाइसीआर पर अपलोड कर दिया जाए, जिसके अनुसरण में सीकेवाइसीआर अन्य विनियमित प्रतिष्ठानों को भी सूचित कर देगा कि वे अपने रिकार्ड को अपडेट कर लें। इन प्रावधानों को प्रतिष्ठानों के व्यापक सेट के लिए अनुज्ञेय किया जा रहा है, और यह स्पष्ट किया जाता है कि भी भारतीय राष्ट्रिकों के लिए सीकेवाइसीआर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जबकि विदेशी राष्ट्रिकों के लिए (परिभाषित प्रलेख मानदंडों सहित) वैकल्पिक है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (धन-शोधन रोधन, आतंकवादी वित्तपोषण प्रतिकारी और अपने ग्राहक को जानिए) दिशानिदेश, 2022 के तहत परिशोधन

अक्तूबर 31, 2025

यह परिपत्र विशिष्ट न्यायक्षेत्रों से कम जोखिम वाले अनिवासियों को समाहित करने हेतु वीडिया-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआइपी) को सुकर बनाता

है। यह परिपत्र सुरक्षित, प्रौद्योगिकी-चालित और पेपररहित आरोहण की अनुमति और विनियमित प्रतिष्ठानों, इसके नियंत्रित वित्तीय समूहगत प्रतिष्ठानों या केआरए के प्राधिकृत पदाधिकारियों के माध्यम से केवाइसी के आवधिक अपडेशन की अनुमति देने वाले वी-सीआइपी व्यवस्था को महत्त्वपूर्ण रूप से मजबूत और विस्तारित करता है। अनुज्ञेय पहचान पद्धति में ऑफलाइन और बायोमेट्रिक आधार सत्यापन (चेहरा सत्यापन सहित), सीकेवाइसीआर डाटा, डिजीलॉकर-आधारित ओवीडी जिसके साथ परिवर्धित साइबरसुरक्षा है, लाइवनेस, धोखाधड़ी रोधी और एन्टी डीप फेक नियंत्रणों को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर ग्राहक की सुविधा में परिवर्धन के लिए यह एक पायलट अभिगमन के तहत कम जोखिम वाले अनिवासी ग्राहकों के लिए आरोहण सुविधा की व्यवस्था है, जिसमें नियामक सुरक्षा उपायों को शिथिल किए बिना ही ग्राहक के लिए कारोबार करने की सहजता को बढ़ाया गया है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (धन-शोधन रोधन, आतंकवादी वित्तपोषण प्रतिकारी और अपने ग्राहक को जानिए) दिशानिदेश, 2022 के तहत परिशोधन

जनवरी 02, 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक के केवाइसी मास्टर निदेश, 2016; सरकार के निदेशों और बाजार के सहभागियों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों के अनुरूप सभी परिपत्रों को समेकित करते हुए और सभी अपडेटों को समाहित करते हुए एक अनिवार्य परिपत्र जारी किया गया। निवासी भारतीय ग्राहकों के लिए पुन: केवाइसी की आवधिकता को स्वदेशीय नियामकों के अनुसार ही रखा गया है। अनिवार्य परिशोधनों को इन दिशानिदेशों में शामिल किया गया ताकि राउन्ड-ट्रिपिंग रिस्क से बचाने के लिए निधि के स्रोत को भी तय किया जाता है।

आईएफएससीए (एएमएल, सीएफटी और केवाइसी) दिशानिदेशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जनवरी 05, 2026

वी-सीआइपी पर 5 जनवरी 2026 को जारी किए गए एफएक्यू में प्राथमिक रूप से पात्रता शर्तों, आरोहण के सुरक्षाउपायों, और आईएफएससीए एएमएल/सीएफटी/केवाइसी दिशानिदेश, 2022 के तहत वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) परिचालनगत अपेक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। इन प्रश्नों का फोकस वी-सीआइपी हेतु पात्रता शर्तों, स्वीकार्य अधिकारक्षेत्रों, आधार और ओटीपी अपेक्षाओं, वर्तमान पते का सत्यापन, डेबिट फ्रीज / निष्क्रिय मोड में खाते को सक्रिय करने हेतु, प्रथम क्रेडिट संव्यवहार के सत्यापन, सीकेवाइसी रिकार्ड पर भरोसा, वैकल्पिक आरोहण पद्धतियों, ग्राहक हेतु विधिवत समापेक्षा, वीडियो रिकार्डिंग में जियो-टैगिंग और टाइमस्टैम्प अपेक्षाओं, साइबर सुरक्षा मानकों और वी-सीआइप हेतु जेनेरिक सम्प्रेषण प्लेटफॉर्मों के प्रयोग पर प्रतिबंध के बारे में विनियमित प्रतिष्ठानों के दायित्वों पर है। कुल मिलाकर इन एफएक्यू का लक्ष्य है विनियमित प्रतिष्ठानों को परिचालनगत स्पष्टता प्रदान करना ताकि वे सुरक्षित, जोखिम आधारित, और अनिवासी ग्राहकों के दूरस्थ आरोहण के संबंध में अनुपालन कर सकें।

आईएफएससी आरई को ऑनलाइन पीएएन सत्यापन सेवाएं प्राप्त करने के लिए पंजीकरण

फरवरी 09, 2026

आईएफएससी की सभी यूनिटें जो ग्राहकों का आरोहण करती हैं, उनसे अपेक्षित है कि आरोहण प्रक्रिया के एक भाग के तौर पर जहां भी उपलब्ध हो अपने ग्राहक के स्थायी खाता संख्या (पीएएन) का सत्यापन करें। आईएफएससी यूनिटों से अपेक्षित है कि वे वे जारीकर्ता के डाटाबेस पर जाएं ताकि अपने ग्राहकों के पीएएन विवरण का सत्यापन कर सकें। इस संबध में

आईएफएससी यूनिटों को प्रोटियान पोर्टल के माध्यम से पीएन सत्यापन हेतु अभिगम प्रदान कर दिया गया है। आईएफएससी की सभी यूनिटें जिन्हें पीएएन विवरणों का सत्यापन करना अपेक्षित है अब प्रोटियान पोर्टल पर नव-सृजित "आईएफएससीए पंजीकृत प्रतिष्ठान" वर्ग पर जाकर अपना पंजीकरण करें ताकि पीएएन सत्यापन सेवाएं प्राप्त की जा सकें।

वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) उच्च जोखिम और अन्य निगरानी वाले न्यायक्षेत्र

मार्च 06, 2026

प्रेस विज्ञप्ति में एफएटीएफ द्वारा 13 फरवरी 2026 को जारी नवीनतम सार्वजनिक वक्तव्यों का उल्लेख है जो रणनीतिगत एएमएल /सीएफटी विसंगतियों के बारे में हैं। एफएटीएफ ने डेमोक्रेटिक पीपल्स् रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान, और म्यांमार को "उच्च-जोखिम अधिकारक्षेत्र जिनके लिए कार्रवाई अपेक्षित है" श्रेणी में रखा है और इनके संबंध में प्रतिकारी उपायों, लक्ष्यबद्ध वित्तीय निषेधों, और परिवर्धित विधिवत समापेक्षा उपाय किए जाने हैं। इसके अलावा एफएटीएफ ने अपनी अपडेट की हुई सूची "बढ़ी हुई निगरानी वाले अधिकारक्षेत्र", की सूची में कुवैत और पापुआ न्यू गिनिया को जोड़ दिया है, साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि विनियमित प्रतिष्ठानों को चाहिए कि समुचित जोखिम आधारित उपायों का पालन करते हुए सूचीबद्ध अधिकारक्षेत्रों के साथ विधिमान्य ट्रेड और कारोबार जारी रख सकते हैं।

पक्ष समर्थन और आउटरीच

एएमएल थॉट लीडरशिप फोरम

अगस्त 29, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

प्रवर्तन प्रभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक ने आरंभिक अभिभाषण दिया। इसमें आईएफएससीए की नियामक व्यवस्था का उल्लेख किया गया जिसमें धनशोधन रोधन (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिकार (सीएफटी) से संबंधित उपायों पर जोर दिया गया।

आइसीएसआई गांधीनगर चैप्टर द्वारा आयोजित स्टडी सर्किल मीटिंग "आईएफएससीए एएमएल-सीएफटी-केवाइसी दिशानिदेश – चुनौतियां बनाम प्रत्याशाएं"

दिसम्बर 3, 2025

आभासी

आईएफएससीए के एएमएल और सीएफटी प्रभाग ने ग्राहक के लिए विधिवत समापेक्षा आईएफएससीए एएमएल/सीएफटी/केवाइसी दिशानिदेश, 2022 की प्रस्तुति की और समारोह में आए विभिन्न सहभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान किया।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

एनआरआई के लिए आधार आधारित चेहरा सत्यापन ग्राहक पहचान प्रक्रिया का पायलट परीक्षण

आईएफएससीए द्वारा एनपीसीआई, यूआईडीएआई और चुनिंदा विनियमित प्रतिष्ठानों के सहयोग से एक टाक्सफोर्स का गठन किया गया है ताकि प्रायोगिक चेहरा सत्यापन का कार्य किया जा सके और विदेश में रह रहे अनिवासी भारतीय ग्राहकों का आरोहण किया जा सके। इस पायलट के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने और इसके परिणामों का संतोषजनक आकलन हो जाते

के बाद चेहरा सत्यापन के फीचर को वी-सीआइपी के तहत पहचान सत्यापन के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

वी-सीआइपी के माध्यम से विदेशियों का आरोहण

चुनिंदा बाजार सहभागियों को शामिल करते हुए एक कार्यदल का गठन किया गया है ताकि वी-सीआइपी के माध्यम से विदेशी ग्राहकों के आरोहण की व्यवहार्यता का परीक्षण किया जा सके। इस बारे में कार्यदल की संस्तुतियों के आधार पर प्रस्तावित व्यवस्था पर एक परामर्श पत्र जारी किया जाएगा।

एसईजेड प्रशासन (आईएफएससीए)

विनियामक व्यवस्था को सुवाही बनाने और गिफ्ट आईएफएससी में अपने परिचालन स्थापित करने वाली यूनिटों को कारोबार करने की सहजता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2 फरवरी 2024 को आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 31 के तहत राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गिफ्ट आईएफएससी यूनिटों के लिए विकास आयुक्त की शक्तियां एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत आईएफएससीए द्वारा " प्रशासक (आईएफएससीए)" के रूप में नामित अधिकारी को प्रदान कीं। इस रणनीतिगत प्रस्ताव से आईएफएससीए और गिफ्ट एसईजेड के विकास आयुक्त के कार्यालयों से अलग-अलग अनुबंधन करना प्रतिष्ठानों के जरूरी नहीं रह गया, इससे सभी अनुमोदन – चाहे वे एसईजेड अधिनियम के तहत हों या फिर आईएफएससीए अधिनियम के तहत – सीधे ही आईएफएससीए के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, इस प्रकार सिंगल विन्डो नियामक इन्टरफेस का सृजन कर दिया गया।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

वाणिज्य विभाग द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत सेवाओं की मूल सूची वस्तु और सेवा टैक्स पद्धति के तहत एसएसी वर्गीकरण सहित के समरूपण के बारे में परामर्श पत्र

प्रशासक (आईएफएससीए) के कार्यालय द्वारा एक परामर्श-पत्र जारी किया गया, जिसका प्रयोजन रहा कि प्राधिकृत सेवाओं की मूल सूची, वाणिज्य विभाग द्वारा यथा अनुमोदित, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पद्धति के तहत निर्धारित सेवा लेखांकन कोड (एसएसी) वर्गीकरण सहित विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के साथ समरूपित करने के बारे में सामान्य जनता से और स्टेकधारकों से अभिमत, विचार और सुझाव आमंत्रित किए जाएं।

अनुदेश सं.122 - एसईजेड डेवलपर्स / सह-डेवलपर्स और एसईजेड यूनिटों के पुनर्गठन पर दिशानिदेश

अनुदेश सं. 122 में विशेष दिशानिदेश दिए गए हैं जो आईएफएससी यूनिटों के पुनर्गठन को शासित करते हैं, जिसमें कई मामले यथा – नाम बदलना, शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन, कारोबार अंतरण व्यवस्था, न्यायालय से अनुमोदित आमेलन और विलगन, गठन का परिवर्तन, और निदेशकों का परिवर्तन शामिल हैं।

अनुदेश सं. 123 – ईबीएलयूटी – एसईजेड डेवलपर्स और यूनिटों द्वारा बॉन्ड-सह-विधिक वचनबद्धता का निष्पादन

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेश संख्या 123 में ई-बीएलयूटी की प्रस्तुति को मान्यता दी गई है और स्टैम्प पेपर पर निष्पादित और भौतिक रूप में नोटरीकृत बीएलयूटी की प्रस्तुति का समापन कर दिया गया है। यह अनुदेश जारी किया जाना आईएफएससीए के कारोबार करने की सहजता के अनुरोध का परिणाम है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से किया गया था कि आईएफएससी यूनिटों को स्टैम्प पेपर पर नोटरीकृत बीएलयूटी की भौतिक प्रस्तुति से छूट प्रदान की जाए।

संव्यवहार / प्रोसेस / परिचालन / प्रवृत्तियां

सारणी 23: वित्तीय वर्ष 2025-26 में हुई यूएसी बैठकों का विवरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	संवृद्धि %
यूएसी बैठकें	44	52	18.18%
नई यूनिट के अनुमोदित आवेदनों की संख्या	330	387	17.27%
जारी किए गए एलओए	330	387	17.27%
जारी किए गए परिपत्र एजेन्डा की संख्या	35	52	48.57%
ईमेल/परिपत्र मोड से निधियों के लिए अनुमोदित नई यूनिटों के आवेदनों की संख्या	109	157	44.04%
एलओए की ब्रॉडबैन्डिंग की संख्या	10	48	380.00%
अनुदेश 109 के तहत कवर किए गए अनुरोध	65	99	52.31%
अनुमोदित भौतिक बीएलयूटी की संख्या	343	423	23.32%
अनुमोदित एलओए विस्तार की संख्या	198	283	42.93%
शुरुआत प्रज्ञापनों की संख्या जो रिकार्ड पर हैं	104	301	189.42%

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 52 यूएसी बैठकों[58] का आयोजन प्रशासक (आईएफएससीए) की अध्यक्षता में किया गया। इन यूएसी बैठकों में गिफ्ट आईएफएससी में नई यूनिट स्थापित करने हेतु प्राप्त 387 आवेदन का अनुमोदन किया गया।

पक्ष समर्थन और आउटरीच

एसईजेड अनुपालन से संबद्ध गिफ्ट आईएफएससी यूनिटों को सहायता दे रहे परामर्शदाताओं के साथ ओपन हाउस मीटिंग

सितम्बर 29, 2025

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी

प्रशासक (आईएफएससीए) के कार्यालय ने गिफ्ट आईएफएससी में स्थापित प्रतिष्ठानों को सहायता दे रहे परामर्शदाताओं के साथ एक ओपन हाउस मीटिंग का आयोजन किया जो एसईजेड से संबंधित उपबंधों के अनुपालन के बारे में थी। इस बैठक की अध्यक्षता श्री प्रवीण त्रिवेदी, प्रशासक (आईएफएससीए) द्वारा की गई, इसमें आईएफएससीए एसईजेड प्रभाग के अन्य पदाधिकारी भी थे।

इस वार्तालाप का प्रयोजन यह था कि अनुमोदन पत्र (एलओए) जारी हो जाने से पहले और इसके बाद बारंबार गैर-अनुपालन वाले क्षेत्रों के बारे में बताया जा सके और एसईजेड उपबंधों का अनुपालन करने में प्रतिष्ठानों के सामने आ रही परिचालनगत चुनौतियों को समझा जा सके।

[58]यूएसी की बैठकों के विवरण आईएफएससीए वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं – https://ifsca.gov.in/SezMeeting/UACMeetings

एसईजेड यूनिटों के ओपन हाउस – गिफ्ट आईएफएससी के भीतर एसईजेड अनुपालन के बारे में स्टेकधारकों के परिनियोजन को सुदृढ़ करने और स्पष्टता को बढ़ाने हेतु

जनवरी 06-फरवरी 28, 2026

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी



चित्र 14: श्री प्रवीण त्रिवेदी, कार्यपालक निदेशक – एसईजेड यूनिटों के ओपन हाउस में

प्रशासक (आईएफएससीए) के कार्यालय ने आईएफएससीए विनियमित प्रतिष्ठानों के लिए 6 जनवरी 2026 से 16 ओपन हाउस सत्रों की एक संरचनाबद्ध श्रृंखला का आयोजन किया जो गिफ्ट आईएफएससी के भीतर एसईजेड अनुपालन के बारे में स्टेकधारकों के परिनियोजन को सुदृढ़ करने और स्पष्टता को बढ़ाने हेतु सतत प्रयासों के एक भाग के रूप में है।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

एसईजेड नियमावली में नियम 29ए /29बी का पुन: निर्धारण

वर्तमान में एसईजेड नियमावली में नियम 29ए /29बी जलपोत/ वायुयान लीजिंग कारोबार के बहुत से संव्यवहार परिदृश्यों को कवर नहीं करते हैं। इसलिए आईएफएससीए का प्रस्ताव है कि सभी परिदृश्यों को कवर करते हुए संशोधित नियम तैयार किया जाए। प्रस्तावित नियम का प्रारूप स्टेकधारकों के साथ परामर्श प्रकिया के अंतिम स्तर पर है और शीघ्र ही इसे डीओसी में भिजवा दिया जाएगा।

प्रवर्तन

विजन के कथन में बताए अनुसार आईएफएससीए का विजन है 'गिफ्ट आइएफसी को सुस्थायी, दक्ष और संधारणीय बाजारों और प्रौद्योगिकी पारितंत्र सहित अग्रणी, सुनियंत्रित वैश्विक वित्तीय केन्द्र (जीएफएस) के रूप में स्थापित करना'। इस विजन को मूर्त रूप देने के लिए आईएफएससीए अनेकों पक्षों पर कार्य करता है यथा – विकास, विनियमन, पर्यवेक्षण, प्रवर्तन, इत्यादि। किसी भी वित्तीय नियामक के लिए प्रवर्तन एक महत्त्वपूर्ण पक्ष होता है और यह कदाचार को मिटाने में एक महती भूमिका निभाता है, इससे लोक विश्वास, उपभोक्ता और निवेशक का संरक्षण और बाजार में सत्यनिष्ठा बढ़ती है। आईएफएससीए का प्रवर्तन दृष्टिकोण यही है कि निम्नलिखित तीन लक्ष्यों का अनुसरण किया जाए –

क. कदाचार और विधिक उल्लंघनों / कानून तोड़ने की घटनाओं को समय रहते पकड़ कर आईएफएससी परितंत्र में भरोसे और सत्यनिष्ठा को कायम रखना;

ख. प्रभावी प्रतिरोध के लिए रणनीति तैयार करके कादाचार से बचाव; और

ग. आईएफएससीए द्वारा विनियमित वित्तीय संस्थानों के कार्यस्थल पर व्यवहार और आचरण को आकार देना।

आईएफएससीए के अपने अधिदेश के अनुसरण में प्रवर्तन कार्रवाइयां न केवल अवरोधन के लिए हैं बल्कि विकास के लिए भी हैं। इन कार्रवाइयों का लक्ष्य यही सुनिश्चत करना होता है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान उच्च मानकों के अनुरूप रहे, जो आईएफएससी की सम्यक सफलता के लिए अपेक्षित है। इसके अलावा ये कार्रवाइयां गिफ्ट आईएफएससी में विनियामक परितंत्र को सुदृढ़ करके दक्ष बाजार के विकास और वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और संस्थानों की सतत संवृद्धि, के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करती हैं।

सारणी 24 : मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार इस प्रभाग द्वारा प्रवर्तन कार्रवाइयां

		प्रवर्तन अवस्था – मार्च 2026 की यथास्थिति	
आईएफएससीए के प्रवर्तन प्रभाग द्वारा			
प्रतिष्ठान का प्रकार	**जारी किए गए एससीएन**	**कितनी बार सुनवाई हुई**	**जारी किए गए आदेश**
फन्ड प्रबंधन प्रतिष्ठान	5	5	1
वित्त कम्पनियां	4	4	1
पूंजी बाजार के मध्यस्थ (ब्रोकर डीलर्स, निवेश सलाहकार)	9	9	2
बीमा मध्यस्थ	1	1	0
कुल	**19**	**19**	**4**
प्रशासक (आईएफएससीए) के कार्यालय द्वारा			
नियम 22(3), 19(2), 19(4) और 19(5) के तहत	8	8	6
कुल	**8**	**8**	**6**

ग्राहक शिक्षण और संरक्षण

आईएफएससीए की स्थापना वित्तीय सेवाओं के बाजार को विकसित करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में है और इसके साथ जुड़े मामलों या उसमें प्रसंगवश संबंधित है, जैसा कि आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। आईएफएससीए की एक मुख्य "नियामक" भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए। जैसे-जैसे आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं का परितंत्र बैंकिंग, पूंजी बाजार, फंड प्रबंधन, बीमा और फिनटेक क्षेत्रों में विस्तार करता है, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र और सूचित उपभोक्ता भागीदारी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आईएफएससीए ने आईएफएससी में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। ये प्रयास वित्तीय उपभोक्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देने, नियमित संस्थाओं द्वारा समयबद्ध रूप से और प्रभावी शिकायत निवारण को सुविधाजनक बनाने, वित्तीय उपभोक्ताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में निर्देशित थे।

वर्ष के दौरान प्रमुख पहलों में आईएफएससी में नियमित संस्थाओं द्वारा शिकायत निवारण और शिकायत प्रबंधन संबंधी व्यवस्था का कार्यान्वयन, आईएफएससीए उपभोक्ता चार्टर जारी करना, प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई उपभोक्ता शिकायतों की जांच, उपभोक्ता जागरूकता और चेतावनी संबंधी संदेशों का प्रचार, और बाजार सहभागियों और अन्य हितधारकों के सहयोग से उपभोक्ता जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। इन प्रयासों के विवरण निम्नानुसार हैं।

शिकायत निपटान और व्यथा निवारण

आईएफएससीए द्वारा "आईएफएससीए में विनियमित संस्थाओं द्वारा शिकायतों निपटान और व्यथा निवारण" शीर्षक से एक परिपत्र जारी किया, जो 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है, जिसमें आईएफएससी में विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा शिकायत निवारण के लिए एक व्यापक नियामक व्यवस्था समाविष्ट की गई है। इस व्यवस्था में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रावधान है –

- शिकायत निपटान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति का निरूपण
- शिकायत के समाधान हेतु निर्धारित समयसीमा और पद्धति
- द्वि-स्तरीय आंतरिक प्रवर्धन पद्धति (शिकायत निवारण अधिकारी और शिकायत निवारण अपीलीय अधिकारी)
- आईएफएससीए तक प्रवर्धन हेतु प्रावधान
- वेबसाइट और वार्षिक रिपोर्टों में प्रकटीकरण की अनिवार्यता
- रिकार्ड अनुरक्षण
- रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

यह व्यवस्था आईएफएससीए में उपभोक्ता सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध शिकायत निवारण को सुनिश्चित करती है।

आईएफएससीए द्वारा प्राप्त शिकायतें / ईमेल

ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त करने के लिए आईएफएससीए के पास एक समर्पित ईमेल आईडी है, जिसका नाम है - grievance-redressal@ifsca.gov.in. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आईएफएससीए को इस आईडी पर 3,000 से भी अधिक ईमेल प्राप्त हुए जिकना विवरण निम्नानुसार है :

प्राप्त हुए 3,000 से अधिक ईमेल में से, अधिकांश ईमेल आईएफएससी अधिकारक्षेत्र से संबद्ध नहीं थे और आईएफएससीए के दायरे से बाहर थे। आईएफएससीए को आईएफएससी अधिकारक्षेत्र से संबंधित 25 ईमेल प्राप्त हुए, जिनमें से 20 ईमेल उपभोक्ता शिकायतें थीं। आईएफएससीए ने प्राप्त सभी 20 उपभोक्ता शिकायतों का उत्तर शिकायत निपटान और व्यथा निवारण व्यवस्था के अनुसार दिया है।

सारणी 25: आईएफएससी के संबंध में प्राप्त शिकायतें

आईएफएससी के संबंध में प्राप्त शिकायतें			
आईएफएससी से संबंधित कुल शिकायतें / ईमेल	**ग्राहक शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतें /ईमेल**	**ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें**	**जिन ग्राहक शिकायतों का उत्तर दिया गया**
25	5	20	20

आईएफएससीए उपभोक्ता चार्टर

आईएफएससीए ने 10 अक्टूबर 2025 को एक उपभोक्ता चार्टर जारी किया। यह चार्टर वित्तीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आईएफएससीए का विजन और मिशन प्रस्तुत करता है। उपभोक्ता चार्टर में निम्नलिखित के बारे में भी जानकारी दी गई है –

- उपभोक्ताओं के अधिकार जैसे विनियमित संस्थाओं द्वारा उचित और समान व्यवहार; वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं की स्पष्ट, सटीक और समय पर जानकारी; लेन-देन से संबंधित सभी दस्तावेजों की प्राप्ति; विनियमित संस्थाओं से त्वरित प्रतिक्रिया मिलना; समय पर राशि की प्राप्ति आदि।
- उपभोक्ताओं की जिम्मेदारियाँ जैसे केवल विनियमित संस्थाओं के साथ कारोबार करना; संबंधित जोखिमों को समझे बिना सट्टा या जोखिम भरे निवेश करने से बचना; वित्तीय धोखाधड़ी से सावधान रहना आदि।
- वित्तीय उपभोक्ताओं के लिए - क्या करें और क्या न करें।

ग्राहक जागरूकता और संरक्षण हेतु अन्य प्रयास

वित्तीय उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और ऑनलाइन हानियों से सुरक्षित रखने और जागरूकता बढ़ाने के लिए, वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रयास आरंभ किए गए:

- आईएफएससीए की वेबसाइट पर एक उपभोक्ता चेतावनी टिकर शुरू किया गया, जिसमें निवेशकों को सूचित किया गया कि केवल आईएफएससीए द्वारा विनियमित संस्थाओं के साथ ही लेन-देन करें और विवरणों की पुष्टि आईएफएससीए डायरेक्टरी से करें।
- उपभोक्ता जागरूकता हेतु संदेशों का प्रचार-प्रसार आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से किया गया, जिसमें धोखाधड़ी वाली स्कीमों, अनधिकृत संस्थाओं और ऑनलाइन ठगी से जुड़े जोखिमों को बताया गया, और वित्तीय उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया गया कि जो भी निर्णय लें वह पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही लें।

- उपभोक्ता चेतावनियों के लिए आईएफएससीए की वेबसाइट पर एक समर्पित वेबपेज है, जिसमें आइओएससीओ आई-स्कैन हेतु लिंक दिया है, जो सभी अधिकारक्षेत्रों में धोखाधड़ी की संभावना वाली या अनियमित संस्थाओं की पहचान करके उनके बारे में सभी को जानकारी का प्रसार करता है।
- "ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्कैम से खुद को बचाएं" शीर्षक से 09 जुलाई, 2025 को एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की गई, जिसमें धोखाधड़ी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग के कारण होने वाले जोखिमों की जानकारी दी गई। इस चेतावनी में अनजाने आमंत्रणों से बचने, आईएफएससीए की डायरेक्टरी के साथ संस्थाओं का सत्यापन, नक्कालों की चालबाजी से सावधान रहने और वित्तीय लेनदेन से पहले उचित सावधानी रखने पर जोर दिया गया। इसने प्रोत्साहित किया कि संदिग्ध गतिविधियों के बारे में उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग बताएं, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा सके।

पक्ष समर्थन और आउटरीच

आइओएससीओ विश्व निवेशक सप्ताह

अक्तूबर 06-12, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

आईएफएससीए ने इन्टरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्यूरिटीज कमीशन्स (आइओएससीओ) के एक सहायक सदस्य के रूप में, 06-12 अक्टूबर 2025 को आईएफएससी में बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआइआइ) और अन्य बाजार प्रतिभागियों के साथ मिलकर आइओएससीओ विश्व निवेशक सप्ताह 2025 मनाया, जिसके प्रतिपाद्य विषय थे "टेक्नोलॉजी एन्ड डिजिटल फिनान्स", "आर्टिफिशियल इन्टैलिजेन्स" और "फ्रॉड एन्ड स्कैम प्रीवेन्शन"।

इस सप्ताह के दौरान आईएफएससीए ने ग्राहक चार्टर जारी किया जिसमें आईएफएससी में पारदर्शिता, उचित आचरण, और वित्तीय उपभोक्ताओं के संरक्षण को बढ़ाने के लिए अपनी वचनबद्धता को प्रबल किया।

डब्ल्यूआईडब्ल्यू 2025 के एक हिस्से के रूप में, आईएफएससीए ने एनएसई इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज (एनएसई आइएक्स) के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें निवेशक शिक्षण और संरक्षण – सुरक्षित और लोचशील वित्तीय बाजारों का सृजन। इस अवसर पर आईएफएससीए के कार्यपालक निदेशक डॉ. प्रवीण त्रिवेदी ने सहभागियों को निवेशक की जागरुकता, वित्तीय साक्षरता को सुदृढ़ बनाने के बारे में सम्बोधित किया।

आइओएससीओ वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के अंत में एनएसई इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज (एनएसईआइएक्स) में क्लोजिंग बेल सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारामन और एनएसई आइएक्स के अध्यक्ष श्री नीरज कुमार गुप्ता की गरिमामय मौजूदगी रही।

इस अवसर पर आईएफएससीए के अध्यक्ष ने निवेशक जागरूकता, वित्तीय साक्षरता और साक्षरता को एक सुदृढ करने को समावेशी वित्तीय परितंत्र हेतु आवश्यक मुख्य स्तंभों के रूप में बताया।

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण पर कार्यशाला

दिसम्बर 18, 2025

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी

आईएफएससीए के मुख्यालय में 18 दिसम्बर 2025 को एक कार्यशाला का संचालन किया गया जिसका प्रतिपाद्य विषय था – "कन्ज्यूमर एड्यूकेशन एन्ड प्रोटेक्शन फॉर आइबीयू एन्ड पीएसपी" – इसमें आईएफएससी में बैंकों और पीएसपी द्वारा उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता शिक्षण, शिकायत निपटान और व्यथा निवारण के बारे में जानकारी, अनुभवों और सर्वोत्तम परिपाटियों को साझा किया गया और विचार-विमर्श किए गए।

खंड – घ

प्राधिकरण के अर्ध-विधायी, निष्पादक और अर्ध-न्यायिक कार्य

प्राधिकरण के अर्ध-विधायी, निष्पादक और अर्ध-न्यायिक कार्य

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (प्राधिकरण) की स्थापना अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र अधिनियम, 2019 ('अधिनियम') द्वारा भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों के भीतर वित्तीय सेवा बाजार को विकसित और विनियमित करने के लिए एक एकीकृत नियामक के रूप में की गई है। इस प्राधिकरण को एक आईएफएससीए में परिचालित वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के संबंध में अधिशासी, अर्ध-विधायी, और अर्ध-न्यायिक कार्यों को निष्पादित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

अधिनियम, 2019 की धारा 12 इस प्राधिकरण को ऐसे सभी अधिकार प्रदान करती है जो आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने के लिए इसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं। इसी अधिदेश को आगे बढ़ाते हुए यह प्राधिकरण किसी भी आईएफएससी में विशिष्ट वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थानों की शुरुआत करने अथवा अनुमति देने के बारे में केन्द्र सरकार को संस्तुतियां भी करेगा।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 13 के तहत, इस प्राधिकरण को इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट 15 अधिनियमों के संबंध में घरेलू वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, यथा – भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) और पेन्शन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को दी गई शक्तियों के तुल्य ही सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जहां तक इनका संबंध आईएफएससी में परिचालित वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों से हैं।

इस प्राधिकरण ने आईएफएस केन्द्रों में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने हेतु अर्ध-विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कई क्षेत्रों के बारे में विनियमों को अधिसूचित किया है। इस प्राधिकरण ने अपने विनियामक अधिदेश को बढ़ाते हुए निम्नलिखित विनियमों, प्रमुख अधिसूचनाओं, दिशानिदेशों और परिपत्रों को जारी किया :

विनियमों की सूची

आईएफएससीए (केवाइसी पंजीकरण एजेन्सी) विनियमावली, 2025

अप्रैल 16, 2025

ये विनियम आईएफएससी में केवाइसी पंजीकरण एजेन्सियों (केआरए) के पंजीकरण और विनियमन हेतु विनियामक व्यवस्था का उपबंध करते हैं। ये विनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करते हैं –

- आईएफएससीए में पंजीकरण हेतु किसी भी केआरए के लिए पात्रता अपेक्षाएं।
- केआरए की निवल मालियत सहित पंजीकरण अपेक्षाएं।
- केआरए की अर्हता और अनुभव।
- केआरए के कार्य और दायित्व।
- आईएफएससी में विनियमित प्रतिष्ठान के कार्य और दायित्व।
- केआरए द्वारा अनुसरण किए जाने हेतु आचरण संहिता

आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2025

अप्रैल 17, 2025

इन विनियमों में निवेशकों के हितों का संरक्षण और

प्रतिभूति बाजार की सत्यनिष्ठा के अनुरक्षण के उद्देश्य से आईएफएससी के भीतर परिचालन कर रहे पूंजी बाजार के मध्यस्थों के पंजीकरण, विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु संशोधित नियामक व्यवस्था प्रदान की गई है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (टेकफिन और अनुषंगी सेवाएं) विनियमावली, 2025

जुलाई 22, 2025

इन विनियमों का लक्ष्य है टेकफिन और अनुषंगी सेवा (टीएएस) प्रदाताओं हेतु नियामक व्यवस्था का उपबंध करना ताकि वे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र अधिनियम, 2019 की धार 3 की उप-धारा (1) के खंड (ई) के उपखंड (i) से (xi) में सूचीबद्ध किसी भी वित्तीय सेवा का संचालन करने हेतु व्यवस्थाएं करने के लिए उपबंध करना। इन विनियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित हेतु उपबंध हैं –

- पंजीकरण से पहले ही टेकफिन अथवा अनुषंगी सेवा अथवा दोनों ही सेवाएं प्रदान कर रहे प्रतिष्ठान हेतु पंजीकरण।
- प्रवर्तकों, निदेशकों, और प्रमुख अधिकारियों के लिए "योग्य और उचित" का मानदंड।
- यह सेवाएं केवल किसी मध्यस्थ अथवा किसी सेवा प्राप्तकर्ता को प्रदान की जाएं, जो कोई अनिवासी हो और ऐसे न्यायक्षेत्र से हो जिसे वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एपएटीएफ) के सार्वजनिक वक्तव्य में "उच्च-जोखिम वाले न्यायक्षेत्र – कार्रवाई की अपेक्षा के अधीन" के रूप में निरूपित नहीं किया गया हो।
- टीएएस प्रदाताओं के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाएं यूएसडी में।

आईएफएससीए फन्ड प्रबंधन (संशोधन) विनियमावली, 2025

जुलाई 31, 2025

इन संशोधन विनियमों ने आईएफएससीए फन्ड प्रबंधन विनियमावली, 2025 के अध्याय VI के भाग-डी समाविष्ट किया। इस भाग-डी में आईएफएससी में एफएमई को तृतीय पक्ष फन्ड प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्थन हेतु प्रावधान किए गए ताकि वे विदेशी या स्वदेशी तृतीय पक्ष फन्ड प्रबंधकों की तरफ से परिसीमित स्कीमों के आरंभन और प्रबंधन कर सकें।

आईएफएससीए (भुगतान विनियामक बोर्ड) विनियमावली, 2025

सितम्बर 17, 2025

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम, 2007) की धारा 3 में वित्तीय अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया ताकि पूर्ववर्ती भुगतान और निपटान प्रणाली हेतु विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) को भुगतान विनियमन बोर्ड (पीआरबी) से प्रतिस्थापित किया जा सके, अब इस निकाय के माध्यम से यह प्राधिकरण उन शक्तियों का प्रयोग करेगा, कार्यों को निष्पादित करेगा और उन कर्तव्यों का निर्वाह करेगा जो इसे पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत प्रदान की गई हैं। तदुपरान्त पीआरबी का गठन करने के लिए इन विनियमों को समाविष्ट किया गया ताकि आईएफएससी में भुगतान प्रणालियों की निगरानी हो सके, पीआरबी में अन्य के साथ-साथ नामित सदस्यों की पात्रता और इन सदस्यों हेतु आचार संहिता को निर्दिष्ट किया गया है।

आईएफएससीए (कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति) (संशोधन) विनियमावली, 2025

अक्तूबर 11, 2025

इन संशोधनों का प्रथमतया लक्ष्य यही है कि

कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति में प्राधिकरण द्वारा नामित कम-से-कम दो सदस्य होने चाहिए, इसमें स्वतंत्र विशेषज्ञों हेतु पात्रता मानदंडों, और त्यागपत्र के लिए छह सप्ताह के नोटिस का कार्यान्वयन और समिति सदस्यों से सत्यनिष्ठा तथा गोपनीयता की घोषणा को निर्दिष्ट किया गया है।

आईएफएससीए (लिस्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2025

अक्तूबर 16, 2025

आईएफएससीए ने अक्तूबर 2025 में इस दृष्टि से आईएफएससीए (लिस्टिंग) विनियमावली, 2024 में संशोधन किए कि आईएफएससी में परिचालनगत लोचशीलता और कारोबार करने की सहजता को बढ़ावा दिया जा सके। प्रमुख संशोधनों में शामिल है – प्रस्ताव प्रलेख में वित्तीय सूचना प्रकटीकरण की वैधता अवधि को 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया जाना; प्रतिभूतियों का आबंटन निवेशक फन्डों को करने हेतु समयसीमा को पांच कार्यदिवस से बढ़ाकर आठ कार्यदिवस करना; और वित्तीय विवरणें के प्रकटीकरण को सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों के लिए तिमाही के स्थान पर छमाही करके लिस्टिंग पूर्व के प्रकटीकरण अपेक्षाओं को औचित्यपूर्ण बनाना।

आईएफएससीए (ग्लोबल इन-हाउस सेन्टर) विनियमावली, 2025

दिसम्बर 31, 2025

इन विनियमों का लक्ष्य है जीआइसी यूनिटों की स्थापना और परिचालन हेतु समेकित और सुकर विनियामक व्यवस्था प्रदान की जाए ताकि आईएफएससी से वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं से संबंधित सेवाएं वित्तीय संस्थान समूहों के प्रतिष्ठानों को प्रदान करने के लिए, और आईएफएससी को उच्च मूल्य की वित्तीय और संबंधति सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वैश्विक केन्द्र के रूप में विकसित करने और रोजगार अवसरों का सृजन करने और वित्तीय सेवाओं की वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के एकीकरण को मजबूत किया जाए। इन विनियमों में, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध हैं –

- जीआइसी यूनिटें स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थानों हेतु पात्रता मानदंड।
- एकाधिक प्रचालक मॉड्यूलों को मान्यता।
- जीआइसी यूनिटों को अनुमति कि वे एक वित्तीय वर्ष में अपने कुल राजस्व के 10% तक सेवाएं अपने भारतीय समूह के प्रतिष्ठानों को दे सकते हैं।
- कर्मचारियों को आईएफएससी में स्थानांतरित करने की 20% की ऊपरी सीमा को हटाना।
- पंजीकरण पद्धतियों, अभिशासन अपेक्षाओं, और जीआइसी यूनिटों के लिए योग्य और उचित के मानदंड को सरल और कारगर बनाना।

आईएफएससीए (बीएटीएफ) (संशोधन) विनियमावली, 2026

जनवरी 09, 2026

इस संशोधन ने आईएफएससीए (बुक-कीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध संबंधी आदेश अनुपालन सेवाएं) विनियमावली, 2024 के विनियम 12 को विलोपित किया है, ताकि बीएटीएफ सेवा प्रदाताओं के लिए प्रवेश बाधा को कम किया जा सके, इसमें आईएफएससी से परिचालन करने के लिए प्रति कर्मचारी न्यूनतम 60 वर्ग फुट फर्श क्षेत्र के कार्यालय स्थान की पूर्ववर्ती आवश्यकता को हटा दिया गया है।

आईएफएससीए (बीमा कारोबार का पंजीकरण) (संशोधन) विनियमावली, 2026

जनवरी 09, 2026

इस संशोधन से आईएफएससीए (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) विनियमावली, 2021 के तहत 'सर्विस

कम्पनी ऑफ लायड'स आईएफएससी' की परिभाषा में परिवर्तनों को समाविष्ट किया गया है, जिसमें अब यह शामिल है कि लायड'स के प्रबंधन एजेन्टों या सदस्यों के समूह के प्रतिष्ठानों द्वारा प्रवर्तित सेवा कम्पनियों के लिए ऐसा माना जाएगा कि इनके लिए लायड'स की अनुमति है। इस संशोधन से प्रति कर्मचारी न्यूनतम 60 वर्ग फुट फर्श क्षेत्र के कार्यालय स्थान की पूर्व आवश्यकता को और इसके सदस्यों को अपने परिचालन बढ़ाने का दायरा व्यापक हो जाता है जो आईएफएससी में बीमा परितंत्र को मजबूत करेगा।

आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ)(संशोधन) विनियमावली, 2026

जनवरी 13, 2026

इस संशोधन को इस लक्ष्य के साथ समाविष्ट किया गया है कि विविध प्रकार की पूंजी बाजार क्रियाकलापों हेतु आवेदन करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए क्रियापद्धति अपेक्षाओं में सहजता लाई जा सके। इस संशोधन, में अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान हैं –

- विशिष्ट पंजीकरण हेतु प्रावधान जो एकल आवेदन फार्म के माध्यम से एकाधिक पूंजी बाजार क्रियाकलापों को करने के लिए ऐसे प्रतिष्ठानों को समर्थ करें जो इस वर्ग में पंजीकरण लेना चाहते हैं।
- मुख्य अधिकारी और अनुपालन अधिकारी हेतु विस्तारित पात्रता मानदंड और मुख्य अधिकारी और अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु स्नातकों के लिए न्यूनतम अनुभव को 10 वर्ष से कम करके 5 वर्ष करना।
- नकद निवल मालियत के आकलन पर स्पष्टीकरण।
- अभिरक्षकों के लिए निवल मालियत अपेक्षाओं के लिए 1 मिलियन यूएसडी की न्यूनतम संशोधित अपेक्षा।

आईएफएससीए (फन्ड प्रबंधन)(संशोधन) विनियमावली, 2026

जनवरी 30, 2026

इन संशोधनों का लक्ष्य है विनियामक अपेक्षाओं को औचित्यपूर्ण बनाना, आईएफएससी में एफएमई द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों का निवारण करना और निवेशक के हितों का बचाव करने के साथ-साथ कारोबार करने में सहजता को बढ़ाने के प्रयोजनों को आगे बढ़ाया जाए। इन संशोधनों, में अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान हैं –

- प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हेतु संशोधित पात्रता मानदंड।
- अनुपालन अधिकारियों, प्रमुख अधिकारियों और अन्य केएपपी के लिए प्रमाणन-आधारित और न्यून अनुभव अपेक्षाएं।
- निजी प्लेसमेन्ट ज्ञापन की वैधता में परिवर्धित लोचशीलता।
- कालातीत या कालातीत हो रहे पीपीएम के लिए, शर्तों, समयबद्धता और शुल्क के भुगतान सहित, समय-विस्तार हेतु एककालिक विन्डो।
- यूएसडी 3 मिलियन के न्यूनतम कोष को हासिल करने से पहले गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए ओपन-एन्डेड स्कीमों पर प्रतिबंध।
- स्कीमों के समापन हेतु अतिरिक्त कारण।

प्रमुख अधिसूचनाओं की सूची

आईएफएससी में 'तेलक्षेत्र उपस्कर' को वित्तीय उत्पाद के रूप में मानने के संबंध में अधिसूचना

जनवरी 09, 2026

इस प्राधिकरण ने 'तेलक्षेत्र उपस्कर' को वित्तीय उत्पाद के संबंध में किसी भी परिचालन और वित्तीय लीज के हायब्रिड सहित, परिचालन लीज को निर्दिष्ट किया है।

प्रमुख परिपत्रों / दिशानिदेशों की सूची

आईएफएससीए (फन्ड प्रबंधन) विनियमावली, 2025 की तरफ अंतरण

अप्रैल 08, 2025

इस परिपत्र का प्रयोजन यह है कि फन्ड प्रबंधन प्रतिष्ठानों को 2022 की विनियमावली से नव अधिनियमित आईएफएससीए (फन्ड प्रबंधन) विनियमावली, 2025 की तरफ अंतरण करने में सुविधा रहे। इसमें प्रमुख विनियामक रियायतों यथा – प्राइवेट प्लेसमेन्ट ज्ञापनों की वैधता को बढ़ाकर 12 माह करना और विशिष्ट स्कीमों के लिए 3 मिलियन यूएसडी के न्यूनतम कोष की अपेक्षा को कम करना और साथ ही इस विनियामक परिवर्तन के कारण फालिंग के लिए अनिवार्य हो गए प्रोसेसिंग शुल्क में रियायत को शामिल किया गया है।

अंतरण बॉन्डों के लिए व्यवस्था

जुलाई 29, 2025

इस परिपत्र का प्रयोजन यह है कि आईएफएससी में 'अंतरण बॉन्डों' की लिस्टिंग और निर्गमन के लिए समर्पित विनियामक व्यवस्था स्थापित की जाए। इसका लक्ष्य है अत्यधिक कठिन क्षेत्रों के लिए लक्ष्यबद्ध पूंजी संग्रहण में सुविधा रहे और ये प्रतिष्ठान अपने परिचालनगत परिवर्तन कर कम-कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ सकें। इसके अलावा इस परिपत्र में यह भी अनिवार्य किया गया है कि अति सख्त, प्रकटीकरण की सतत अपेक्षाएं हो जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके, कार्यान्वयन की प्रगति को ट्रैक किया जा सके, और अंतरण वित्तीयन की विश्वसनीयता को बरकरार रखा जाए।

आईएफएससी में क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों हेतु मास्टर परिपत्र

अगस्त 05, 2025

सभी स्टेकधारक सीएमआई विनियमों के तहत जारी अनुदेशों और निदेशों सहित विभिन्न अपेक्षाओं को एक ही स्थान पर देख पाने की सक्षमता देने यह परिपत्र है। इस मास्टर परिपत्र को जारी करने के साथ ही "क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों हेतु मास्टर परिपत्र" शीर्षक से दिनांक 1 अक्तूबर 2024 को जारी मास्टर परिपत्र अधिक्रमित हो गया।

आईएफएससी में ईएसजी रेटिंग और डाटा उत्पाद प्रदाताओं के लिए मास्टर परिपत्र

अगस्त 05, 2025

आईएफएससी में परिचालन कर रही ईएजी रेटिंग और डाटा उत्पाद प्रदाताओं के पंजीकरण, विनियमन, और पर्यवेक्षण हेतु समेकित अपेक्षाओं और निदेशों को निर्दिष्ट करने हेतु यह परिपत्र जारी किया गया।

आईएफएससी में अनुसंधान प्रतिष्ठानों के लिए मास्टर परिपत्र

अगस्त 05, 2025

सीएमआई विनियमावली, 2025 के तहत अनुसंधान क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए यह मास्टर परिपत्र जारी किया गया। यह व्यवस्था अनुसंधान रिपोर्टें प्रदान करने के लिए स्विट प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीकरण को अनिवार्य करती है, इसके लिए आईएफएससी में एक प्रमुख अधिकारी नियुक्त करना है, और इसमें आचरण की सख्त संहिताएँ, केवाइसी/एएमएल मानदंडों, और हित संघर्षों की देखभाल के बारे में निर्धारण किया गया है।

उपभोक्ता चार्टर

अक्तूबर 10, 2025

आईएफएससीए ने वित्तीय उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, दायित्वों और क्या करें क्या नहीं करे – की जानकारी देते हुए एक उपभोक्ता चार्टर जारी किया है ताकि आईएफएससी में वित्तीय बाजार परितंत्र में पारदर्शिता और भरोसे को बढ़ाया जा सके।

बाजार अवसंरचना संस्थान (एमआइआइ) का गवर्निंग बोर्ड

अक्तूबर 13, 2025

आईएफएससी में परिचालन कर रहे बाजार अवसंरचना संस्थानों के गवर्निंग बोर्डों के लिए स्पष्ट अभिशासन मानदंडों और गठन अपेक्षाओं की स्थापना के लिए। विशिष्ट रूप से इसमें अनिवार्य अर्हताओं, नियुक्त और पुन: नियुक्ति की विस्तृत प्रक्रियाओं, और सार्वजनिक हित निदेशकों के लिए संरचनाबद्ध कार्यनिष्पादन समीक्षा की रूपरेखा दी गई है।

आईएफएससी में स्टीवार्डशिप कोड के बारे में व्यवस्था

अक्तूबर 23, 2025

आईएफएससी में कार्यरत फन्ड प्रबंधन प्रतिष्ठानों और संस्थागत निवेशकों को पूंजी के जिम्मेदार स्टीवार्ड के रूप में कार्य करने, दीर्घकालीन मूल्य सृजन हेतु अपनी निवेश प्रथाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने के लिए। पारदर्शिता, सक्रिय स्वामित्व, और संघर्ष प्रबंधन हेतु सिद्धांतों की रूपरेखा बनाने के लिए इस व्यवस्था का लक्ष्य है कि निवेशक संरक्षण को बढाया जाए, प्रबल कार्पोरेट गवर्नेन्स के संवर्द्धन, और अधिक लोचशील और विश्वसनीय वित्तीय परितंत्र को बढ़ावा दिया जाए।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (धन-शोधन रोधन, आतंकवादी वित्तपोषण प्रतिकारी और अपने ग्राहक को जानिए) दिशानिदेश, 2022 के तहत संशोधन

अक्तूबर 31, 2025

इसका लक्ष्य है एआइ-चालित सुरक्षा और वी-सीआइपी परिवर्धन के माध्यम से डिजिटल आरोहण को मजबूत करना और साथ ही कम-जोखिम वाले एनआरआइ/ सीमा-पारीय न्यायक्षेत्रों के लिए सरल और कामगार बनाया जाए। इनका फोकस है पहचान संबंधी धोखाधड़ी और डीपफेक आधारित स्पूफिंग से बचाव करने हेतु सख्त साइबरसुरक्षा मानकों सहित परिचालनगत दक्षता को संतुलित करने पर है।

"आईएफएससी में ग्लोबल अभिगम हेतु विनियामक व्यवस्था" विषयक परिपत्र के परिच्छेद 39 के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाएं

नवम्बर 26, 2025

आईएफएससी में वैश्विक अभिगम प्रदाताओं (जीएपी) और ब्रोकर्स का समावेश (आईबी) को यह बताने के लिए कि प्रत्येक लॉगइन के समय मानकीकृत प्रमुख जोखिमों और प्रकटीकरण का प्रदर्शन करना अनिवार्य है।

आईएफएससीए बैंकिंग हैन्डबुक – सीओबी निदेश वी6.0 के मॉड्यूल सं.16 (क्रेडिट प्रदान करना) में संशोधन

दिसम्बर 08, 2025

इस परिपत्र का प्रयोजन यह है कि आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों के लिए 'क्रेडिट प्रदान करना' माड्यूल में संशोधन करना ताकि प्रबल अभिशासन मानकों के साथ-साथ परिचालनगत लोचशीलता का समाविष्ट किया जाए। विशिष्ट रूप से इसमें विदेश बैंकों के

आइबीयू को कतिपय स्वदेशी उधारी प्रतिबंधों से रियायत दी गई जबकि मूल बैंक के निदेशकों या उनकी संबद्ध पार्टियों को ऋण देने हेतु पारदर्शी नीतियों और सख्त हित-संघर्ष पर ध्यान देने को अनिवार्य देता है। इसके अलावा यह परिपत्र आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों को सक्षम करता है कि वे कार्पोरेट द्वारा शेयरों के बाय-बैक का वित्तपोषण करें, बशर्ते ऐसे क्रियाकलापों की अनुमति उधारकर्ता के निगमन न्यायक्षेत्रों में अनुज्ञेय कानूनों में है।

आइआइबीएक्स के माध्यम से अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स और वैध भारत-यूएई सीईपीए टीआरक्यू धारकों द्वारा स्वर्ण या चांदी का आयात - समेकन और संशोधन

जनवरी 02, 2026

इससे आइआइबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण या चांदी का आयात करने के लिए पात्र एसईजेड यूनिटों और अग्रिम प्राधिकृति धारकों को सक्षम करना।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (एएमएल, सीएफटी और केवाइसी) दिशानिदेश, 2022 के तहत संशोधन

जनवरी 02, 2026

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण और कमियों का निवारण करते हुए आईएफएससी विनियमों को विकसित हो रहे वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स मानकों के अनुरूप करना। इसमें यह भी रखा गया है कि केवाइसी पंजीकरण एजेन्सियों (केआरए) के माध्यम से डिजिटल आरोहण को आधुनिक बनाया जाए साथ ही अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के लिए वित्तीय समावेशन किया जाए।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (धन-शोधन रोधन, आतंकवादी वित्तपोषण प्रतिकारी और अपने ग्राहक को जानिए) दिशानिदेश, 2022 के तहत संशोधन

फरवरी 26, 2026

आईएफएससी में विनियमित प्रतिष्ठानों को ओटीपी-आधारित आधार ई-केवाइसी सत्यापन हेतु ग्राहक आरोहण और सत्यापन की अनुमति देना।

शुल्क परिपत्र

मार्च 02, 2026

आईएफएससीए में जो प्रतिष्ठान अनुज्ञेय क्रियाकलाप कर रहे हैं या करने का अभिप्राय रखते हैं या अनौपचारिक दिशानिदेश स्कीम के तहत दिशानिदेश चाह रहे हैं – के लिए शुल्क की संरचना।

फिनटेक सैन्डबॉक्स व्यवस्था

मार्च 16, 2026

आईएफएससी में नए वित्तीय उत्पादों, सेवाओं, और प्रौद्योगिकियों के परीक्षण हेतु संरचनाबद्ध सैन्डबॉक्स परिवेश प्रदान करके नवोन्मेषों के बढ़ावा देना। इसके अलावा इसका यह लक्ष्य भी है कि सहभागिता को व्यापक बनाया जाए ताकि अकादमीय संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों को शामिल किया जा सके और एक समयबद्ध, डिजिटल अनुप्रयोग प्रणाली के माध्यम से अनुमोदन और बाजार अन्वेषण प्रक्रियाओं को सरल और कामगार बनाया जा सके।

खंड – ङ

प्राधिकरण के कार्यनिष्पादन आकलन

कार्यनिष्पादन आकलन

आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 17(3) में आईएफएससीए के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की क्रियाविधि का प्रावधान किया गया है। आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 28(2)(डी) में आईएफएससीए को कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति के संबंध में विनियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। तदनुसार 23 मार्च 2022 को आईएफएससीए (कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति) विनियमावली, 2022 (पीआरसी विनियमावली) अधिसूचित की गई, जिसमें कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) के गठन, दायरे, आसूचना शेयरिंग और इसके कार्यचालन से संबंधित रिपोर्टिंग का प्रावधान किया गया है। आईएफएससीए (विनियमावली और सहायक अनुदेश तैयार करने के लिए पद्धति) विनियमावली, 2025, के अनुसरण में पीआरसी विनियमों की समीक्षा की गई और सन 2025 में इनका संशोधन किया गया, और तदनुसार (कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति)(संशोधन) विनियमावली, 2025 दिनांक 11 अक्तूबर 2025 को अधिसूचित की गई।

वर्ष 2022 में गठित कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति ने अपना कार्यकाल 2025 में पूरा कर लिया। आईएफएससीए (कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति) (संशोधन) विनियमावली, 2025 के अनुसार कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति का पुनर्गठन नवम्बर 2025 में किया गया और इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. श्री पी. के. अरोरा, सदस्य, आईएफएससीए (डब्ल्यूटीएम, इरडाई);
2. श्री आर. लक्ष्मी कांत राव, सदस्य आईएफएससीए (ईडी, आरबीआई);
3. श्री अश्विनी भाटिया, स्वतंत्र विशेषज्ञ;
4. श्री अनंत नारायण, स्वतंत्र विशेषज्ञ।

कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति को यह अधिदेश है कि इस प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की जाए, विशेष कर कि क्या:

- इसने इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने या इसके तहत कार्य-निष्पादन में अनुज्ञेय विधियों के उपबंधों का अनुपालन किया;
- इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों ने पारदर्शिता और अभिशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा दिया; और
- यह प्राधिकरण अपने कार्यों में जोखिम का प्रबंधन उचित रीति से कर रहा है।

इस समिति की बैठक दिसम्बर 2025 और जनवरी 2026 में हुई। कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को अंतिम अनुमोदन के लिए सदस्यों के साथ साझा किया जाता है। समिति की संस्तुतियों को, की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ, इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

खंड – च

निधियों के स्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र

निधियों के स्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र

सारणी 26: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निधियों के स्रोत

निधियों के स्रोत – प्राप्तियां	राशि (भारतीय रुपये में)
क) शुल्क / अभिदान (उप – जोड़)	**128,17,78,797**
वार्षिक शुल्क	76,25,58,140
लिस्टिंग शुल्क	24,61,540
पंजीकरण शुल्क[59]	17,48,90,319
नवीकरण शुल्क	1,75,703
आवेदन शुल्क	3,78,36,676
क्रियाकलाप आधारित शुल्क	27,83,88,860
अन्य विविध शुल्क (विलम्ब शुल्क, विलम्ब शुल्क पर ब्याज, घटना आधारित शुल्क, आदि)	2,54,67,559
ख) सरकारी अनुदान (उप - जोड़)[60]	**67,19,30,356**
वेतन के लिए अनुदान	45,91,00,000
जनरल के लिए अनुदान	20,00,00,000
पूंजी आस्तियों के लिए अनुदान	1,28,30,356
ग) ब्याज से आय	**16,02,99,291**
घ) अन्य विविध आय (पूर्व अवधि आय सहित)	**23,78,19,431**
निधियों के स्रात का कुल योग (क+ख+ग+घ)	**2,35,18,27,875**

सारणी 27 : वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय के प्रमुख क्षेत्र

व्यय के प्रमुख क्षेत्र	राशि (भारतीय रुपये में)
स्थापना व्यय	72,81,33,196
प्रशासनिक व्यय	24,26,79,477
स्थायी अस्तियों के अधिक्रय पर व्यय	84,12,32,519
अन्य व्यय	3,54,21,893
व्ययों का योग	**1,84,74,67,085**

[59] पंजीकरण शुल्क में इसी प्रकृति /प्रकार के शुल्क शामिल हैं, अर्थात लाइसेन्स /मान्यता/ प्राधिकृति शुल्क।

[60] वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल प्राप्त अनुदान थे - वेतन (भारतीय रुपये 45.91करोड़) + सामान्य (भारतीय रुपये 20 करोड़) + पूंजीगत आस्तियां (भारतीय रुपये 2.8 करोड़) = भारतीय रुपये 68.71करोड़। हालांकि भारतीय रुपये 1.52 करोड़ का अप्रयुक्त अनुदान सरकार को लौटा दिया गया इसलिए निवल अनुदान राशि = भारतीय रुपये 67.19 करोड़।

खंड – ज

संस्थागत विषय

संस्थागत विषय

प्राधिकरण की संरचना

सारणी 28: मार्च 2026 की यथास्थिति अनुसार प्राधिकरण की संरचना

विभाग	प्रभाग
बैंकिंग	बैंकिंग विनियमन
	वित्तीय कम्पनी विनियमन
	भुगतान और निपटान
	भुगतान और निपटान प्रणालियों का पर्यवेक्षण (पीएसएस)
बैंकिंग पर्यवेक्षण	बैंकिंग पर्यवेक्षण
	वित्तीय कम्पनी पर्यवेक्षण
	भुगतान सेवाओं का पर्यवेक्षण (पीएस)
पूंजी बाजार	निगम वित्त
	संधारणीय वित्त
	बाजार अवसंरचना संस्थान – विनियमन और पर्यवेक्षण
	बाजार अवसंरचना संस्थान – पंजीकरण और नियामक अनुमोदन
	पूंजी बाजार मध्यस्थ – नीति और पंजीकरण
	निधि विनियमन
	निधि पर्यवेक्षण
	मध्यस्थों का पर्यवेक्षण
बीमा और पेन्शन	बीमा विनियमावली
	बीमा पर्यवेक्षण
	पेन्शन
	वित्तीय समर्थन सेवा विनियमन प्रभाग
धातुएं और पण्य	बाजार विकास और पर्यवेक्षण
	बाजार विनियमन
विकास	वित्तीय बाजारों का विकास
	अंतरराष्ट्रीय कार्य
	विदेशी विश्वविद्यालय
	आर्थिक नीति विश्लेषण
	आउटरीच और सम्प्रेषण
	कारोबार सहजता कक्ष

विभाग	प्रभाग
सामान्य प्रशासन	प्रशासन और एचआर
	राजभाषा
	आईएफएससीए अकादमी
प्रौद्योगिकी	आसूचना प्रौद्योगिकी
	फिनटेक सैन्डबॉक्स
	वित्तीय समर्थन सेवा पर्यवेक्षण प्रभाग
	डाटा अभिशासन और डाटा संरक्षण
नीति और विधिक कार्य	विधिक नीति
	विधिक कार्य
	ग्राहक शिक्षण और संरक्षण
	एसईजेड
विनियामक नीति और विनियामक कार्य	धनशोधन रोधी और सीएफटी
	उद्यम जोखिम प्रबंधन
	विनियामक सहयोग
	प्रवर्तन प्रभाग
ट्रेजरी, वित्त और लेखा	--
अन्य	साइबर सुरक्षा
	आंतरिक निरीक्षण प्रभाग
	सतर्कता कक्ष

प्राधिकरण की बैठकें

सारणी 29 : प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयोजित बैठकें

क्रमांक	बैठक	तारीख
1	प्राधिकरण की 24वीं बैठक	जून 24, 2025
2	प्राधिकरण की 25वीं बैठक	सितम्बर 22, 2025
3	प्राधिकरण की 26वीं बैठक	दिसम्बर 22, 2025
4	प्राधिकरण की 27वीं बैठक	फरवरी 09, 2026

आईएफएससीए अकादमी

आईएफएससीए अकादमी की स्थापना जनवरी 2025 में की गई थी, जो आईएफएससीए सीमा पार तक व्याप्त आईएफएससी परितंत्र के क्षमता निर्माण, लीडरशिप विकास, और डोमेन विशेषज्ञता को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

संस्थागत व्यवस्था और दृष्टिकोण

इस अकादमी के नियंत्रक बोर्ड का गठन द्विस्तरीय है, इसमें सभी विभाग प्रमुखों को डॉ. प्रवीण त्रिवेदी, कार्यपालक निदेशक, की अध्यक्षता में सदस्य के रूप में रखा गया है। अकादमी को नेटवर्क युक्त अध्ययन प्लेटफॉर्म बनाया गया है न कि पारंपरिक भवन आधारित संस्था। इस दृष्टिकोण ने प्राधिकरण को निम्नानुसार अवलंबन दिया है –

- आईएफएससीए में आंतरिक डोमेन विशेषज्ञता
- विख्यात संस्थानों से बाह्य संकाय
- वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण में सर्वोत्तम प्रथाएं

यह हाइब्रिड मॉडल संसाधनों के इष्टतम उपभोग को सुनिश्चित करता है और साथी ही गहन विनियामक क्षमताओं के विकास की सुविधा भी मिलती है।

प्रशिक्षण-दर्शन और उद्देश्य

इस अकादमी के प्रशिक्षण प्रयासों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि संगठनात्मक जरूरतों के व्यापक क्षेत्र को समाहित किया जा सके, इसमें निम्नलिखित का समावेश भी है –

- वित्तीय बाजारों और उदीयमान उत्पादों में विषयगत ज्ञान को सुदृढ़ करना
- विनियामक, पर्यवेक्षी, विधिक, और नीति-निर्माता क्षमताओं का परिवर्धन
- प्रबंधकीय, सम्प्रेषण, और लीडरशिप कौशल का विकास
- परस्पर-प्रयोजनीय समझ और सहयोग को बढ़ावा देना

तकनीकी कौशल विकास के अलावा ये प्रयास इस प्राधिकरण में कर्मचारी परिनियोजन, सतत अध्ययन, और दीर्घावधिक प्रतिभा प्रतिधारण में भी योगदान करते हैं।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण हेतु प्रमुख प्रयास

विनियामक क्षमता निर्माण और प्रवर्तन प्रशिक्षण कार्यक्रम (चरण I और II)

अप्रैल 2025 और मार्च 2026

प्रवर्तन प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञ सत्रों का समावेश हुआ जिनके संचालन डॉ. एम. एस. साहू (पूर्व अध्यक्ष, आईडीबीआई; पूर्व डब्लयूटीएम, सेबी) और श्री जे. रंगानायकुलु (पूर्व कार्यपालक निदेशक, सेबी) ने विधिक प्रावधानों, प्रवर्तन रणनीति, विनियामक न्यायनिर्णयन और प्रकरण अध्ययन को कवर किया गया। दो बैच संचालित हुए जिनमें निषेध, निपटान, कारण बताओ नोटिस, सुनवाई और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जैसे विषयों को शामिल किया गया। यह कार्यक्रम प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करता है और अनुमान है कि यह विनियामक प्रभावशीलता, निर्णय निर्धारण और दीर्घकालीन संस्थागत क्षमता में बढ़ोतरी करेंगे।

विनियामक प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

सितम्बर 22-26, 2025

यह कार्यक्रम दौ बैचों में संचालित किया गया और इसमें विधायी आधारभूत जानकारी, विनियामक व्यवस्था, विनियमों का औचित्य और प्रक्रिया, और प्रारूपण का

व्यावहारिक अभ्यास।

प्रमाणन और संरचनाबद्ध अध्ययन प्रयास

नवम्बर 2025 – फरवरी 2026

इस अकादमी ने अधिकारियों और विनियमित प्रतिष्ठानों के लिए प्रमाणान कार्यक्रमों को तैयार करने में सुविधा प्रदान की, जिनमें शामिल थे (i) एएमएल/सीएफटी पर एनआइएसएम-आईएफएससीए प्रमाणन (नवम्बर 2025); (ii) पूंजी बाजार मध्यस्थों पर प्रमाणन कोर्स, फन्ड प्रबंधन और कार्पोरेट गवर्नेन्स (फरवरी 2026)। प्रस्तावित कोर्स में शामिल हैं बैंकिंग परिचालन (एनआइबीएम के साथ), साइबरसुरक्षा (एनआइएसएम के साथ) और बीमा (आइआइआइ के साथ)। इन संरचनाबद्ध कार्यक्रमों का लक्ष्य है मानकीकृत, उद्योग के लिए संगत स्पर्धात्मकता के साथ जो आईएफएससी की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

एनआइएसएम के साथ मास्टरक्लास / पॉडकास्ट श्रृंखला

जनवरी 21, 2026

आईएफएससीए अकादमी ने आईएफएससीए के अध्यक्ष और एनआइएसएम के निदेशक के बीच एक मास्टरक्लास / पॉडकास्ट का आयोजन किया, जिसकी रिकार्डिंग 21 जनवरी 2026 को हुई। इस प्रयास का लक्ष्य यह था कि ज्ञान साझा करने को बढ़ावा दिया जाए और गिफ्ट आईएफएससी के उदीयमान विनियामक परिदृश्य का उल्लेख किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने भारत के वित्तीय क्षेत्र की विकास गति को बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की, जैसे कि अपतटीय वित्तीय क्रियाकलापों को तटवर्ती किया जाए और गिफ्ट सिटी को विशिष्ट और सरल विनियमों के माध्यम से एक वैश्विक वित्तीय केन्द्र के रूप में स्थापित किया जाए। इस पॉडकास्ट ने आईएफएससीए को जन-जन तक पहुंचाया और 31 मई 2026 तक की स्थिति के अनुसार इसकी व्यूअरशिप 4 लाख के आस-पास रही ।

उच्च प्रभाव वाले प्रेजेन्टेशन दक्षता कार्यक्रम

फरवरी 16-19, 2026

प्रस्तुति और सम्प्रेषण कौशल को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया दो दिवसीय, सात सत्रीय कार्यक्रम डेल कार्नेग ट्रेनिंग द्वारा चलाया गया। इसका फोकस था विश्वास निर्माण, श्रोताओं को प्रभावित और प्रेरित करते हुए जटिल विचारों को स्पष्टतापूर्वक प्रस्तुत करने की क्षमता और विश्वसनीयता का निर्माण। संरचनाबद्ध अभ्यास, वीडियो समीक्षा और समकक्षों से फीडबैक के आधार पर सहभागियों ने दबाव से निपटने, अनुकरणीय सम्प्रेषण और प्रेरक परिवर्तनों के कौशल का विकास किया जिससे वे प्रभावोत्पादक, परिणामजनक प्रस्तुति करने में सक्षम हुए।

प्रतिष्ठापन और आधारभूत प्रशिक्षण

मई-जून, 2025 और मार्च-अप्रैल, 2026

इस अकादमी ने नए सहायक प्रबंधकों के आरंभिक प्रशिक्षिण में केन्द्रीय भूमिका निभाना जारी रखा, जिसमें आंतरिक संकाय का तो गहनातापूर्वक प्रयोग करने के साथ-साथ एनआईए, एनआईबीएम, एनआईएसएम और आईआईसीए जैसे संस्थानों के सहयोग से अनूपूरक मॉड्यूल भी उपलब्ध कराए।

संस्थागत साझेदारी

इस आकदमी ने अग्रणी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों के साथ मजबूत संस्थागत सम्पर्क स्थापित किए हैं, इनमें शामिल हैं – (i) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ सिक्यूरिटीज मार्केट्स (एनआईएसएम); (ii) राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए); (iii) भारतीय बीमा संस्थान (आइआइआइ); (iv) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आइसीएसआइ); (v)भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान

(आइआइसीए); और (vi) आइआइटी गांधीनगर। इसके अलावा आइआइबीएफ और एनआइबीएम जैसे संस्थानों के साथ सहयोग के लिए प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार की साझेदारियों से विशिष्ट संकाय, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रविधियां और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं प्राप्त हो जाती हैं।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

यद्यपि आईएफएससीए अकादमी अभी अपने आरंभिक चरण में ही है, तथापि यह क्षमता निर्माण और व्यावसायिक विकास के लिए प्रबल और स्तरीय व्यवस्था स्थापित करने में पर्याप्त प्रगति कर चुकी है।

आईएफएससीए अकादमी प्रशिक्षण कैलेन्डर

आईएफएससीए अकादमी ने एक संरचनाबद्ध वार्षिक प्रशिक्षण कैलेन्डर तैयार किया है जो इस समूचे प्राधिकरण में प्रणालीगत रूप से क्षमता निर्माण हेतु एक अहम उपादान है। इस कैलेन्डर को अभिनिर्धारित क्षमता अंतराल, उदीयमान विनियामक अपेक्षाओं और वित्तीय क्षेत्र में विकसित हो रही प्रवृत्तियों के आधार पर डिजाइन किया गया है। आगे चलकर इस अकादमी का लक्ष्य है कि अपने विशेषीकृत कार्यक्रमों के पोर्टफोलियो का विस्तार करे, संस्थागत साझेदारियों में गहनता लाए, प्रमाणन व्यवस्था को सुदृढ़ करे और वित्तीय विनियमन प्रशिक्षण में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करे। इन प्रयासों से आईएफएससी परितंत्र की जरूरतों के साथ समरूपी विनियामक और पर्यवेक्षी क्षमता निर्माण हेतु एक समर्पित मंच के रूप में इस अकादमी की भूमिका और भी समेकित बनेगी।

मानव संसाधन

सारणी 30: वर्ष के अंत में आईएफएससीए में स्वीकृत और वास्तव में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

पद स्थिति	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या
कार्यपालक निदेशक	6	4
मुख्य महाप्रबंधक	12	5
महाप्रबंधक	16	11
उप महाप्रबंधक	20	12
सहायक महाप्रबंधक	27	12
प्रबंधक	35	26
सहायक प्रबंधक	62	54
कार्यपालक के सहायक/ कार्यपालक के वरिष्ठ सहायक/ कार्यपालक पर्यवेक्षण	27	0
बहुकार्यसाधक स्टाफ ग्रेड ए/ ग्रेड बी/ग्रेड सी	13	3
कुल	**218**	**127**

सारणी 31 : 31 मार्च 2026 की यथास्थिति अनुसार आईएफएससीए में परामर्शदाता

पद स्थिति	संख्या	टिप्पणी
वरिष्ठ परामर्शदाता	3	पूर्णकालिक आधार पर
परामर्शदाता ग्रेड 1 / ग्रेड 2	11	पूर्णकालिक आधार पर
युवा व्यवसायी	18	पूर्णकालिक आधार पर
सलाहकार	0	पार्टटाइम आधार पर

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

सारणी 32: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरटीआई आवेदनों की स्थिति

प्राप्त अनुरोध	आरंभिक कार्रवाई की जानी है	उत्तरित आरटीआई अनुरोधों की कुल संख्या				लंबित अनुरोध*
		सूचना प्रदान की गई	निरस्त	अन्य लोक प्राधिकरण को अंतरित	आवेदक को लौटाए गए	
147	11	143	2	1	0	3

* आंकड़ों में वे आरटीआई अनुरोध भी शामिल हैं जो विगत वित्तीय वर्ष से इस वर्ष में लाए गए।

पक्ष समर्थन और आउटरीच



चित्र 15: शीर्ष बाएं : श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए – साथ में हैं श्री हसमुख अधिया, अध्यक्ष, गिफ्ट कम्पनी लि. और श्री संजय कौल, एमडी और सीईओ, गिफ्ट कम्पनी लि. 6ठे आईएफएससीए स्थापना दिवस पर दीप प्रज्वलन करते हुए
शीर्ष दाएं : आईएफएससीए के पदाधिकारी – स्वच्छता अभियान में, पीडीईयू ब्रिज, गांधीनगर
नीचे बाएं : आईएफएससीए पदाधिकारी – अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योगमुद्रा में, गिफ्ट सिटी क्लब
नीचे दाहिने : आईएफएससीए मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025

जून 21, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

इस प्राधिकरण ने औपाचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 अप्रैल 2025 को गिफ्ट सिटी क्लब में किया जिसका प्रतिपाद्य था "एक धरती, एक स्वास्थ हेतु योग " गिफ्ट सिटी कम्पनी लिमिटेड के सहयोग से आयोजित इस समारोह में लाकुलिश योग विश्वविद्यालय, अहमादाबाद के विशेषज्ञों से व्यावहारिक प्रदर्शन और तकनीकी सत्रों का समावेश था, जिसने पारंपरिक स्वास्थ्य अनुशासन को आईएफएससी के समकालीन कार्पोरेट और शहरी परदृश्य में प्रविष्ट कर दिया। इस सत्र में आईएफएससीए पदाधिकारियों, गिफ्ट सिटी कम्पनी लि. के कार्यपालकों, कार्पोरेट व्यवसायियों और प्रमुख स्टेकधारकों की व्यापक सहभागिता रही। इस समवाय से वित्तीय केन्द्र में स्वास्थ्य के प्रति चैतन्यता और मानसिक सहनशीलता के प्रति विशिष्ट प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है।

आईएफएससीए द्वारा 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन

अगस्त 15, 2025

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी

इस प्राधिकरण ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह पारंपरिक रीति से गिफ्ट सिटी, गांधीनगर के अपने मुख्यालय में आयोजित किया। यह अवसर इस प्राधिकरण का राष्ट्रीय प्रगति के प्रति समर्पण और भारत की आर्थिक संप्रभुता में इस प्राधिकरण की रणनीतिगत भूमिका को प्रकट करता है। समारोह का समारंभ राष्ट्रीय तिरंगे के आरोहण के साथ हुआ, जो इस गणतंत्र की शक्ति और एकनिष्ठता का सजीव चित्रण है। इस राष्ट्र के स्वतंत्रा के बाद से अब तक प्राप्त किए गए महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक सोपानों का वर्णन किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि सन 2047 तक विकसित भारत के विजन को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सामूहिक प्रयास अपेक्षित है। इस समारोह ने 'राष्ट्र प्रथम' की संस्थागत भावना को प्रबल करने का कार्य किया, जो इस प्राधिकरण के विकासपरक प्रयासों को भारत के दीर्घकालीन वैश्विक वित्तीय लीडरशिप की आकांक्षा के अनुरूप होगा।

स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025

सितम्बर 26, 2025

पीडीईयू ब्रिज, गांधीनगर

"स्वच्छता ही सेवा" के राष्ट्रीय अभियान के अनुरूप ही इस प्राधिकरण ने भी पीडीईयू ब्रिज, गांधीनगर पर समेकित सफाई अभियान चलाया और स्वच्छता दिवस 2025 का आयोजन किया। यह प्रयास आईएफएससीए के पदाधिकारियों का यह प्रयास बताता है कि यह संस्थान 'स्वच्छ भारत' विजन के अभियान हेतु प्रतिबद्ध है और इससे पर्यावरण के रक्षक होने के साथ-साथ संस्थागत दायित्व का सिद्धांत भी एकीकृत होता है। सन 2025 का अभियान 'स्वच्छोत्सव' भी इसी प्रकार से पर्यावरणीय सातत्य का प्रमाण औपचारित शपथ ग्रहण में भी परिलक्षित होता है। संस्थागत संकल्प के विशिष्ट प्रदर्शन में वरिष्ठ लीडरशिप ने भी सभी अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को 'स्वच्छता शपथ' दिलाई। इस सामूहिक शपथ से स्वच्छ और संधारणीय कार्यस्थल का अनुरक्षण करने के लिए इस प्राधिकरण के समर्पण प्रकट होता है जो भारत को कचरा-मुक्त बनाने के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान करेगा।

6ठा आईएफएससीए स्थापना दिवस समारोह

अक्तूबर 13, 2025

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

इस प्राधिकरण ने अपना 6ठा स्थापना दिवस एक

विशिष्ट समारोह के रूप में मनाया जिसमें विगत उपलब्धियों की छवि के साथ भविष्य की रणनीतिपरक कल्पना एक संतुलित रूप में प्रकट हो रही थी। श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह ने एक अवसर प्रदान किया जिसमें इस संगठन के सामूहिक प्रयासों और भारत को एक अतिप्रवीण वैश्विक वित्तीय गेटवे के रूप स्थापित करने की वचनबद्धता के प्रति आदरभाव दर्शाने के लिए एक मंच दिया। इस अवसर पर आईएफएससीए के नए प्रतीक का शुभारंभ एक विशिष्ट तथ्य रहा। नए सिरे से तैयार की गई यह दर्शनीय पहचान आईएफएससीए के आधुनिक, गतिमान, और वैश्विक वित्तीय नियमन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को प्रकट करती है।

सिविल सर्विस क्षमता निर्माण के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुरूप ही इस अवसर पर इस प्राधिकरण में मिशन कर्मयोगी का औपचारिक शुभारंभ हुआ, जो डॉ. हसमुख अधिया, आइएएस (सेवानिवृत्त) द्वारा विशेष प्रस्तुति 'कर्मयोग के छह सिद्धांत' में भी शामिल है।

इसके अलावा इस अवसर पर उस मानवीय पूंजी को भी स्मरण किया गया जो अपने उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के औपचारिक स्नेहन से इस प्राधिकरण के मिशन का संचालन करती है, इसके बाद आईएफएससीए के कर्मचारियों ने एक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जो इस संगठन में विविधता और सृजनशील प्रतिभा का परिचायक बन गई।

संस्मरण "वन्दे मातरम् " के 150 वर्ष

नवम्बर 12, 2025

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी

भारत के राष्ट्र गीत 'वन्दे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ (1875 - 2025) मनाने के लिए के अवसर पर इस प्राधिकरण ने अपने मुख्यालय में एक स्मरणीय समारोह का आयोजन किया। इस रचना के साथ संपृक्त बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय की धरोहर के मानार्थ आयोजित इस समारोह में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान इसकी महती उत्प्रेरक भूमिका का समादर किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गान इस प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया गया, जो इस राष्ट्र के सांस्कृतिक और क्रान्तिमय दायभाग के प्रति साझा प्रतिबद्धता को बल प्रदान करता है। यह संस्थागत प्रशस्ति देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीय गौरव को प्रबल करती है जो इस प्राधिकरण की संगठनात्मक संस्कृति को देश के ऐतिहासिक और संवैधानिक प्रतिमानों के साथ समरूपित करती है।

आईएफएससीए में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह

जनवरी 26, 2026

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी

प्राधिकरण ने गिफ्ट सिटी में अपने मुख्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जो भारत की आर्थिक व्यवस्था में इसक रणनीतिपरक अधदिश और राष्ट्र के संवैधानिक प्रतिमानों हेतु इसकी वचनबद्धता की पुष्टि है। समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के साथ हुई जो इस गणतंत्र की संप्रभुता और जनतांत्रिक उत्प्लावकता का प्रतीक है। अपने संभाषण में आईएफएससीए के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय नायकों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए, जिनके बलिदान ने भारत की स्वतंत्रता की आधारशिला रखी। उन्होंने आधुनिक राज्य के लोकतांत्रिक और विधिक स्तम्भों की स्थापना करने में भारत के संविधान के शिल्पियों के दूरदर्शी योगदान का उल्लेख किया। इस समारोह में प्राधिकरण के संस्थागत उद्देश्यों का संगुंफन वैश्विक वित्तीय लीडरशिप और समावेशी संवृद्धि प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ किया गया जैसा कि संवैधानिक रोडमैप में परिकल्पित है।

गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (जीएनएलयू), गांधीनगर से विद्यार्थियों का आगमन

जनवरी 27, 2026

आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी

आईएफएससीए अकादमी ने जीएनएलयू से आए विद्यार्थियों की मेजबानी अपने आउटरीच और शैक्षिक परिनियोजन प्रयासों के एक भाग के रूप में की। यह दौरा दो बैच में हुआ प्रत्येक बैच में 40 विद्यार्थी थे, जिसमें आईएफएससी के नियामक शिल्प और परितंत्र की रूपरेखा बताई गई।

आईएफएससीए चिन्तन शिविर 2026

जनवरी 29-30, 2026

वासदा, राजस्थान

आईएफएससीए ने अपने पदाधिकारियों के लिए जनवरी 2026 में वासदा, राजस्थान में हुए वार्षिक चिन्तन शिविर 2026 के दौरान दो-दिवसीय टीम निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया जिनका प्रयोजन था इस प्राधिकरण के कर्मचारियों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना, आपसी प्रभावशीलता, और टीम संयोजन को बढ़ाना। इसमें संगठन में सुविधादत्त क्रियाकलापों, समूह अभ्यासों, और भरोसा कायम करने के लिए डिजाइन किए गए विचार-विमर्श, समन्वयन को बढ़ाने, और सांस्कृतिक सहयोग और आपसी समर्थन की एक पूरी शृंखला को शामिल किया गया।

सतर्कता प्रशासन

आईएफएससीए का सतर्कता कक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के समग्र प्रभार में है। इस कक्ष का मुख्य कार्य है बचावकारी सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी उपाय करना और आईएफएससीए के कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता दृष्टिकोण वाली शिकायतों / आरोपों का अन्वेषण करना (जैसा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा परिभाषित है)।

सतर्कता जागरुकता सप्ताह 2025 का आयोजन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के एक भाग के रूप में 21 अक्तूबार 2025 से 2 नवम्बर 2025 के दौरान आईएफएससीए के अधिकारियों ने सतर्कता शपथ ली और सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता के प्रति अपनी वचनबद्धता की संपुष्टि की। इसके अलावा 'बचावकारी सतर्कता' विषय पर एक सत्र का आयोजन 27 नवम्बर 2025 को किया गया, जिसमें श्री पी. के. नागपाल, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक और सीवीओ, सेबी ने आईएफएससीए के नव नियुक्त सहायक प्रबंधकों को सम्बोधित किया।

पोश समिति

लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम (पोश) हेतु आंतरिक समिति ने कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुपालन का कार्य जारी रखा और समिति ने अपने बाहरी सदस्यों सहित सभी सदस्यों की सहभागिता के साथ अपनी तिमाही बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों का फोकस कार्यस्थल पर आचरण को संवेदनशील बनाते हुए, अधिकारों, दायित्वों, और कार्य का सम्मानजनक तथा प्रोफेशनल परिवेश बनाने के महत्त्व पर रहा। साल के दौरान किए गए प्रबोधन और जागरूकता प्रयासों के रूप में आए हुए सभी नए कर्मचारियों को पोशी नीति और इस अधिनियम के तहत उपलब्ध निवारण तंत्र से अवगत कराया गया।

"कार्यस्थल पर मान-मर्यादा और सुरक्षा – पोश अधिनियम को समझना" विषय पर एक सत्र का

आयोजन आईएफएससीए मुख्यालमय में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के एक भाग के रूप में किया गया। इस सत्र में कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और गहन विचार-विमर्श किए गए।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इस समिति ने लैंगिक उत्पीड़न के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता की नीति को और आपसी आदर, व्वसायकुशलता, और पूरे आईएफएससीए में संयोजनशीलता के लिए प्रतिबद्धता को रखा।

खंड – ञ

लेखा परीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (लेखा के वार्षिक विवरण का फॉर्म) नियमावली, 2022 के पैरा 4(2) के अनुसरण में आईएफएससीए की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं –

1. श्री मनोज कुमार, सदस्य, आईएफएससीए (अध्यक्ष);
2. सुश्री अपर्णा सिन्हा, सदस्य, आईएफएससीए (सदस्य); और
3. श्री के. महीपाल रेड्डी, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए (सदस्य)

इस लेखापरीक्षा समिति ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण का 19 दिसम्बर 2025 को अनुमोदन किया, और इसी को संसद के दोनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

डाटा परिशिष्ट

डाटा परिशिष्ट

परिशिष्ट सारणी 1: आईएफएससीए द्वारा जारी किए गए लाइसेन्स / पंजीकरण / प्राधिकृतिकरण

खंड	श्रेणी	मार्च 2026 की यथास्थिति
बैंकिंग	आईएफएससी बैंकिंग यूनिट	37
	वैश्विक प्रशासनिक कार्यालय	2
भुगतान सेवाएं	भुगतान सेवा प्रदाता	4
	भुगतान प्रणाली परिचालक	1
वित्त कम्पनी	वायुयान लीजिंग (एएल) प्रतिष्ठान	35
	जलपोत लीजिंग (एएल) प्रतिष्ठान	36
	वैश्विक / क्षेत्रीय कार्पोरेट ट्रेजरी केन्द्र (जीआरसीटीसी)	9
	वित्त कम्पनी – कोर (जीआरसीटीसी के अलावा)	8
	इन्टरनेशनल ट्रेड फाइनान्सिंग सर्विसेज (आइटीएफएस) प्लेटफार्म	4
	वित्त कम्पनी – गैर-कोर (एएल, एसएल, आइटीएफएस के अलावा)	1
पूंजी बाजार	बाजार अवसंरचना संस्थान (एमआइआइ)	5
	ब्रोकर डीलर	92
	क्लयरिंग सदस्य	24
	डिपॉजिटरी सहभागी	10
	पंजीकृत वितरक	23
	निवेश सलाहकार	6
	अभिरक्षक	7
	डिबेन्चर ट्रस्टी	4
	क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी (सीआरए)	2
	निवेश बैंकर	7
	वैश्विक अभिगम प्रदाता (जीएपी)	9
	अनुसंधान प्रतिष्ठान	1
	केवाइसी पंजीकरण एजेन्सी (केआरए)	1
	ईएसजी रेटिंग और डाटा उत्पाद प्रदाता (ईआरडीपीपी)	1
फन्ड प्रबन्धन	फन्ड प्रबन्धन प्रतिष्ठान (एफएमई)	217
	एआइएफ / स्कीमें	360
बीमा	बीमा / पुनर्बीमा प्रतिष्ठान (आइआइओ)	36

(अगले पृष्ठ पर जारी)

खंड	श्रेणी	मार्च 2026 की यथास्थिति
	बीमा मध्यस्थ (आइआइआइओ)	34
वित्तीय समर्थन सेवाएं	बीएटीएफ सेवा प्रदाता	10
	टेकफिन और सहायक सेवा (टीएएस) प्रदाता	120
	वैश्विक इन-हाउस सेन्टर (जीआइसी)	4
धातुएं और पण्य	बाजार अवसंरचना संस्थान (एमआइआइ)	2
	बुलियन मध्यस्थ	23
	वाल्ट प्रबन्धक	3
फिनटेक	सेन्डबॉक्स प्रतिष्ठान (सीमित प्रयोग प्राधिकृत)*	6
विदेशी विश्वविद्यालय	अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पस (आइबीसी)	3
अंतिम लाइसेन्स /पंजीकरण/प्राधिकृतियां		**1147**
सभी क्षेत्रों में सैद्धांतिक /अस्थायी अनुमोदन (31 मार्च 2026 की यथास्थिति)		66
कुल लाइसेन्स / पजीकरण / प्राधिकृतियां		**1213**

बैंकिंग

परिशिष्ट सारणी 2: आईबीयू की आस्तियां

समाप्त वर्ष	मार्च 2025	मार्च 2026
विवरण	**मिलियन यूएसडी**	
निवेश	**5390.11**	**6845.25**
संप्रभु प्रतिभूतियां	2823.16	2812.20
कार्पोरेट बॉन्ड	1981.11	3234.57
इक्विटी शेयर / अधिमानता शेयर	24.64	7.28
अन्य निवेश	561.20	791.20
ट्रेड वित्त	**13203.20**	**13507.90**

(अगले पृष्ठ पर जारी)

* 46 प्रतिष्ठान फिनटेक सैन्डबॉक्स से निकल गए हैं

समाप्त वर्ष	मार्च 2025	मार्च 2026
विवरण	**मिलियन यूएसडी**	
वाणिज्यिक ऋण	**45543.29**	**61822.99**
बाह्य वाणिज्यिक उधारियां (ईसीबी)	27497.41	41180.98
वाणिज्यिक ऋण – ईसीबी के अलावा	18045.88	20642.01
रिटेल ऋण	**97.81**	**74.17**
अन्य ऋण	**752.73**	**731.03**
अंतर बैंक / इन्टरशाखा प्लेसमेन्ट	**19290.62**	**22235.67**
अन्य	**4232.63**	**5784.38**
कुल	**88510.39**	**111001.39**

परिशिष्ट सारणी 3 : आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों की देयताएं

समापन वर्ष	मार्च 2025	मार्च 2026
विवरण	**मिलियन यूएसडी**	
ग्राहकों की जमाराशियां	7307.10	8986.76
अंतर बैंक / इन्टरशाखा उधारियां	62866.71	80472.18
द्विपक्षीय उधारियां	7889.78	10444.98
बहुपक्षीय उधारियां	500.58	747.80
एमटीएन उधारियां और अन्य ऋण संलेख	2880.12	1759.85
अन्य	7066.10	8589.82
कुल	**88510.39**	**111001.39**

परिशिष्ट सारणी 4: आइबीयू में ग्राहकों की जमाराशियां

समापन वर्ष	मार्च 2025		मार्च 2026	
जमाराशियां (मिलि. यूएसडी)	**मांग**	**टाइम**	**मांग**	**टाइम**
रिटेल जमाराशियां	939.10	341.32	1182.94	539.34
कार्पोरेट जमाराशियां	746.30	5280.38	1249.78	6014.71
कुल	**1685.40**	**5621.70**	**2432.72**	**6554.05**

परिशिष्ट सारणी 5 : आइबीयू में निवासी और अनिवासी (एनआर) कार्पोरेट जमाराशियां

समापन वर्ष	मार्च 2025		मार्च 2026	
विवरण (मिलि. यूएसडी)	**खाते**	**धनराशि**	**खाते**	**धनराशि**
निवासी भारतीयों द्वारा धारित खाते	2474	1635.77	2740	1517.85
एनआरआई द्वारा धारित खाते	562	1588.36	798	1045.35
अनिवासी द्वारा धारित खाते (अन्य देश)	2113	2802.55	3529	4701.29

परिशिष्ट सारणी 6: आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों में निवासी और अनिवासी (एनआर) रिटेल जमाराशियां

समापन वर्ष	मार्च 2025		मार्च 2026	
विवरण (मिलि. यूएसडी)	**खाते**	**धनराशि**	**खाते**	**धनराशि**
निवासी भारतीयों द्वारा धारित खाते	116	6.66	875	25.42
एनआरआई द्वारा धारित खाते	7523	1150.18	20280	1649.38
अनिवासी द्वारा धारित खाते (अन्य देश)	989	123.58	294	47.48

परिशिष्ट सारणी 7: आइबीयू में अदत्त ओडीआई

को समाप्त वर्ष की स्थिति	मार्च 2025	मार्च 2026
कुल ओडीआई धनराशि (मिलि. यूएसडी)	1184.68	853.46

परिशिष्ट सारणी 8 : आइबीयू का उद्योग अनुसार क्रेडिट एक्सपोजर

	समापन वर्ष	मार्च 2025	मार्च 2026
क्षेत्र	**उद्योग**	**बकाया धनराशि (मिलि. यूएसडी)**	
विनिर्माण	ऑटो कम्पोनेन्ट	165.59	321.28
	ऑटोमोबाइल	462.60	484.91
	पूंजीगत माल	400.63	467.30
	सीमेन्ट और सीमेन्ट उत्पाद	1178.55	1093.65

(अगले पृष्ठ पर जारी)

समापन वर्ष		मार्च 2025	मार्च 2026
क्षेत्र	**उद्योग**	**बकाया धनराशि (मिलि. यूएसडी)**	
विनिर्माण	इलेक्ट्रानिक सिस्टम	793.22	2293.45
	खाद्य प्रसंस्करण	791.60	1591.02
	ग्लास और ग्लासवेयर	25.23	47.43
	लोहा और इस्पात	1020.98	2052.73
	लैमिनेट / प्लाईवुड/ बोर्ड	14.01	15.79
	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	1.61	3.91
	मेडिकल और मेडिकल उपकरण	224.37	164.44
	धातुएं	2037.58	1914.06
	पेपर और पैकेजिंग	57.23	104.43
	पेट्रोरसायन	5365.29	4490.34
	प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पाद	188.92	135.49
	वस्त्र और परिधान	290.34	182.07
	वाहन, वाहन के पुर्जे, और परिवहन उपस्कर	297.07	530.59
सेवाएं	बैंकिंग और वित्त	16129.13	16052.14
	क्लीयरिंग कार्पोरेशन	241.62	1.44
	शिक्षा	159.07	53.79
	वित्तीय सेवाएं	3952.94	1899.63
	हैल्थकेयर	84.95	512.63
	आइटी और सॉफ्टवेयर उद्योग	427.23	674.90
	लॉजिस्टिक	109.64	296.82
	एनबीएफसी	12596.69	20201.60
	व्यावसायिक सेवाएं	84.81	73.92
	रिटेल और ई-कॉमर्स	404.76	404.22
	दूरसंचार	1950.83	2450.22
	पर्यटन और हास्पिटैलिटी	257.59	302.20
	ट्रेड / वितरक	468.42	637.71

(अगले पृष्ठ पर जारी)

समापन वर्ष		मार्च 2025	मार्च 2026
क्षेत्र	**उद्योग**	**बकाया धनराशि (मिलि. यूएसडी)**	
अवसंरचना	भवन निर्माण	76.81	1275.37
	खनन	464.00	890.60
	तेल और गैस	2498.29	2908.01
	पत्तन और शिपिंग	932.91	956.42
	पॉवर क्षेत्र	2235.37	3675.62
	नवीकरणीय ऊर्जा	642.35	2257.04
	रोड और हाइवे	16.76	58.74
कृषि और वानिकी		425.87	446.93
विमानन		318.31	899.12
रसायन		1642.86	1793.53
आभूषण		414.78	508.35
रंग-रोगन		0.00	107.29
फार्मास्युटिकल		703.35	1539.36
अन्य क्षेत्र		3850.67	6066.85
कुल		**64404.85**	**82837.34**

परिशिष्ट सारणी 9 : आइबीयू का देश अनुसार एक्सपोजर

मार्च 2025		मार्च 2026	
देश का नाम	**कुल एक्सपोजर की %शतता**	**देश का नाम**	**कुल एक्सपोजर की %शतता**
भारत	74.47	भारत	75.95
यूएसए	5.94	यूएसए	6.14
यूएई	4.22	यूके	2.80
यूके	3.36	सिंगापुर	2.58
मॉरीशस	2.94	यूएई	2.34
सिंगापुर	2.56	मॉरीशस	2.32
नीदरलैन्ड	1.70	नीदरलैन्ड	2.28
बहरीन	0.69	हांग कांग	0.87
हांग कांग	0.48	आयरलैन्ड	0.58
सउदी अरब	0.37	जापान	0.45
अन्य	3.27	अन्य	3.69

परिशिष्ट सारणी 10 : आइबीयू में अदत्त डेरिवेटिव

अदत्त डेरिवेटिव (मिलियन यूएसडी में)	मार्च 2025	मार्च 2026
अप्रदेय डेरिवेटिव संविदाएं (एफसीवाइ-आइएनआर) (एनडीएफ, एफएक्स-स्वैप और आप्शन सहित)	35919.50	43982.66
एफसीवाइ-आइएनआर वायदा	7238.24	8078.27
एफसीवाइ-आइएनआर करेन्सी स्वैप	2639.61	4249.54
एफसीवाइ-आइएनआर करेन्सी आप्शन	12187.70	15675.39
आइएनआर ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) (ओवरनाइट इन्डेक्सकृत स्वैप (ओआइएस)सहित)	74227.39	41770.51
एफसीवाइ ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) (ओवरनाइट इन्डेक्सकृत स्वैप (ओआइएस) सहित)	102692.86	78232.40
अन्य	1354.74	1246.65
कुल	**236260.04**	**193235.42**

परिशिष्ट सारणी 11 : आइबीयू द्वारा बुक किए गए व्यापार वित्त सौदे

वित्तीय वर्ष हेतु संचयी	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
बुक किए गए व्यापार वित्त सौदे (बिलियन यूएसडी)	20.09	29.55	35.09	46.62	50.67

भुगतान सेवाएं

परिशिष्ट सारणी 12 : आईएफएससी में प्राधिकृति प्राप्त भुगतान प्रतिष्ठानों की संख्या

विवरण	मार्च 2025	मार्च 2026
भुगतान सेवा प्रदाता	2	4
भुगतान सेवा संचालक	0	1

परिशिष्ट सारणी 13 : आईएफएससी में भुगतान खातों की संख्या

खाते का प्रकार	वित्तीय वर्ष	
	मार्च 2025	मार्च 2026
स्टोरिंग ई-मनी	0	2011
ई-मनी स्टोरिंग नहीं करने वाले	2	319
कुल भुगतान खाते	**2**	**2330**

परिशिष्ट सारणी 14: आईएफएससी में भुगतान खातों में संव्यवहारों की संख्या

वित्तीय वर्ष	यूएसडी	एईडी	जीबीपी	ईयूआर	कुल
2024-25	3	0	0	0	**3**
2025-26	19485	953	2	4	**20444**

परिशिष्ट सारणी 15 : आईएफएससी भुगतान खातों में लेनदेन का मूल्य (मिलियन $ में)

करेन्सी	धनराशि (मिलियन यूएसडी में)	
	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
यूएसडी	0.0015	44.40
एईडी	0.0000	2.74
कुल	**0.0015**	**47.14**

परिशिष्ट सारणी 16 : आईएफएससी में सीमा-पारीय और इन्ट्रा आईएफएससी धन अंतरण संव्यवहारों की संख्या

वित्तीय वर्ष	लेनदेन का प्रकार				कुल
	निर्गामी सीमा-पारीय	आगामी सीमा-पारीय	अन्य सीमा-पारीय	इन्ट्रा आईएफएससी	
2024-25	3	0	0	0	**3**
2025-26	790	16668	968	1936	**20362**

परिशिष्ट सारणी 17: आईएफएससी में सीमा-पारीय और इन्ट्रा आईएफएससी धन अंतरण संव्यवहारों का मूल्य

संव्यवहार की मुद्रा	धनराशि (मिलियन यूएसडी में)	
	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
यूएसडी	0.0015	44.03
एईडी	0	2.74
कुल	**0.0015**	**46.77**

परिशिष्ट सारणी 18 : आईएफएससी में माहवार एफसीएसएस संव्यवहार

माह	संव्यवहारों की संख्या	धनराशि (यूएसडी में)
अक्तूबर 2025	10	100008.00
नवम्बर 2025	8	290693.00
दिसम्बर 2025	18	231271.00
जनवरी 2026	10	35187.00
फरवरी 2026	14	4049236.40
मार्च 2026	19	2514887.90
कुल	**79**	**7221283.30**

वित्त कम्पनियां

परिशिष्ट सारणी 19: आईएफएससी में वर्ष के अंत में पंजीकृत वित्त कम्पनियां

वित्त कम्पनी द्वारा किए जाने वाले कार्य	Mar 2025	Mar 2026
वायुयान लीजिंग (एएल) प्रतिष्ठान	30	35
जलपोत लीजिंग (एएल) प्रतिष्ठान	16	36
वैश्विक / क्षेत्रीय कार्पोरेट ट्रेजरी केन्द्र (जीआरसीटीसी)	03	09
वित्त कम्पनी – कोर (जीआरसीटीसी के अलावा)	07	08
इन्टरनेशनल ट्रेड फाइनान्सिंग सर्विसेज (आइटीएफएस) प्लेटफार्म	04	04
वित्त कम्पनी – गैर-कोर (एएल, एसएल, आइटीएफएस के अलावा)	01	01
कुल	**61**	**93**

परिशिष्ट सारणी 20 : आईएफएससी में वर्ष के अंत में वायुयान लीजिंग प्रतिष्ठानों द्वारा लीजकृत आस्तियां

विमानन आस्ति का प्रकार	मार्च 2025	मार्च 2026
वायुयान	90	203
इन्जन	67	84
वायुयान की सहायक पॉवन यूनिट (एपीयू)	85	85
विमानन प्रशिक्षण सिमुलेशन यंत्र (एटीडी)	00	01
कुल	**242**	**373**

परिशिष्ट सारणी 21 : आईएफएससी में वर्ष के अंत में जलपोत लीजिंग प्रतिष्ठानों द्वारा लीजकृत आस्तियां

आस्ति का प्रकार	मार्च 2025	मार्च 2026
जलपोत	18	37

परिशिष्ट सारणी 22: आईएफएससी में वर्ष के अंत में जीआरसीटीसी के कारोबारी ब्यौरे

विवरण	मार्च 2025	मार्च 2026
ऋण और अग्रिम (बिलियन यूएसडी)	2.33	5.60
कुल निवेश (बिलियन यूएसडी)	0.14	0.23

परिशिष्ट सारणी 23: आईएफएससी में वर्ष के अंत में कोर वित्त कम्पनियों के कारोबारी ब्यौरे

विवरण	मार्च 2025	मार्च 2026
ऋण और अग्रिम (मिलियन यूएसडी)	7.73	64.77
कुल निवेश (मिलियन यूएसडी)	6.65	58.90

परिशिष्ट सारणी 24: आईएफएससी में वर्ष के अंत में आइटीएफएस प्लेटफॉमों पर सुविधाकृत संव्यवहार

विवरण	मार्च 2025	मार्च 2026
संव्यवहारों की संख्या	779	2487
संव्यवहारों का मूल्य (मिलियन यूएसडी)	44.35	105.75

परिशिष्ट सारणी 25: आईएफएससी की लीजिंग प्रतिष्ठानों द्वारा आईबीए से प्राप्त कुल वित्तीयन(मिलियन यूएसडी)

विवरण	मार्च 2025	मार्च 2026
वायुयान लीजिंग प्रतिष्ठान	128.61	614.85
जलपोत लीजिंग प्रतिष्ठान	71.10	60.10

पूंजी बाजार

परिशिष्ट सारणी 26: आईएफएससी स्टॉक एक्सचेन्ज टर्नओवर

माह	मार्च 2025		मार्च 2026	
विवरण	संविदाओं की संख्या	सौदाकृत मूल्य (मिलियन यूएसडी में)	संविदाओं की संख्या	सौदाकृत मूल्य (मिलियन यूएसडी में)
इन्डेक्स वायदा	2046316	95247.68	2767344	130024.41
इन्डेक्स ऑप्शन	83883	55.18	53892	82.05
यूएस स्टॉक पर डिपॉजिटरी रसीदें	121573	0.57	62634	0.46
कुल	**2251772**	**95303.43**	**2883870**	**130106.92**

परिशिष्ट सारणी 27: आईएफएससी स्टॉक एक्सचेन्जों पर सभी डेरिवेटिव संविदाओं का सकल ओआई

ओपन इन्टरेस्ट (माह के अंतिम ट्रेडिंग दिवस पर)	संविदाओं की संख्या	मूल्य (मिलियन यूएसडी)
मार्च 2025	256266	12004.55
मार्च 2026	311918	14016.35

परिशिष्ट सारणी 28: इंडिया आईएनएक्स ग्लोबल एक्सेस – खातों की संख्या

वर्ष के अंत	मार्च 2025	मार्च 2026
खातों की कुल संख्या	4468	6044

परिशिष्ट सारणी 29 : आईएफएससी में इंडिया आइएनएक्स ग्लोबल एक्सेस के माध्यम से सौदे

प्रतिष्ठान प्रकार	सौदाकृत मूल्य (वर्ष के अंत की स्थिति मिलि. यूएसडी	मार्च 2025	मार्च 2026
एलआरएस (निवासी)	इक्विटी, ईटीएफ, फन्ड, बॉन्ड, और अन्य उत्पाद	25.29	63.69
आईएफएससी प्रतिष्ठान	इक्विटी, ईटीएफ, फन्ड, और अन्य उत्पाद	597.91	1298.36
	डेरिवेटिव उत्पाद	34859.46	38372.10
अनिवासी आईएफएससी से बाहर	इक्विटी, ईटीएफ, फन्ड, और अन्य उत्पाद	58.33	71.76
	डेरिवेटिव उत्पाद	183.17	183.29
कुल		**35724.16**	**39989.20**

परिशिष्ट सारणी 30: आईएफएससी में डिपॉजिटरी में डीमैट खातों की संख्या

वर्ष के अंत में	मार्च 2025	मार्च 2026
खातों की कुल संख्या	65227	69270

परिशिष्ट सारणी 31: आईएफएससी में वर्ष के लिए क्लीयरिंग कार्पोरेशन के निपटान आंकड़े

वित्तीय वर्ष के दौरान	2024-25	2025-26
निपटान मूल्य (मिलियन यूएसडी में)	92.78	165.57

परिशिष्ट सारणी 32 : आईएफएससी एक्सचेन्जों में संचयी ऋण लिस्टिंग

वर्ष के अंत में	मार्च 2025	मार्च 2026
संचयी ऋण लिस्टिंग (बिलियन यूएसडी में)	65.10	70.31

फन्ड प्रबंधन

परिशिष्ट सारणी 33: आईएफएससी में पंजीकृत फन्ड प्रबंधन प्रतिष्ठान (एफएमई) की संख्या

एफएमई पंजीकरण (वर्ष के अंत में)	मार्च 2026
फन्ड प्रबंधन प्रतिष्ठानों (एफएमई) की कुल संख्या	217
पंजीकृत एफएमई की संख्या	*11*
पंजीकृतएफएमई की संख्या (गैर रिटेल)	*187*
प्राधिकृत एफएमई की संख्या (रिटेल)	*19*

परिशिष्ट सारणी 34 : फन्ड प्रबंधन स्कीमों द्वारा निवेश (गैर रिटेल)

विवरण (वर्ष के अंत में)	प्राधिकृत स्कीमें	किए गए निवेश (मिलि यूएसडी में)
वेन्चर पूंजी स्कीमें	18	93.48
जिनमें से , एन्जेल स्कीमें	*6*	*13.68*
परिसीमित स्कीमें	332	19571.86
जिनमें से श्रेणी I और II के एआइएफ	*115*	*10882.70*
जिनमें से, श्रेणी III के एआइएफ	*217*	*8689.16*
आईएफएससी में कुल गैर रिटेल स्कीमें	**350**	**19665.35**

परिशिष्ट सारणी 35: आईएफएससी में फन्ड प्रबंधन कार्यों का स्नैपशॉट (गैर-रिटेल)

स्कीमों के प्रकार	पंजीकृत स्कीमों की संख्या*	विवरण (वर्ष के अंत में) और धनराशि मिलियन यूएसडी में					
		मार्च 2025			मार्च 2026		
		भारत में किए गए निवेश (ए)	विदेशी अधिकार-क्षेत्रों में किए गए निवेश (बी)	कुल निवेश (ए+बी)**	भारत में किए गए निवेश (ए)	विदेशी अधिकार-क्षेत्रों में किए गए निवेश (बी)	कुल निवेश (ए+बी)*
वेन्चर पूंजी स्कीमें (एन्जेल स्कीमों सहित)	17	27.53	10.28	37.81	61.02	27.64	88.65
श्रेणी I और II के एआइएफ	109	3608.85	661.13	4269.99	9242.13	781.25	10023.38
श्रेणी III के एआइएफ	208	2084.85	170.41	2255.26	6057.68	781.03	6838.71
कुल	**334**	**5721.24**	**841.82**	**6563.06**	**15360.83**	**1589.91**	**16950.74**

* इस सारणी में गैर-रिटेल स्कीमों की संख्या में शामिल नहीं - रिपोर्ट नहीं किए गए फन्ड और जिन फन्डों के सरेन्डर अनुरोधों पर प्रोसेस किया जा रहा है।

**इसमें डेरिवेटिव संविदाओं, नकदी समतुल्यों, आदि के उन स्कीमों के एक्सपोजर शामिल नहीं हैं, जो फन्ड ऑफ फन्ड्स प्रकार की स्कीमों के मामले में मास्टर फन्ड द्वारा अनुरक्षित नकदी प्रकार की हैं, और किए गए व्यय को भी शामिल नहीं किया गया है।

परिशिष्ट सारणी 36: आईएफएससी फन्डों में निवेशकों की संख्या

विवरण (वर्ष के अंत में)	मार्च 2025	मार्च 2026
वेन्चर पूंजी स्कीमें (एन्जेल स्कीमों सहित)	469	772
श्रेणी I और II के एआइएफ	1025	1611
श्रेणी III के एआइएफ	1508	3773
रिटेल स्कीमें	0	3438
कुल	**3002**	**9594**

परिशिष्ट सारणी 37: आईएफएससी में फन्ड प्रबंधन क्रियाकलापों की प्रवत्तियां

विवरण (वर्ष के अंत में)	धनराशि मिलियन यूएसडी	
	मार्च 2025	मार्च 2026
संग्रहीत संचयी वचनबद्धताएं	15742.47	39087.05
संग्रहीत संचयी फन्ड	7957.20	19509.69

परिशिष्ट सारणी 38: पोर्टफोलियो प्रबन्धन सेवाएं (पीएमएस)

विवरण (वर्ष के अंत में)	मिलियन यूएसडी	
	मार्च 2025	मार्च 2026
विवेकगत और अविवेकगत पीएमएस	811.19	958.96
सलाहकार सेवाएं	372.43	432.48
कुल	**1183.62**	**1391.44**

परिशिष्ट सारणी 39: गिफ्ट आईएफएससी में रिटेल स्कीमों का सारांश

विवरण (वर्ष के अंत में)	मार्च 2025	मार्च 2026
रिटेल स्कीमों की संख्या	0	10
संग्रहीत संचयी फन्ड (मिलियन यूएसडी में)	0	45.61
भारत में निवेश (मिलियन यूएसडी में)		
विदेशी अधिकारक्षेत्र में निवेश (मिलियन यूएसडी में)	0	14.27
कुल निवेश (मिलियन यूएसडी में)	0	26.54
कुल निवेश (मिलियन यूएसडी में)	**0**	**40.81**

धातुएं और कमोडिटीज

परिशिष्ट सारणी 40 : बुलियन एक्सचेन्ज (आइआइबीएक्स) पर विनियमित प्रतिष्ठान / मध्यस्थ

विवरण (वर्ष के अंत में)	मार्च 2025	मार्च 2026
बुलियन ट्रेडिंग सदस्य	7	6
बुलियन ट्रेडिंग सह सेल्फ क्लीयरिंग सदस्य	3	3
बुलियन ट्रेडिंग सह सेल्फ क्लीयरिंग सदस्य	8	12
बुलियन प्रोफेशनल क्लीयरिंग सदस्य	2	2
वाल्ट प्रबंधक	3	3
कुल	**23**	**26**

परिशिष्ट सारणी 41: बुलियन एक्सचेन्ज (आइआइबीएक्स) पर सहभागिता

विवरण (वर्ष के अंत में)	मार्च 2025	मार्च 2026
अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स	167	214
ग्राहक	*118*	*161*
विशेष श्रेणी के ग्राहक	*49*	*53*
अर्हताप्राप्त आपूर्तिकर्ता	37	45
ग्राहक	*34*	*41*
विशेष श्रेणी के ग्राहक	*2*	*2*
क्यू एस आईएफएससी	*1*	*2*
भारत यूएई सीईपीए टीआरक्यू के वैध धारक	441	337
कुल	**645**	**596**

फिनटेक

परिशिष्ट सारणी 42: आईएफएससी में फिनटेक सैन्डबॉक्स परितंत्र

विवरण (वर्ष के अंत में संचयी आवृति)	मार्च 2025	मार्च 2026
सैन्डबॉक्स प्रतिष्ठानों की संख्या	27	6
नवोन्मीशी सैन्डबॉक्स में	*22*	*5*
नियामक सैन्डबॉक्स में	*5*	*1*
सैन्डबॉक्स से बाहर गए प्रतिष्ठानों की संख्या	23	46
कुल	**50**	**52**

बीमा

परिशिष्ट सारणी 43: आईएफएससी में वित्तीय वर्ष में बीमा प्रतिष्ठानों द्वारा हामीदारीकृत/सौदाकृत प्रीमियम

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
प्रतिष्ठान का प्रकार	हामीदारीकृत/सौदाकृत प्रीमियम (मिलियन यूएसडी में)	हामीदारीकृत/सौदाकृत प्रीमियम (मिलियन यूएसडी में)
आइआइओ	162.10	648.68
आइआइआइओ	411.36	481.37

परिशिष्ट सारणी 44: आईएफएससी में बीमा प्रतिष्ठानों (आइआइओ और आइआइआइओ) की संख्या

वर्ष के अंत में	मार्च 2025	मार्च 2026
आईएफएससी बीमा कार्यालय (आइआइओ)	18	36
जीवन बीमा कम्पनी	*7*	*8*
जनरल इन्श्योरेन्स कमपनी	*4*	*4*
स्वास्थ्य बीमा कम्पनी	*2*	*2*
पुनर्बीमा कम्पनी	*5*	*22*
आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय (आइआइआइओ)	27	34
बीमा ब्रोकर	*23*	*28*
कार्पोरेट एजेन्ट	*3*	*5*
सर्वेयर और हानि आकलनकर्ता	*1*	*1*
तृतीय पक्ष प्रशासक	*0*	*0*
कुल	**45**	**70**

परिशिष्ट सारणी 45: आईएफएससी में व्यवसाय के प्रकार के अनुसार प्रत्यक्ष बीमा कारोबार (जीवन और सामान्य)

व्यवसाय का प्रकार	कुल हामीदारीकृत प्रीमियम (मिलियन यूएसडी में	
	2024-25	2025-26 *(अलेखापरीक्षित)*
इंजीनियरिंग	0.00	0.213
आग	2.78	2.185
स्वास्थ्य + व्यक्तिगत दुर्घटना (पीए)	6.99	17.021
ट्रेड क्रेडिट	0.33	1.037
मैरीन कार्गो	0.02	0.037
मैरीन नौकाय	0.06	0.000
जीवन	3.98	19.434
विमानन	0.79	0.780
अन्य विविध	0.01	0.008
कुल	**14.96**	**40.716**

परिशिष्ट सारणी 46: आईएफएससी में व्यवसाय के प्रकार के अनुसार पुनर्बीमा कारोबार

व्यवसाय का प्रकार	कुल हामीदारीकृत प्रीमियन (मिलियन यूएसडी में	
	2024-25	2025-26 (अलेखापरीक्षित)
इंजीनियरिंग	9.430	14.457
आग	46.718	163.444
स्वास्थ्य + पीए	47.795	293.449
देयता	1.633	7.068
एम कार्गो	4.507	5.823
एम हल	3.759	4.061
मोटर	0.000	10.700
विमानन	0.000	1.603
मोटर	22.260	56.165
डब्ल्यूसी/ईएल	0.030	0.023
ट्रेड क्रेडिट	0.002	1.900
फसल	0.000	36.000
अन्य विविध	10.990	13.272
कुल	**147.13**	**607.96**

परिशिष्ट सारणी 47: आईएफएससी में दावों का डाटा (रिटेल / पुनर्बीमा)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	
	दावों की संख्या	दावा राशि (मिलियन यूएसडी में)
आरंभ में लम्बित दावे	2257	24.76
पंजीकृत नए दावे	288980	262.58
निपटाए गए दावे	235369	118.90
निरस्त किए गए दावे	5597	0.43
अंत में बकाया दावे	50271	173.94

टिप्पणी–बिना ऑडिट किए गए आंकडे। दावों की संख्या और दावाकृत रकम में रिटेल बीमा कारोबार और रीइन्श्योरेन्स रिकवरीज शामिल हैं।

संधारणीय वित्त

परिशिष्ट सारणी 48: आईएफएससी में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आईबीयू द्वारा सम्यक संधारणीय वित्त-पोषण

वर्गीकरण	वित्तीय वर्ष 2025-26 (मिलियन यूएसडी में)
हरित	2924.26
सामाजिक	2221.63
संधारणीय	448.95
संधारणीयता सहबद्ध	188.17
अन्य	467.53
कुल	**6250.55**

परिशिष्ट सारणी 49 : आइबीयू द्वारा संधारणीय वित्त-पोषण का क्षेत्र अनुसार वर्गीकरण

क्षेत्र (सांकेतिक सूची)	वित्तीय वर्ष 2025-26 की छ2 (अक्तू-मार्च)	
	राशि (मिलियन यूएसडी में)	संव्यवहारों की संख्या
नवीकरणीय ऊर्जा	1490.36	509
ऊर्जा दक्षता	372.49	36
प्रदूषण संरक्षण और नियंत्रण	21.80	61
संधारणीय जल और दूषित जल का प्रबंधन	1.30	19
स्वच्छ परिवहन	42.36	30
जलवायु परिवर्तन अंगीकरण	0.00	0
हरित भवन	4.29	1
वहनीय बेसिक अवसंरचना	0.00	0
वहनीय हाउसिंग	159.92	4
खाद्य सुरक्षा और संधारणीय खाद्य प्रणालियां	60.06	63
व्यवस्था के अनुसार सामाजिक परियोजना	530.75	5
संधारणीय परियोजना, व्यवस्था के अनुसार	13.84	13
हैल्थ केयर	46.22	114
सामाजिक शिक्षण	0.00	0
सामाजिक ऋण	70.00	1
एमएसएमई	195.24	1543
अन्य	514.10	1201
कुल	**3522.73**	**3600**

परिशिष्ट सारणी 50 : आईएफएससी एक्सचेन्जों में ईएसजी लेबलकृत संचयी ऋण लिस्टिंग

विवरण (वर्ष के अंत में)	मार्च 2025	मार्च 2026
ईएसजी लेबलकृत संचयी ऋण लिस्टिंग (बिलियन यूएसडी में)	15.43	16.81

परिशिष्ट सारणी 51 : आईएफएससी में संचयी श्रेणी अनुसार ईएसजी ऋण प्रतिभूतियां

विवरण (वर्ष के अंत में)	लिस्टिंग मूल्य (बिलियन यूएसडी)	% शेयर
हरित	9.51	56.57
सामाजिक	4.25	25.28
संधारणीय	2.35	13.98
संधारणीयता सहबद्ध	0.70	4.17
कुल	**16.81**	**100.00**

परिशिष्ट सारणी 52: आईएफएससी में ईएसजी निर्गमन वर्ष अनुसार

वर्ष	धनराशि (बिलियन यूएसडी में)				बॉन्डों की संख्या	कुल मूल्य (बिलि. यूएसडी)
	हरित	सामाजिक	संधारणीयता	संधारणीयता सहबद्ध		
2020-21	0.100	0.000	0.000	0.000	1	0.100
2021-22	2.187	1.747	0.600	0.700	11	5.234
2022-23	0.850	0.150	1.00	0.000	4	2.000
2023-24	1.979	0.750	0.300	0.000	9	3.029
2024-25	1.818	0.850	0.450	0.000	8	3.118
2025-26	0.618	0.757	0.000	0.000	12	1.375

परिशिष्ट सारणी 53: आईएफएससी में ईएसजी फन्डों का स्नैपशॉट

मार्च 2026 की स्थिति अनुसार ईएसजी स्कीमों का स्नैपशॉट			
ईएसजी स्कीमों की संख्या	संचयी डाटा (मिलियन यूएसडी में)		
	जुटाई गई वचनबद्धताएं	जुटाए गए फन्ड	किया गया निवेश
3	85.75	30.60	27.22

वित्तीय समर्थन सेवाएं

परिशिष्ट सारणी 54 : आईएफएससी में वित्तीय समर्थन सेवा (एफएसएस) प्रतिष्ठान

विवरण (वर्ष के अंत में)	मार्च 2025	मार्च 2026
बीएटीएफ सेवा प्रदाता	3	10
टेकफिन और सहायक सेवा प्रदाता	104	120
वैश्विक इन-हाउस केन्द्र (जीआइसी)	3	4
कुल	**110**	**134**

सारणियों की सूची

सारणी संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
सारणी 1	आईएफएससी में बैंकिंग परितंत्र पर प्रमुख अपडेट	17
सारणी 2	गिफ्ट आईएफएससी में आइबीयू की देयताएं	18
सारणी 3	आईएफएससी में भुगतान परितंत्र के बारे में प्रमुख अपडेट	26
सारणी 4	आईएफएससी में पंजीकृत वित्तीय कम्पनियां	34
सारणी 5	जीआरसीटीसी / कोर एफसी के व्यवसाय का ब्यौरा	36
सारणी 6	मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार आईएफएससी में क्लीयरिंग सदस्य	42
सारणी 7	मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार आईएफएससी में ब्रोकर डीलर	43
सारणी 8	आईएफएससी में पूंजी बाजार परितंत्र पर प्रमुख अपडेट	49
सारणी 9	इन्डेक्स वायदा में संविदाओं की संख्या और टर्नओवर	50
सारणी 10	इन्डेक्स आप्शन में संविदाओं की संख्या और प्रीमियम टर्नओवर	51
सारणी 11	आईएफएससी में फन्ड प्रबन्धन परितंत्र	66
सारणी 12	आइआइबीएक्स पर गोल्ड (स्पॉट) उत्पाद	70
सारणी 13	आइआइबीएक्स पर सिल्वर (स्पॉट) उत्पाद	71
सारणी 14	मार्च 31, 2026 की यथास्थिति अनुसार बुलियन बाजार मध्यस्थ	72
सारणी 15	आईएफएससी में बुलियन परितंत्र का स्नैपशॉट	76
सारणी 16	आइआइबीएक्स पर उत्पाद-अनुसार सारांश	77
सारणी 17	आइआइबीएक्स का वायदा खंड (गोल्ड)	77
सारणी 18	आइआइबीएक्स का वायदा खंड (चांदी)	77
सारणी 19	आईएफएससी में (पुनः)बीमा परितंत्र संबंधी प्रमुख अपडेट	87
सारणी 20	गिफ्ट आईएफएससी में दिए जा रहे प्रमुख बीमा उत्पाद	87
सारणी 21	आईएफएससी एक्सचेन्जों पर ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग	95
सारणी 22	आईएफएससी में वित्तीय समर्थन सेवा परितंत्र पर प्रमुख अपडेट	102
सारणी 23	वित्तीय वर्ष 2025-26 में हुई यूएसी बैठकों का विवरण	134
सारणी 24	मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार इस प्रभाग द्वारा प्रवर्तन कार्रवाइयां	136
सारणी 25	आईएफएससी के संबंध में प्राप्त शिकायतें	138
सारणी 26	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निधियों के स्रोत	152
सारणी 27	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय के प्रमुख क्षेत्र	152
सारणी 28	मार्च 2026 की यथास्थिति अनुसार प्राधिकरण की संरचना	154
सारणी 29	प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयोजित बैठकें	155
सारणी 30	वर्ष के अंत में आईएफएससीए में स्वीकृत और वास्तव में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	159
सारणी 31	31 मार्च 2026 की यथास्थिति अनुसार आईएफएससीए में परामर्शदाता	159
सारणी 32	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरटीआई आवेदनों की स्थिति	160

डाटा परिशिष्ट सारणियों की सूची

परिशिष्ट सारणी संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
परिशिष्ट सारणी 1	आईएफएससीए द्वारा जारी किए गए लाइसेन्स / पंजीकरण / प्राधिकृतिकरण	168
परिशिष्ट सारणी 2	आईबीयू की आस्तियां	169
परिशिष्ट सारणी 3	आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों की देयताएं	170
परिशिष्ट सारणी 4	आइबीयू में ग्राहकों की जमाराशियां	170
परिशिष्ट सारणी 5	आइबीयू में निवासी और अनिवासी (एनआर) कार्पोरेट जमाराशियां	171
परिशिष्ट सारणी 6	आइबीयू में निवासी और अनिवासी (एनआर) रिटेल जमाराशियां	171
परिशिष्ट सारणी 7	आइबीयू में अदत्त ओडीआई	171
परिशिष्ट सारणी 8	आइबीयू का उद्योग अनुसार क्रेडिट एक्सपोजर	171
परिशिष्ट सारणी 9	आइबीयू का देश अनुसार एक्सपोजर	173
परिशिष्ट सारणी 10	आइबीयू में अदत्त डेरिवेटिव	174
परिशिष्ट सारणी 11	आइबीयू द्वारा बुक किए गए व्यापार वित्त सौदे	174
परिशिष्ट सारणी 12	आईएफएससी में प्राधिकृति प्राप्त भुगतान प्रतिष्ठानों की संख्या	174
परिशिष्ट सारणी 13	आईएफएससी में भुगतान खातों की संख्या	175
परिशिष्ट सारणी 14	आईएफएससी में भुगतान खातों में संव्यवहारों की संख्या	175
परिशिष्ट सारणी 15	आईएफएससी भुगतान खातों में लेनदेन का मूल्य (मिलियन $ में)	175
परिशिष्ट सारणी 16	आईएफएससी में सीमा-पारीय और इन्ट्रा आईएफएससी धन अंतरण संव्यवहारों की संख्या	175
परिशिष्ट सारणी 17	आईएफएससी में सीमा-पारीय और इन्ट्रा आईएफएससी धन अंतरण संव्यवहारों का मूल्य	175
परिशिष्ट सारणी 18	आईएफएससी में माहवार एफसीएसएस संव्यवहार	176
परिशिष्ट सारणी 19	आईएफएससी में वर्ष के अंत में पंजीकृत वित्त कम्पनियां	176
परिशिष्ट सारणी 20	आईएफएससी में वर्ष के अंत में वायुयान लीजिंग प्रतिष्ठानों द्वारा लीजकृत आस्तियां	176
परिशिष्ट सारणी 21	आईएफएससी में वर्ष के अंत में जलपोत लीजिंग प्रतिष्ठानों द्वारा लीजकृत आस्तियां	177
परिशिष्ट सारणी 22	आईएफएससी में वर्ष के अंत में जीआरसीटीसी के कारोबारी ब्यौरे	177
परिशिष्ट सारणी 23	आईएफएससी में वर्ष के अंत में कोर वित्त कम्पनियों के कारोबारी ब्यौरे	177
परिशिष्ट सारणी 24	आईएफएससी में वर्ष के अंत में आइटीएफएस प्लेटफॉमों पर सुविधाकृत संव्यवहार	177

परिशिष्ट सारणी संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
परिशिष्ट सारणी 25	आईएफएससी की लीजिंग प्रतिष्ठानों द्वारा आईबीणए से प्राप्त कुल वित्तीयन(मिलियन यूएसडी)	177
परिशिष्ट सारणी 26	आईएफएससी स्टॉक एक्सचेन्ज टर्नओवर	178
परिशिष्ट सारणी 27	आईएफएससी स्टॉक एक्सचेन्जों पर सभी डेरिवेटिव संविदाओं का सकल ओआई	178
परिशिष्ट सारणी 28	इंडिया आईएनएक्स ग्लोबल एक्सेस – खातों की संख्या	178
परिशिष्ट सारणी 29	आईएफएससी में इंडिया आइएनएक्स ग्लोबल एक्सेस के माध्यम से सौदे	178
परिशिष्ट सारणी 30	आईएफएससी में डिपॉजिटरी में डीमैट खातों की संख्या	179
परिशिष्ट सारणी 31	आईएफएससी में वर्ष के लिए क्लीयरिंग कार्पोरेशन के निपटान आंकड़े	179
परिशिष्ट सारणी 32	आईएफएससी एक्सचेन्जों में संचयी ऋण लिस्टिंग	179
परिशिष्ट सारणी 33	आईएफएससी में पंजीकृत फन्ड प्रबंधन प्रतिष्ठान (एफएमई) की संख्या	179
परिशिष्ट सारणी 34	फन्ड प्रबंधन स्कीमों द्वारा निवेश (गैर रिटेल)	179
परिशिष्ट सारणी 35	आईएफएससी में फन्ड प्रबंधन कार्यों का स्नैपशॉट (गैर-रिटेल)	180
परिशिष्ट सारणी 36	आईएफएससी फन्डों में निवेशकों की संख्या	180
परिशिष्ट सारणी 37	आईएफएससी में फन्ड प्रबंधन क्रियाकलापों की प्रवत्तियां	180
परिशिष्ट सारणी 38	पोर्टफोलियो प्रबन्धन सेवाएं (पीएमएस)	181
परिशिष्ट सारणी 39	गिफ्ट आईएफएससी में रिटेल स्कीमों का सारांश	181
परिशिष्ट सारणी 40	बुलियन एक्सचेन्ज (आइआइबीएक्स) पर विनियमित प्रतिष्ठान / मध्यस्थ	181
परिशिष्ट सारणी 41	बुलियन एक्सचेन्ज (आइआइबीएक्स) पर सहभागिता	182
परिशिष्ट सारणी 42	आईएफएससी में फिनटेक सैन्डबॉक्स परितंत्र	182
परिशिष्ट सारणी 43	आईएफएससी में वित्तीय वर्ष में बीमा प्रतिष्ठानों द्वारा हामीदारीकृत/ सौदाकृत प्रीमियम	182
परिशिष्ट सारणी 44	आईएफएससी में बीमा प्रतिष्ठानों (आइआइओ और आइआइआइओ) की संख्या	183
परिशिष्ट सारणी 45	आईएफएससी में व्यवसाय के प्रकार के अनुसार प्रत्यक्ष बीमा कारोबार (जीवन और सामान्य)	183
परिशिष्ट सारणी 46	आईएफएससी में व्यवसाय के प्रकार के अनुसार पुनर्बीमा कारोबार	184
परिशिष्ट सारणी 47	आईएफएससी में दावों का डाटा (रिटेल / पुनर्बीमा)	184
परिशिष्ट सारणी 48	आईएफएससी में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आईबीयू द्वारा सम्यक संधारणीय वित्त-पोषण	185

परिशिष्ट सारणी संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
परिशिष्ट सारणी 49	आइबीयू द्वारा संधारणीय वित्त-पोषण का क्षेत्र अनुसार वर्गीकरण	185
परिशिष्ट सारणी 50	आईएफएससी एक्सचेन्जों में ईएसजी लेबलकृत संचयी ऋण लिस्टिंग	186
परिशिष्ट सारणी 51	आईएफएससी में संचयी श्रेणी अनुसार ईएसजी ऋण प्रतिभूतियां	186
परिशिष्ट सारणी 52	आईएफएससी में ईएसजी निर्गमन वर्ष अनुसार	186
परिशिष्ट सारणी 53	आईएफएससी में ईएसजी फन्डों का स्नैपशॉट	186
परिशिष्ट सारणी 54	आईएफएससी में वित्तीय समर्थन सेवा (एफएसएस) प्रतिष्ठान	187

आरेखों की सूची

आरेख संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
आरेख 1	आइबीयू - अदत्त ग्राहक क्रेडिट सहित समयबद्ध आस्तियां	18
आरेख 2	आईबीयू – ट्रेड वित्त, प्रतिभूतियों में निवेश और अंतर-शाखा / अंतर बैंक प्लेसमेन्ट	19
आरेख 3	आईबीयू में जमाराशियों की बढ़ोतरी	19
आरेख 4	आईबीयू का देशानुसार एक्सपोजर	20
आरेख 5	भुगतान खातों की संख्या	26
आरेख 6	क्रॉस बार्डर और इन्ट्रा आईएफएससी धन अंतरण को मूल्य (मिलियन $ में)	27
आरेख 7	एफसीएसएस लेन-देन का संचयी मूल्य और एफसीएसएस पर लेन-देन संचयी संख्या	28
आरेख 8	गिफ्ट आईएफएससी में पंजीकृत वित्त कम्पनियां	35
आरेख 9	जलपोत लीजिंग प्रतिष्ठानों द्वारा लीजकृत आस्तियां	35
आरेख 10	लीजकृत विमानन आस्तियां	35
आरेख 11	आइटीएफस द्वारा वित्तपोषित लेनदेनों का मूल्य और वित्तपोषित लेनदेनों की संख्या	36
आरेख 12	स्टॉक एक्सचेन्जों में टर्नओवर	50
आरेख 13	ओआइ का औसत मूल्य (एनएसई आइएक्स और इंडिया आइएनएक्स संयुक्त)	51
आरेख 14	ऋण निर्गमन अदत्त	52
आरेख 15	पंजीकृत एफएमई और स्कीमें	66
आरेख 16	फन्ड प्रबंधन क्रियाकलाप की प्रवृत्तियां	66
आरेख 17	आईएफएससी में बीमा प्रतिष्ठानों की संवृद्धि	88
आरेख 18	आइआइओ द्वारा बुक किया गया सकल लिखित प्रीमियम	89
आरेख 19	आइआइआइओ द्वारा सौदाकृत प्रीमियम	89
आरेख 20	वर्ष अनुसार ईएसजी ऋण निर्गमन – श्रेणी अनुसार	95

बॉक्सों की सूची

चित्र संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
बाक्स मद 1	विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (एफसीएसएस)	28
बाक्स मद 2	तृतीय पक्ष फन्ड प्रबन्धन सेवाएं	64
बाक्स मद 3	गिफ्ट आईएफएससी में रिटेल स्कीम	65
बाक्स मद 4	सैन्डबॉक्स के चार पथ	82

चित्रों की सूची

चित्र संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
चित्र 1	डॉ. दीपेश शाह, ईडी और श्री के. महीपाल रेड्डी, ईडी, साथ में हैं मुख्य महाप्रबंधक – श्री सुप्रियो भट्टाचारजी, श्री प्रदीप देव, श्री आशुतोष शर्मा और आईएफएससीए के अन्य अधिकारी – आइबीयू के साथ विनियामक संवाद के दौरान	22
चित्र 2	माननीय केन्द्रीय वित्त और कार्पोरेट कार्य मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन गिफ्ट आईएफएससी के लिए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली का आरंभ करते हुए	30
चित्र 3	माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी – इंडिया मैरीटाइम रिपोर्ट 2025-26 को लॉन्च करते हुए	39
चित्र 4	(बाएं से दाहिने) श्री इन्जेटी श्रीनिवास, पूर्व अध्यक्ष आईएफएससीए; श्री वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार; श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए, और महामहिम श्री गिलेस रॉथ, मिनिस्टर ऑफ फिनान्स, लक्जेमबर्ग - जीएसएमसी 2.0 के उद्घाटन अवसर पर	58
चित्र 5	श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और महामहिम श्री गिलेस रॉथ, मिनिस्टर ऑफ फिनान्स, लक्जेमबर्ग – विचार-विमर्श के दौरान	59
चित्र 6	अध्यक्ष, आईएफएससीए श्री के. राजारामन - आइआइटी गांधीनगर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर	84
चित्र 7	श्री अजय सेठ, अध्यक्ष, इरडाई; श्री हसमुख अधिया, अध्यक्ष, गिफ्ट सिटी कं. लि.; श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए; श्री एम. नागराजु, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग; और श्री के. महीपाल रेड्डी, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए – जीआरएस 3.0 में अन्य उच्चाधिकारियों के साथ	92
चित्र 8	श्री प्रदीप रामकृष्णन, ईडी, आईएफएससीए गोलमेज सत्र में अंतरण बॉन्डों हेतु व्यवस्था पर चर्चा करते हुए	96

चित्र संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
चित्र 9	गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने गिफ्ट सिटी में एक विकास केन्द्र का उद्घाटन किया	101
चित्र 10	आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारामन और डीईए की सचिव श्रीमती अनुराधा ठाकुर द्वारा "दि गिफ्ट सिटी एडवान्टेज" सार-संग्रह का लोकार्पण	105
चित्र 11	(बाएं से दाहिने) श्री दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए, श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए, पीएम के मुख्य सचिव श्री पी. के. मिश्रा, गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री श्री हर्ष सांघवी, श्री उदय कोटक, अध्यक्ष गिफ्ट कम्पनी लि., श्री संजय कौल, एमडी और सीईओ गिफ्ट कम्पनी लि., और श्री रिशाद प्रेमजी, एक्जीक्यूटिव चेयरमैन विप्रो – गिफ्ट सिटी में आयोजित आईएफएससीए टेलेन्ट विस्टा समिट के दौरान	108
चित्र 12	अध्यक्ष, आईएफएससीए श्री के. राजारामन ब्रिटिश समकक्षों के साथ डॉ. दीपेश शाह, ईडी द्वारा ईओएल पर हस्ताक्षर के अवसर पर	112
चित्र 13	डॉ. दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए – माननीय क्रिस बिशप, मंत्री और लीडर ऑफ दि हाउस के नेतृत्व में न्यूजीलैन्ड के प्रतिनिधिमंडल के साथ	123
चित्र 14	श्री प्रवीण त्रिवेदी, कार्यपालक निदेशक – एसईजेड यूनिटों के ओपन हाउस में	135
चित्र 15	शीर्ष बाएं - श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए – साथ में हैं श्री हसमुख अधिया, अध्यक्ष, गिफ्ट कम्पनी लि. और श्री संजय कौल, एमडी और सीईओ, गिफ्ट कम्पनी लि. – 6ठे आईएफएससीए स्थापना दिवस पर दीप प्रज्वलन करते हुए	160

संक्षेपाक्षर

एडी	प्राधिकृत डीलर
एसीएआर	वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एडीआर	वैकल्पिक विवाद समाधान
एडीआरसी	वैकल्पिक विवाद समाधान समिति
एईडी	यूएई दिरहम
एजीएम	वार्षिक आम सभा
एआइ	कृत्रिम मेधा
एआइएफ	वैकल्पिक निवेश निधि
एआइएसपी	अकादमिक अवसंरचना सेवा प्रदाता
एआइएसएस	वार्षिक सूचना सुरक्षा शीर्ष बैठक
एएमएल	धनशोधन रोधी
एपीआइ	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इन्टरफेस
एआरसीए	आर्केइपेलागो एकसचेन्ज
एएसआइसी	आस्ट्रेलियन सिक्यूरिटीज एन्ड इन्वेस्टमेन्ट कमिशन
एएसएसओसीएचएएम	दि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री ऑफ इंडिया
एयूडी	आस्ट्रेलियन डॉलर
एयूएम	प्रबंधन अधीन आस्तियां
एडब्ल्यूसीएस	स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली
बीएटीएफ	बुककीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुवर्तन
बीसीआइसी	बंगलोर चैम्बर ऑफ इन्डस्ट्री एन्ड कामर्स
बीडीआर	बुलियन डिपॉजिटरी रसीद
बीएफएसआइ	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा
बीएलयूटी	बॉन्ड सह विधिक वचनबद्धता
बीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन बोर्ड
बीएसई	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेन्ज
बीएसईसी	बांगलादेश सिक्यूरीटीज एन्ड एक्सचेन्ज कमीशन
सीएडी	कनाडा डॉलर
सीएजीआर	मिश्रित वार्षिक संवृद्धि दर
सीएपीआइबीए	काउन्सिल ऑफ एशिया पेसिफिक ब्रोकर्स एसोसिएशन
सीएटी बॉन्ड	केटास्ट्रॉफी बॉन्ड
सीबीआइ	क्लाइमेट बॉन्ड इनीशिएटिव
सीबीओई	शिकागो बोर्ड आप्शनस् एक्सचेन्ज

सीसीआइएल	क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
सीडीडी	ग्राहक विधिवत समावेक्षा
सीडीएसएल	केन्द्रीय डिपॉजिटरी सेवा लि.
सीईईडब्ल्यू	ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीईपीए	समेकित आर्थिक साझेदारी समझौता
सीईआरएसएआइ	भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री
सीएफएमआइपी	वित्तीय बाजार और निवेशक संरक्षण समिति
सीएफए	चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक
सीएफटी	आतंकवाद का विरोधी वित्तीयन
सीएचएफ	स्विस फ्रैन्क
सीआइएन	कार्पोरेट पहचान संख्या
सीआइएसओ	मुख्या सूचना सुरक्षा अधिकारी
सीकेवाइसीआरआर	केन्द्रीय केवाइसी रिकार्ड रजिस्ट्री
सीएमई	शिकागो मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज
सीएमआइ	पूंजी बाजार मध्यस्थ
सीओबी	व्यवसाय संचलन
सीओएमईएक्स	कमोडिटी एक्सचेन्ज
सीपी-एसआइपीएस	प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों के प्रमुख सिद्धांत
सीपीआइ	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीएमआइ	भुगतान और बाजार अवसंरचना पर समिति
सीपीएसई	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम
सीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणालियों पर समिति
सीआरए	क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी
सीआरएआर	पूंजी जोखिम (भारित) आस्तियां
सीएसएसएफ	कमीशन डी सर्वीलियेन्स डू सेक्तूर फिनान्सर
सीटीसीआर	आंतक निरोधक और काउन्टर रैडिकलाइजेशन
सीवाइएसईसी	साइप्रस सिक्यूरिटीज एन्ड एक्सचेन्ज कमीशन
डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
डीएफएसए	दुबई फाइनान्शियल सर्विसेज अॅथारिटी
डीजीएफटी	विदेशी व्यापार महा निदेशक
डीआइसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआइएन	निदेशक पहचान संख्या
डीकेके	डेनिश क्रोन
डीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

डीपी	डिपॉजिटरी सहभागी
डीपीडीपी	डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण
डीआरआर	डिजिटल विनियामक रिपोर्टिंग
डीएससी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र
डीएससीआइ	भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद
डीएसआइ	मध्यस्थ पर्यवेक्षण प्रभाग
डीटीए	डोमेस्टिक टैरिफ एरिया
डीटीसी	डिपॉजिटरी ट्रस्ट कम्पनी
ईबीए	यूरोपियन बैंकिंग अॅथारिटी
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधारियां
ईसीजीसी	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.
ईआइओपीए	यूरोपियन इन्श्योरेन्स एन्ड ऑक्यूपेशनल पेन्शन अॅथारिटी
ईएमडीई	उदीयमान बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईएमएमओयू	प्रवर्धित बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन
ईओडीबी	कारोबार करने की सहजता
ईआरडीपीपी	ईएसजी रेटिंग और डाटा उत्पाद प्रदाता
ईआरएम	उद्यम जोखिम प्रबंधन
ईआरपी	उद्यम संसाधन आयोजना
ईएसजी	पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन
ईएसएमए	अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम
ईटीएफ	एक्सचेन्ज सौदाकृत निधि
ईटीपी	एक्सचेन्ज सौदाकृत उत्पाद
ईयू	यूरोपियन यूनियन
ईयूआर	यूरो
ईएक्सआइएम	भारतीय निर्यात- आयात बैंक
एफएआर	पूर्णतया अभिगम्य मार्ग
एफएटीएफ	वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल
एफसी	वित्त कम्पनी
एफसीए	वित्तीय आचार प्राधिकरण
एफसीए	विदेशी मुद्रा खाता
एफसीएसएस	विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली
एफसीवाइ	विदेशी मुद्रा
एफडीआइ	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफईएमए	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफआइसीसीआइ	फेडरेशन ऑफ इंडियान चैम्बर्स ऑफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री

एफआइईओ	भारतीय निर्यात संगठन फेडरेशन
एफआइएफ	परिवारिक निवेश निधियां
एफआइयू	वित्तीय इन्टैलिजेन्स यूनिट
एफएमई	निधि प्रबंधन प्रतिष्ठान
एफपीआइ	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
एफपीओ	आगामी लोक प्रस्ताव
एफएसई	फिनटेक सैन्डबॉक्स प्रतिष्ठान
एफएसएसएसडी	वित्तीय समर्थन सेवा पर्यवेक्षण प्रभाग
जीएओ	वैश्विक प्रशासनिक कार्यालय
जीबीपी	यूके पाउन्ड स्टर्लिंग
जीसीसी	वैश्विक क्षमता केन्द्र
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएफआइएन	वैश्विक वित्तीय नवोन्मेष नेटवर्क
जीआइसी	वैश्विक इन-हाउस केन्द्र
जीआइएफटी	गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त-टेक सिटी
जीएनएलयू	गुजरात नेशनल विधि विश्वविद्यालय
जीएनपीए	सकल गैर निष्पादक आस्तियां
जीआरसीटीसी	वैश्विक / प्रादेशिक कार्पोरेट ट्रेजरी केन्द्र
जीएसटीआइएन	वस्तु और सेवा कर पहचान संख्या
जीएसटीएन	वस्तु और सेवा कर नेटवर्क
जीवीए	सकल मूल्य वर्धित
एचकेडी	हांगकांग डॉलर
एचकेएमए	हांगकांग मानिटरी अथॉरिटी
आइएआइएस	इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इन्श्योरेन्स सुपरवाइजर्स
आइबीए	भारतीय बैंक संघ
आइबीएआइ	भारतीय इन्श्योरेन्स ब्रोकर्स एसोसिएशन
आइबीबीआइ	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
आइबीसी	आईएफएससी बैंकिंग कम्पनी
आइबीयू	आईएफएससी बैंकिंग यूनिट
आइसीएआइ	भारतीय चार्टर्ढड एकाउन्टेन्ट संस्थान
आइसीईजीएटीई	भारतीय कस्टम्स इलेक्ट्रानिक गेटवे
आइसीईएस	भारतीय कस्टम्स ईडीआई प्रणाली
आइसीएमए	इन्टरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन
आइसीएमएआइ	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
आइसीएसआइ	भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

आइएफए	स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार
आइएफआइएच	अंतरराष्ट्रीय फिनटेक इनोवेशन गिफ्ट आईएफएससी
आइएफएस	भारतीय विदेश सेवा
आईएफएससी	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र
आइएफएससीए	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण
आइआइबीएफ	भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान
आइआइबीएक्स	इंडिया इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेन्ज
आइआइसीए	भारतीय कार्पोरेट कार्य संस्थान
आइआइडीआइ	इंडिया इन्टरनेशलन डिपॉजिटरी लिमिटेड
आइआइआइ	भारतीय बीमा संस्थान
आइआइआइओ	इन्टरनेशनल फाइनेन्शियल सर्विस सेन्टर इन्श्योरेन्स इन्टरमीडियरी ऑफिस
आइआइओ	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र बीमा कार्यालय
आइएलएस	बीमा सहबद्ध प्रतिभूतियां
आइएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आइएनआर	भारतीय रुपया
आइएनवीआइटी	अवसंरचना निवेश ट्रस्ट
आइओपीएस	इन्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ पेन्शन सुपरवाइजर्स
आइओआरएस	इन्टर-ऑपरेबल रेग्युलेटरी सैन्डबॉक्स
आइओएससीओ	इन्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्यूरिटीज कमीशन
आइपीओ	आरंभिक लो प्रस्ताव
आइपीआरएसए	टर्किश इन्श्यूरेन्स एन्ड प्राइवेट पेन्शन रेग्यूलेशन एन्ड सुपरविजन अॅथारिटी
आइआरडीएआइ	भारतीय बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण
आइएसए	इसराइल सिक्यूरिटीज अथॉरिटी
आइएसपी	इन्टरनेट सेवा प्रदाता
आइटीईसी	भारत-ताइवाद आर्थिक परामर्श
आइटीएफएस	अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्तपोषण सेवाएं
आइवीसीए	इंडियन वेन्चर एन्ड आल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन
जेएफएसए	जापानी फाइनेन्शियल सर्विसेज अथॉरिटी
जेपीएक्स	जापान एक्सचेन्ज ग्रुप
जेपीवाइ	जापानी येन
केआरए	केवाइसी पंजीकरण एजेन्सियां
एलएएन	स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क
एलबीएमए	लन्दन बुलियन मार्केट एसोसिएशन
एलकेआर	श्रीलंकाई रुपया
एलपीटीएम	सीमित प्रयोजन ट्रेडिंग सदस्य

एलआरएस	उदारीकृत धनप्रेषण स्कीम
एलयूए	सीमित उपयोग हेतु प्राधिकृतिकरण
एमएएस	मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर
एमसीए	कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीएलआर	निधि आधारित उधारी दर की सीमांत लागत
एमसीएक्स	एकाधिक कमोडिटी एक्सचेन्ज
एमईपीजेड	मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन
एमएफएसए	माल्टा फाइनेन्शियल सर्विसेज अॅथारिटी
एमआइआइ	बाजार अवसंरचना संस्थान
एमआइएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएनसी	बहुराष्ट्रीय कम्पनी
एमएनआरई	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमसीआइ	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमयूएफजी	मित्शुबिशी यूएफजे फाइनेन्शियल ग्रुप
एनएएसडीएक्यू	नेशनल एसोसिएशन ऑफ डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन्स
एनएएसएससीओएम	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयार एन्ड सर्विस कम्पनीज
एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी
एनडीएफ	अदेय वायदा सौदा
एनआइए	राष्ट्रीय बीमा अकादमी
एनआइबीएम	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्था
एनआइसी	राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र
एनआइसीसीएल	एनएसई आईएफएससी क्लीयरिंग कार्पोरेशन लि.
एनआइडी	अस्वतंत्र निदेशक
एनआइएफटीवाइ	राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेन्ज फिफ्टी
एनआइएसएम	नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ सिक्यूरिटीज मार्केट्स
एनआइटीआइ	भारत के संपरिवर्तन हेतु राष्ट्रीय संस्थान
एनपीसीआइ	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीएस	राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली
एनआरबी	नेपाल राष्ट्र बैंक
एनआरआइ	गैर निवासी भारतीय
एनएससीएस	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
एनएसडीएल	राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लि.
एनएसई	राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेन्ज
एनएसईआइसीसी	एनएसई आईएफएससी क्लीयरिंग कार्पोरेशन लि.

एनएसईआइएक्स	एनएसई अंतरराष्ट्रीय एक्सचेन्ज
ओडीआइ	अपतटीय डेरिवेटिव संलेख
ओईसी	अपतटीय शिक्षण केन्द्र
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएफएस	विक्रय हेतु प्रस्ताव
ओआइएस	ओवरनाइट इन्डेक्सकृत स्वैप
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीसीआइ	भारतीय भुगतान परिषद
पीडीईयू	पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय
पीएफ	प्रोलिफिरेशन वित्तीयन
पीएफएमआइ	वित्तीय बाजार अवसंरचना के सिद्धांत
पीएफआरडीए	पेन्शन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पीआइडी	लोक हितार्थ निदेशक
पीएमसी	पेन्शन मॉनिटरिंग सेन्टर आूफ तुर्कीये
पीएमएस	पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा
पीओएसएच	यौन उत्पीड़न से बचाव
पीआरबी	भुगतान विनियामक बोर्ड
पीआरसी	कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति
पीएसओ	भुगतान प्रणाल परिचालक
पीएसपी	भुगतान सेवा प्रदाता
पीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली
क्यूसीसीपी	अर्हताप्राप्त केन्द्रीय प्रतिपक्ष
क्यूसीआइ	भारतीय गुणवत्ता परिषद
क्यूएफआइ	अर्हताप्राप्त वित्तीय संस्थान
क्यूएफएमए	कतर फाइनेन्शियल मार्केट अथॉरिटी
क्यूआइए	कतर इन्वेस्टमेन्ट अथॉरिटी
आरबीआइ	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरईआइटी	भूसम्पदा निवेश ट्रस्ट
आरएफपी	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
आरओई	इक्विटी पर प्रतिलाभ
आरआरयू	राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी
आरटीआइ	सूचना का अधिकार
आरटीपी	दूरस्थ ट्रेडिंग सहभागी
आरयूबी	रूसी रूबल
एसएआइएल	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.

एससीए	प्रतिभूति और कमोडिटी प्राधिकरण
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
एसईबीआइ	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसईईपीजेड	सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रोसेसिंग जोन
एसईएनएसईएक्स	स्टॉक एक्सचेन्ज संवेदी सूचकांक
एसईजेड	विशेष आर्थिक जोन
एसजीडी	सिंगापुर डॉलन
एसजीएफ	निपटान गारंटी निधि
एसजीएक्स	सिंगापुर स्टॉक एक्सचेन्ज
एसआइपी	प्रणालीबद्ध निवेश योजना
एसएलए	सर्वेयर और हानि आकनलकर्ता
एसएमई	लघु और मध्यम उद्यम
एसएनआरआर	विशेष गैर निवासी रुपया खाता
एसपीवी	विशेष प्रयोजन वाहन
एसटीईएम	विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, और गणित
एसटीपीआइ	भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
एसडब्ल्यूआइटीएस	एकल विन्डो आइ टी प्रणाली
टीसीएम	ट्रेडिंग और क्लीयरिंग सदस्य
टीसीएसपी	न्यास और कम्पनी सेवा प्रदाता
टीईक्यूएसए	तृतीयक शिक्षण गुणवत्ता और मानक एजेन्सी
टीईआरआइ	ऊर्जा अनुसंधान संस्था
टीएम	ट्रेडिंग सदस्य
टीएमसीएम	ट्रेडिंग सदस्य/ क्लीयरिंग सदस्य
टीआरक्यू	टैरिफ रेट कोटा
टीएससीएम	ट्रेडिंग सह स्वत: क्लीयरिंग सदस्य
यूएसी	यूनिट अनुमोदन समिति
यूएईजीडी	यूएई गुड डिलीवरी
यूएईजीडीसीईपीए	यूनाइटेड अरब अमीरात गुड डिलीवरी कम्प्रीहेन्सिव इकोनोमिक पार्टनरशिप एग्रीमेन्ट
यूएईजीडीटीआरक्यू	यूएई गुड डिलीवरी टैरिफ रेट कोटा
यूआइडीएआइ	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूके	यूनाइटेड किंगडम
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूआरएन	विशिष्ट पंजीकरण संख्या
यूएसए	संयुक्त राज्य अमरीका
यूएसडी	अमरीकी डॉलर

यूएसआइबीसी	यूएस-भारत व्यापार परिषद
वी-सीआइपी	वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया
डब्ल्यूईएफ	वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
डब्ल्यूटीएम	पूर्णकालिक सदस्य

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए)

इस वार्षिक रिपोर्ट को संभव बनाने में आईएफएससीए के विभिन्न प्रभागों और अन्य स्टेकधारकों द्वारा बहुमूल्य सहायता और डाटा इनपुट का योगदान है।

वार्षिक रिपोर्ट टीम :

1. डॉ. दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक (विकास)
2. श्री नबील अहमद साद, उप महाप्रबंधक (विकास)
3. श्री जयन्त देवनाथ, प्रबंघक (आर्थिक नीति और विश्लेषण)
4. श्री कौशल ठक्कर, युवा प्रोफेशनल (पूंजी बाजार)
5. सुश्री सेरिन एल्सा जोजी, इन्टर्न (आर्थिक नीति और विश्लेषण)

सहायता टीम :

1. श्री राहुल जिंदल, सहायक प्रबंधक
2. श्री राजीव विवेकानंद, सहायक प्रबंधक
3. सुश्री निशा कुमावत, सहायक प्रबंधक
4. श्री विशाल देवजीभाई देसाई, सहायक प्रबंधक
5. सुश्री नेहा पाल, सहायक प्रबंधक
6. श्री अशित शर्मा, सहायक प्रबंधक
7. श्री आशीष गौतम, सहायक प्रबंधक

डिजाइन क्रेडिट : सुश्री संगीता मोहन्ती

अन्य आभार :

1. श्री अर्जुन प्रसाद, मुख्य महाप्रबन्धक
2. श्री सौरभ गंगवाल, सहायक महाप्रबन्धक
3. श्री अनामिक बादशे, प्रबन्धक
4. श्री अमित सोलंकी, युवा प्रोफेशनल
5. सुश्री श्रद्धा व्यास, युवा प्रोफेशनल



अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट 2025-2026

दूसरा और तीसरा तल, सावी प्रज्ञा, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस
टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी), गांधीनगर, गुजरात – 382050

www.ifsca.gov.in